Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

Shodh Chetna

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal Research Journal

Year : 9 **Vol. - 2** **(Apr. to Jun., 2023)**

ADVISORY BOARD

- Dr. Surya Narayan Gautam
  (Director, Research & Development, Eklavya University, Damoh, M.P.)
- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Safat Ahmad *(SHUATS, Naini, Prayagraj)*
- Prof. L.C. Chaudhary *(Principal Scientist, IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishra *(TRS College, Rewa)*
- Prof. R.K. Singh, Prog. Coordinator *(KVK Barellei, Govt. of India)*
- Prof. S.P. Singh *(CM.P. Degree College, Prayagraj)*
- Dr. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Prof. D.N. Triapthi *(D.S. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Editor
Dr. Sheetla Prasad Verma
Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob. : 9415645164

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob. : 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha, Prayagraj
Mob. : 9807520344
R.L. Vishwakarma, Rewa

Scan QR Code
for All Details

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh, Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT Univ., Jhunjhunu, Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa)
6. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
7. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa)
8. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa)
9. Preeti Vishwakarma (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
10. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College Nashtigawan, Rewa, M.P.)
11. Prof. Kalpana Mishra (Jawahar Lal Nehru College of Technology, M.P.)
12. Dr. (Smt.) Bhawana Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
13. Ram Kumar Arya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
14. Sheetal Surothiya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
15. Smt. Nisha Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
16. Dr. Shrikant Shukla (Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna, M.P.)
17. Prof. (Dr.) Jagdamba Singh (Elite Public B.Ed. College, Palamau, Jharkhand)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित। (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com , website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

G.H. PUBLICATION

Registered Office :

121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com

Branch Office :

R.L. VISHWAKARMA

C/o Preeti Computer, Angoori Building, University Road, Rewa (M.P.)

LIST OF REVIEWERS

1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol)
2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow)
3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj)
4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj)
5. Dr. Sunil Chandra, Agronomy (Prayagraj)
6. Dr. Ramesh Chandra, Dairy Technology (Prayagraj)
7. Dr. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj)
8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj)
9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj)
10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj)
11. Dr. Aizaz Ahemad, Social Convention (Prayagraj)
12. Dr. Arvind Verma, Agri. Engg. (Mathura)
13. Dr. Saleem Uddin, Genetic & Plant Breeding
14. Dr. Sikha Verma, Education (Ayodhya)
15. Dr. Sandeep Kashyap, L.P.M. (Sant Kabir Nagar)
16. Dr. A.K. Roy, Agri. Eco. (Prayagraj)
17. Dr. J.P. Verma, Economics (Lucknow)
18. Dr. Faizan Ahmad, Political Science (Badaun)
19. Dr. Dinesh Kumar Patel, English (Badayun)
20. Dr. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda)
21. Prof. Gyan Prakash Verma, Commerce (Varanasi)
22. Dr. P.K. Pachauri, Physical Education (Prayagraj)
23. Dr. VIkram Singh, Physics (Prayagraj)
24. Dr. S.K. Tripathi, Agri. Chem. (Prayagraj)
25. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj)
26. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj)
27. Dr. Vinay Kumar Singh Patel, Sociology (Bareily)
28. Dr. Manvendra Verma, Defence Studies (Prayagraj)
29. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj)
30. Dr. R.B. Singh, Statistics (Merrut)
31. Dr. Arun Kumar Verma (Hindi), MDPG College, Pratapgarh

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

रजिस्टर्ड कार्यालय :

121, शहराराबाग, प्रयागराज-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity/	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education / Physical Education/Commerce /Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than Research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08

	(b) Translation works in Indian and Foreign		
	Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning padagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new carricula and courses	02 per curricula/course	02 per carricula/course
	(c) MOOCs		
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (420 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08	08
	(d) E-Content		
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/ paper/e-book (at least one quadrant)	02	02
	Editor of e-content for complete course/paper/e-book	10	10
4.	**(a) Research guidance**		

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

अनुक्रम

1. **Incorporating humor as a teaching strategy into digital learning platforms** **11-14**
Shubhanshi

2. **मतदान व्यवहार के बदलते मानक और परिस्थितियाँ (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)** **15-17**
रंजना तिवारी

3. **पन्त की प्रकृति वन्दना** **18-21**
निमिषा सिंह

4. **विवेकानन्द चिन्तन में राष्ट्रवाद का योगदान** **22-25**
डॉ. जुल्फिकार

5. **संविद सरकार, विविध आयाम एवं परिदृश्य** **26-31**
डॉ. रंजना तिवारी

6. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति : भारत का भविष्य** **32-35**
डॉ. कल्पना द्विवेदी

7. **काव्य में बहुआयाम : हरिवंशराय बच्चन** **36-40**
डॉ. प्रभा सिंह

8. **समकालीन रचना संसार में नारी संघर्ष** **41-45**
रागिनी सिंह, डॉ. भूपेन्द्र सिंह

9. **Plagiarism detection software DrillBit, features, components and its limitations: An Overview** **46-50**
Pramod Kumar, Prof. Umesh Chandra Sharma

10. **Dr. S.R. Ranganathan's Five Laws inthe various disciplines of Human Sphere: An overview** **51-55**
Shalini, Prof. U.C. Sharma

11. **'सूर्यबाला का उपन्यास 'दीक्षांत' : मर्मस्पर्शी यातना का विवेचन'** **56-59**
पूजा सतनामी, प्रो. अमित शुक्ला

12. **''निर्मला पुतुल एवं उनके समकालीन कवियों का आदिवासी विद्रोह''** **60-65**
शशिबाला देशमुख, डॉ. मधुबाला गुप्ता

13. **रमणिका गुप्ता की आत्मकथा में सच और एकाकी अनुभूति संदर्भ समेत** **66-69**
रीना सिंह, डॉ. राघवेन्द्र तिवारी

14. **भारतीय लोकतंत्र में जनता एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका एवं लोकतंत्र की चुनौतियाँ** **70-73**
अंजू तिवारी, डॉ. (श्रीमती) शशि त्रिपाठी

15. **OPPORTUNITIES FOR WOMEN EMPOWERMENT THROUGH SELF-RELIANT INDIA** **74-77**
Priyanka Gupta, Dr. Divya Dwivedi

16. **''महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास का एक अध्ययन''** **78-85**
अंजू तिवारी, डॉ. (श्रीमती) राशि त्रिपाठी

17. **भारतीय नारियों की महान प्रेरणा : कस्तूरबा गांधी** **86-89**
डॉ. पूनम मिश्रा, श्रीमती अंजली पाण्डेय खरे

18. **महात्मा गाँधी जी की अविभाजित मध्य प्रदेश यात्रा : जबलपुर के विशेष सन्दर्भ में** **90-94**
अभिषेक खरे, डॉ. महेंद्र मणि द्विवेदी

19. **1857 की क्रान्ति और बहादुरशाह 'ज़फ़र'** **95-100**
डॉ. फ़ैज़ान अहमद

20. **भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्य दल की भूमिका : एक अध्ययन** **101-113**
महेश कुमार चोबदार

21. **A critical analysis of Kalidas's AbhijnanaShakuntalam** **114-122**
Pawan Kumar Joshi

22. **प्राच्य शिल्पविज्ञान की प्रासांगिकता** **123-125**
प्रो. सूर्यनारायण गौतम 'वेदाचार्य

23. **दमोह जिले की अर्थव्यवस्था का मूल आधार तुअरकृषि** **127-131**
डॉ. विजय कुमार साहू

24. **ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति विषयक चिन्तन** **132-137**
गजराज सिंह

25. **विवेकानन्द चिन्तन में राष्ट्रवाद का योगदान** **138-141**
डॉ. जुल्फिकार

26. स्वास्थ्य पर योग और ध्यान का प्रभाव **142-145**
परमेन्द्र कुमार, डॉ. सागर सिंह कछावा

27. टीकमगढ़ जिले के कृषि और संबद्ध क्षेत्र की आर्थिक नीति का अध्ययन **146-149**
अभिषेक घुवारा, डॉ. विजय साहू

28. Representation of women's life in Kalidas Abhijatshakuntalam **150-156**
Pavan Nandkumar Joshi

29. संगठित अपराध की उभरती प्रवृतियां और सोशल मीडिया **157-160**
प्रगति, डॉ. कृष्णा कुमार

30. An Exploratory Study on Impact of Digital Transformation on Financial Inclusion of Rural People **161-166**
Ankit Trivedi, Dr. Vidya Telang

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि

SHODH-CHETNA

शोध चेतना

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal Research Journal
(Frequency - Quarterly)

में प्रकाशित माननीय लेखकों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय), शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से निःशुल्क भेजी जा रही है जिससे, इन शोध दृष्टियों से

'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'

का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

...प्रकाशक

आज ही आदेश करें।

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, प्रयागराज-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205

© *Publishers*

Registration Fee :		**Rs. 1500.00**
	Single Copy	**Rs. 250.00 (Individual)**
	Annual (4 Issues)	**Rs. 1000.00 (Institution)**
	Life Member Fee (Individual)	**Rs. 5000.00**
	Life Member Fee (Institution)	**Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of

ghpublication@gmail.com

G.H. Publication
Union Bank of India
Chowk Branch, Prayagraj-3
A/c. 394301010122432
IFSC : UBIN0807095

Or

Phone Pay (M) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. 394302010996632
IFSC : UBIN0807095

Our Life Member

- Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajasthan
- Kulbhashkar Ashram P.G. College, Prayagraj (U.P.)
- International Federation of Astrology and Spiritual Science Regd. & Recognised by Govt. of India and Sri Lanka.
- Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh
- Baba Barua Das (P.G.) College, Ambedkar Nagar (U.P.)
- Elite Public B.Ed. College, Palamu, Jharkhand

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 10th Apr 23 Paper Accepted : 25th Apr 23

Incorporating humor as a teaching strategy into digital learning platforms

❐ Shubhanshi*

ABSTRACT

In the age of digital learning, humor has become an increasingly important aspect of teaching that can significantly enhance students' learning experience. Humor can help create a positive and engaging learning environment that fosters creativity, curiosity, and critical thinking. Studies show that humor can improve student engagement, retention, and overall learning outcomes. One of the most effective ways of incorporating humor in teaching is through the use of jokes and anecdotes, puns and wordplay, memes and GIFs, parodies and satire, irony and sarcasm that relate to the subject. This approach can grab students' attention, make the material more memorable, and increase student participation in classroom discussions. Humor can also help alleviate students' stress and anxiety related to challenging academic content. In addition to traditional teaching methods, technology provides educators with numerous opportunities to integrate humor into their lessons. For instance, teachers can use multimedia content such as memes, videos, and animations to make the material more accessible and enjoyable for students. Incorporating humor into digital learning platforms can also help create a more relaxed and engaging virtual classroom environment. While the benefits of incorporating humor in teaching are numerous, it is important for educators to be mindful of their audience and context. Humor can sometimes be misunderstood, offensive, or even inappropriate, leading to negative consequences for both teachers and students. It is crucial for teachers to understand their students' sense of humor and cultural background, avoid jokes that might be considered discriminatory, and use humor sparingly and appropriately. In conclusion, humor is a powerful tool that educators can use to enhance the learning experience of their students. It can help create a positive and engaging classroom environment that fosters creativity, curiosity, and critical thinking. However, it is important to exercise discretion and sensitivity in the use of humor to ensure that it has a positive effect on students' learning outcomes.

Keywords- Digital learning, humor, joke, anecdotes, parodies, puns, stress.

* PhD Research Scholar, School of Education, Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences, Prayagraj.

INTRODUCTION

In the digital era, technology has transformed the way we learn and teach. With the rise of online learning and remote instruction, educators are faced with new challenges in engaging students and promoting effective learning. One approach that has gained increasing attention is the use of humor in teaching. Humor has been shown to enhance learning by promoting engagement, reducing stress, and increasing retention. However, it is important for educators to use humor appropriately and effectively in order to avoid potential negative consequences. The use of humor in teaching has a long history, with educators recognizing its benefits as early as the ancient Greek and Roman times. However, with the advent of digital technology, there are now more opportunities than ever to incorporate humor into teaching. From memes and videos to online games and interactive tools, digital technology provides educators with a range of creative and engaging ways to make learning fun.

OBJECTIVE

Effective use of humor tools in digital teaching can enhance engagement, reduce stress, and improve learning outcomes, but requires careful consideration and appropriate use to avoid potential negative consequences.

OUTLINE

This paper will explore the benefits and risks of using different humor tools in teaching in the digital era, and provide guidance on how educators can use humor effectively to enhance student engagement and learning outcomes. The paper will begin by examining the research on the benefits of different types of humor used in teaching and how humor can be incorporated into digital learning. Humor can be an effective tool for engaging students in the digital learning process. Here are types of humor that teachers use in their teaching through digital media:

- Puns and Wordplay: Clever wordplay and puns can be a fun way to introduce a new concept or reinforce a lesson. Teachers may use puns or wordplay in slide titles or in discussion prompts.
- Memes and GIFs: Teachers may use relevant memes and GIFs to add humor and lighten the mood during online class discussions or when posting on social media.
- Parodies and Satire: Teachers may create educational parodies or satirical videos to help students remember concepts or provide a humorous take on a topic.
- Jokes and Anecdotes: Teachers may use jokes and anecdotes to illustrate a point or to create a more relaxed and fun atmosphere in the virtual classroom.
- Irony and Sarcasm: Teachers may use irony and sarcasm to challenge students to think critically and to engage in meaningful discussions.

It will then explore potential risks and negative consequences associated with using humor in teaching, such as offensive or inappropriate humor. The paper will conclude with recommendations for educators on how to use humor as a tool effectively and appropriately in digital training, with a focus on strategies for engaging students, building positive relationships, and improving learning outcomes.

METHODOLOGY

The data collected through in-depth interviews with Primary and Secondary section teachers from English medium private schools of Prayagraj District was analyzed using thematic analysis. This involved a systematic process of identifying patterns and themes within the data, including how teachers use different humor tools, their perceived benefits and challenges, and how they integrate these tools into their teaching practices. The process involved familiarizing with the data, generating initial codes, searching for

themes, reviewing and defining themes, and producing a final report. The results of this thematic analysis aimed to provide insights into how teachers can effectively use humor tools in digital learning to enhance student engagement and learning outcomes.

CONCLUSION

In conclusion, the use of humor in teaching in the digital era can be an effective strategy for enhancing student engagement, reducing stress, and improving learning outcomes. However, it is important for educators to use humor appropriately and effectively, and to be aware of the potential risks and negative consequences associated with using humor in teaching. By following best practices for incorporating humor into digital training, such as using appropriate humor, being mindful of cultural and individual differences, and creating a positive learning environment, educators can leverage the benefits of humor in teaching to improve student outcomes.

FUTURE RESEARCH

While there is a growing body of research on the benefits and risks of using humor in teaching, there are still many unanswered questions and areas for future research. For example, future studies could explore the effectiveness of different types of humor in digital training, or the role of humor in promoting motivation and self-regulated learning. Additionally, more research is needed on how to train educators to use humor effectively and appropriately, and how to support students in developing humor skills and competencies.

RECOMMENDATIONS

In terms of recommendations, educators should be encouraged to explore the use of humor in their teaching, but also to be mindful of the potential risks and negative consequences associated with using humor. Educators should seek out training and professional development on how to use humor effectively and appropriately in digital learning, and should also be open to feedback from students and colleagues to help refine their approach. By incorporating appropriate and effective humor into their instruction, educators can enhance student engagement, reduce stress, and improve learning outcomes in the digital era.

REFERENCES

1. “Use of Humor in Online Teaching: A Study of Indian Higher Education Institutions” by Ritika Sharma and Avinash Kumar Singh.
2. “Effect of Humor on E-Learning: An Empirical Study in Indian Context” by Ruchi Agrawal and Seema Singh.
3. “Humor in E-Learning: Perceptions of Indian University Students” by Anu Kumari and Shailendra Kumar.
4. “Use of Humor in Virtual Classrooms: An Exploratory Study in Indian Context” by Rajesh Kumar and Anupam Kumar.
5. “Impact of Humor in Online Learning: A Study of Indian Business Schools” by Sanjeev Bansal and Gurdeep Kaur.
6. “Humor as a Pedagogical Tool in Online Learning: A Study of Indian Engineering Education” by Harshvardhan Singh and Kalyani Singh.
7. “Use of Humor in E-Learning: A Study of Indian Management Education” by Anshul Kharbanda and Sunil Kumar.
8. “Humor in Online Teaching: A Study of Indian Law Education” by Neha Gupta and Anirudh Prasad.
9. “Impact of Humor in E-Learning: A Study of Indian Medical Education” by Rajesh Kumar and Anupam Kumar.
10. “Humor in Virtual Classrooms: An Empirical Study of Indian Higher Education Institutions” by Nitin Singh and Nisha Singh.

11. "Humor and Its Impact on Student Learning in Online Courses" by Matthew J. Irvin and D. Christopher Brooks.
12. "Humor in Distance Education: A Review of the Literature" by Laura Sujo-Montes and Ana García-Valcárcel.
13. "The Effects of Humor on Learning in a Technology-Mediated Distance Education Context" by Sharon L. Burton and Erin E. Hollenbaugh.
14. "Humor and Seriousness in Online Learning: A Study of the Effects on Student Engagement" by Maria Janelli and Lisa Maria Blank.
15. "Humor in Online Education: A Systematic Review" by Geir Haugsbakk and Susanne Lervik-Olsen.
16. "Humor and Learning: Enhancing Comprehension and Interest in e-Learning Environments" by Meirav Taieb-Maimon and Ayelet Baram-Tsabari.
17. "Humor in Online Learning: A Study of Its Effects on Engagement and Learning Outcomes" by Laura V. Page and Gina M. Crawford.
18. "Using Humor in Online Instruction: An Exploratory Study" by Shuhua An, Margaret L. Niess, and Rebecca K. Fox.
19. "The Use of Humor in Online Learning: A Study of Its Impact on Student Engagement and Learning Outcomes" by Nicholas Iannarino and Carol Yeager.
20. "Humor in Online Learning: A Systematic Literature Review and a Call for Further Research" by Eleni Mangina, Aikaterini Kapsampeli, and Sofia Pardo.

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 10th Apr 23 Paper Accepted : 25th Apr 23

मतदान व्यवहार के बदलते मानक और परिस्थितियाँ
(रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

❑ रंजना तिवारी*

शोध सारांश

लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में मतदान व्यवहार का अपना अलग श्रेयस्कर महत्व है। मतदान ही वह प्रभावी आधार शिला है जिसके बहुयामी पृष्ठभूमि पर सत्ता निर्धारण का जन प्रतिनिधित्व निर्गम होता है। जिसे जन प्रतिनिधित्व का निर्धारण भी होता है। भारतीय लोकतंत्रीय व्यवस्था में निर्वाचन की कई इकाईयाँ हैं जिनमें स्थानीय स्वशासन, विधायिका और अन्य लाकतंत्रीय व्यवस्था प्रमुख है। मतदान के लिए मानव सूत्र का निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। हर जनप्रतिनिधित्व का निर्धारण मतदाता के पास रहता है। जिसका निर्धारित तिथि में अपने मतदान के माध्यम से प्रयोग कर लोकतंत्रीय व्यवस्था में अपनी भूमि का परिवहन मतदाता करता है।

मुख्य शब्द :–मतदान, व्यवहार, बदलते, मानक, परिस्थितियाँ, लोकतंत्रीय, व्यवस्था, विधायिका, निर्वाचन, जनप्रतिनिधित्व, मतदाता आदि।

मतदान का लक्ष्य और पूर्ण कुछ आदर्श प्रणाली पर केन्द्रित है। मतदाता को स्वविवेक से मान्य परंपरा अनुसार अपने शक्तियों का प्रयोग कर जन प्रतिनिधित्व का चुनाव करने की शक्ति प्राप्त होती है पर सत्ता की महत्वपूर्ण इकाई विधायिका और स्थानीय स्वशासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुरूप मतदाता के माध्यम से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन समय–सापेक्ष बदलते मानव और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। किन्तु प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए अध्येयता द्वारा रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र का चयन अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है।

जन प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय व्यवस्था पद्धति में मतदान व्यवहार का अपना अलग महत्व है। मतदान का अभीष्ट लक्ष्य योग्य और कुशल प्रतिनिधि का चुनाव रहा है पर बदलते परिवेश में इसके मानक बदल रहे हैं अब मतदान में वर्ग, जाति, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रीय संगठन प्रभावी होने लगे हैं। समाज वर्ग, जाति समुदाय को केन्द्रित कर अपमानजनक टिप्पणी करना और मानसिक पीड़ा पहुँचाने वाले अतिरेक पूर्ण श्लोगन के माध्यम से उपहास कर कुछ वर्ग समुदाय को एक मंच पर लाकर मत हासिल कर सत्ता के सोपानों तक पहुँचने की कवायत अक्सर देखी जाती है।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वर्तमान में लोगों की सत्ता के प्रति आक्रोश की भावना और निजी स्वार्थों के पक्ष में बनने वाले वातावरण

* नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

के प्रति मतदाताओं का झुकाव झुकता है। राष्ट्रीय और प्रभावशाली राजनैतिक दल के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान जाति, वर्ग और धर्मावलंबियों पर दौर करके ही प्रत्याशी का चयन करते हैं। कभी–कभी कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि शती सम्पन्न, बाहुबली और प्रभावशाली व्यक्ति एक योग्य और राष्ट्रीय, केन्द्रीय नीतियों के मर्मज्ञ विचार से प्रत्याशी को चुनाव मैदान में पराजित कर देता है। मतदाता यह जानते हुए भी विजयी प्रत्याशी निर्वाचित होने के पश्चात् जन प्रतिनिधित्व का उचित निर्वहन नहीं करेगा फिर भी उसी को मतदान देकर निर्वाचित करते हैं।

अध्ययन शीर्षक मतदान व्यवहार के बदलते मानक और स्थितियों का अध्ययन मूलतः प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत से उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जावेगा। इस तरह अध्ययन के लिए विवेचन, विश्लेषण और उपकल्पना का समाहार प्रमुख मानक होंगे।

अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अध्ययन सामग्री को सामेकित कर निर्धारित मानक अनुरूप प्रस्तुत किया जावेगा जिसके माध्यम से मतदान व्यवहार के नव आयामों का विवेचन हो सकेगा। साथ ही मतदाताओं बदलती मनःस्थिति और राष्ट्रीय दलों की अनदेखी के साथ ही क्षेत्रीय दलों की प्रभावशीलता का भी आंकलन हो सकेगा।

गति विभिन्न विधानसभा चुनावों की स्थिति परिणाम और प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए अध्ययन क्षेत्र रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र पर गौर करे तो सहज ही स्पष्ट होता है कि गुढ़ विधानसभा क्षेत्र का मतदान समय के उतार–चढ़ाव और लोगों के भावात्मक अनुभूतियों से प्रभावित होता रहा है। यह ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो छठे दशक, सातवे दशक, आठवें दशक, नवमें दशक में लगातार परिवर्तन के दौर पर साक्षी बनता रहा है।

गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में सम्पन्न विभिन्न पंचवर्षीय निर्वाचनों पर गौर करे तो यहाँ के विजयी प्रत्याशी अलग–अलग दलों से रहे हैं। उनकी विजय और पराजय के पीछे मतदातओं की मनःस्थिति काबिले दौर है–

क्र.	निर्वाचन वर्ष	राजनैतिक दल	निर्वाचित प्रत्याशी
1	1972	कांग्रेस	रामपाल सिंह
2	1977	जनता दल	चन्द्रमणि त्रिपाठी
3	1980	कांग्रेस	राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा
4	1985	कम्युनिष्ट पार्टी	विश्वम्भर नाथ पाण्डेय
5	1998	बीएसपी	विद्यावती पटेल
6	2003	सपा	कृष्ण कुमार सिंह
7	2008	बी.जे.पी.	नागेन्द्र सिंह
8	2013	कांग्रेस	सुन्दरलाल तिवारी
9	2018	बी.जे.पी.	नागेन्द्र सिंह

विगत 50 वर्षों से राजनैतिक परिदृश्य का सच उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विन्ध्य क्षेत्र का प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र गुढ़ लगातार बदलाव का साक्षी रहा है। यह विधानसभा कभी एक राजनैतिक दल या किसी एक विशेष जनप्रतिनिधि के प्रभाव में नहीं रहा है। मतदान व्यवहार समय सापेक्ष उतार–चढ़ाव और मतदाताओं के विवेक पर हमेशा निर्भर रहा है। गुढ विधानसभा क्षेत्र के विधानसभावार विवरण पर गौर करें तो 1972 में कांग्रेस दल के प्रत्यासी रामपाल सिंह निर्वाचित हुए परन्तु अगली पंचवर्षीय में जनता दल के नवोदित प्रत्याशी चन्द्रमणि त्रिपाठी विजय हुए। इसी तरह 1980 में कांग्रेस (आई) से राजेन्द्र प्रसाद और 1985 में कम्युष्टि के विश्वम्भर नाथ पाण्डेय विजयी रहे। वर्ष 1990 में कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी विजयी रहे। वर्ष 1998 में बीएसपी की प्रत्याशी विद्यावती पटेल गुढ़ विधानसभा सीट से विजयी रहीं। वर्ष 2003 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह विजयी रहे। इसी क्रमांक में 2008 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नागेन्द्र सिंह विजयी रहे। क्रमशः 2013 कांग्रेस के प्रत्याशी सुन्दरलाल तिवारी गुढ़ विधानसभा सीट से विजय रहे। क्रमशः 2018 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नागेन्द्र सिंह पुनः विजयी रहे।

विभिन्न विधानसभा आम निर्वाचन के परिणामों पर विवेचन से स्पष्ट होता है कि निर्वाचन के समय का वातावरण और तत्कालिक सत्ता की जनता के प्रति भावनाएं और कार्य योजनाओं का पुनरीक्षण भी मतदाताओं को प्रभावित करता है। 1990 के पूर्व के निर्वाचन मूलतः केन्द्रीय और राज्य की शासन नीतियों तथा राजनैतिक दलों की प्रतिष्ठा और जनता का राजनैतिक दल के प्रति आदर तथा विश्वास निर्वाचन के समय मतदान के लिए प्रेरित करता था। लेकिन 1990 के बाद आई नवक्रांति ने विभिन्न राजनैतिक दलों में जो क्षेत्रीय भी रहे तथा कुछ विशेष संगठनों से प्रभावित जनमानस भी मतदान के समय राज्य एवं केन्द्रीय राजनैतिक दलों की अपेक्षा स्वप्रेरित राजनैतिक दल जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टी सवर्ण समाज पार्टी एवं अन्य दल इसी तरह जनता के बीच अपनी छवि को कायम कर मतदाताओं को रिझाते रहे और अपनी जीत दर्ज कराते रहे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस तरह के अप्रत्याशित दल और प्रत्याशी स्वयं भले ही विजय के करीब न पहुंचे हों लेकिन मतदान निर्वाचन को इस तरीके से प्रभावित करते रहे हैं कि मान्य प्रत्याशी दूसरे या तीसरे स्थान पर मत कम पाने की वजह से पीछे रह जाता है और एक अकल्पनीय चेहरा विजयी प्रत्याशी के रूप में एक ही बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल जाता रहा है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार गुढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसे सच का प्रतिरूप है जो आदर्श निर्वाचन प्रक्रिया का सम्वाहक है। यह विधानसभा नगरीय क्षेत्र से जुड़ा है और यहां के प्रत्याशी विभिन्न गुणों से पूर्ण रहे हैं उन्हें आप ध ानबल, बाहुबल, जनबल, जातिबल, बुद्धि–विवेकबल और जनता को भ्रमित करने का बल आदि ऐसे कलाओं से पूर्ण रहे हैं पर जनमानस का निर्णय कहीं प्रतिक्रियावादी रहा होगा पर मूलतः मतदाताओं का निर्णय नीतिगत सहज और स्वाभाविक रहा है। यहां से जीते प्रत्याशी अपनी अलग ही पहचान लेकर आये हैं। समाज की सेवा में रहकर अपनी भूमिका निभाई है।

संदर्भ स्रोत

1. बी.एल. फड़िया, राजनैतिक इतिहास
2. राजनीति विचारधारायें : उद्भव और विकास
3. नारायण डॉ. इकवाल, ''आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है'' ग्रंथ विकास जयपुर
4. प्रभुदत्त शर्मा, अर्वाचीन राजनैतिक चिन्तन
5. ओम नागपाल,
6. https://hindi.oneindia.com/gurh-assembly-elections-mp-75/

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 10th Apr 23 **Paper Accepted : 20th Apr 23**

पन्त की प्रकृति वन्दना

❑ निमिषा सिंह*

शोध सारांश

यद्यपि, प्रत्येक भाषा–साहित्य के कवियों ने काव्य की वन्दना की है। समय और समाज की वन्दना तथा भक्ति–अध्यात्म और दर्शन की बहुविध वन्दना की है। केवल प्रकृति की वन्दना या फिर केवल मनुष्य की वन्दना भी। परन्तु हिन्दी के एकमात्र कवि पन्त हैं जिन्होंने काव्य, प्रकृति और मनुष्य तीनों की एक साथ वन्दना की है। इनमें भी प्रकृति की मनोहर वन्दना में उनका कवि–मन अधिक रमा है।

आधुनिक काल के हिन्दी–साहित्य में सन् 1920 से 1938 के कालखण्ड को 'छायावाद' की अभिसंज्ञा में जाना जाता है। छायावादी युग भारत के लिए अस्मिता की खोज है। 'छायावाद' एक तरह से 20वीं शताब्दी के आरम्भिक दो दशकों में होने वाले भारतीय नवजागरण का काव्यात्मक अन्वय है। छायावादी कवियों ने प्रकृति में चेतना का प्रक्षेप दिखाकर छायावादी कविता को अभिनव अर्थभूमि प्रदान की है। छायावादी कवि अधिकांशतः सौन्दर्य–बोध के कवि रहे हैं और ध्यातव्य है कि उनका सौन्दर्य–पर्यवेक्षण प्रकृति–निरूपक अधिक रहा है। प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी वर्मा आदि सभी कवियों की अधिकांश कविताएँ उनकी प्रकृति–प्रेमी काव्य–चेतना की परिपाक हैं। छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलम्बन–चित्रण तो किया ही, उसे अपने मनोजगत् के प्रतीक रूपों में देखा और उससे अपूर्व तादात्म्य स्थापित किया। पन्त–समेत प्रायः सभी छायावादी कवियों ने काव्यमय प्रकृत्योपासना की है। परन्तु प्रकृति की सांगोपांग सम्पूर्ण वन्दना और बिम्ब–प्रतिबिम्ब भाव से जैसे अन्योक्तिमयी अभ्यर्थना पन्त ने की है, वैसी काव्यात्मक अर्चना दूसरा कवि नहीं कर सका है।

हिन्दी के, विशेषतः छायाकाव्य के अध्येता–आलोचक–आचार्य दो–टूक निष्कर्ष देते हैं कि "प्रकृति का मानवीकरण प्रस्तुत कर प्रायः सभी छायावादी कवियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति भी मनुष्य की तहर संवेदनशील है। उसमें सुख–दुःख को समझने की भावना है। कदाचित् इसीलिए वह मनुष्य के अधिक निकट है।"[1] प्रकृति मानव की चिर सहचरी रही है। प्रकृति का प्रभाव जड़–पदार्थों पर भी दिखलाई पड़ता है, जबकि मनुष्य एक चेतनशील घटक है। चूँकि कवि भी मानव होता है, अतः उसके द्वारा रची हुई कृति में प्रकृति के रंग–बिरंगे चित्रों का होना स्वाभाविक है। काव्य और प्रकृति में आधार–आधेय सम्बन्ध है। दोनों ही एक–दूसरे के बिना निष्प्राण और निष्पन्द हैं। दरअसल प्रकृति की सीमा में नदी, निर्झर, गिरि, वन, उपवन, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, धरती, आकाश, वायु, पशु–पक्षी, वृक्ष आदि आते हैं। प्रायः सभी भाषाओं के कवियों ने इन उपादानों का सहारा अपने कवित्व में लिया है, किन्तु जैसा हृदय–रुचिकर वर्णन पन्त ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पन्त ने प्रकृति को न सीधे आलम्बन के रूप में लिया और न ही महज उद्दीपन के रूप में। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य का

* एसो. प्रोफेसर, हिन्दी, जे.बी. महाजन महाविद्यालय, चौरीचौरा, गोरखपुर, मोबाइल : 9838467586

स्वाभाविक समीकरण बनाने का यत्न किया है। प्रकृति के प्रति एक सहज आकर्षण पन्त में प्रारम्भ से ही देखा जा सकता है। 'मोह' और 'प्रथम रश्मि' में कवि प्रकृति और मनुष्य के सम्बन्ध को ही सबसे पहले उठाता है। 'मोह' का पहला छन्द ही है–

"छोड़ द्रुमों की मृदु छाया / तोड़ प्रकृति से भी माया /

बाले! तेरे बाल–जाल में / कैसे उलझा दूँ लोचन।"

पन्त अपनी रचनाओं में एक ओर प्रकृति–चित्रण करते हैं तो दूसरी ओर उसे मानवीयता से जोड़ने का सार्थक प्रयास भी करते हैं। वास्तव में पन्त का सौन्दर्य प्रकृति से प्रारम्भ होकर मानव तक आता है–

"सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर/ मानव तुम सबसे सुन्दरतम।"

पन्त ने अपने उत्तरकालीन काव्य–संकलन 'कला और बूढ़ा चाँद' में एक बार फिर से जीवन का परीक्षण किया है, प्रकृति और मनुष्य का समीकरण एक बार फिर से साधना चाहा है–

"वन फूलों में
मैंने नये स्वप्न रंग दिये
कल देखोगे!
कोकिल कंठ में
नयी झंकार भर दी
कल सुनोगे।"[2]

छायावादी कवियों में प्रकृति के प्रति सबसे अधिक रुझान पन्त की रचनाओं में देखा जा सकता है। अल्मोड़ा जैसी प्रकृति की गोद में जन्म लेने के कारण प्राकृतिक सौन्दर्य स्वतः उनकी दृष्टि में समा गया। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। प्रकृति के प्रत्येक रूप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है–

"पीले पत्ते टूटी टहनी / छिलके कंकड़ पत्थर / कूड़ा करकट सब कुछ / भू पर लगता सार्थक सुन्दर।"

पन्त की कविताओं में प्रकृति को विशेष महत्त्व प्राप्त है। प्रारम्भ में उनका सौन्दर्य प्रकृति से अभिभूत था और बाद में मानवीय सौन्दर्य से। माँ के आँचल की तरह सर्वप्रथम प्रकृति ने उन्हें उच्च मानव संस्कार, ऊँची कल्पना, महान ज्ञान के साथ काव्य–भाव की प्रेरणा दी है। तभी तो वे प्रकृति की बार–बार अभ्यर्थना करते हैं, अपनी रचनाओं में –

"माँ से बढ़कर रही, धात्रि तू बचपन में मेरे हित।

धात्रि कथा रूपक भर : तूने किया जनक बन पोषण।

मातृहीन बालक के सिर पर वरदहस्त धर गोपन।।"[3]

पन्त जी स्वीकार करते हैं कि उन्हें काव्य की प्रेरणा अपने परिवार के साथ–साथ प्रकृति के सुरम्य वातावरण से प्राप्त हुई। वे कहते हैं– "मेरा जन्म प्रकृति की गोद में हुआ। उसी के आँगन में मैं खेला–कूदा और बड़ा हुआ। प्रकृति की गोद भी साधारण नहीं – विराट शुभ्र, शान्त हिमालय का सान्निध्य।"[4] 'स्वर्णकिरण' में उन्होंने प्रकृति को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है–

"सोच रहा किसके गौरव से / मेरा यह अन्तर जग निर्मित / लगता तब, हे प्रिय हिमाद्रि / तुम मेरे षिक्षक रहे अपरिचित।"

प्रकृति के जितने भी रूप मानवीय भावना से जुड़ सकते हैं, उसे कवि ने अपने काव्य में बिम्ब–प्रतिबिम्ब भाव से रूपायित करने का सार्थक प्रयास किया है। नैसर्गिक सौन्दर्य की प्रेरणा को ही पन्त जी ने अपने लेखन की मूल शक्ति माना है जिसने कवि के एकान्तप्रिय मन को काव्यसर्जन की ओर उन्मुख किया। पन्त की प्रथम दौर की कविताओं में प्राकृतिक सौन्दर्य बिखरा पड़ा है। 'वीणा' से कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं–

"आओ, कोकिल बन आओ।
ऋतुपति का गौरव गाओ।
प्रेयसि कविते! हे निरुपमिते।।"[5]

"प्रथम रश्मि का आना रंगिणि! तूने कैसे पहचाना?

कहाँ–कहाँ हे बालविहंगिनि! पाया तूने यह गाना?

निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार।

बदल गया द्रुत जगत्जाल में धरकर नाम रूप नाना।

खुले पलक, फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल।

स्पंदन, कंपन, नवजीवन फिर सीखा जग ने अपनाना।।"[6]

छायावादी कवियों में सबसे सहज और लोकप्रिय व्यक्तित्व पन्त का था। प्रकृति के प्रत्येक उपकरण से उन्हें प्रेम था। अतः नदियों, समुद्रों, लहरों, झरनों, नक्षत्रों एवं वन्य–प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों ने उन्हें जिज्ञासु बनाकर कुछ तलाशने के लिए विकल किया। आकाश के नक्षत्रों, रात्रि के मौन, सरिता की चंचलता एवं खिलते हुए पुष्पों से पन्त को किसी पराशक्ति का आभास मिलने लगा। अतः पन्त जैसे कवि को कहना पड़ा–

"न जाने नक्षत्रों से कौन,
निमंत्रण देता मुझको मौन।।"[7]

'वीणा' में कवि विहग–बाला से कहता है–

"है स्वर्ण–नीड़ मेरा भी जग उपवन में।
मैं खग–सा फिरता नीरव भाव–गगन में।
उड़ मृदुल कल्पना–पंखों में, निर्जन में।
चुगता हूँ दाने बिखरे तृन में, कन में।।"[8]

पन्त मूलतः प्रकृति, प्रेम और सौन्दर्य के कवि के रूप में पहचाने गये हैं। प्रकृति के कोमल स्वरूप के उद्‌घाटन में उनकी दृष्टि विविधताधर्मी है। प्रकृति उन्हें सदैव अपनी ओर आकृष्ट करती है। प्रकृति को उन्होंने जीवन की प्रत्येक भूमिका के रूप में देखा है। कभी माँ के रूप में स्नेह देती हुई तो कभी शिक्षिका के रूप में उपदेश देती हुई। प्रकृति का नारीकरण और नारी का प्रकृतीकरण पन्त–काव्य में स्पष्ट देखा जा सकता है। पन्त का काव्य प्रकृति से गहरे साहचर्य, तादात्म्य, प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण और उससे लगातार कौतूहलपूर्ण संवाद, नाद–सौन्दर्य, नारीसुलभ कोमलता का जीवन्त प्रमाण है। यद्यपि पन्त को प्रकृति का कोमल सुकुमार कवि कहा जाता है, परन्तु उनकी कविता 'परिवर्तन' यह प्रमाणित करती है कि पन्त सुकुमार ही नहीं, बल्कि कठोर, विकराल एवं जीवन–जगत् के कटु एवं खुरदुरे यथार्थ के भी कवि हैं।

"हाय री दुर्बल भ्रान्ति।
कहाँ नश्वर जगती में शान्ति?
सृष्टि ही का तात्पर्य अशान्ति।
जगत् अविरत जीवन–संग्राम।
स्वप्न है यहाँ विराम।"[9]

एक तरफ पन्त के मन में प्रकृति के प्रति गहरी आसक्ति है तो दूसरी ओर यही प्रकृति–प्रेम उन्हें मानव के निकट जाने से रोकता है। वह प्रकृति के रम्य रूपों को छोड़कर मानवीय–सौन्दर्य के बीच आना नहीं चाहते। यद्यपि मानवीय सौन्दर्य भी पूरी ताकत से उन्हें अपनी ओर खींचता है, परन्तु प्रकृति की कोमलता और मधुरता से वे निकल नहीं पाते। मानवीय कोलाहल से दूर प्रकृति की शान्त गोद ने उनके व्यक्तित्व को सौन्दर्यप्रिय तथा कल्पनाजीवी बना दिया था। वे स्वयं कहते हैं– "प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक ओर मुझे सौन्दर्यप्रेमी और कल्पनाजीवी बनाया, वहीं दूसरी ओर जन–भीरु भी बना दिया। यही कारण है कि जनसमूह से अब भी मैं दूर ही भागता हूँ और मेरे आलोचकों का यह कहना कुछ अंशों तक ठीक ही है कि मेरी कल्पना लोगों के सामने आने से लजाती है।"[10]

बड़े खुले मन से सुमित्रानन्दन पन्त अपनी कवित्व–शक्ति का पूरा श्रेय प्रकृति को देते हैं। 'मैं और मेरी कला' शीर्षक निबन्ध में पन्त स्वयं लिखते हैं– "जब मैंने लिखना प्रारम्भ किया था, तब मेरे चारों ओर केवल प्राकृतिक परिस्थितियों तथा प्राकृतिक–सौन्दर्य का वातावरण ही एक ऐसी सजीव वस्तु थी, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती थी।" इसी तथ्य को पन्त जी ने 'मैंने कविता लिखना कैसे प्रारम्भ किया' शीर्षक लेख में लिखा है – "नैसर्गिक सौन्दर्य की प्रेरणा ही मेरी दृष्टि में वह मूल शक्ति थी, जिसने मेरे एकान्तप्रिय मन को काव्यसर्जन की ओर उन्मुख किया और आज मेरे शब्दों के कुंजों से प्राकृतिक सौन्दर्य का मर्मर फूट पड़ता है।"

यह निर्भ्रान्त स्थापना दी जा सकती है कि हिन्दी–भाषाकाव्य के अमर कवि पन्त प्रकृति–नटी के वल्लभ थे, अतः प्रकृति से उनका सहज अनुराग स्वाभाविक है। प्रकृति–प्रांगण का कोई ऐसा सौन्दर्य नहीं, जो उनके यहाँ आकर और सुन्दर न हो गया हो। छायावाद की वृहत्रयी (प्रसाद, पन्त, निराला) में महत्त्वपूर्ण स्थान रखने वाले पन्त की सम्पूर्ण काव्ययात्रा दरअसल प्रकृति से मानव और मानव से सांस्कृतिक मूल्यों की ओर दौड़ती रही है। पन्त अपने काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों पर अपनी लेखनी चलाते हैं।

"पन्त का कवि प्रकृति के विविध उपादानों की चर्चा करता है। लता की कोमल छाया, जल की तरल तरंग, वर्षा के समय बनने वाले इन्द्रधनुषी रंग, कोयल की मधुर तान, भ्रमर की अनमोल गुंजार, उषाकालीन सौन्दर्य, उषाकाल में खिलते हुए कमल, ओस की बूँदें – इन सबसे पन्त के कवि की गहरी सम्पृक्ति है।11 वास्तव में सुमित्रानन्दन पन्त प्रकृति, प्रेम, कल्पना और सौन्दर्य के कवि हैं। प्रकृति उनकी कविता के केन्द्र में है। वे स्वयं कहते हैं – "प्रकृति की रमणीय वीथिका से होकर ही मैं काव्य के भाव–विशद सौन्दर्य–प्रासाद में प्रवेश पा सका।" वस्तुतः पन्त का काव्य सुन्दर से सुन्दरतम की ओर उन्मुख है। वास्तव में पन्त समग्रता की खोज के कवि हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत् के साथ सामंजस्य का भाव उनकी कविता का मूल उद्देश्य रहा है। वे छायावादी कविता के सशक्त कवि हैं और हिन्दी काव्य के क्षेत्र में अपनी लोकप्रिय पहचान रखते हैं।

वस्तुतः कवि पन्त प्रकृतिवादी होने के साथ–साथ मानववादी भी हैं। सच तो यही है कि वे न तो प्रकृति को छोड़ पाते हैं और न ही मनुष्य को। जब पन्त गा रहे होते हैं, "तेरे भ्रूभंगों से कैसे / विंधवा दूँ निज शावक मन / भूल अभी से इस जग को।" तब निश्चयतः वे अपनी उसी विराट और उदात्त काव्यचेतना का परिचय दे रहे होते हैं जिसकी प्रेमिल और नेहिल संवेदना की भावरज्जु में बँधकर अंग्रेजी का प्रकृतिवादी कवि वायरन अपने सप्तस्वर निकालता है। यह कवि वायरन का ही कथन है, श्‌ सवअम दवज उंद जीम समेए इनज दंजनतम उवतमण्श अर्थात् मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता हूँ, मगर प्रकृति से अधिक करता हूँ।

पन्त की प्रकृत्योपासना की विह्वलता का इससे बड़ा दृष्टान्त और क्या होगा कि वह कवि पहाड़ी पेड़ों की छाया में बैठकर पक्षियों के कलरव–गान सुनता था। नक्षत्रों से आध्यात्मिक–मानसी संवाद करता था। झील–सरोवर–पहाड़ के प्रकृति–प्रांगण में घण्टों बैठकर काव्य–रचना–हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करता था। इतना कुछ सहेजने के बाद भी पन्त के कवि ने कभी मानव और मानवता की उपासना का तिरस्कार नहीं किया। मानव का कीर्तन चटक काव्यरेखा में किया –

"सुन्दर हैं विहग / सुमन सुन्दर / मानव! तुम सबसे सुन्दरतम।"

दरअसल, पन्त की काव्य–वन्दना और मानव–वन्दना तो अद्भुत–अनोखी है ही, उनकी प्रकृति–वन्दना सर्वातिशायी है। पन्त का नाम आते ही साधारण–असाधारण सभी कवि–साहित्यकार और समीक्षक निष्कम्प भाव में कह उठते हैं कि पन्त प्रकृति के सर्वगुणी चितेरे और भाविल कवि–अभिरक्षक हैं।

सन्दर्भ–ग्रन्थः

1. प्रो. रामदरश राय, 'छायावाद', पृ.सं.–159, मानक हिन्दी निबन्ध, संस्करण – 2000, चतुर्व्यूह प्रकाशन, गोरखपुर।
2. रामस्वरूप चतुर्वेदी, 'हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास', पृ. 133, संस्करण – 1996, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
3. डॉ. कुसुम राय, 'हिन्दी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास', पृ. 135, संस्करण – 2015, ष्ठछ रू 978.93.5146.090.9ए विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
4. पन्त ग्रन्थावली, भाग–6, 'प्रकृति से मेरा बचपन', पृ. 181।
5. पन्त : वीणा, पृ. 82।
6. पन्त : 'प्रथम रश्मि', वीणा।
7. पन्त : पल्लव।
8. पन्त : 'वीणा', पृ. 48।
9. पन्त : पल्लव, संस्करण–1924।
10. सुमित्रानन्दन पन्त : पन्त ग्रन्थावली, भाग–7, पर्यालोचन, पृ. 263।
11. डॉ. सदानन्दप्रसाद गुप्त, डॉ. गणेशप्रसाद पाण्डेय, काव्यशिखर (काव्यसंग्रह), पृ. 113, नीलकमल प्रकाशन, गोरखपुर।

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th Apr 23 Paper Accepted : 25th Apr 23

विवेकानन्द चिन्तन में राष्ट्रवाद का योगदान

❐ डॉ. जुल्फिकार*

शोध सारांश

स्वामी विवेकानन्द की मान्यता रही है कि धर्म की सही व्याख्या और परस्पर संघर्ष, दुःख, सारी बुराइयों को दूर कर सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। विवेकानन्द के चिन्तन का मूल आधार धर्म रहा है। इसी आधार पर उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध ारणा दी, जो धर्म से समाज उत्थान और समाज उत्थान से राष्ट्रवाद को जोड़ती है। राष्ट्रवाद कतिपय राजनीतिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वैशिष्टय से युक्त समानताओं व इन असमानताओं से उत्पन्न भावात्मक एकता में आबद्ध उस जनसमूह का नाम है जो आमतौर पर एक निश्चित भू–खण्ड में निवास करता है। भारतीय चिन्तन की राष्ट्रवादी धारणा पश्चिम से आयातित न होकर पूर्णतः मौलिक व अपनी विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप है। भारत विविधता में एकता का देश है, अध्यात्म का देश है, यह सहिष्णुता और समन्वय का पोषक है, उदारता और ग्रहणशीलता का समर्थक है। उसकी यह सांस्कतिक विरासत अपने आप में अद्वितीय है।

विशेष शब्द :– राष्ट्र, धर्म, राष्ट्रनिर्माण, दर्शन, चिन्तन, ईश्वर।

भूमिका :–

विवेकानन्द का राष्ट्रवादी चिन्तन इसी भारतीय परम्परा का पोषक है। उनका समूचा चिन्तन राष्ट्रवादी भावनाओं से ओत–प्रोत है। उनकी दार्शनिक दृष्टि उनकी आध्यात्मिकता, उनके चिन्तन में विद्यमान अलौकिकता, सभी का उद्देश्य भारत को उन्नति के सोपानों पर अग्रसित करना है। वेदान्त के अद्वैत के माध्यम से भयभीत न रहने का सन्देश देकर विवेकानन्द ने एक सोये हुए राष्ट्र में नई जान फुँकने का कार्य किया। फिर यह राष्ट्र के नागरिकों का उत्साह व आत्मविश्वास ही तो है, जिससे किसी भी राष्ट्र को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण विवेकानन्द का राष्ट्र के नवयुवकों को सम्बोधन है कि ''हिम्मत करो, डरो मत, केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए अभी'' विशेषण का प्रयोग किया है। हमें अभी निर्भय होना होगा, तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे। उठो जागो, तुम्हारी मातृभूमि इस महाबली की मांग कर रही है। इस कार्य की सिद्धि युवकों से ही होगी। युवा, अशिष्ठ, दृढिष्ठ, बलिष्ठ, मेधावी – उन्हीं के लिए यह कार्य है। अतएव उठो, जागो, राष्ट्र, संसार तुम्हें पुकार

* (युवा लेखक व चिन्तक) ग्राम + पोस्ट– भीमसर, जिला– झुंझुनूं (राजस्थान), मो.न.– 9460448755, ईमेल– dr.julfikarjjn@gmail.com

रहा है। उत्साह से अपना हृदय भरो। मत सोचो कि तुम गरीब हो, मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नहीं हैं। अरे क्या तुमने देखा है कि रुपया मनुष्य का निर्माण करता है। यह सम्पूर्ण संसार मनुष्य की शक्ति से, विश्वास की शक्ति से निर्मित हुआ है।[1] विवेकानन्द ने आध्यात्मिकता को राष्ट्र की उन्नति का आधार बतलाया है और यह कहा है ''भारत उस दिन बचेगा ही कहाँ, जिस दिन उसकी प्राणदायिनी शक्तियों का अन्त हो जायेगा। जिस दिन यहाँ के निवासी अपना धर्म बदल देंगे, अपनी संस्थाओं को रूपान्तरित कर देंगे। छीन लो किसी देश से उसकी संस्थाएँ, उसके रीति–रिवाज, उसके चाल–चलन, फिर बचा ही क्या रहता है? इन्ही तन्तुओं से तो राष्ट्र बन्धा रहता है'' ।[2]

विवेकानन्द का सम्पूर्ण चिन्तन श्रृद्धा, गौरव व विश्वास के इस भाव में पूर्ण निष्ठा के साथ अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ये ही भाव भिन्न–भिन्न रूपों में उभरकर उनके सम्पूर्ण चिन्तन को आच्छादित किए हैं। इनका मूल स्वर रहा है– ''अतीत की ओर देखो, पीछे जो चिरन्तन निर्झर बह रहा है, आकण्ठ उसका जल पीओ और उसके बाद सामने देखो। भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से भी ऊँचा उठाओ। हमारे पूर्वज महान थे। पहले हमें यह बात याद रखनी होगी। हमें समझना होगा कि हम किन उपादानों से बने हैं, कौनसा खून हमारी नसों में बह रहा है। इस खून पर हमें विश्वास करना होगा और अतीत के उस कृतित्व पर भी। इस विश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे, जो पहले से श्रेष्ठ होगा।''[3] भावी भारत की नींव का आधार भारत की सांस्कृतिक विरासत होगी और जिसका केन्द्र धर्म और आध्यात्मिकता ही होंगे। इस सन्दर्भ में विवेकानन्द का कहना था कि ''भारत राष्ट्र का जन्म ही सनातन धर्म के साथ हुआ, धर्म से ही उसे गति प्राप्त हुई। अतः धर्म के लिए और धर्म के कारण ही हिन्दुस्तान का अस्तित्व है तथा धर्म के विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित है।''[4] विवेकानन्द का राष्ट्रवाद प्राचीन पूर्वजों द्वारा उद्भासित सत्यों की नवीन रूप में व्याख्या कर, उन्हीं का आधार ग्रहण करता है तथा आह्वान करता है कि ''हमारे पूर्वजों की वाणी हमें अवनति की ओर अब अधिक बढ़ने से निषेध कर रही है। अतएव, है आर्यसन्तान, अब उस अवनत्ति की ओर पैर न बढ़ाओ। तब तक विश्राम न लो जब तक तुम्हारे उस प्राचीन शास्त्र का उपदेश सम्पूर्ण संसार को ढक न ले। जब तक कि वह समाज के प्रत्येक मनुष्य की साधारण सम्पत्ति न हो जाए। जब तक हमारी नस–नस में रुधिर की प्रत्येक कणिका में उसका प्रवाह न हो जाए।''[5]

विवेकानन्द का राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक, एक सांस्कृतिक व एक नैतिक परिकल्पना है। यद्यपि राष्ट्र की संस्कृति, उसकी प्राचीन धरोहर, किसी भी राष्ट्रवादी के लिए एक महत्तवपूर्ण भावात्मक आधार प्रस्तुत करती है लेकिन इस सन्दर्भ में विवेकानन्द के राष्ट्रवाद की विशिष्टता यह है कि उसकी भूमि ही नहीं वरन् उस पर खड़ा भवन भी पूर्णतः एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इकाई ही है। विवेकानन्द के अनुसार– ''आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन रक्त है। यदि यह साफ बहता रहे, यदि यह शुद्ध व सशक्त बना रहे तो सब–कुछ ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक चाहे किसी भी तरह की ऐहिक त्रुटियाँ हो, चाहे निर्धनता ही क्यों न हो, यदि खून शुद्ध है तो सब सुधर जायेंगे।''[6] राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों पर ही निर्भर करती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। विवेकानन्द का राष्ट्रवाद इस सत्य को उसके उत्कृष्टतम् रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। विवेकानन्द की दृष्टि से, न तो सरकार, न हिंसात्मक शस्त्र, न किसी वर्ग विशेष से ही हम राष्ट्र उत्थान की उम्मीद कर सकते है। हमारी समस्त आशाएँ राष्ट्र के मनुष्यों, विशेष रूप से युवाओं पर टिकी हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि ''सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएँ मनुष्यों के भोलेपन पर टिकती है। कोई राष्ट्र इसलिए महान नहीं बनता कि पार्लियामेन्ट में यह था, वह पास कर दिया वरन् इसलिए होता है कि उसके निवासी नागरिक अच्छे और महान है।''[7] विवेकानन्द की दृष्टि से प्रेम ही वह

बिन्दु है जहाँ से धर्म शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है। यह शक्ति आत्मिक शक्ति है, नैतिक शक्ति है। प्रेम ही समस्त नैतिकता का स्रोत है। उसी से त्याग की भावना का उदय होता है। विवेकानन्द ने सत्य, नैतिकता सभी को आत्मशक्ति की कसौटी पर कसा तथा कहा "जिस सत्य से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक निर्बलता आवे, उसे जहर की भाँति छोड़ दो, यह सत्य हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जीवन शक्ति ही नहीं है। सत्य तो बलप्रद है, पवित्र है, भय के अन्धकार को विनष्ट करने वाला और आत्मज्ञान के आलोक को प्रज्ज्वलित करने वाला है।"[8]

विवेकानन्द के धर्म और अलौकिक अराध्य व लक्ष्यों को यदि राष्ट्रवाद की लौकिक पृष्ठभूमि पर उतारा जाए, तो राष्ट्र और उसके निवासी ही उनके आराध्यदेव हैं। इनसे प्रत्यक्षानुभूति ही उनके अलौकिक उद्देश्य का लौकिक स्वरूप है। विवेकानन्द लिखते हैं "हमारा देश ही हमारा, जागृत देवता है, सर्वत्र इसके हाथ–पैर हैं। समझ लो कि दूसरे देवी–देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी–देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा ही न करें। इसलिए सबसे पहले इस विराट देवता की पूजा करों, जो प्रत्यक्ष है। ये मनुष्य, जो दरिद्रता और अत्याचारों में जकड़े हैं, गरीब, निरक्षर और दुःखी हैं, जिन्हें हम आस–पास और आगे–पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे ईश्वर है। इनकी पूजा करो, इनका सम्मान करो, यही सच्ची आराधना है।[9] विवेकानन्द का विश्वास व्यक्ति में है। केवल संस्थाओं में नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के माध्यम से हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना होगा। राष्ट्रवासियों में सामंजस्य व राष्ट्रनिष्ठा की भावना उत्पन्न करनी होगी। उन्हें आध्यात्मिकता के आधार पर एकीकरण के धरातल पर लाना होगा। इसके लिए वेदों और उपनिषदों को पुस्तकालयों से निकाल कर उन्हें जन–जन में प्रतिष्ठत करना होगा। अर्थात् वेद, उपनिषदों की पुनः समीक्षा, पुनर्विलोकन की आवश्यकता है।

राष्ट्र निर्माण का दायित्व सरकार अथवा वर्ग विशेष का नहीं है। यह जन–जन का अभियान है। चाहे हम अमीर हों या गरीब, हिन्दू हों या मुस्लिम, बंगाली हों या मराठी, कन्नड़ बोलते हों या तेलगु–भारत हम सभी का है। हम सभी को मिलकर इसका भविष्य गढ़ना है। एक ऐसा भविष्य जो ऊँचाई के हर ऊँचे से ऊँचे चरम को स्पर्श करने और कठिनाई की हर गहरी से गहरी समस्या का हल निकालने के साथ ही साथ आत्मिक धरातल पर समूचे विश्व को मार्गनिर्देशित करने की भी क्षमता रखता हो। इसके लिए वर्तमान में हमें व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी स्तरों पर विद्यमान अनेकानेक समस्याओं से जूझना होगा। इस संदर्भ में विवेकानन्द का राष्ट्रवादी चिन्तन हमें केवल राह ही नहीं बतलाता अपितु एक सुदृढ़, सक्षम, आत्मनिर्भर व गौरवान्वित राष्ट्र के उत्थान के लिए उस प्रेरणा, ओज एवं उत्साह का संचार भी करता है और जो जन–जन के मानस को एक ठोस और मजबूत सांस्कृतिक आधार देते हुए राष्ट्र की मुख्यधारा को एक कर देने की अद्भुत शक्ति संजोए हुए है।[10]

निष्कर्ष :–

विवेकानन्द ने राष्ट्र निर्माण की व्याख्या की है। वे बताते हैं कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। भारतीय चिन्तन की राष्ट्रीय धारणा मौलिक है। उनका चिन्तन राष्ट्रीय धारणाओं से ओत–प्रोत है। इसलिए वे युवकों को जागृत करते हैं कि हिम्मत करो, डरो मत इन तन्तुओं से तो राष्ट्र बन्धा रहता है। विवेकानन्द का सम्पूर्ण चिन्तन श्रद्धा, गौरव व विश्वास से भरा हुआ है। चिन्तन का मूल स्वर है अतीत की ओर देखो फिर सामने देखो। भारत राष्ट्र का जन्म ही सनातन धर्म है। विवेकानन्द का राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक, एक सांस्कृतिक व एक नैतिक परिकल्पना है। क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन है। उनके अनुसार जिस सत्य से मानव में निर्बलता आवे, उस सत्य को जहर की भांति छोड़ दो क्योंकि वह सत्य हो ही नहीं सकता।

विवेकानन्द का विश्वास व्यक्ति में है संस्थाओं में नहीं। देवता वो है जो प्रत्यक्ष हैं जिसकी पूजा करो, अराधना करो राष्ट्रवासियों में सामंजस्य व राष्ट्रनिष्ठा की भावना उत्पन्न करों। राष्ट्रनिर्माण का दायित्व सरकार अथवा वर्ग विशेष का नहीं यह जन—जन का अभियान हैं। जिसमें कोई भी धर्म का हो या किसी भी क्षेत्र का हो। राष्ट्रवादी चिन्तन हमें केवल यह ही नहीं बतलाता अपितु सुदृढ़ राष्ट्र, सक्षम राष्ट्र, आत्मनिर्भर व गौरवान्वित राष्ट्र का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। विवेकानन्द का मत है कि राष्ट्र को ऊँचा उठाओं। हमारे पूर्वज महान थे, यह बात सदा ध्यान में रखों। हमें समझना होगा कि मानव किन उपादानों से बना है। कौनसा खून हमारी नसों में बह रहा है। इस खून पर हमें विश्वास करना होगा। इस विश्वास से अतीत गौरव ज्ञान से भारत एक नये राष्ट्र के रुप में उभरेगा।

विवेकानन्द का राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक, एक सांस्कृतिक व एक नैतिक परिकल्पना है। यही भाव राष्ट्रवाद को जन्म देते है। विवेकानन्द कहते हैं कि जो मनुष्य दरिद्रता व अत्याचारों में जकड़े है, गरीब हैं, निरक्षर एवं दुखी हैं उनकी अराधना करों क्योंकि वे ही ईश्वर हैं यही परिकल्पना राष्ट्रवाद को बढ़ाती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. स्वामी विवेकानन्द सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भारत में विवेकानन्द पत्रों का संकलन, रामकृष्णधाम, नागपुर, पृष्ठ संख्या 276
2. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द साहित्य (दस खण्ड), तृतीय संस्करण 1993, अद्वैत आश्रम मायावती हिमालय कोलकत्ता, पृष्ठ संख्या 16
3. स्वामी विवेकानन्द, मेरे भारत जागो, 1993, वेलूर रामकृष्ण मठ, हावड़ा पश्चिमी बंगाल, पृष्ठ संख्या 74
4. स्वामी विवेकानन्द, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भारत में विवेकानन्द, रामकृष्णधाम, नागपुर, पृष्ठ संख्या 06
5. स्वामी विवेकानन्द, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भारत में विवेकानन्द, रामकृशणाधाम, नागपुर, पृष्ठ संख्या 419
6. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द संचयन (विवेकानन्द के भाषणों का संकलन), 2000, रामकृष्णाधाम, धन्तोली, नागपुर, पृष्ठ संख्या 171
7. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द संचयन (विवेकानन्द के भाषणों का संकलन), 2000, रामकृष्णाधाम, धन्तोली, नागपुर, पृष्ठ संख्या 293
8. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द साहित्य (तृतीय खण्ड), 1993, अद्वैताश्रम, अल्मोड़ा, हिमालय, कोलकत्ता, पृष्ठ संख्या 228
9. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द साहित्य (पंचम खण्ड), तृतीय संस्करण 1993, अद्वैताश्रम, मायावती चम्पावत हिमालय कोलकत्ता, पृष्ठ संख्या 193
10. स्वामी विदेहात्मानन्द, स्वामी विवेकानन्द और उनका अवदान, प्रथम संस्करण जुलाई 2002, अद्वैतआश्रम मायावती कोलकत्ता, पृष्ठ संख्या 211

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th Apr 23 Paper Accepted : 25th Apr 23

संविद सरकार, विविध आयाम एवं परिदृश्य

❐ डॉ. रंजना तिवारी*

शोध सारांश

मध्यप्रदेश की राजनीति में छठवा दशक अपने अलग प्रयोग के लिए जाना जाता है। यह वह दौर था जब कांग्रेश ने सत्तासीन प्रमुख प्रभावी नेताओं के आपसी मतभेद और द्वद्व उन्हे सत्ता से दूर करने का मार्ग प्रसस्त करने में सहायक हुआ। तत्कालीन गतिविधियों का आकलन करते हुए विन्ध्य की राजनीति के पुरोधा श्री गोविद नारायण सिंह कुछ कांग्रेसी और अन्य दलों को विधायको को पछ में ले संविद सरकार का गठन कर मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए। सत्ताकाल में उन पर कई तरह की टिप्पणी हुई कोई उन्हें राजमाता सिंधिया से जोडता तो कोई उन्हे डीपी मिश्रा या अन्य से पर गोविद नारायण सिंह मुख्यमंत्री के रूप में उन्ही कार्यो का निर्णय लिया जो उन्हे उचित और समायोचित लगा जब उन्हें ठीक नहीं लगा वे मुख्यमंत्री पद छोड दिये और पुनः कांग्रेस में एक सदस्य के रूप में जनप्रतिनिधि बन गये निश्चय की गोविद नारायण सिंह की राजनीति की यह पहेली दिलचस्प और प्रभावी है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजनैतिक प्रयोगों का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावना :–

संसदीय प्रजातंत्र अपने उद्देश्य में तब तक सफल नही हो सकता, जब तक कि उसकी प्रगति ऐसे बातों प्रतिधातों का परिणाम नहीं जो सत्तारूढ़ दल और कृतित्व सम्बन्धी क्रिया प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। सरकार और अलग–अलग मंत्रियों पर आक्रमण करना विपक्षी दल का कार्य है। विरोध करना विपक्षी दल का कर्तव्य है। विरोधी दल सर टायनबी के इस परामर्श पर चलता है कि देखते ही हमेशा की तरह खींचो तो और खींचते ही कसम खाकर कहो। यही काम भ्रष्टाचार पूर्ण प्रशासन पर मुख्य प्रतिबंध है, जिस समय संसद में विश्वास घात और उत्पीड़न के कार्यों पर बहस होती है। इसका महत्व सरकार संचालन में किसी भी प्रकार कमी नहीं है यही कारण है कि ब्रिटेन में महामहिम के विरोधी दल का स्थान महामहिम की सरकार के बाद दूसरा होता है।[1]

जहां तक मध्यप्रदेश में विरोधी दलों के अस्तित्व का प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात से हो यहां राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दलों के विकास के साथ ही साथ विरोधी दल विकसित होते रहे। हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद, जनसंघ, संयुक्त समाजवादी दल, प्रजासमाजवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल, आदि प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल रहे हैं और कांग्रेस सरकार का विरोध करते रहे हैं। लेकिन संख्या में बहुत होने के वावजूद अपने छोटे आकार तथा सीमित प्रभाव के कारण ये प्रदेश में प्रतिपक्ष का आभास देने

* नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

में असफल रहे हैं। विरोधी दलों की इस बहुलता और प्रभाव क्षेत्र की अल्पता ने प्रदेश विधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व को प्रभावित किया है।

1962 के आम चुनावों में तो कांग्रेस विधान सभा में पूर्ण बहुमत भी प्राप्त नही कर पाई थी, लेकिन उसकी सरकार चलती रही और विरोधी दल आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस को कोई चुनौती न दे पाये। प्रदेश में विरोधी दलों के ध्रुवीकरण का अभाव सन 1967 में विपक्षी दलों की पराजय और कांग्रेस की विजय का प्रमुखतम कारण रहा है। यद्यपि कांग्रेस को कुल डाले गये मतों का 50 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं हुआ

मध्यप्रदेश विधान सभा में यद्यपि प्रारम्भ से ही विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व कम रहा और तकनीकी दृष्टि से प्रदेश सरकार विधान सभा के प्रति जबाब देह बनी रही। मगर प्रश्न शब्दों का नहीं भावना का है क्योंकि प्रजातंत्र एक भावना है और उस भावना से प्रेरित पद्धति भी। यदि सत्ता को प्रभावी चुनौती नहीं मिलती और जबाव मांगने बालों के आग्रह के बावजूद उसकी उपेक्षा करना सबसे सुगम हो तो उत्तरदायित्व एक औपचारिक्ता हो जाती है।

जुलाई 1967 में कांग्रेस सरकार की विधान सभा में पराजय और श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र को सरकार के त्याग पत्र देने के बाद मध्यप्रदेश को कांग्रेस के रूप में एक शक्तिशाली विपक्ष प्राप्त हुआ। अब कांग्रेस के प्रतिपक्ष में रह कर प्रदेश के लोक तंत्र के लिये कुछ आदर्श स्थापित किए थे। यही नहीं पं. मिश्र ने संविद शासन को अप्रजातांत्रिक ढंग से बनाया गया बताते हुये उसके विरूद्व संघर्ष की घोषणा की। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि वह नवीन सरकार को कुछ समय देना चाहेंगे ताकि वह स्वयं ही गिर जाये।

कांग्रेस विधायकों को भी उन्होंने सलाह दी थी कि वे संविद सरकार को गिरानें में जल्दबाजी न कर विरोध में रहते हुये रचनात्मक कार्य करे। उन्होने कहा कि संविद के सामने भी वे ही समस्यायें है जो हमारे सामने थी। राज्य की आर्थिक स्थिति गंभीर है इसलिये बेहतर होगा कि उन्हें कुछ समय तक कार्य करने का अवसर दिया जाये और देखते रहें कि वे क्या काम करते है।[2]

श्री गोविन्द नारायण सिंह और उनके द्वारा बार–बार दिये गये इस स्पष्टीकरण से कि उन्होने कांग्रेस किसी सैद्वान्तिक कारण से नहीं अपितु श्री मिश्र की ताना शाही से तंग आकर छोड़ी है। कांग्रेस नेत्रों में यह धारणा बननी शुरू हुई की श्री मिश्र के स्थान पर दूसरा नेता चुनना चाहिये, यूं तो पं. मिश्र के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस विधायकों में असन्तोष प्रारम्भ से ही था। लेकिन साल भर पहले तक इस असन्तोष को व्यक्त करने का साहस किसी में नही था लेकिन जब पं. मिश्र के हांथो से राजदण्ड छिन गया तो उनके अपने ही स्नेह भाजन तथा विश्वास पात्र लोगों के उन्हें नेता मानने में आपत्ति करना शुरू कर दिया।

श्री मिश्र के समर्थन और विरोध में प्रदेश के अनेक कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली की यात्रायें भी की। संविद के मुख्यमंत्री श्री सिंह भी कांग्रेस की इस गृह कलह में रूचि ले रहे थे। इस दौरान श्री गोविन्द नारायण सिंह तथा श्री श्यामाचरण शुक्ल में गुप्त वार्तायें भी हुई। प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से यह मुलाकातें काफी महत्वपूर्ण थी। यद्यपि श्री गोविन्द नारायण सिंह यह स्पष्ट कर चुके थे कि श्री मिश्र के नेता पद से हटने तथा पक्ष परिवर्तकों के पुनः कांग्रेस प्रदेश में कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन निश्चित ही श्री सिंह ने भी शुक्ल को यह आश्वासन दिया था कि श्री मिश्र नेता पद से हट जाये तो वह और उनके साथी कांग्रेस में पुनः आ सकते हैं।

कांग्रेस के नेता परिवर्तन से जहां तक दल–बदलुओं का सम्बन्ध है उनका मत था कि जैसे–नाग नाथ वैसे सांप नाथ। श्री गोविन्द नारायण सिंह ने नेता परिवर्तन में रूचि अवश्य प्रदर्शित की लेकिन इस समय वह मुख्यमंत्री पद छोड़कर कांग्रेस में नही आना चाहते थे। हां इतना अवश्य लग रहा था कि अपने कूटनीतिक चातुर्य द्वारा वह कांग्रेस में वापस जाने के मार्ग को, यदि भविष्य में ऐसी आवश्यकता पड़े तो खुला रखना चाहते थे।

श्री मिश्र के त्याग पत्र देने के बाद महीनों की तीखी कशमकश हलचल और सरगर्मियों के मध्य 26 नवम्बर को नेता पद का चुनाव हुआ। जिसनें श्री श्यामाचरण शुक्ल कांग्रेस विधायक दल के सर्वानुमति

से नेता चुन लिये गये। औपचारिक तौर पर चुनाव की विधि पूरी करने के पूर्व केन्द्र के प्रेक्षक श्री जगजीवन राम ने विधायकों की राय का आंकड़ो में अनुमान लगाया। जिसमें श्री बसन्त राव उइके को 36 तथा श्री शुक्ल को 76 मत मिले कुल उपस्थित 119 विधायकों में से 117 ने मतदान किया। बाद में औपचारिक बैठक में श्री उइके ने श्री शुक्ल का नाम नेता पद के लिये प्रस्तावित किया तथा श्री शुक्ल नेता चुन लिये गये। श्री श्यामाचरण शुक्ल के स्वागत समारोह में श्री गोविन्द नारायण सिंह भी उपस्थित हुये।[3]

राजमाता की सत्ता में भागीदारी को अस्वीकृति के बाद श्री विद्याचरण शुक्ल ने अपना ध्यान संविद के पक्ष परिवर्तकों तथा अन्य विधायकों को तोड़ने की और केन्द्रित किया इधर संविद नेताओं ने घोषणा की कि फरवरी में होने वाले विधान सभा सत्र के समय 30 कांग्रेसी विधायक संविद में शामिल हो जायेगे।[4]

मुख्यमंत्री श्री सिंह इन संभावित विद्रोही गतिविधियों से परिचित थे तथा उचित अवसर पर उचित कदम की ताक में थे। फरवरी में विधान सभा के दौरान ही एक दिन श्री सिंह ने अपनी घोषणा द्वारा प्रदेश की राजनीतिक में एक धमाका कर दिया। उनकी इस घोषणा से राजनीतिक क्षेत्रों में हलचलें तेज हो गई। श्री सिंह ने घोषणा की कि यदि प्रदेश में कोई शोक्ति दल बनता है तो उनका लोक सेवक दल उसके द्वारा निर्मित दल का समर्थन करेगा मुख्यमंत्री की इस घोषणा के एक दिन पूर्व 60–70 हरिजन, आदिवासी विधायकों की एक बैठक हुई थी जिसमें श्री गणेश राम अनन्त ने भी भाग लिया था। श्री सिंह इस घोषणा द्वारा एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार को भले ही दूसरे रूप में ही क्यों न हो बनाये रखा जाये।

द्वितीय जनसंघ को सरकार से दूर रखा जाये। क्योंकि जनसंघ से संविद की कई इकाईयां नाखुश थी।[5] श्री सिंह कि यह घोषणा राजमाता को भी स्वीकार थी 24 फरवरी को लोक सेवक दल के एक हरिजन विधायक ने शोक्ति दल के गठन की महती आवश्यकता बताते हुये आह्वान किया कि सभी हरिजन एवं आदिवासी विधायक 28 फरवरी तक अपने दलों से त्याग पत्र दे दे, लेकिन कांग्रेस के हरिजन विधायकों ने यह कह कर त्याग पत्र देने से इंकार कर दिया कि कांग्रेस तेा स्वयं ही एक शोक्ति दल है। परिणामतः अन्य दलों के हरिजनों विधायकों का भ्रम टूट गया। और ये समझ गये कि कांग्रेस अपनी कूटनीति द्वारा इन्हें अपने दल से अलग करना चाहती है। 27 फरवरी को सभी हरिजन आदिवासी विधायकों को मुख्यमंत्री श्री सिंह ने अपने घर पर भोज में आमंत्रित किया। कांग्रेसी विधायक तथा आदिवासी नेता श्री बसंत राव उइके ने मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित भोज को बिगाड़ने का प्रयास किया। किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्होने उसमें भाग लेना ही श्रेयस्कर माना।

श्री श्यामाचरण शुक्ल इसी शर्त पर कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गये थे कि यह दल बदलूओं को पुनः कांग्रेस में लाकर अथवा अन्य प्रकार से संविद सरकार को गिरा कर प्रदेश में कांग्रेस को पुनः पदारूढ़ करेगे। अतः उन्होंने नेता बनने के बाद से ही संविद को गिराने के प्रयास शुरू कर दिये। जनवरी के अंत में श्री श्यामा चरण शुक्ल ने घोषणा की कि लगभग 20 विद्रोही कांग्रेसी, कांग्रेस में पुनः आने को तैयार है। श्री गोविन्द्र नारायण सिंह भी आने केा तैयार है लेकिन उनके एक दो साथी रोके हुये हैं। 7 फरवरी को श्री शुक्ल ने पुनः घोषणा की कि विधान सभा के बजट अधिवेशन अर्थात् मार्च के तीसरे सप्ताह में राज्य की संविद सरकार का तख्ता पलट जायेगा।[6]

वस्तुतः श्री शुक्ल इस समय संविद सरकार को गिराने के लिये जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन्हें अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त न होने का प्रमुखतम कारण कांग्रेस के दो प्रतिद्वन्दी गुटों की प्रतिस्पर्धा श्री श्यामा चरण शुक्ल तथा श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र इस समय एक दूसरे को गिराने के लिये शतरंजी चाले चल रहे थे। श्री मिश्र दल–बदलुओं की वापसी के प्रश्न पर अपने दृष्टिकोण को 13 दिसम्बर 1967 को हो स्पष्ट कर चुके थे कि यह दल–बदलुओं को पुनः कांग्रेस में लेने के पक्ष में नही है। उन्होंने श्री शुक्ल के आम माफी के विचार का भी विरोध किया। उनका मत था कि कांग्रेस को सत्ता आने के लिये इतना अधीर नही होना चाहिये थे। और कुछ समय

तक प्रभावशाली विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहिये इस अवधि में संविद सरकार अपनी ही कमजोरियों के कारण टूट जायेगी और कुछ माह बाद कांग्रेस छोड़ कर गये विधायक जब पुनः कांग्रेस में आना चाहेंगे तब कांग्रेस उन्हें अपनी शर्तों पर वापस ले सकेंगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र तथा श्यामा चरण शुक्ल के ये मतभेद तथा एक दूसरे को गिराने के प्रयास ही संविद सरकार को कायम रखने में सर्वाधिक सहायक हो रहे थे।[7] श्री शुक्ल मुख्यमंत्री पद चाहते थे अतः उनका प्रयास था कि जो लोग संविद छोड़ कर कांग्रेस में जायें जोकि 1972 तक कांग्रेस सरकार स्थायी रह सके । इन दोनों नेताओं के संघर्ष का लाभ संविद सरकार को मिल रहा था और वह चल रही थी और उसे तुरन्त कोई खतरा नहीं था। यथपि दोनो नेता चाहते थे कि संविद सरकार का पतन हो लेकिन उसके तरीकों पर दोनो में मतभेद था। अगर श्री शुक्ल कुर्सी का मोह छोड़ देते तो संविद सरकार तुरन्त खतरा हो सकता था। तथा श्री मिश्र का लक्ष्य भी यही था कि श्री शुक्ल मुख्यमंत्री नहीं बने।[8]

विधान सभा के बजट सत्र में संविद सरकार का पतन हो जायेगा इस आशय की घोषणा तो श्री शुक्ल अनेक बार कर चुके थे। लेकिन 13 मार्च के अपने वक्तव्य में संविद सरकार को गिराने के बारे में उन्होने अपनी नई नीति के संकेत दिये। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि संविद सरकार के पतन के बाद कांग्रेस ही उनकी जगह सत्तारूढ़ हो। संभवतः अब श्री शुक्ल को यह विश्वास हो चला था कि वह संविद के विधायकों को तोड़ कर शुद्व कांग्रेस की सरकार बना पायेगें।

विधान सभा के इस बजट सत्र में कांग्रेस की सरकार गिराने के तीन बार जोरदार प्रयास किये। प्रथम प्रयास 8 मार्च 1968 को किया गया इसकी तैयारी के लिये 8 मार्च के पूर्व रात्रि को एक महत्व पूर्ण बैठक का आयोजन भी किया गया। कांग्रेस की योजना यही थी कि सहकारिता विभाग की मांगों पर होने वाले मतदान के समय सरकार को गिरा दिया जाये। श्री शुक्ल ने ये सारे प्रयास इतने गोपनीय रखने के प्रयास किये कि किसी को कानों कान खबर न हो लेकिन संविद के नेताओं को किसी प्रकार इसकी खबर हो गई सारे मंत्री सरकार की रक्षार्थ सक्रिय हो गये। तथा मुख्यमंत्री ने अपना निवास स्थान छोड़ कर 6 मार्च को विधायक विश्राम गृह में अपना डेरा डाल दिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का प्रयास विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के चुनाव के समय किया गया। जिसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 28 मार्च को कांग्रेस ने 8 माह पुरानी संविद सरकार के विरूद्व अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। इसी दिन श्री शुक्ल नें घोषणा की कि यदि प्रदेश में कोई समाजवादी शक्ति सरकार बनायेगी तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। तथा उसमें सम्मिलित नहीं होंगी।[9]

उन्होंने प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री चन्द्र प्रताप तिवारी को मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन भी दिया, इसके बाद श्री तिवारी ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि स्वाभाविक सरकार गैर साम्प्रदायिक तथा सामन्तवाद विरोधी होगी। श्री तिवारी तथा श्री श्यामाचरण शुक्ल ने संयुक्त समाजवादी दल को भी आह्वान किया कि वह वर्तमान सरकार को अपदस्थ करनें में सहयेाग करें। लेकिन संसोपा ने इसे अस्वीकार कर दिया। श्री शुक्ल कि इस योजना का कांग्रेस उच्च कमान की स्वीकृति नहीं थी। श्री शुक्ल का कहना था कि इस तरह का कोई निर्णय कांग्रेस उच्च कमान के क्षेत्राधिकार में नही आता, बहरहाल वह स्वीकृत कर लेवें, श्री तिवारी ने भी प्रसोपा के उच्च कमान से स्वीकृति नहीं ली थी। इसका कारण उन्होंने तत्कालिक निर्णय की आवश्यकता बताया 30 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ जिसमें संविद सरकार विजयी रही।

श्री गोविन्द नारायण सिंह ने सरकार की रक्षा की सारी तैयारियां युद्वस्तर पर की थी। कांग्रेस इस सत्र के तीसरे शक्ति परीक्षण में भी असफल रही और यह सिद्व हो गया कि श्री शुक्ल राजनीतिक व्यूह रचना में श्री गोविन्द नारायण से काफी कमजोर है। श्री तिवारी को उच्च कमान का आदेश न मानने और संविद के विरूद्व मतदान करने के कारण दल से निकाल दिया गया दरसल श्री शुक्ल अल्पमत की

सरकार को समर्थन देने के निर्णय पर काफी देर से पहुंचे। वह मुख्यमंत्री बनने के स्वप्न जाल में बहुत दिनों तक उलझे रहे फिर यह घोषणा भी अपने आप में कोई चमत्कार नहीं थी। उसके लिये जिस सम्पर्क, आश्वासन और अन्य प्रयत्नों की जरूरत थी वे नही किये गये। जिससे दल बदल करने वालों को प्रलोभन या धमकी देकर रोके रखने का अवसर संविद नेताओं को मिल गया।

कांग्रेस विधायक दल का पुनः नेता चुने जाने के पश्चात पं. मिश्र ने संविद शासन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को सूचना दी जो विपक्षी कांग्रेस दल द्वारा संविद सरकार के जीवन काल में रखा गया। यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था। विधान सभा में इस पर 17 सितम्बर 1968 को बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये श्री मिश्र ने संविद सरकार पर तीखे आरोप लगाये और कहा कि संविद सरकार आर.एस. एस. जनसंघ विजयाराजे सिंधिया एण्ड कम्पनी द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये प्रस्तुत कठपुतिलियों का शो है।[10] अपने भाषण में पं. मिश्र ने भी गोविन्द नारायण सिंह को मुख्य कठपुतली निरूपित किया और श्री सिंह को आगाह किया कि ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिंधिया उन्हें बदलने में किंचित भी नहीं हिचकिचायेगी। यदि उनकी निगाह में श्री सिंह की उपयोगिता समाप्त हो जाये।

नवम्बर माह में ही प्रदेश कांग्रेस ने संविद सरकार के विरूद्व एक राज्य व्यापी सत्याग्रह करने की घोषणा की। कांग्रेस ने संविद सरकार के विरूद्व यह युद्व पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के संचालन में लड़ने का निश्चय किया 18 नवम्बर को पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र ने अपने कार्यक्रम तथा संविद के कुशासन के विरुद्व होगा वह और उनके साथी ग्वालियर में जो कि राजमाता सिंधिया का गृह क्षेत्र है सामूहिक धरना देगे और गिरफतारी देंगे। यह सत्याग्रह कुछ कानूनों को भंग करने, कर न चुकाने तथा ऐसा दूसरों को करने के लिये प्रेरित करने, का रूप होगा। 18 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मध्यप्रदेश कांग्रेस की सत्याग्रह योजना पर विचार किया इसमें प्रदेशाध्यक्ष पं. मिश्र ने उच्च कमान को अपनी योजना बताई। तथा आश्वासन दिया कि सत्याग्रह शांति पूर्ण होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति का मत था कि शांतिपूर्ण आन्दोलन चलाने उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नही किया जाना चाहिये जिससे विधान सभा की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे।[11]

एक विपक्षी के दल के रूप में कांग्रेस का यह सत्याग्रह उसके नेताओं की अपेक्षाओं को तो पूरा नहीं कर सका, हॉ, कांग्रेस को इससे काफी लाभ हुआ। संभवतः आन्दोलन के नेताओं का यह उद्देश्य कि सत्याग्रह द्वारा केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की स्थिति निर्मित की जाये जो पूरा नहीं हुआ लेकिन इससे कांग्रेस जनता के सम्पर्क में आयी। जनता से तादात्म्य स्थापित करते हुये संविद सरकार की कलई खोलने का मौका कांग्रेस दल को इस सत्याग्रह से मिला और कांग्रेस में पिछले दो वर्षों से पहली बार भारी एकता दिखाई पड़ी।

संविद के गुटीय राजनीति के परिणाम स्वरूप श्री गोविन्द नारायण सिंह को 10 मार्च 1969 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा उनके स्थान पर सारंगगढ़ के राजा नरेश चन्द्र सिंह जिनको राजमाता श्रीमती सिंधिया का समर्थन प्राप्त था, इनको संविद का नेता चुना गया और उन्होंने संविद के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की राजा द्वारा शपथ लिये जाने के पहले से ही संविद में टूटन का क्रम प्रारंभ हो गया। संविद के असन्तुष्ट विधायकों ने प्रगतिशील विधायक दल का गठन किया। इस दल ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की इधर कांग्रेस द्वारा निरन्तर इस आशय के दावे किये जाते रहे कि संविद के अनेक विधायकों के कांग्रेस में सम्मिलित हो जाने से संविद का बहुमत समाप्त हो गया है। अतः राजा को त्याग पत्र दे देना चाहिये।

संविद को अंतिम धक्का भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री गोविन्द नारायण ने दिया जब 19 मार्च 1969 को वह अपने 19 साथियों के साथ पुनः कांग्रेस में शामिल हो गये। इससे विधान सभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 166 हो गयी। कांग्रेस अध्यक्ष की निजलिगप्पा के वक्तव्य के अनुसार पक्ष परिवर्तकों को दो शर्त पर कांग्रेस में पुनः प्रवेश दिया गया। प्रथम यदि राज्य में

मध्यावधि चुनाव हुये तो दल परिवर्तकों को कांग्रेस टिकट की पात्रता नहीं होगी। द्वितीय यदि कांग्रेस ने मंत्रिमण्डल बनाया तेा इन्हें कोई लाभ का पद नहीं दिया जायेगा।[12]

श्री सिंह के कांग्रेस में सम्मिलित हो जाने के बाद राजा नरेश चन्द्र सिंह ने 19 मार्च 1969 को त्याग पत्र दे दिया और उनके द्वारा दी गई मध्यावधि चुनाव की सलाह को राज्य पाल ने अस्वीकार किया। कानूनी अड़चनों के अतिरिक्त श्री मिश्र के मुख्यमंत्री बनाये जाने के विरोध में पर्याप्त जनमत था कांग्रेस उच्च कमान का बहुमत शुरू से ही श्री मिश्र का विरोधी था।यथपि उनकी यह धारणा थी कि वर्तमान परिस्थितियों में मध्यप्रदेश कांग्रेस उच्च कमान को इच्छा से अवगत करा दिया कि वह नेता पद से हट रहे हैं और उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्तियों को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया जाये।[13] श्री मिश्र के नेता पद से हटने के बाद श्री श्यामाचरण शुक्ल ने नेता पद प्राप्त कर लिया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

विगत 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस को सत्ता पर निर्भर रहने की आदत सी पड़ गई थी यदि सत्ता परिवर्तन के इस अवसर से सीख ग्रहण कर कांग्रेस वाकई में एक मैदानी संगठन बनती तो नेतृत्व का प्रश्न अपने आप हल हो जाता यह बात अवश्य है कि कांग्रेस में इस समय एक स्वर गति से गिरेगी तब हम अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन यह स्वर एक आदर्श होते हुये भी बीमार और अधिकांश कांग्रेस जन जल बिन मीन की तरह तड़पते रहे। जबसे श्री शुक्ल नेता बने तेा लगातार घोषणा करते रहे कि संविद क्षण भंगुर है।

पं. मिश्र के पुनः नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस का जो राज्य व्यापी सत्याग्रह हुआ उसने अवश्य कांग्रेस को जनता के थोड़ा निकट लाया। लेकिन यह बात कांग्रेस के चरित्र का स्थायी अंग नहीं बन सकी और अंत में हम कह सकते है कि संविद शासन के दौरान एक सशक्त विपक्ष के रूप में प्रभावशाली भूमिका निभाने की जो अपेक्षाये कांग्रेस दलसे की गई थी वह उन्हें पूरी करने में असमर्थ रहा। और भारतीय लोक तंत्र में विपक्ष की सही भूमिका के बारे में कोई आदर्श स्थापित नहीं कर सका। यद्यपि शासन में रखते हुये उसके नेता विपक्षी दलों को विपक्ष का सही रोल अदा करने का आदेश अनेक बार अवश्य दे चुके थे। विरोधी दल की सही भूमिका क्या हो इसकी स्पष्ट व्याख्या न तो उसके नेता सत्ता में रहते हुये कर सके और न ही संविद शासन के दौरान विपक्ष में बैठने का अवसर मिलने पर वे उसे अपने कृतित्व द्वारा निर्धारित कर सके।

संदर्भ –

1. सर आइवर जैनिम्स–मंत्रिमण्डीय शासन, पृष्ठ–618
2. नई दुनियां इंदौर 1967 पृष्ठ–1
3. दिनमान, नई दिल्ली, 10 दिसम्बर 1967 पृष्ठ–13
4. स्वदेश इंदौर 9 दिसम्बर 1969 पृष्ठ–1
5. दिनमान, नई दिल्ली, 10 मार्च 1968 पृष्ठ–19
6. नई दुनिया इंदौर 8 फरवरी 1968 पृष्ठ–1
7. दिनमान, नई दिल्ली, 4 फरवरी 1968 पृष्ठ–17
8. दिनमान, नई दिल्ली, 25 फरवरी 1968 पृष्ठ–22
9. दैनिक स्वदेश, इंदैार 29 मार्च 1968 पृष्ठ–1
10. दि पेट्रियाट, 19 सितम्बर 1968 पृष्ठ–1
11. दि टाईम्स आफ इंन्डिया, नई दिल्ली, 23 फरवरी 1969 पृष्ठ–1
12. दि टाईम्स आफ इंन्डिया, नई दिल्ली, 20 मार्च 1969 पृष्ठ–1
13. दिनमान, नई दिल्ली, 30 मार्च 1969 पृष्ठ–17

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 15th Apr 23 Paper Accepted : 25th Apr 23

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : भारत का भविष्य

❐ डॉ. कल्पना द्विवेदी*

शोध सारांश

संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान ही मनुष्य की आशंकाओं और जिज्ञासाओं को दूर करता है। इस ज्ञान रूपी दिव्य अलौकिक मार्ग से मनुष्य को पूर्णता की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में इन सभी बातों का पहले से ही उल्लेख मिलता है। लेकिन जब देश आजाद हुआ और बाहरी आक्रांताओं व अंग्रेजों का राज हुआ तो उन्होंने भारतीय शिक्षा की पद्धति को बदलकर रख दिया। परिणामस्वरूप भारतीय जनमानस अपने विचारों, सभ्यता एवं संस्कृति की जड़ों से कटता चला गया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वह सब कुछ वर्णित है जिससे बालक को न केवल भारत बोध होगा, वरन् वह सच्चा मनुष्य बनकर भारत माता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होगा।

शिक्षा नीति में ज्ञान आधारित सृजनात्मकता व रचनात्मकता के साथ आरंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा का खाका है। इस नीति में न केवल शिक्षा के ढांचे को आमूल–चूल बदला गया है, बल्कि शिक्षा पद्धति में सुधार, नवाचार व अनुसंधान के साथ मनुष्य निर्माण पर जोर दिया गया है। यह शिक्षा नीति भारत केंद्रित एवं विद्यार्थी केंद्रित है। यह पूरी तरह भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। इसमें त्रिभाषा सूत्र के साथ 'निज भाषा उन्नति अहै' की बात पर जोर दिया गया है। मातृभाषा, हिंदी एवं कोई एक अन्य भाषा व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक सिद्ध होगी। संस्कृत भाषा के अध्ययन व अध्यापन की इसमें प्रधानता रहेगी। सही मायने में यह शिक्षा नीति छात्र, अध्यापक व भाषा के बीच का त्रिकोण है।

नई नीति से पूर्व भारत में दो शिक्षा नीति लागू हुई, जिनसे शिक्षा व्यवस्था का संचालन हो रहा है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में बनी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी और 1992 में उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी किए गए। यद्यपि 34 वर्षों पश्चात बहुत बड़े विमर्श के बाद 29 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विमर्श में 2 वर्ष का समय एवं 2 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव समाहित हैं। विमर्श में शिक्षक, विद्यार्थी, राजनेता, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी सभी के सुझाव समाहित किये गए हैं। इसलिए यह शिक्षा नीति सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी एवं राष्ट्रीय विचारों से ओत–प्रोत

* लेक्चरर, श्री रावतपुरा, सरकार कॉलेज, आरी, झाँसी (उ.प्र.)

है और कहा जाए कि लंबे समय की मेहनत के पश्चात निकला वह नवनीत है जो देश के समग्र विकास में अपनी महती भूमिका अदा करेगा। इस नीति में तकनीकी के समुचित उपयोग पर बल दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 'वाइब्रेंट नॉलेज सोसायटी' का निर्माण, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानवीय व राष्ट्रीय भाव का जागरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को शिक्षा का लाभ मिलने की भावना समाहित है। ऐसा माना गया है कि इस शिक्षा नीति से 60 करोड़ से अधिक लोग सीधे रूप से प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। जो केवल नाम परिवर्तन ही नहीं दृष्टि परिवर्तन का सूचक है।

स्कूली शिक्षा में परिवर्तन–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यालयी शिक्षा में सबसे बड़े परिवर्तन की पक्षधर है। जो पूर्व की नीतियों में 10+1 या 10+2 था। वह अब 5+3+3+4 किया गया है इसका अर्थ यह है कि बालक की आरंभिक अवस्था जिसे फाउंडेशन स्टेज या नींव कहा जा सकता है, उसे पूर्ण रूप से मजबूत करने की बात इस नीति में कही गई है। तीन वर्ष के बालक को विद्यालय में प्रवेश देकर प्री प्राइमरी के तीन वर्ष व प्रथम एवं द्वितीय सहित कुल 8 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक इन प्रारंभिक 5 वर्षों में बालक के खेलकूद, संगीत, कला, योग, साहित्य, गणित कौशल के साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इन वर्षों में उसे यह सभी कुछ अपनी मातृभाषा में ही सिखाया–पढ़ाया जाएगा। बालकों के लिए मिड डे मील एवं बाल भवन की भी व्यवस्था रहेगी। कक्षा 3 से 5 तक यानी 11 वर्ष की आयु में बालक को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। यह 'प्रिपरेटरी स्टेज' कहलाएगी। इन वर्षों में उसे विभिन्न विषयों का प्रारंभिक ज्ञान अपनी मातृभाषा में ही दिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक यानी मिडिल स्टेज में बालक को एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। साथ ही उसे इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी यानी पढ़ाई के साथ–साथ वह अपनी पसंद के क्षेत्र से संबंधित उद्योग या संस्थान में अपने कौशल का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त भी कर सकेगा, जिससे वह धीरे–धीरे अपनी क्षमताओं को पहचान कर भविष्य के लिए एक निश्चित क्षेत्र का चयन भी कर सकता है। विभिन्न विषयों की पाठ्य सामग्री भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। बालकों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के माध्यम से भारतीय भाषाओं पर आधारित परियोजना में भागीदारी निभानी होगी।

कक्षा नौवीं से बारहवीं तक सेकेंडरी स्टेज में बालक में विषय के प्रति गहरी समझ का विकास किया जाएगा, जिससे उसमें अध्ययन व विश्लेषण क्षमताओं का विकास हो सके। इन 4 वर्षों के पाठ्यक्रम में सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाओं का आयोजन होगा। बालक को वर्ष भर सतत अध्ययन करते रहना होगा एवं सतत मूल्यांकन की भी व्यवस्था रहेगी। यहां बालक के पास अध्ययन हेतु पसंद के विषय चुनने एवं विदेशी भाषाओं के चयन की स्वतंत्रता भी रहेगी, जिससे वह विज्ञान के साथ समाजशास्त्र या संस्कृत या राजनीति शास्त्र जैसे अपने पसंद के विषयों का अध्ययन कर सकेगा जबकि पूर्व में यह व्यवस्था नहीं थी। बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा एवं विद्यार्थी को किसी भी विद्यालय वर्ष के दौरान दो बार बोर्ड की परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त किया जाएगा। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 25/1 का रहेगा। इस नीति में जो बच्चे किसी कारण से विद्यालय छोड़ देते हैं उनकी समस्याओं का निदान कर ड्रॉपआउट को 100 प्रतिशत खत्म करने का प्रावधान है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह (सोशियो इकोनामिकली डिसएडवांटेज ग्रुप) जिनमें अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बालिकाएं, विस्थापित समूह, ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी शामिल हैं, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की योजना है। अतः यह नीति कम प्रतिनिधित्व वाले समूह को लक्षित कर समग्र एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र 'परख' एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में

स्थापित किया जाएगा। बालकों में रटने की आदत को खत्म कर उनमें विषय की गहराई की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों में अंक प्रतिस्पर्धा की दौड़ खत्म हो जाएगी। मूल्यांकन 360 डिग्री के आधार पर किया जाएगा, जिसमें बालक अनेक बिंदुओं पर अपने स्वयं के भी अंक दे सकेंगे। साथ ही शिक्षकों द्वारा, सहपाठियों द्वारा भी उनके व्यवहार, चरित्र व आचरण के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसमें परियोजना कार्य, अनुसंधान, समूह एक्टिविटी जैसे आवश्यक बिंदु शामिल होंगे। रिपोर्ट कार्ड में यह सभी अंकित किया जाएगा जिससे उसे मालूम हो सके कि वह कहां पर कमजोर है और भविष्य में उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा। निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस वसूली पर भी रोक लगेगी एवं विद्यालय, महाविद्यालय की फीस भी तय की जाएगी। इस सारी प्रक्रिया के निर्माण में एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शिक्षकों के चयन हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त मानदंडों का ध्यान रखा जाएगा। सोर्स शेयरिंग हेतु विद्यालयों में क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय आंकलन केंद्र एनसीईआरटी व एससीईआरटी के निर्देशन में छात्रों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। भारतीय संकेत भाषा अर्थात् साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत कर किया जाएगा। मूक–बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रमों को 30 से 40 प्रतिशत कम किया जाएगा।

उच्च शिक्षा में बदलाव–

उच्च शिक्षा देश के विकास का दर्पण होती है। इस नीति उच्च शिक्षा हेतु पाठ्यक्रमों में समग्रता व एकरूपता लाई जाएगी। सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं की प्राथमिकता रहेगी। प्रवेश हेतु स्नातक में 'राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी' द्वारा 12वीं के अंकों सहित उच्च गुणवत्ता वाली 'सामान्य योग्यता परीक्षा' के अंको के योग से प्रवेश होगा। विषय चयन की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। संस्कृत भाषा को रूचिपूर्ण व नवाचारी तरीके से प्रारंभिक विषयों जैसे विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के साथ जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार आर्हता के मानदंडों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय नीति की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि किसी बालक ने स्नातक में किसी कारणवश 1 या 2 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात वह छोड़ देता है तो उसकी यह पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी एवं जितने क्रेडिट इन वर्षों में उसने अर्जित किए हैं वे सभी अर्जित क्रेडिट सरकार द्वारा बनाए गए 'एकेडमिक क्रेडिट बैंक' में जमा हो जाएंगे और जब भी वह एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपना अध्ययन या डिग्री पूरी करना चाहेगा तो यह क्रेडिट उसकी डिग्री में एकेडमिक क्रेडिट बैंक से वापस जुड़ जाएंगे। एकेडमिक क्रेडिट बैंक डिजिटल लॉकर पर आधारित होगा। इसे मल्टी एंट्री एवं मल्टी एग्जिट व्यवस्था कहा गया है। विद्यार्थी द्वारा स्नातक का प्रथम वर्ष पूर्ण करने पर 'सर्टिफिकेट' द्वितीय वर्ष पूर्ण करने पर 'डिप्लोमा' एवं तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री शोध आधारित होगी। स्नातकोत्तर हेतु जिन्होंने 3 वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त की है, उन्हें 2 वर्ष का पाठ्यक्रम जिसमें 1 वर्ष शोध पर आधारित होगा एवं 4 वर्षीय शोध आधारित डिग्री धारी विद्यार्थियों को 1 वर्ष में स्नातकोत्तर की डिग्री दी जाएगी। स्नातकोत्तर के बाद विद्यार्थी पीएच.डी में प्रवेश ले सकेंगे। इस शिक्षा नीति में एमफिल की डिग्री को समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है।

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। उच्च शिक्षा में संकाय सदस्यों को अपने स्वयं के पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं का निर्माण करने की स्वतंत्रता रहेगी। सभी उच्च शिक्षण संस्थान स्वच्छता का पालन करने के साथ–साथ आवश्यक सुविधाएं जैसे पीने हेतु स्वच्छ पानी, साफ–सुथरे शौचालय, पुस्तकालय, आईसीटी आधारित प्रयोगशाला एवं तकनीक युक्त कक्षा– कक्षा जैसे संसाधनों से पूरित होंगे। इस नीति में नीति निर्माण, विनिमय, प्रचालन तथा अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट प्रथक प्रणाली का प्रावधान रखा गया है। इस हेतु राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र 'स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी' का गठन करेंगे।

उच्च शिक्षा के पारदर्शी संचालन हेतु एक स्वतंत्र निकाय 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग' (एचइसीआई)के गठन की बात यह शिक्षा नीति करती है। जो उच्च शिक्षा के विनिमय, प्रत्ययन, फंडिंग एवं शैक्षिक मानकों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उच्च शिक्षा के विनिमय हेतु 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद' (एनएचईआरसी), प्रत्यायन के लिए 'राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद' (एनएसी), अनुदान हेतु 'उच्च शिक्षा अनुदान परिषद' (एचईजीसी)एवं मानक निर्धारण हेतु 'सामान्य शिक्षा परिषद'(जीईसी) का गठन किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा में आधारभूत सुधार का काम करेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों को 2040 तक विस्तृत एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थान क्लस्टर के रूप में रूपांतरित करके खंड–खंड की उच्च शिक्षा को समाप्त किया जाएगा। इस नीति में तीन तरह के उच्च शिक्षण संस्थान जिनमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालय, शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय एवं स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल है। विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों की संबद्धता धीरे–धीरे समाप्त की जाएगी तथा महाविद्यालयों को स्वायत्त बनाने की व्यवस्था की जाएगी। नियमानुसार देश में उच्च कोटि के विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित होंगे एवं उच्च कोटि के भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसर विदेशों में बनाए जाएंगे। जिससे न केवल सांस्कृतिक आदान–प्रदान होगा बल्कि विदेशी लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे और देख पाएंगे कि भारत कितना वैभव पूर्ण एवं समृद्धशाली देश है। विश्वविद्यालय भारतोन्मुखी एवं समाजोन्मुखी अनुसंधान करेंगे, जिससे देश और समाज को अनुसंधानों का लाभ मिल सके। शोध में ट्रांसडिसीप्लिनरी शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शोध हेतु नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऐसा माना गया है कि बालक में शिक्षा नीति के माध्यम से राष्ट्रीय मूल्यों का विकास कर देश के टैलेंट को देश में ही रहकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इस नीति में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का बजट 4.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रावधान है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सूत्र वाक्य– 'नेशन फर्स्ट– करैक्टर मस्ट' है अर्थात राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण पर जोर रहेगा। निश्चय ही यह नीति शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं एवं उद्देश्यों को पूरा करने में एक विजन डॉक्यूमेंट है। भारत का जो टैलेंट है वह भारत में ही रह सके रहकर कार्य करें अर्थात् भारत का दिमाग भारतीय समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। यह नीति देश व समाज के विकास के साथ समग्रतापूर्ण वैश्विक नागरिक बनने में यह मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति से आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत बन सकेगा एवं विदेशों के लिए निर्माण कर सकने वाला एवं विश्व का नेतृत्व करने वाले मानव का निर्माण हो सकेगा। इस नीति को 2021 से प्रारंभ कर 2030 तक पूर्ण रुप से लागू किए जाने का विभिन्न चरणों में प्रावधान है। सही तरीके से यदि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होती है तो निश्चित ही भविष्य के स्वर्णिम भारत की आधारशिला साबित होगी और भारत को विश्व गुरु के शिखर तक ले जाएगी।

संदर्भ स्रोत :–

1. प्रोफेसर रवीन्द्र नाथ तिवारी, लेखक प्रख्यात शिक्षाविद्, स्कूल कॉम्प्लेक्स / क्लस्टर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वर्ष 2022
2. डॉ योगेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत का भविष्य वर्ष 2023
3. https:\\www.drishtiias.com\hindièburn-ing-issues-of-the-month\new-education-policy
4. https:\\updes.up.nic.in\esd\font_conver-ter\index.html
5. National Education Policy 2023

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 20th Apr 23 Paper Accepted : 30th Apr 23

काव्य में बहुआयाम : हरिवंशराय बच्चन

❒ डॉ. प्रभा सिंह*

शोध सारांश

जीवन के राग–विराग, अनुभूतियाँ, कटूक्तियाँ ने हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंशराय बच्चन को एक असमान्य चिंतक के रूप में प्रभावी बनाया। निःसंदेह उनके काव्य का वैचारिक पक्ष विपुल है। बच्चन में कवित्व शक्ति प्राकृत्य थी। बच्चनजी काव्य को अपनी मनःस्थितियों और परिस्थितियों की प्रतिक्रिया कहते हैं, इसलिए, उन्होंने लिखा है कि 'कविता लिखना मेरे जीवन की एक विवशता है– कहना चाहिए अनेक विवशताओं में से एक है। इन्हीं विवशताओं को इस आलेख में उजागर करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः–हरिवंशराय, बच्चन, काव्य, बहुआयाम, हालावाद, रागविराग, चिंतक, प्राकृत्य परिस्थित आदि।

प्रस्तावना :–

'शब्द के माध्यम से हर मानवीय अनुभव की अपूर्णता कला के माध्यम से वह पूर्णता प्राप्त कर सकती है जो मनुष्य को अधिक से अधिक संतोष देती है। जीवन है तो मनुष्य अपनी कटु–मधु अनुभूतियों के भार को काव्य द्वारा वहनीय और सुखद बना लेता हैं सामान्य मानव को कला ने संभाला है। कला ही उसकी संबल बनी है।' बच्चनजी इसी काव्य–कला के रचनाकार रहे हैं। उनकी कविताएँ जीवन की साक्षी भी हैं और जीवन के ऊपर किसी अन्तः सत्य की संकेतक भी। उन्होंने जैसा अनुभव किया, कविता में कहा है। संभवतः यही कारण है कि बच्चनजी का काव्य जिसमें हर पाठक पूर्णतः आकण्ठ निमग्न हो जाता है, उनमें अपने जीवन की वास्तविकताओं के प्रति आदर एवं प्रेम है। वे जीवन में कुछ करने के लिए असमर्थ हैं इसलिए उन्होंने काव्य नहीं लिखा। उनका स्पष्ट कहना है ''सब जगह असमर्थ हैं, मैं इस वजह से तो नहीं तेरा हुआ।'' वे जीवन प्रशस्त करने के लिए लिखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उनके कवि का यह रूप प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है।

हरवंशराय बच्चन के शब्दों में– 'कवि का सच्चा परिचय, उसकी कृति का सच्चा परिचय, वह अपने आप है। अतः 'कला में अभिव्यंजित होने योग्य प्रत्येक अनुभूति को सार्वजनिक होना चाहिए। उनके मत से 'कविता का आनंद इतना उदार है कि वह अपनी परिधि में उन्माद, अवसाद, आवेश, आक्रोश, व्यग्रता, संवेदना आदि सभी को स्थान दे सकता है। स्पष्ट है कि वे इस आनंद के अंतर्गत संवदेना से विविध रूपों को समेटते और जीवन की अनुभूति से संदर्भित करते हुए ही उन्हें व्यक्त किया है। कविता से जो संतोष,

* पदमधर कालोनी के पीछे, ढेकहा–रीवा (म.प्र.)

आनंद, रस मिलना चाहिए, उसे देने की पूरी क्षमता उनके काव्य में है।

कवि बच्चन के काव्य का वैचारिक पक्ष नवीन सामाजिक संदर्भों पारंपरिक मूल्यों, आस्था, अनास्था आदि से परिपूरित है। इस तरह व्यापक दृष्टिफलक रखने वाले कवि बच्चन के रचनाओं में उनका वैचारिक पक्ष इस प्रबलता के साथ उद्घाटित हुआ है कि वह व्यष्टि में समष्टि का बोध कराता है। उनका सामाजिक दृष्टिकोण सहज मानदण्डों के साथ चलता है। सब खुश, मिलजुल कर एक लय होकर जीवन के कुछ पल जिए फिर अपने–अपने वृष्टि में लग जाय।

सामाजिकः–

यह ठीक है कि सामाजिक चिंतन के अंतर्गत समस्त जीवन तथा समाज में विद्यमान वैयक्तिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभूतियों का सूक्ष्म एवं व्यापक धरातल पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाता है। उसका एक अंग नृतत्वशास्त्र नर–नारी के आंगिक स्वरूप निर्धारित करता है, तो दूसरा अंग विभिन्न संस्कृतियों, समाजों एवं कबीलों में विद्यमान प्रथाओं, आचारों एवं लोकाचारों आदि से संबंधित चिंतन दृष्टि का उदघाटन करता है।

साहित्य समाज का आइना भाव और विचारों की नीति में समाहित होता है। जिसमें समाज की रीति–नीति, कार्य–व्यवहार, सुख–दुःख का प्रतिबिम्ब झलकता है। सृजन के क्षेत्र में सामाजिक भावानुभूति हरकाल में रचनाकारों द्वारा बड़ी बारीकी से चित्रित होता रहा है। आधुनिक काल में साहित्य संदर्भों के विकास के साथ यथार्थ और आदर्शोन्यमुखी अनुभूति के लिए रचनाकारों ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य को बड़ी बारीकी से उद्घाटित किया है। छायावादोत्तर रचनाकारों ने भी प्रगतिवादी, प्रयोगवादी चिंतन दृष्टि को अपनाते हुए अपनी रचनाओं में समाज को गहराई से विभिन्न कोणों से उद्घाटित किया है कति बच्चन भी इसके अपवाद नहीं है। उनके काव्य में व्यक्तिगत प्रेम अपनी चरम सीमा में पहुँच जाता है तो वह समाज की ओर से लगाए गए सारे बन्धनों, सारी मान्यताओं, आस्थाओं तथा शिष्टताओं को तोड़कर सुरा, सुन्दरी एवं यौवन में डूबकर प्रेम और मस्ती के गीत गाने लगता है। प्रणय तथा मादकता का यह नशा, 'साकी और मयखाने' का यह वर्णन व्यक्ति स्वातंत्र्य की भावना की अभिव्यक्ति है कवि न तो संसार से डरता है, न कोई ईश्वरीय शक्ति उसे भयभीत कर सकती बच्चन ने स्वयं कहा है–

"वह मादकता ही क्या?
जिसमें बाकी रह जाय जग का भय" [1]

यौवन तथा सौन्दर्य की अभिव्यक्ति तो वैसे ही लुभावनी होती है, फिर बच्चन ने उसे जिस प्रभावशील तथा संगीतात्मक शैली में प्रस्तुत किया है वह श्रोताओं के मन–मस्तिष्क में जादू सा प्रभाव उत्पन्न करती है। ऐसा लगता है जैसे अपने अहंवादी व्यक्तित्व के कारण ही वह समाज में प्रचलित परम्परागत मान्यताओं को बदलकर ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जो पूर्ण स्वच्छन्द है। अपनी कविताओं के माध्यम तथा सामाजिक अत्याचार के कारण ही उसका व्यक्तिगत विद्रोही तथा उच्छृंखल हो गया है जैसे–

बैर बढ़ाते मंदिर–मस्जिद, मेल कराती मधुशाला

× × ×

हमें जग जीवन से अनुराग, हमें जग जीवन से विद्रोह।
गंगा जल जब मैं पीता था, कब दी उसने इज्जत विद्रोह। [2]

काव्य को सहस और निःसंकोच बनाने का कार्य बच्चन ने किया। मानव भावनाओं की निश्च्छल स्वच्छन्द स्वीकृति तथा वर्णन ने हिन्दी कविता को नवीनता प्रदान की। विधि और निषेधों को तोड़कर बच्चन ने नैतिक–अनैतिक पाप–पुण्य के प्रश्नों को एक नये सिरे से पूजा। बच्चन के लिए कविता भावों के उदगार से अधिक नहीं। भाषा जैसे उनके भीतर से निकलती है।

यद्यपि बच्चन के काव्य का विकास छायावाद तथा प्रगतिवाद के संधिकाल में हुआ है। जब हिन्दी की आधुनिक कविता छायावाद के वायवी वातावरण में चक्कर खा रही थी और हिन्दी जगत पंत की वीणा'

पल्लव' गुंजन से झूम रहा था, उस समय इस मधुर वातावरण के मोह को त्याग छायावादी वातावरण का सहारा लेना पड़ा। एक ओर जहाँ कोमलकांत पदावली की गूँज उठ रही थी वहाँ सीधे साद सरल शब्दों में बच्चन के भावों की अभिव्यंजना ने छायावादी कवियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित ही नहीं किया बल्कि उससे उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। शैली की दृष्टि से बच्चन ने हिन्दी कविता में युगान्तर उपस्थित किया।

छात्रावस्था में ही बच्चन ने उमर खैयाम की रुबाइयों से प्रभावित होकर उनका हिन्दी में अनुवाद करना आरम्भ कर दिया था ओर 1933–34 में उन्होंने मधुशाला की रुबाइयाँ लिखी। जिसके परिणामस्वरूप लोग मधुशाला के कवि की पीछे दिवाने हो गए। मधुशाला तथा मधुकलश की रचनाओं के पीछे उमर खैयाम की रूबाइयों की प्रेरणा अवश्य है जिसे बच्चन ने स्वीकार किया है। नये–पुराने झरोखे में बच्चन ने लिखा है, मेरे काव्य खैयाम में रूप, रंग, रस की एक नई दुनिया ही मेरे आगे उपस्थित नहीं की, उसने भावना, विचार तथा कल्पना के सर्वथा नये आयाम मेरे लिए खोन दिये।

हरिवंश राय बच्चन को भौतिक यात्रा उतार–चढ़ाव की रही उन्होंने स्वेच्छिक जीवन के साथ–साथ आर्थिक–राजनैतिक जीवन संदर्भ को भी बबहुत बरीकी से देखा और महसूस किया है।

बच्चन के आकांक्षा काल में आजादी मिलने के पश्चात् मिलने वाले सुखद क्षणों की लालसा में आर्थिक एवं राजनीतिक पराभव के कारण उस समय के वातावरण में गहन अवसाद छाया हुआ था जिसके कारण तत्कालीन समाज की चेतना एक विशेष मानसिक आध्यात्मिक क्लांति से अभिभूति हो गई थी। इस क्लांति को दूर करने के लिए बच्चन ने हाला का आव्हान किया। इस सत्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि युगीन अवसाद को दूर करने के लिए बच्चन ने जो आध्यात्मिक विद्रोह से प्रेरित भोगवाद की हाला समाज में वितरित की, उसने युग के अवसादग्रस्त युवक समाज को वहाँ युग बैठकर गम, गलत करने का निमन्त्रण दिया तथा इसमें संदेह नहीं है कि वह युवक समाज जो विश्वास का आधार खो बैठा था बड़े उत्साह से उस ओर बढ़ा तथा क्षणिक मानसिक परितोष भी उसने प्राप्त किया। बच्चन ने अपने व्यक्तिगत सुख–दुःख से ऊपर उठकर समष्टिगत पीड़ा की अनुभूति भी अपनी कविता में व्यक्त की है–

नीचे जलने वाली पृथ्वी
ऊपर जलने वाल अम्बर,
औ कठिन भूख की जलन लिये
न बैठा है पत्थर बनकर
पीछे है पशुता का खंडहर,
दानवता का सामने नगर,
मानव का कृश कंकाल लिए। [3]

इस तरह सामाजिक संलग्नता की दृष्टि से यदि देखा जाय तो बच्चन का आम–आदमी मधुशाला की क्षणिक तात्कालिक एकता तथा जीवन में सुख–दुःख के घूँटो को पीकर सामाजिक प्रतिबद्धता का कायल है जिसका अन्त भी होकर है निराशा, थकान एवं शरीर पर पराजय के चिन्ह रूप में घाव के लिए हालां कि उसमें संघर्ष क्षमता है, लेकिन वर्ग चेतना न होने के कारण शोषण के विरुद्ध कहीं भी संघर्ष दृष्टिगोचर नहीं होता।

बच्चन की कविता में एक ओर छायावाद का शब्द संगीत कल्पना–प्रवणता, चित्रमयता प्राप्त होती है तो दूसरी ओर द्विवेदी युगीन काव्यात्मकता का सुथरापन, सरसता तथा सरलता का गुण भी स्वतः आ गया है। प्रगतिवादी झोंका भी उन्हें अच्छा न छोड़ सका। बंगाल का काल कविता में उनके हाहाकार करते हृदय को प्रगतिवादी दर्शन ने एक नई शक्ति–चेतना दी है।

कवि को विस्मय है, आश्चर्य है। बंगाल में अकाल का पड़ना निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है। मधुवादी कवि क्रांतिवादी हो गया। समय की आवाज के साथ उसकी आवाज बदल गई। भूखे कंगालों पर बैठे, मस्ती तथा मधु के गीत स्वयं क्रांति और चुनौती में बदल गए।

कवि ने उन धूर्त शासकों को कितनी खुली चुनौती दी। दिनकर के मेरे नगपित! मेरे विशाल, सुभद्राकुमारी चौहान की सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी बूढ़े भारत में आई फिर से नयी जवानी थी। बच्चन केवल कवि थे और वह भी अलोचको द्वारा उपेक्षित कवि। न तो दिनकर की भाँति राष्ट्रनेता। वे ऐसे समय को वाणी देने वाले कवि थे। इसी से उनके स्वर में नव निर्माण तथा नव–जीवन की अद्भुत शक्ति हे। उनके अंतर्मन में धनीभूत पीड़ा व्यथा संगल गीत बनकर हृदय समा जाती है और मन मेरा निर्माण करो–तुम्हारा लौह चक्र आया प्रार्थना मत कर, मत कर मत कर–जैसे अग्नि–शलाका से लिये गए हृदय की तिक्त मर्म व्यर्था में डूबे उनके पद तीर की तरह छूटकर जन–साधारण को विस्मय आहत कर पूछते हैं–

तुम तूफान समझ पाओगे?
गंध–भरा यह मन्द पवन था,
लहराता इससे मधुवन था,
सहसा इसका टूट गया जो
स्वप्न महान, समझ पाओगे? [4]

अनुभव के सोपान पर खड़े होकर कवि ने जैसे अपनी व्यथा के बहाने मानव हृदय की व्यथा एवं युग के शंका विषाद तथा निराशा के सिन्धु को मथकर उसके गहल को अमृत में बदल डाला है। बच्चन का संगीत एक अमूर्त झंकार बनकर हृदय में पैठ जाता है तथा विभिन्न अनुभूतियों के झरोखों से झॉक कर विभिन्न संवेदनों में पुनरुज्जीवित हो उठता हैं बच्चन के इस प्रकार के संग्रहों में शब्दों की परख स्वर संगीत की सूक्ष्मता भावों का उत्कर्ष और कल्पना प्रवणता का बाहुल्य दिखाई पड़ता है इसके उदाहरण में हम, मिलन यामिनी प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी आदि रचनाओं को ले सकते हैं।

कवि बच्चन का काव्य मुख्य रूप से जीवन के राग–विराग, आशा–निराशा और आत्मचिंतन के साथ मानसिक सुख सुकून की खोज में विचरण करते मानव की जिजीविशा को अभिव्यक्ति देता है। विराट अनुभव और अनुभूतियों को आत्मसात करने वाले बच्चन के प्रचुर साहित्य में देश की समस्याएँ जनमानस की आकांक्षाओं को शब्द दिया गया है। जीवन के उत्तरार्द्ध में वे भारतीय संसद के राज्य सभा के सदस्य भी रहे। इस तरह सड़क से संसद तक का मार्ग प्रसस्त करने वाले बच्चन ने यदा–कदा राष्ट्रीय चिंतन को भी बड़ी गंभीरता से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति किया है। राष्ट्रपिता बापू की हत्या चीन का आक्रमण आदि ऐसी घटनाएँ थी, जिन्होंने बच्चन को काफी आंदोलित किया जो उनके सृजन का कारक बनी। बच्चन के काव्य में देश–प्रेम की प्रखर चेतना से युक्त अनुभूति भी दर्शनीय है। स्वाभाविक रूप में यह इसलिए सशक्त अभिव्यंजना से युक्त बन पड़ी है क्योंकि बच्चन के काव्य की पृष्ठभूमि में भारतीय इतिहास का वह समय है जिसे राजनैतिक चेतना के जागरण का काल कहा जा सकता है स्थूलतः द्वितीय विश्वयुद्ध का परवर्ती वातावरण इसका प्रेरक रहा है और बच्चन ने उक्त यथार्थवादी पृष्ठभूमि में आदर्श देश–प्रेम की भावना को व्यक्त किया है।

कवि को अपने देश पर अत्यधिक गर्व है। साथ ही उसे अपने देश की एकता पर भी गर्व है। एकता ही समस्त उन्नति की स्रोत है अतः हमें किसी से भय नहीं है–

"एक हमारा देश, हमारा
वेष, हमारी कौम, हमारी
मंजिल, हम किससे भयभीत?" [5]

'त्रिभंगिमा' में कवि के अंतर से मानों देश–प्रेम उमड़ रहा है। प्रत्येक नागरिक के मन में देश–प्रेम की ज्वंलत भावना का होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति जीने के योग्य नहीं है जिसके हृदय में अपने देश में प्रेम नहीं है–

"जिसे झंझा की झनक न भाए
उसे नहीं जीने का हक है,
जिसे माटी की महक न भाए,
जिसे माटी की महक न भाए,
उसे नहीं जीने का हक है।" [6]

बच्चन ने देश–प्रेम को प्रेम निरूपण का एक आवश्यक आधार और प्रेम का एक महत्वपूर्ण रूप स्वीकार किया है। भूख से पीड़ित जनता अभाव से संत्रस्त देशवासियों, जाति विभाजन, नागरिकों की घृणा, धरती से पाप के विनाश का संकल्प, बंगाल के अकाल से क्षोभ, विप्लव के बादलों से वेदना, भारतीयों से अंधविश्वास रखती है।

इस तरह बच्चन जी के काव्य कृतियों और आत्मकथा में अभिव्यक्त विभिन्न संदर्भों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि उनका सृजन बहुआयामी रहै। उन्होंने जीवन के जिन संदर्भों को उठाया है उसके पीछे एक व्यापक सोच और उच्च मानवीय गहन अनुभूतियाँ रही हैं जो उन्हें काव्य तिरेक में उत्प्लावित करते हुए जीवनसंदर्भों के यथार्थ आयाम से जोड़ती रही है।

संदर्भ स्रोत :–

1. बच्चन : मधुशाला, पृ. 71
2. बच्चन : मधुशाला, पृ. 22
3. बच्चन : मधुशाला, पृ. 26
4. बच्चन के गीत, पृ. 32
5. त्रिभंगिमा, हरिवंशराय बच्चन, पृ. 121
6. त्रिभंगिमा, हरिवंशराय बच्चन, पृ. 121

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 25th Apr 23 Paper Accepted : 5th May 23

समकालीन रचना संसार में नारी संघर्ष

❒ रागिनी सिंह*
❒ डॉ. भूपेन्द्र सिंह**

शोध सारांश

सृष्टि के निर्माण और संस्थान में नारी संघर्ष की अहम भूमिका सदैव से रही है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का मूलाधार नारी ही रही है। नारी संघर्ष का उद्देश्य साहित्य व समाज में नारी के उस दोयम दर्जे की स्थिति तथा उस स्थिति का बनाये रखने की खोज है जो नारी की स्थिति का जिम्मेदार है। समकालीन पुरुष कथाकारों ने स्त्री जीवन से जुड़े विभिन्न प्रश्नों उसके संघर्षों, अधिकारों और आकांक्षाओं के लिए प्रयत्न आदि विषयों पर अपने–अपने ढ़ंग से लेखनी चलायी है। परन्तु नारी व्यथा, दर्द पीड़ा का चित्रण जितना प्रशंसनीय कार्य महिला लेखिकाओं ने किया वह उसकी अपनी लड़ाई आप लड़ने के सामर्थ्य की घोषणा भी है। महिला कथाकारों ने नारी की पारिवारिक, सामाजिक और दैहिक शोषण के साथ–साथ उसके मानसिक शोषण को अपेक्षाकृत अधिक तीखे–स्वर में अभिव्यंजित किया है। उपरोक्त बिन्दुओं को इस शोध पत्र में प्रस्तुत करने का प्रयास है।

मुख्य शब्दः– संघर्ष, समकालीन, अर्थोपार्जन, बर्बरता, मानसिकता, महापाषाण, उन्नयन, राजनीतिक, अत्याचार, शोषण आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, अस्मिता आदि।

प्रस्तावनाः–

प्राचीनकाल से नारी की स्थिति के बारे में भिन्न–भिन्न विचार पाये जाते हैं। जैसे–जैसे समाज बदलता गया वैसे–वैसे नारी में भी बदलाव आता गया। समकालीन समाज में नारी परम्परागत दासता को तोड़कर वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में अपनी सार्थकता स्थापित करने का प्रयास करती रही है।

आज की नारी सुशिक्षित है। पुरुष के समान ही घर से बाहर जाकर अर्थोपार्जन कर रही है। नारी भावुक होने के कारण किसी स्थिति का तटस्थ विश्लेषण करके स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती इसका कारण अगर हम ढूँढ़ने जाए तो यह मिल सकता है कि आज भी नारी कार्यालयीन दायित्व से ज्यादा पारिवारिक दायित्व को निभा रही है। अर्थात् महत्व दे रही है।

नागार्जुन की 'भिक्षुणी' कविता में मातृत्व की लालसा का मनोवैज्ञानिक निरूपण हुआ है। भिक्षुणी कविता की भिक्षुणी बचपन से बौद्ध विहार में पली है। यौवनागम के समय अनुभव करती है कि नारी के तप

* शोधार्थी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक हिन्दी विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

व्यर्थ है। भगवान अमिताभ के पौरुषयुक्त रूप को देखकर वह कहती है, '' बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान तो मैं समझ गई हूँ परंतु हे अभिताभ बताओं कि मानवी, मानव का सहज ज्ञान क्या है?

उसका मन मातृत्व के लिए मचल उठता है–

''कोई एक होता कि जिसको
अपना मैं समझती
भले ही वह पीटता, भले ही मरता
किन्तु किसी क्षण में प्यार भी करता
जीवन रस उड़ेलता, मेरे रिक्त पात्र में
भूक मातृत्व की मेरी मिठा देता
स्त्रीत्व का सुफल पाकर अनायास
धन्य मैं होती। कृत कृत्य होती।'' [1]

नारी नर की शक्ति होती है, संघर्ष की मूरत होती है। फिर भी उसे पारतंत्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है तथा जीवन भर उसे दुःख ही सहना पड़ता है। नारी हमेशा से अपने पति, बच्चे आदि को सर्वत्व मानकर अपना पति, बच्चे आदि को सर्वत्व मानकर अपना जीवन व्यतीत करती है। फिर नारी को सम्पत्ति मानकर उसको नीलाम किया जाता है। नारी की ऐसी दशा को देखकर भगवतीचरण वर्मा ने अपनी कविता 'द्रौपदी' के माध्यम से परतंत्रता का अंकन करते हुए लिखते हैं–

''मैं ही वह स्वयंवरा, जो है सम्पत्ति मात्र,
जो कि विरता पर, जो शौर्य पर समर्पित है,
मैं ही वह स्वयंवरा, मूर्ति भावना की, पर
जो है अस्तित्वहीन, जिसे प्रेम वर्जित है।

सामाजिक सुधार होने के बाद भी नारी जीवन को आज भी अनेक समस्याओं से जुझना पड़ता है। मध्ययुगीन बर्बरता और शोषण का शिकार आज भी नारी हो रही है। गाँवों में आज भी उनकी दशा में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। सामाजिक सुधार के बावजूद आज भी नारी को शोषण, व्यभिचार और अनैतिक संबंधों का शिकार होना पड़ता है। धूमिल जी अपनी कविता 'मकान' के मध्यम से नारी की बात कही है–

''जहाँ बूढ़े
खाना खा चुकने के बाद अन्धे हो जाते हैं
जवान लड़कियाँ अंधेरा पकड़ लेती है।''

समाज में औरतों की स्थिति चार दीवारी के अंदर रहने वाली थी लेकिन आज के जमाने में उनमें ताकत आ गई है। वह अपने मुसीबतों का डटकर सामना करती हैं। समाज में परिवर्तन आने के कारण व्यक्ति का दृष्टिकोण भी बदल गया है। मानव–जीवन का इतिहास परिवार का इतिहास रहा है। परिवार मनुष्य के जीवन में प्रारंभ से ही होता है। ऐसे इस परिवार के निर्माण में नारी के संघर्षों का बड़ा सहयोग होता है। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि नारी की सार्थकता ही परिवार निर्माण में है। आर्थिक दृष्टि से परिवार निर्माण में है। आर्थिक दृष्टि से परिवार का पोषण भले ही पुरुष निभा रह हो परंतु परिवार का असली आधार नारी हैं नारी के बगैर परिवार अकल्पनीय है। नारी अपने तीनों रूपों से परिवार अकल्पनीय है। नारी अपने तीनों रूपों से परिवार सुसम्पन्न एवं सुशोभित करती है, पत्नी, माता और पुत्री के रूप में और नारी के ये तीनों रूप शाश्वत है।

पत्नी आत्मसमर्पण और निश्चल प्रेम द्वारा, ममतामयी और पुत्री स्वयं निर्धारित रूप में जिसमें वह विकसित रूप में पत्नी और माता आदि रूपों में परिवार को एकसाथ बांधकर रखती है। समकालीन दलित समाज में भी नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। अतः हम कह सकते हैं कि दलित समाज में नारी को समानता का अधिकार प्राप्त है। वह भी खेत में अपने पति के साथ काम करती हें सड़क पर रोड़ी डालती है।

भवन निर्माण में मजदूरी करती है या इसी तरह अनेक काम झाडू लगाने से लेकर मैला उठाने तक के काम वह करती है। कई बार तो यह भी देखने में आया है कि जब पुरुष शराब आदि के फेर में पड़कर बर्बाद हो जाता है तो स्त्री ही मजदूरी करके घर और पुरुष दोनों को संभालती है।

''जब तक रामेसरी के हाथ में
खड़ांग–खांग घिसटरी लौह गाड़ी है।
मेरे देश का लोकतंत्र
एक गाली है।''

मानव समाज की उन्नति नारी की उन्नति पर निर्भर है। यही कारण रहा है कि किसी भी युग में किसी भी समाज ने उत्कर्ष प्राप्ति में नारियों के सम्मान की अवहेलना का कोई भाव प्रदर्शित नहीं किया। सदियों से हम नारी को स्थान–स्थान पर दिव्य पद पर प्रतिष्ठित पाते हैं, ममता की मंजूषा, स्नेह का सदन दया का उद्गम, क्षमायम सुमेरू विद्याता की कलापूर्ण सृष्टि का आधार, देश के निर्माण की आधारशिला, करुणा की गंगा, उमा, रमा, सरस्वती के समान नारी का इस भारतीय वसुन्धरा पर प्राचीन आदिकाल से ही परम स्थान रहा है।

मानवता है मूर्तिमती तू भाग्यभाव भूषण तू भण्डार

दया क्षमा ममता की आकार, विश्व प्रेम की है आधार।

भारतीय स्मृतिकारों ने नारी को अधिक सम्मान व प्रतिष्ठा देते हुए किसी भी विधि–विधान को नारी की अनुपस्थित में अपूर्ण माना है। मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में लिखा है–

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्त, रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रातास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है। वहाँ देवता निवास करते हैं। परन्तु जहाँ नारी का अनादर होता है। आदर सम्मान नहीं होता वहाँ सभी क्रिया–काण्ड निष्फल होते हैं।

'चित्र मुद्गल' जी ने वर्तमान समाज में व्याप्त 'भोगवाद' की समस्या को भी अपने उपन्यासों में प्रमुखता से उठाया है। उनके अपने उपन्यास 'एक जमीन अपनी' में नीता एक आधुनिक नायिका है। वह विवाह को बंधन मानती है तथा अपने जीवन में मुक्ति भोग को स्वीकार करती है। वह सुधीर गुप्ता के साथ बिना विवाह के रहने लगती है। इतना ही नहीं वह उसके बच्चे की माँ भी बनती है। नीता अपनी सफलता में अपनी देह को सीढ़ी बनाती है। वह नौकरी करने के लिए छूटी हुई कम्पनी के मालिक से संबंध बनाती है। उसके गन्दे चरित्र चर्चा भी गरमाती है। उसके ऑफिस में उसके सहायक इस प्रकार यौन व्यवहार को बताते हैं–

''क्या बात करती हो तुम उसके बिन्दासपने की, बोल्डनेस की हुंड। उसकी एक रात की कीमत है ओबराय कर डिनर, स्टूडियो–210 की रंगीन शाम तेजपाल का आखिरी शो या खण्डाला की आउडिंग''

यह निर्विवाद सत्य है कि आज स्त्रियों की यौन तृप्ति की समस्या बढ़ती जा रही है। हमें उन समस्याओं का समाधान करने का उचित एवं नैतिक मार्ग भी अपनाना चाहिए परंतु उसके लिए सभी सीमाओं व मर्यादाओं का उल्लंघन स्वयं स्त्री के लिए ही घातक सिद्ध होगा। चित्रा मुद्गल जी 'एक जमीन अपनी' की अंकिता के माध्यम से यह संदेह समस्त जाति तक पहुँचाना चाहना चाहती है।नारी का जीवन संघर्ष का पर्याय माना जाता है। नारी चाहे जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो उसकी नियति उसका पीछा नहीं छोड़ती है, अगर वह घर से बाहर जाती है तो भीड़ रूपी भेड़िया उसे काटने को दौड़ते हैं। इस बाहरी आतंक से मुक्ति के लिए नारी घर की चारदीवारी के बंधन को संघर्ष स्वीकार कर लेती है। परन्तु उसकी पीड़ाएँ उसे वहाँ से घेर लेती है। वहाँ भी उसके दुःखों का अंत नहीं होता है। 'चित्रा' जी न अपने उपन्यासों में नारी जीवन की इस बेहद अंत रंग एवं स्याह पहलू को परोक्ष रूप से उजागर करने का भरपूर प्रयास किया है।

संयुक्त परिवार भारतीय समाज का मूल आधार रहा है। लेकिन जब आर्थिक मानसिकता रूपी जीवन मूल्यों के कारण पारिवारिक रिश्तों में तनाव आ गया। ''आपका बंटी'' उपन्यास में मन्नू भंडारी जी ने शकुन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि नारी पहले शरीर थी अब तो वह अर्थ भी है। उसकी अर्जित सम्पत्ति पति और परिवार की परंतु उसका विकसित होता व्यक्तित्व तनाव का कारण है।

नारी का व्यक्तित्व नारी की चेतना और उसका निर्णय किसी को स्वीकृत नहीं है। इसलिए अब परिवार बिखरने टूटने लगे हैं। आज की नारी का आंतरिक संकट पुरुष के साथ बनते बिगड़ते संबंधों को लेकर उपन्यास में प्रकट हुए है। उन्होंने 'एक इंच मुस्कान' उपन्यास में अम्ला प्रतिक्रियावादी नारी के रूप में चित्रित किया है। उपन्यासों या कहानियों तथा नाटक में महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, महास्वेता देवी, रमणिका गुप्ता, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, सुधा मूर्ति, प्रभा खेतान इत्यादि जाने पहचाने नाम आधुनिक साहित्य के प्रमुख स्तम्भों में है।

नारी की वेदना, संवेदना को शायद नारी ही समझ सकती है, इसलिए इन महिला साहित्यकारों ने नारी की वेदनाओं और उसकी सामाजिक स्थिति का जितना सजीव चित्रण किया है। जितना पुरुष साहित्यकार न कर पाए हों। नारी लेखन के बारे में प्रसिद्ध व्याख्यात 'एल्विन वो वोल्टर ने अपनी पुस्तक 'द न्यू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म' में लिखा है। सदियों से नारी अंधकार में रही है। वे आपस में नारी जानती जब नारियाँ लिखती है तो इसी अंधेरे का अनुवाद करती है।

हमारे धर्म शास्त्रों में शिव और शक्ति के रूप में रूप को एकाकार अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है। मेरा मत है कि शिव और शक्ति की समानता या तुलना नहीं की जा सकती वो एक–दूसरे के पूरक है और एक–दूसरे के बिना अधूरे है। इसी तरह भारतीय समाज में स्त्री व पुरुष एक–दूसरे के पूरक हे। वे एक–दूसरे के बिना अधूरे है उनकी आपस में समानता का कोई औचित्य ही नहीं है।

'महादेवी वर्मा' जी ने ''श्रृंखला की कड़ियाँ'' नामक रेखाचित्र में स्त्रियों की हालत संघर्ष के बारे में बताया है– ''नारी के इतिहास का सूक्ष्म आंकलन करे तो पता चलेगा कि महापाषाण काल से स्फुटनिक युग तक नारी–नर के जीवन का पोषण एवं उन्नयन करती आ रही है। लेकिन देवी कहकर पुरुष ने उसे अपने–अपने अधिकारों से वंचित किये, उसे पाषाणी प्रतिमा बना दिया और उसके मानवी जीवन को भी नकार दिया। केवल देना ही देना और सहना ही सहना उसके हिस्से में रह गया है और समर्पण उसके भाग्य में कील–सा गढ़ गया।''

नारियों ने कभी कुप्रथाओं और रूढ़ियों से मुक्ति के लिए संघर्ष किया है तो कभी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सहगामी की भूमिका निभाई है। आशारानी व्होरा ने लिखा है कि, ''हमारे यहाँ मुक्ति का अर्थ पश्चिम के अर्थ में पुरुषों की सत्ता से मुक्ति कभी नहीं रहा। राज्य व देश की स्वतंत्रता का प्रश्न जब–जब सामने आया पुरुषों की अनुपस्थिति में स्वयं सिर पर जिम्मेदारी से शत्रुओं को ललकारने में महिलाएँ पीछे नहीं हटीं''

इस प्रकार स्त्रियों का अपनी अस्मिता का संघर्ष कभी जागरण का पर्याय रहा है तो तो कभी प्रगति और विद्रोह का बिगुल बजाने वाला मंत्र आज हम देख व कह सकते है कि अनेक सामाजिक व राजनीतिक संगठन स्त्रियों के अन्छुए पहलुओं को लेकर चर्चाएँ करने लगे हैं। जिससे स्त्री का पुरुष और समाज के साथ संबंध नए सिरे से परिभाषित होने लगा है।

अंततः निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि नारी होने का एहसास ही नारी अस्मिता या नारी संघर्ष कहा गया है। नारी अपने त्याग बलिदान और संघर्षों से ही समाज में एक नई पहचान बनाकर अपने व्यक्तित्व को निखारा है। नारी में आधुनिक विचारों के कारण अधिकार और कर्तव्यबोध आ चुका है। परिणामस्वरूप नारी सही (समय) वक्त पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखती है।

अन्याय, अत्याचार, शोषण का सामना करने के लिए वह सिद्ध है। स्वभाव विशेष के आधार पर नारी में सेवाभावी, समर्पित, स्वाभिमानी, जिम्मेदार साहस आत्मनिर्भर इत्यादि रूप माने गये हैं। इन विशेषों के कारण कभी–कभार उसका शोषण हुआ तो कभी उस पर अत्याचार हुए परंतु फिर भी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही नारी से अपनी समाज में एक अलग पहचान बनाई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. यादव, एस., प्रो. सुनील कुमार, समकालीन हिन्दी साहित्य में स्त्री चिंतन, दीक्षा प्रकाशन गंगा विहार दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019, पृ. 94–95
2. नागार्जुन, कविता भिक्षुणी, यात्री प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण 1953, द्वितीय 1982, पृ.75
3. वर्मा, भगवती चरण, सम्पूर्ण नाटक, 'द्रौपदी' राजकमल प्रकाशन 1 जनवरी 2004,पृ. 68
4. धूमिल, संसद से सड़क तक, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1972, छठा संस्करण 1990, पृ.45
5. बेचैन, डॉ. श्योराज सिंह, मीनू, डॉ. रजत रानी, पृ.35
6. मनुस्मृति का श्लोक 56वां
7. चित्रामुगदल, एक जमीन अपनी, उपन्यास में स्त्री विमर्श, राजकमल प्रकाशन 1 नवंबर 2019, पृ.20
8. व्होरा, डॉ. आशारानी, भारतीय नारी दशा और दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1983, पृ. 15
9. भंडारी, मन्नू, आपका बंटी, 'उपन्यास', राधाकृष्ण प्रकाशन 1 जनवरी 2009, पृ. 483–84
10. मिश्रा, मालती, बुलबुलिया की सादी, रश्मि प्रकाशन लखनऊ 2022 पृ.
11. वोल्टर, एल्विन वो, द न्यू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, पेनथन 12 मई 1985, पृ. 481
12. वर्मा, महादेवी, श्रृंखला की कड़िया रेखाचित्र, राधाकृष्ण प्रकाशन वर्ष 1942, पृ. 115
13. टाकभौरे, सुशीला, 'शिकंजे का दर्द', वानी प्रकाशन नई दिल्ली 1 जनवरी 2011, पृ. 21–22
14. झा, डॉ. अर्चना, समकालीन हिन्दी कथा लेखिकाओं के कथा साहित्य में नारी की स्थिति, लक्ष्मी पब्लिकेशन 2016, पृ. 01
15. गर्ग, मृदुला, उपन्यास चितकोबरा, राजकमल प्रकाशन 1979, पृ. 80–82
16. खेतान, प्रभा, छिन्नमस्ता, राजकमल प्रकाशन प्रथम संस्करण 2016, पृ. 28–30

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th Apr 23 Paper Accepted : 5th May 23

Plagiarism detection software DrillBit, features, components and its limitations: An Overview

❒ Pramod Kumar*
❒ Prof. Umesh Chandra Sharma**

ABSTRACT

To avoid plagiarism to plagiarized content the regulation promotes to establish institutional mechanism and to fulfil this objective INFLIBNET Centre an Inter University Centre of University Grants Commission launched ‘ Sodhsuddhi’ programme in 2019. Under this programme universities and higher educational institutions have been provided ‘URKUND’ now merged in OURIGINAL software to detect plagiarism. To detect plagiarized content there are many other plagiarism detection softwares are available in the market with paid and non-paid version with limitations , few important are- Turnitin, Ithenticate, Urkund, Drillbit, Grammarly, Viper, Paperrater, Plagium, Plagscan, Dupli checker, Plagiarisma.This article provides an overview of plagiarism, definition,various typesanddetection. The article also highlights theUGC policy for academic integrity and India based anti-plagiarism software DrillBit with key features and components of Drillbit software.

Keywords : Plagiarism, Drillbit, Anti plagiarism Software, academic integrity.

Plagiarism:

Word ‘Plagiarism ‘has been taken from Latin which means ‘Plagarious’ or ‘kidnapper’ in the context of idea or work when anybody’s work is taken by another person as his own is known as Plagiarism. It is a kind of fraud and unethical activity. Oxford English Dictionary explains Plagiarism as the action or practice of taking someone else’s work and concept and so on and passing it off as one’s own. Scholarly fraud and Plagiarism are equally applied to everything like term, paper, photograph, song, video, idea, presentation etc. Plagiarism is a huge and diverse issue for the output of research and development, innovation, and academic research.Almost all of the information is accessible and available to user groups through a variety of websites and digital resources. The big amount of online material has increased significantly which are opportunities for activity of plagiarism. Students plagiarized because low intellectual skills, work pressure, time constraints, lack of confidence or awareness, lack of writing skills and because of

* Research Scholar, Dr Bhim Rao Ambedkar University, Agra and Assistant Professor, Kulbhaskar Ashram P G College, Prayagraj
** Dean of Arts and Head, Department of Library and Information Science, Dr Bhim Rao Ambedkar University, Agra

system to monitoring their work is poor or the faculty doesn't care about cheating. Considering the importance of plagiarism free research University Grant Commission mandate to co-ordinate and determined the standards in Indian higher education system. UGC brought a regulation in 2018 to avoid plagiarism. This regulation is known as 'Promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institutions 2018'to ensure academic integrity regulation have been introduced with the objectives to create awareness about conducting research, writing thesis and dissertation and other academic writing among students.

Objective:

1. To introduce the plagiarism and various types.
2. To know the government plagiarism policy for academic integrity.
3. To know the DrillBit plagiarism detection softwares and its advantages.
4. To find out the limitations of plagiarism detection software Drillbit.

Definitions of Plagiarism:

Different views and definitions of plagiarism given by different people from time to time are mentioned below:

In Merriam – Webster Online Dictionary, 'to plagiarism' means

- 'To use the words or ideas of another person as if they were your own words or ideas'
- 'To steal and pass off (the ideas of another) as ones own : use (another production) without crediting the source"
- To commit literary theft : present as new and original an idea or product derived from an existing source.'

In Dictionary.com, plagiarism means, literary theft. Plagiarism occurs when a writer duplicates another writer's language or ideas and then calls the work his or her own.

According to 'American Association of University Professors" , plagiarism means 'taking over the ideas, methods or written words of another, without acknowledgement and with the intension that they be taken as the work of the deceiver.

According to Joy & Luck, Plagiarism means 'unacknowledged copying of documents or programs.'

'Random House Webster's College Dictionary' defines plagiarism as 'the unauthorized use of the language and thoughts of another author and the representation of them as one's own.'

Types of plagiarism:

Plagiarism can be categorized under following four broad categories.

1. Direct Stealing:

It includes the direct copying of a region of somebody else work without giving attribution. When somebody takes complete section of full paragraph without citing or referencing, falls in direct stealing category.

2. Self-Plagiarism:

When author cites his/her own work or some part or mixed part of previous or already published work showing it as a new work without acknowledging the work, thus kind of plagiarism takes place. Self-plagiarism happens when author use his/her own work in another place without citing or acknowledging himself/herself. It comes in fraud category also. Some time they are mixing their work in another work, called self-plagiarism. If you are using some of the material that you have used in your own research article you must cite yourself otherwise you fall in self-plagiarism.

3. Accidental Plagiarism:

When someone does not cite the sources from where content or paraphrases with identical words, group of words or sentence structure without giving credit to the real author. It is called accidental plagiarism.

4. Mosaic Plagiarism:

When phrases or ideas borrowed from the source and presented with synonymous words at the place of original author 'words. It is also known as patch writing. This is a kind of paraphrasing. It is academically unethical and dishonest activity. Every researcher who is going to contribute something new

in the ocean of knowledge must be careful and thankful to the authors who has already contributed in the area of knowledge.

Government plagiarism policy for academic integrity:

The core work carried out by the author shall be based on original ideas and shall be covered by zero tolerance policy on plagiarism . In case plagiarism is found and claimed , then it would be brought under Plagiarism Disciplinary Authority (PDA) for necessary and maximum penalty. The core work shall include abstract with keywords, introduction , objective, hypothesis, research methodology, analysis and interpretation, summary and observations conclusions, recommendations and references . As in lieu of the ethics in higher education, fair conduct of research and prevention of misconduct, as per UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulation 2017, students, researchers and faculty members should not perform any academic misconduct by the theft of intellectual property in any manner.

Therefore ,the proper attribution , seeking permission of the author wherever necessary , acknowledgement of source compatible with the needs and specificities of disciplines and in accordance with rules and regulations governing the source is essentially required. In case of found guilty of plagiarizing, they shall be considered under following class of severity:

- **Lavel-1** : Similarities above 10% to 40% - Shall be asked to withdraw manuscript submitted for publication and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of one year.
- **Level-2**: Similarities above 40% to 60% - Shall be asked to withdraw manuscript submitted for publication and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of two years and shall be denied a right to one annual increment in case of academician . they also shall not be allowed to be a supervisor to any UG, PG, Master's M.Phil., Ph.D. Student/scholar for a period of two years.
- **Level-3:** Similarities above 60% - Shall be asked to withdraw manuscript submitted for publication and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of three years and in case of faculty , shall be denied a right to two successive annual increments and shall not be allowed to be a supervisor to any UG, PG, Master's M.Phil., Ph.D. Student/scholar for a period of three years.

Based on the severity and above penalty levels , in case of below 10 percent of plagiarism is found , authors can/ shall be immediately asked to correct the paper and revert .(under the rule in autonomy by the publishing authority.)

Plagiarism Detection Software: DrillBit

DrillBit Software is a pioneer in anti-plagiarism software that checks for any duplicate or copied content in comparison to the larger data available globally as an Indian Plagiarism Software DrillBit provides solution to detect modified files using small fonts (shall not visible to naked eyes without any zoom exceeding 800%) in between the words to escape from plagiarism check. DrillBit have been developed as an anti-plagiarism software to detect plagiarism/similarity in research papers. It's developed under the concept of make in India to support our universities and Institutions to improve our education system and to avoid dependency on foreign software. It's an institution-based software which can be used in Universities and Institutions. DrillBit Plagiarism Checker is available in three different plans: DrillBit, DrillBit Ref, and DrillBit Extreme. DrillBit Plagiarism Detection Software to provide better service in both technically and economically. They have started with the intention of make use of such software by all the institutions not only Universities and elite institutions in order to uphold the academic ethics.

Key features and component of Drillbit:

DrillBit Plagiarism Checker offers beneficial features to ease and quicken the process of checking for copying; here are a few features listed below for better comprehension:

1. DrillBit offers mail forwarding facility to provide automated plagiarism checked reports in scholars emailbox
2. It also provides authentic report on image plagiarism in the document.
3. DrillBit supports plagiarism check in regional languages. Kannada, Hindi, Urdu, Telugu, Tamil, Malayalam, Punjabi, Bengali, Marathi, Assamese, Gujarati, Sanskrit, Kashmiri, Maithili, Manipuri, Oriya, Punjabi, Bengal.
4. There are no restrictions on Fonts, all fonts are supported in MS word file format.
5. It provides file uploading facility from google drive.
6. Drillbit have three different version plan i.e. Drillbit, Drillbit ref and Drillbit extreme suiting to the different need of users.
7. It is a highly user-friendly Plagiarism Detection Software as on date.
8. Drillbit do not save any files directly to the repository . User can check the same files many times, but it will not be saved in the repository.
9. It provides facility to be integrated with the institution's website.
10. Multiple file may be uploaded at the same time.
11. It creates institutional repository from the files uploaded for plagiarism detection.
12. The software has a translator that helps in translating from one language to any regional language of choice.
13. The software offers sentence modifiers and several add-ons for enhanced content writing and plagiarism checking.
14. The software is capable of correcting papers based on linguist accuracy. (like tense, punctuation etc)
15. The software may be customised as per user's need.

Language Support:

DrillBit Plagiarism Detection Software supports English, Foreign and Seventeen Indian regional languages.

Acceptable file format and Size:

DrillBit Plagiarism Checker supports zip file for quicker checking, along with that it also supports different formats like PDF, doc, docx, txt, HTML, PPT, etc. It provides source links for the plagiarized content simultaneously for comprehensive checking.

Each document is allowed up to 400 pages and 100 MB file size

File Submissions:

Total submissions of the users during the subscription period

To upload the files, select the folder and select "+" Symbol.

choose the upload options "English", "non-English", and "Regional"

Click on "browse your file here" and select the files from your computer

Single file – to upload a single file

Multiple files – to upload up to 10 files in a single selection

Zip file – to upload up to 20 files in a compressed format

Google Drive upload -

Users can upload the file from a Google drive.

click on "browse your file google drive",

Enter the drive credentials once google authentication is done, user can select the file and click on submit.

After submission, users can see a popup message "file uploaded successfully."

My recent submissions**:** latest submissions from the users is shown in this option.

Submission overview:

Month-wise submissions report may be scan in submission page

The users can view submissions inside the folders

1. Author name: user or owner of the document
2. Paper title: document title entered while submitting
3. Original File: original file uploaded by the user, can be downloaded anytime

4. Grammar: if applicable, can view & download the grammar report
5. Similarity %: plagiarism % of the submitted document
6. Paper ID: unique id of each submission for tracking
7. Date & Time: document submitted date & time
8. Action: document can be deleted from the submission page
9. Refresh icon: click on refresh to update the plagiarism % or reload the page.

Downloading Report:

User can send the PDF plagiarism report via " email id". Enter single email id or up to 10 mail ids. Use keyboard "Enter" to separate the mail ids.Download Report To download the report, click on the "Download icon" and can choose the download options "PDF Report "or "HTML Report"

Limitations of DrillBit plagiarism software:

Following limitations may be located for Drillbit:

1. Sometimes it takes too much time to generate reports.
2. Its price is not disclosed on website and price is quoted on request which make it suspicious as for as fair business is concerned.
3. Software as overloaded with useless webcopy , which slower its speed of matching or detecting plagiarity.
4. Free trial is available for very less time (7 days) with restricted no of document check.
5. Bigger than 100 mb and 400 pages file is not supported.

Conclusion

Plagiarism detecting software improves the quality of research work and It also improves the rewriting abilities of the scholars. However, any plagiarism detection system is a tool for spotting similarities and any decision as to whetherthey are plagiarism or not should be taken by a person, who has relevant expertise and is able to make aqualitative judgement. Needless to say, any university should have quality assurance system and antiplagiarism policy for prevention as well as regulation of plagiarism cases according to UGC academic integrity policy. DrillBit exclusively takes the lines from the file and checks for similarity over the internet. DrillBit produces a report with complete analysis of the file and even generates the percentage of Originality work and Similarity work. Plagiarism detection is the process of locating instances of plagiarism within a work or document. The widespread use of computers and the advent of the Internet have made it easier to plagiarize the work of others.

References:

1. Richardson M and Healy M, Examining the ethical environment in higher education, British Educational Research Journal, 45(6) (2019) 1089-1104.
2. University Grants Commission (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions), (2018). Available at https://www.ugc.ac.in/ pdf-news/7771545_academic-integrity-Regulation 2018.pdf (Accessed on May 2023).
3. Drillbit. Available at www.drillbitplagair-ism.com (Accessed on May 2023)
4. Check-for-plag. Available at www.checkfor-plag.com (Accessed on 05 May 2023)
5. https://www.inflibnet.ac.in/(accessed on April 2023)

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th Apr 23 Paper Accepted : 5th May 23

Dr. S.R. Ranganathan's Five Laws inthe various disciplines of Human Sphere: An overview

❒ Shalini*
❒ Prof. U.C. Sharma**

ABSTRACT

Padma Shree"Dr. S.R.Ranganathan" full nameShiyaliRamamrita Ranganathan is known as father of Library Science in India. He perceived "Five Laws of Library Science"in the year1931.These Laws are a set of norms and canons and have been provided a theoretical foundation to Library Management system. These laws have provided a scientific approach and constitute the philosophical basis for work and services, not only for all types of libraries but many other organisations or Institutions.The present research articles emphasisthe many new interpretations of these five laws with the various current terminologies of Library and Information Science and describes in detail the implementation of these Five Laws of Library Science inother allied subjects and in various field of human sphere.

Keywords: Implementation, Ranganathan'sfive laws of Library Science, Various disciplines, Human Sphere.

Introduction:

Dr. S.R. Ranganathan was the writer of many notable books.[1]His ideas of classification and cataloguing became popular in the libraries of all over the world. Although his whole literary work is outstanding, but"**Five laws of library science"**is thebest one of them.Dr. Ranganathan framedthese Five Laws in 1928and published in a book formentitled, "Five Laws of Library Science" in 1931. Theselaws arethe most influentialexpansion in the field of library science. These briefly represent the ideal services and basic philosophy not only for all types of librariesbut for all the organisations/ institutions of universe belonging to human spheres.Ranganathan has formulated these five laws many years ago, still have been accepted by the librarians worldwide. The simple precept of these laws is to satisfy users with their desired needs. Although these laws were published in 1931, they have still their relevancy and never loss there professional values in future.[2]Not only students and teachers of library science discipline but the adherents of all the institutions and organisations of 21st century must give a thought to the implementation of these laws at their work place. In today's society, where users' satisfaction, patrons' satisfaction and customer's satisfaction has become the focal point of discussion; the adoption of these"Five laws" have become more important in all sphere of human being. A number of articles have been published on the Five

* Research Scholar, Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra,Email Id: libraryshalini@gmail.com
** Dept. of Library& Information Science, Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra

Laws of Library Science. It is noticed that they have tried to interpret various new forms or stages of these laws. Ranganathan Originally quoted these Five Laws in the following form:[3]

Stage 1:

1. Books are for Use
2. Every Reader His Book
3. Every Book Its Reader
4. Save the Time of the Reader
5. Library is a Growing Organism.

Stage 2:

Ranganathan himself revised these laws by replacing the word "Books" with the word" document"[4]:

1. Documents are for use
2. Every reader his document
3. Every document its reader
4. Save the time of the reader
5. Library is a growing organism

Stage 3:

Walt Crawford and Michael Gormana British librarianrecommended the following updated form of five laws given by Ranganathan:

1. Information is for use
2. Every user his or her information
3. Every piece of information its user
4. Save the time of the information user
5. The universe of information is ever growing

Stage 4:

Later Michael Gormanand Walt Crawford revised these laws as follows:

1. Libraries serve humanity.
2. Respect all forms by which knowledge is communicated.
3. Use technology intelligently to enhance service.
4. Protect free access to knowledge.
5. Honour the past and create the future.

Although Gorman's & Crawford laws arecompletely different than Ranganathan's laws. They presented these as point of view of a librarian who practicing in a technological society.

Stage 5:

Librarian Alireza Noruzi (2004) applied Ranganathan's laws in the context of Web:[5]

1. Web resources are for use.
2. Every user has his or her web resource.
3. Every web resource its user.
4 Save the time of the user.
5. The Web is a growing organism.

Stage 6 :

Due to media richness librarian **Carol Simpson (**2008) recommended the following form of Ranganathan's laws.[6]

1. Media are for use.
2. Every patron his information.
3. Every medium its user.
4. Save the time of the patron.
5. The library is a growing organism.

Various stagesof Five Laws reflect the following characteristics:

- The wording ofthese Laws is not same; it is changing with the passage of time and environment.
- These Laws are not discipline specific. The applications of these mayfind in different organizations or Institutions.
- These Laws are Easy to understand because there is no mathematical representation in these Laws like zip's law and Bradeford's Laws.
- Many more new forms of these laws may be updated; depending on the Institutions or organizations to which they are applied.

The characteristics of these Laws show that these are basically organizational laws and have basic, fundamental or broad principles and can be used in various disciplines with its various stages.

First law: Itreveals thatthe books, other information resources in the Libraries, items, products, things or we can sayany object must be usable or functional. The basic spirit of the First Law can be generalised to read as **"Things are for use".** If a thing is not in use, it becomes useless.

Second law: Itemphasis on the users of the library and operator, worker or customer of any organisations. The essence contained in it is a

statement of "**Therights of the people"** to have access to information to enable them to play their role in society. It stresses that every citizen has the right to get the information that he or she needs.

Third Law: Itis somewhat more elusive and indicates theusable items or products. At first sight one could feel that it is no more than a repetition of the First Law that "Books are for use". But there is difference between both. The analogy of the grocery store or a supermarket can be used to understand the difference. It is not sufficient just to carry a stock and to display it. The stock has to be promoted and marketed. If a stock item is not sold, it is a liability for the storekeeper or store in charge. The supermarket constantly re-arranges its presentation of goods because there is a merit of it.

Ranganathan had tried experiments by placing the same books sometimes in the top, sometimes in the middle and sometimes in the lower shelves of racks. He followed up by recording the interest shown by readers. He could establish quite clearly that if a book was placed in the more easily visible and accessible middle shelves, it was used more. This Law can very well serve as basic reading on marketing techniques for any student of "Business Administration", if one had the flexibility to read the word "Book" as "sales goods".

Fourth Law: It focuses on the time saving of user or customer and it is a general appeal. Time is Money and Money is Time are slogansof modern times to rationalise activities in many fields.Still millionsof useful man-hours are being lost even today. We all have to wait at the cash-counters of supermarkets, in the antechambers of medical doctors and at the counters of the bank, post office, Government offices and so on. Ranganathan had identified a host of practical steps by which such a waste of precious man-hours could be brought down. His measure was tailored to the case of libraries, but the Principles and much of the methodology are equally applicable in other fields.

Fifth law: It focuses on the rising or expanding pattern of the organizations. ForRanganathan, a library was a place of action. The activity pertained to acquisition, storage and dissemination of information, which was the basis for providing the means to spread knowledge. The physical build-up and momentary contents of a Library were only instruments like the bodies of organisms. One can easily stretch this Law to say that "Every society is a growing organism" or"Every industry is a growing organism", etc.

This fifth Law contains all the ingredients to evolve and execute any management and planning effort. It emphases on to think about future Scenarios and urges us to act today in such a way that the efforts of today will not cramp development in the future. It goes a step further to make us think ahead all the time.

Hence it seems applications of these laws are not confined to the libraries or information centres only but available in many areas of human spheres.[7]

Some generalized form of these lawsare presenting here, which can provide the base to derive other new forms as per the organisations' needs, time or situation:

1. Goods/ products should be available or open for some action:

Here object can be anything, that can be seen, held or touched and that is not alive. For example, in an exhibition hallan object is a thing that is displayed forseeing, in a shop objects represent all those items or products which are for selling.

2. Every consumer/ user his or her goods: The word consumer may be used instead of user to broad the sense. A'consumer' is a person who buys goods or services for his /her personal use. A reader, student, researcher customer, client, purchaser, patient, disciple, etc. who usegoods and avail services as per their needs are the form of consumers. The real sense of this statement is that every consumer should get his/her product. In other words the main focus is on consumers' satisfaction.

3. Every products/ goods its consumer: The real sense of this statement is that every products/ goods should get his/her consumer. In second statement the focus is on consumers, but in third statement the main focus is on quality of products

and goods. Products should be produced or displayed or we can say advertised in a way so that they can attract their consumer easily.

4. Save the time of the service provider as well service consumer: The time of both the concerned person is important, so instead of save the time of the users only, service provider may be added.

5. An organization is a growing organism: Here the word "Organization"refers to all the organizations or Institutionssuchas libraries, information centres, business organizations, hospitals, religious places:temple, church etc.

Depending on our necessities, we can generate a number of forms of Ranganathan's Five Laws, for different kind of fields. Let us see how these laws may fit themselvesin various fields with its various new interpretations[8]

Five Laws for Resources:

1. Resources are for use
2. Each person his/her resources
3. Each resource its best possible use
4. Save the resources
5. Demand of resources is anincreasing phenomenon, supply is not

Five Laws for Railways/ Airlines:

1. Railways/ Airlines are for use
2. Each traveller his/her seat
3. Each seat its traveller
4. Save the time of thetraveller
5. Traffic flow is a growing organism

Five Laws for Public Administration

1. Public is supreme
2. Each citizen his/her rights and duties
3. Equal opportunity for all
4. Defend the citizens
5. Administrative functions is a growing phenomenon

Five Laws for Jurisprudence:

1. Law is supreme
2. Each person access to law
3. Each law its adherents
4. Save the time of theplaintiffs
5. Legal action continues to grow

Five Laws for Religion:

1. God is supreme power
2. Each person his/her belief
3. Each belief system its followers
4. Save all the forms of life
5. As sins grow, so does the faith

Five Laws for Society:

1. Society is a structured institution
2. Each individual his/her place
3. Each social role its fair operator
4. Follow thethe norms of society
5. Society is a growing organism

Five laws for museums:

1. Museum objects are for viewing
2. Every viewer his/her object
3. Every object its viewer
4. Save the time of the concerned persons
5. A museum is a growing organism

Five laws for educational institutions

1. Class rooms are for learning
2. Every student his/her teacher
3. Every teacher his/her student
4. Save the time of the concerned persons
5. An educational institution is a growing organism

Five laws for grocer's shops

1. Groceries are for buying
2. Every customer his/her grocery item
3. Every grocery item its buyer
4. Save the time of the concerned persons
5. A grocer's shop is a growing organism

Five laws for hospitals

1. Patients are for treatment
2. Every patient his/her doctor
3. Every doctor his/her patient
4. Save the life of the patient
5. A hospital is a growing organism

Five laws for temples or any other religious place[9]

1. Temples are for use

2. Every devotee his/her temple
3. Every temple its devotee
4. Save the time of the concerned persons
5. A temple is a growing organism

Conclusion:

Ranganathan's five laws provided a scientific approach and constitute the philosophical basis for work and services for all types of organisations or Institutions.It is to be accepted that thesefive laws represent fundamental principles, which are applicable to variedinstitutions with suitable changes in the wording. With the passage of time they are definitely proving so. Depending on the needs the laws can be applied in various disciplines such as zoos, exhibitions, marketing sectors, shopping malls, botanicalgardens, and many more. Although Ranganathan provided these laws to Library Science, but we can make them relevant by studying and applying his principles and practices in different sectors of human sphere

Endnotes :

1. Siddiqui, Azeem Mohammad. (2006). Efforts of Dr. S. R. Ranganathan For Public Library Legislation And Service: A Review. Retrieved from : https://ezinearticles.com/expert/Dr._Mohammad_Azeem_Siddiqui/63144
2. Five laws of Library science: Library and Information Society; Module 1.
3. Ranganathan, S. R. (1957). The five laws of library science, 2nd ed. Asia Publishing House; Bombay
4. Dasgupta, A. (2007). Library staff and Ranganathan's Five Laws. IASLIC Bulletin, 52 (4) pp. 197
5. Noruzi, Alireza. (2004). Application of Ranganathan's Laws to the Web: the Five Laws of the Web, webology, Volume 1, Number 2, December, 2004, www.webology.org/2004/v1n2/a8.html
6. Haider, Salmani. (2017). Five Laws of Library Science. Librarianship studies & Information technology URL: https://www.librarianshipstudies.com/2017/09/five-laws-of-library-science.html. Retrieved on 7, January, 2022
7. Yogeshwar, Ranganathan. (2001). S.R. Ranganathan: Pragmatic Philosopher of Information Science, Bharatiya vidya Bhaven; Mumbai, pp.46.
8. Kumar Ashoke & Ramesh Babu. (2011). Implications of Five Laws of Library Science on Dr. S. R. Ranganathan's Colon Classification: An Explorative Study. Accessed from https://koreascience.kr/journal/MHJBB6.do,On July 10, 2022.
9. Ramesh Babu. (2011). Relevance of Five Laws of Library Science in the Contemporary Library World, presented at the International Seminar Commemorating the 80th Anniversary of Ranganathan's "Five Laws of Library Science," Daejon, Korea, 20 October 2011. Accessed from https://kslis.accesson.kr/assets/pdf/9096/journal-45-4-253.pdf on July15, 2022.

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023)
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 5th May 23

Paper Accepted : 20th May 23

'सूर्यबाला का उपन्यास 'दीक्षांत ' : मर्मस्पर्शी यातना का विवेचन'

❑ पूजा सतनामी*
❑ प्रो. अमित शुक्ला**

शोध सारांश

शिक्षण संस्थानों के बढ़ रहे व्यवसायीकरण और छात्र वर्ग की मूल्यहीनता का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास का प्रमुख विषय है। उपन्यास का प्रमुख पात्र विद्याभूषण शर्मा है जो एक महाविद्यालय के शिक्षक हैं। विद्याभूषण के माध्यम से आज के युग में ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सादगी पूर्ण और सच्चे व्यक्ति की यातना कथा का करुणतम चित्रण किया गया है। शिक्षण संस्थानों से जुड़े अधिकारी वर्ग, प्रबंधन मंडल और प्राचार्य की कूटनीति व व्याप्त राजनीति का खुलकर पर्दाफाश किया गया है। मध्यमवर्गीय व्यक्ति का शिक्षा व आदर्शों के कारण निरंतर वर्गीय व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष को 'दीक्षांत' उपन्यास में उद्घाटित किया गया है।

मूल शब्द—कर्तव्यनिष्ठ, संस्कार, नैतिकता, अनुशासन, साहित्य।

प्रस्तावना

साहित्य सदैव समाज का आईना रहा है। हमारे चारों जो कुछ भी और घटित हो रहा है वही साहित्य में परिलक्षित होता है। समाज के सभी क्षेत्र चाहे वे शिक्षा से जुड़े हो, चिकित्सा से विकास या कोई भी विभाग साहित्य के दायरे से अछूता नहीं रहा है। इस उपन्यास में शिक्षा के मंदिर की खोखली होती नींव और युवा पीढ़ी के अंधकारमय जीवन के खतरे को इंगित करने का प्रयास किया गया है। पद और धन का अहंकार इस तरह सर चढ़कर बोलने लगा है जहां ज्ञान को लक्ष्मी के पैरों के तले रौंद दिया जाता है। शिक्षण संस्थान आज विद्या का मंदिर न रह कर डिग्री बेचने की दुकानें मात्र रह गए हैं। इन्हीं डिग्रियों को खरीदकर भ्रष्ट शिक्षक वर्ग तैयार हो रहा है जिनके हाथों में हम भावी पीढी को सौंप कर निश्चित हो जाते हैं। जहां उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करना ही व्यर्थ है। संस्कार, नैतिकता, अनुशासन आदि शब्द के शब्द कोश की शोभा मात्र रह गए हैं। ऐसे शब्द उपहास का विषय बन चुके हैं। केवल सतही सुधार की बजाय समस्या को जड़ से काटने की आवश्यकता।

* हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** हिन्दी विभाग, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य सूर्यबाला के उपन्यास 'दीक्षांत' का विश्लेषण कर यह जानना है कि हमारे समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है जिन्हें सुधारने के लिए हमारे द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? शिक्षा के सौदागरों के चंगुल से भावी पीढ़ी को कैसे बचाया जा सकता है। एक सच्चे शिक्षक को अपने आदर्शों की कीमत अपनी जान देकर क्यों चुकानी पड़ती है। इन सभी हालातों को गहराई से जानना इस शोध का उद्देश्य है।

शोध प्रविधि

शोध कार्य में साहित्य की वर्तमान दशाओं का वास्तविक विश्लेषण किया गया है इसलिए लिखित सामग्री को आधार सामग्री के रूप में लिया गया है। यह द्वितीयक स्रोत जिससे आंकड़े तथा तथ्य संग्रहीत किए गए हैं। इन सूचनाओं से आगमन निगमन, सापेक्ष ज्ञान मीमांसा पद्धति का प्रयोग कर अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किया गया है।

साहित्यावलोकन

हिंदी साहित्य जगत में सूर्य बाला एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार है। इनके लेखन पर शोधार्थियों व संपादकों की विशेष दृष्टि रही है। इनके साहित्य पर कई रूपों में कार्य हो चुका है। 'कथा लेखिका सूर्यबाला' डॉ. मोनिका संतोष ड्राइवर (2008), 'कथाकार सूर्यबाला' डॉ. मिरगणे अनुराधा (2009), 'सूर्यबाला : शब्द- शब्द मानुष गंध' डॉ. वेदप्रकाश (2012), 'सूर्यबाला के कथा साहित्य में युगबोध - डॉ. बसंत कुमार माली (2013), 'सूर्य बाला की कथा साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन' डॉ. रागमाला धारबाधुले (2014), 'सूर्य बाला की कथा साहित्य में नारी संवेदना' संगीता राणा (2016), 'सूर्य बाला की कथा साहित्य का अनुशीलन' – संगीता राणा (2016), 'सूर्य बाला साक्षात्कार के आईने में तसरेम गुजराल (2017), 'सूर्यबाला का सृजन संसार' दामोदर खडसे (2017) आदि पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं इनके अलावा शोध कार्य भी किए गए हैं। यह शोध आलेख एक शिक्षक की मर्मस्पर्शी यातना का विवेचन करेगा।

विषय विस्तार

शिक्षा हमारे जीवन के प्राथमिक संस्कार हैं जो हमें जन्म से पूर्व ही माता के द्वारा प्राप्त होते है। वही संस्कार हमारे जीवन के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में देखें तो उन संस्कारों का निर्वाह हमारी कायरता का प्रतीक बन चुका है। जिनकी परिणति भी अक्सर दुखांत ही होती है जैसा कि इस उपन्यास के पात्र विद्याभूषण को अपने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। यह उपन्यास परिसर, यंत्रणा के कोण चक्रव्यूह, प्रयाण, लोग और आलोक-बिंदु खंडों में विभक्त है।

''लेखिका ने विसंगतियाँ, विद्रूपताओं और मोहभंग के बीच शाश्वत मानवीय मूल्यों की रक्षा का सराहनीय कार्य किया है।''[1] शिक्षण संस्थानों की कुंठित राजनीति करते प्रबंधकों और फैली विसंगतियों के बीच कथानायक विद्याभूषण शर्मा आदर्शों, मूल्यों व संस्कारों की विरासत लिए कॉलेज में नौकरी करने आता है। यही विद्याभूषण 'शर्मा सर' की संज्ञा पाकर राधिका देवी बिसारिया कॉलेज के रंगमंच पर मुख्य पात्र की भूमिका निभाते हैं। शर्मा सर स्नातकोत्तर हिन्दी विषयमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं और शिक्षा की शीर्ष उपाधि पर पीएच.डी. से भी विभूषित हैं लेकिन कॉलेज में उनकी शैक्षिक योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अन्य शिक्षक जो सामान्य शैक्षिक योग्यता लिए हैं उनके बीच शर्मा सर ईर्ष्या का केंद्र बनते है। शिक्षक डिसूजा के शब्दों में 'आपकी पीएच.डी. उसके सीने में कोफ्त के फन निकाल-निकाल कर फुफकारेगी कि नहीं... जूनियर अस्थाई अध्यापक उनसे ज्यादा योग्यता वाला और लियाकत वाला है।'[2]

शर्मा सर श्रम, अध्यवसाय और निष्ठा से अर्जित ज्ञान की विरासत नई पीढी को सौंपना चाहते थे और काफी हद तक सफल भी होते हैं लेकिन कुछ अपरिपक्व

मस्तिक से तुच्छ बुद्धि वाले छात्रों द्वारा रुकावटें पैदा की जाती हैं। उपन्यास का एक पात्र रतन बरुआ एक उच्च उच्च वर्गीय परिवार का उद्दण्ड छात्र है जो छात्रों शिक्षकों को आए दिन परेशान करता रहता है। हिंसा फैलाने व नकल के दम पर परीक्षा पास करने पर विश्वास रखता है। कॉलेज की व्यवस्था बिगाडना, शांति भंग करना और शिक्षकों कार्य में बाधा डालना ऐसे छात्रों का परम धर्म है। शर्मा के शिक्षण के दौरान एक वाकया 'देखिए परिश्रम ऐसे लिखते हैं... चॉक लेकर ब्लैक बोर्ड की और मुड़े अचानक से एक चॉक का टुकड़ा उनके सिर के पिछले भाग पर लगा उनका गुस्सा खौला लेकिन उसे पीकर वापस मुड़े जैसे न कुछ हुआ हो।'[3] शर्मा सर द्वारा छात्रों को दण्डित करने व उनका विरोध करने पर उन्हें कॉलेज से निष्कासित किए जाने की धमकियाँ मिलने लगती है। लेकिन धर्म के रास्ते पर अडिग रहने वाले शर्मा सर कभी गलत का साथ नहीं देते।

इस कॉलेज के अध्यापकों के तीन वर्ग दृष्टगत होते हैं इसमें मध्यम वर्ग में शर्मा सर को रखा जा सकता है जो शैक्षिक दृष्टि से उत्कृष्ट हैं फिर भी उन्हें न तो उचित पद व वेतन प्राप्त होता है और न ही सहकर्मियों के बीच सम्मान व सहयोग मिलता है। 'दीक्षान्त' उपन्यास में उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है मिसेज सब्बरवाल। धन और पद का नशा उनके सर चढ़कर बोलता है 'मिसेज सब्बरवाल की कार हल्के संगीत भरे सुर वाला हॉर्न बजाती हुई कॉलेज के गेट में दाखिल हो, झटके से रुकी। अंदर से मोती जड़े टॉप्स और विदेशी खुशबू बिखेरती रुमाल अंगुलियों में फँसाती हुई मिसेज सब्बरवाल उतरी।'[4] कॉलेज का तीसरा वर्ग है प्रशासनिक समिति। यह एक पूंजीपति वर्ग है निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं और शिक्षकों को प्रशासन के हाथों की कठपुतली बनाए रखना चाहते हैं। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं राजदान और चन्द्रभान 'शिक्षक का कार्य क्षेत्र छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है और उन में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। यदि शिक्षक नैतिक मूल्यों का हनन करने लगे तो आगे चलकर छात्रों के जीवन में सकारात्मक मूल्य स्थापित नहीं हो पाएंगे।''[5] अत्यंत शांत, सात्विक, संतोषी और विनयशील शर्मा सर को कॉलेज प्रशासन द्वारा इस हद तक प्रताड़ित किया जाता है कि वह अपना मानसिक व शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं। यह असंतुलन उनकी मृत्यु का कारण बनता।

'दरअसल शिक्षा के नाम पर साक्षरता के साथ मूल्यों में एक बड़ी गिरावट आई है। गांव में पढ़ने वाले जमात पहले अपने घर से अलग होती है, फिर अपने गांव से इसलिए स्कूल-कॉलेज से होता हुआ अनजाने एक परजीवी समाज देश की नियति बन चुका है।'[6] इस उपन्यास में लेखिका ने शिक्षा क्षेत्र को आधार बनाकर समाज की जड़ों को काटती है अमानवीय विभिन्न स्थितियों पर पूरी शक्ति सामर्थ्य से प्रहार किया है ताकि कुछ परिवर्तन हो। उच्च शैक्षिक योग्यता के बावजूद कथा नायक की आर्थिक स्थिति बहुत रुग्ण है। घर की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है। लेकिन फिर भी उनके परिवार को अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ता है। शर्मा सर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के पास कोई जमा पूंजी नहीं रहती है और उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें अपने सोने की बालियां बेचनी पड़ती है।

'यह सत्य है कि समाज शिक्षकों की सामान्य चिंता का भार वहन कर ले तो उन्हें राजनीतिक प्रपंचों में लिप्त नहीं होना पड़ेगा। परिणामतः शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, जिसका समाज को भी लाभ मिलेगा।'[7] दीक्षांत उपन्यास में बदलते दौर की विसंगतियों को उकेरा गया है। विद्रूप संदर्भों को उभारने का प्रयास किया गया है। दुःख और द्वंद्व की परिस्थितियों के बीच जीवन के प्रति आस्था और मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने की जद्दोजहद की गई है। विद्याभूषण शर्मा के माध्यम से समाज के आदर्श गुरु की छवि प्रस्तुत की गई है। 'चक्रव्यूह मे घिरा हुआ विद्याभूषण

कोई अभिमन्यु नहीं है बल्कि शिक्षेत्तर व्यावसायिक शक्तियों ने समय-समय उसके आदर्श और व्यक्तित्व को कुचल-रौंदकर पूरी तरह अस्तित्व विहीन बना दिया है।'[8] विद्या के बढ़ते व्यवसाय के कारण आगामी दुष्परिणामों की ओर संकेत किया गया है। उच्च पदों पर बैठे अयोग्य व्यक्ति अधिकारों का दुरुपयोग कर नई समस्याओं को जन्म दे रहे है।

आज मनुष्य अत्यंत स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो गया है और भौतिक उत्कर्ष उसकी पर उपलब्ध का पर्याय बन चुकी है। ऐसी स्थिति में मूल्यों के निर्वाह की बात करना तलवार की धार पर चलने की जैसा है। जो मूल्यों का निर्वहन करते हैं उनकी भौतिक उपलब्धियां निम्नतर होती है। शर्मा सर सदैव अन्याय का सामना करते हैं। बरुआ से कहते हुए 'मेरे विषय में नंबर घटाने-बढाने या पास फेल करने का अधिकार सिर्फ मेरा है.....तुम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल तक जाकर अपना सोर्स आजमा सकते हो इस मुद्दे में मैं झुकने वाला नहीं, इतना समझ लो बेकार मेरा समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं।'[9]

आज चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचते देर नहीं लगती और किसी को किसी भी हद तक गिर जाते हैं। लेकिन शर्मा सर ने अपने स्तर पर मूल्यों को जीवित रखा। जीवन में टूट जाते हैं लेकिन भ्रष्ट बने समूचे तंत्र में अपने संस्कारों के विरुद्ध कोई समझौता नहीं करते। स्वार्थ और व्यक्तिगत हित साधना के लिए अन्य शिक्षक प्रशासन की चाटुकारिता करते हैं। उपन्यास की स्त्री पात्र कुंती जो कथानायक की पत्नी है। कुंती को एक आदर्श पत्नी के रूप में दिखाया गया है। हर परिस्थिति में अर्द्धांगिनी होने का कर्त्तव्य निभाती है। शर्मा सर के अंतिम क्षण का करुण दृश्य- 'क्षण मात्र में कुंती की फटी हुई चीख सारी निस्तब्धता तार-तार कर गयी। पागलों-सी वह अपनी साड़ी के मैले आंचल से पूरी अर्थी को ढकने का जी तोड़ प्रयास करती वह उस पर ढह पडी।[10]

इस प्रकार उपन्यास में इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। एक ओर जहां सामान्य वर्ग अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम कर शिक्षण के क्षेत्र में जाता है वहीं दूसरी ओर मध्यमवर्ग अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस पैसे को चुनता है। किंतु उच्चवर्ग शिक्षण से जुड़ाव या तो समय बिताने के लिए होता है या प्रतिष्ठा बढाने का साधन। सभी वर्गों की अपनी-अपनी जरूरतें प्राथमिकता रहती हैं शिक्षण के प्रति कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं रहता। उपन्यास में शर्मा सर के रूप में एक शिक्षक का करुणतम और मर्मस्पर्शी संघर्ष का चित्रण किया गया है जो यातना की पराकाष्ठा तक पहुंचाता है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. डॉ. रतन कुमार पांडे—सूर्यबाला की रचनाधर्मिता दीक्षांत के परिप्रेक्ष्य में, ज्ञान गंगा, दिल्ली, प्र.सं. 2012 ई. पृष्ठ-164
2. सूर्यबाला—दीक्षांत, अमन प्रकाशन कानपुर, पृ.सं. 2017 ई., पृष्ठ-47
3. वही, पृष्ठ-14
4. वही, पृष्ठ-84
5. डॉ. प्रवीण चंद्र बिष्ट शिक्षण संस्थाओं का पोस्टमार्टमः दीक्षांत के बहाने, अमन प्रकाशन कानपुर प्र. सं. 2017 ई., पृष्ठ-135
6. शुकदेव सिंह—दीक्षांत : शिक्षा की दुनिया में जो है, ज्ञानगंगा, दिल्ली, प्र. स. 2012 ई., पृष्ठ-160
7. डॉ. भागीरथ बडोले 'दीक्षांत' यातना के विरुद्ध एक समर्थ प्रयत्न, अमन प्रकाशन कानपुर प्र. सं. 2017 ई. पृष्ठ-120
8. मदनमोहन तरुण—दीक्षांत, अमन प्रकाशन, कानपुर. सं. 2017 ई., पृष्ठ-117
9. सूर्यबाला—दीक्षांत, अमन प्रकाशन, कानपुर, प्र. सं. 2017 पृष्ठ-82
10. वही, पृष्ठ-109

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th Apr 23 Paper Accepted : 25th Apr 23

''निर्मला पुतुल एवं उनके समकालीन कवियों का आदिवासी विद्रोह''

❒ शशिबाला देशमुख*
❒ डॉ. मधुबाला गुप्ता**

शोध सारांश

आदिवासियों का लोक साहित्य सदियों से मौखिक रूप में विद्यमान रहा है। साहित्य की विधाओं में 'कविता' आदिवासी विमर्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण विधा रही है। आज हिंदी साहित्य संसार में आदिवासी साहित्य द्वेष और आक्रोष वाली उस प्रवृति से अलग है जिसके साथ स्त्री और दलित विमर्श आगे आया है। स्त्रीवादी साहित्य को देखा जाये तो वह सिर्फ स्त्री जाति के हितों और अधिकारों को लेकर चर्चा करता है। वह दलित, आदिवासी, मुस्लिम स्त्रियों की तरफ आँख भौं सिकुड़ता है। दलित साहित्य में भी स्त्री के सवालों को पीछे छोड़ा गया है इसी कारण अलग 'दलित स्त्री विमर्श' की चर्चा होने लगी। इसी सन्दर्भ में यदि हम आदिवासी साहित्य को देखते है तो आदिवासी लेखन ने स्त्री और उसके अधिकारों के लिए द्वार खोले है यही कारण है कि आदिवासी साहित्य में स्त्री लेखिकाओं ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

मुख्य शब्द—आदिवासी, कविता, विद्रोह, आंदोलन।

प्रकृति ने संसार के समस्त प्राणियों को समान बनाया है, परन्तु ये प्राणी अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के इस नियम का उल्लंघन करते हैं तथा एक दूसरे पर अत्याचार करते है। अगर ये कहा जाये कि मजबूत और मानव सबसे क्रूर जीव है तो ये कहना अनुचित नहीं है क्योंकि प्राचीनकाल से ही आर्थिक रूप से सत्ता प्राप्त मानव साधारण मानव पर अत्याचार करता आ रहा है। वर्तमान समय में दास तथा सामंतवाद जैसी मनुष्य विरोधी प्रथाएँ तो नहीं रही पर पूँजीवाद ने इनका स्थान ले लिया है जिसके फलस्वरूप तथाकथित मुख्यधारा के स्वार्थी लोगों ने आर्थिक रूप से कमजोर समाज के लोगों पर अत्याचार किया तथा हर तरह से इनका शोषण किया। इन्हीं में से एक है आदिवासी समाज जो आज हर तरह से शोषण का विकार हो रहा है आदिवासी समाज सदियों से जातिगत भेदों, वर्ण व्यवस्था, विदेशी आक्रमणों, अंग्रेजो द्वारा दूर-दराज जंगलों और पहाड़ों

* शोधार्थी (हिन्दी विभाग), शोध केन्द्र—सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.), बरकतुल्ला, वि.वि. भोपाल
** शोध निर्देशक, सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

से भी खदेड़कर शहरों में बंधुआ मजदूर बनने के लिए विवश कर दिया गया। अज्ञानता, पिछड़ेपन, उचित शिक्षा और जागरुकता न होने के कारण यह जनजातीय समाज सदियों से मुख्यधारा से कटता और दूरी बनाता गया। भारत में यह समाज विभिन्न भूभागो तथा भाषिक प्रदेशों में पाया गया है।

आदिवासियों को साहित्य लिखने की प्रेरणा प्राकृतिक संसाधनों, विभिन्न कलाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से मिली है। आदिवासी साहित्यकार अपनी रचनात्मक शक्ति आदिवासी विद्रोह की परंपरा से लेता है। आदिवासी जीवन को व्यक्त करने वाले कवियों ने इतिहास से उपेक्षित आदिवासी नायकों को महत्व देकर नवीन इतिहास सृजन के लिए नयी जमीन तैयार की है। बिरसा मुंडा इनके लिए आदर्श का प्रतीक हैं, बिरसा का मुख्य संघर्ष जमीन, जंगल, और आदिवासी अस्मिता के लिए था। बिरसा का आंदोलन जनजातीय समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बिरसा के योगदान को यह समाज कभी भी नहीं भुला पायेगा। आदिवासी आंदोलन के रूप में रानी गाइदिन्ल्यू ने मणिपुर के आदिवासियों की अस्मिता के लिए संघर्ष किया। सिनगी दई जैसी वीर योद्धा मुगल सेना के साथ मैदान में अकेले ही लड़ती है।

भारत के विभिन्न प्रदेशों में निवास कर रहे आदिवासियों ने अपने-अपने भू-भागों में अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए विभिन्न विद्रोह किये है। अंग्रेजो साहूकारों महाजन और सूदखोरो के अन्याय और अत्याचार के विरूद्ध आंदोलन किए। परन्तु आज के समय में विडंबना यह है कि इनके इस विद्रोह को विद्रोह न कहकर नक्सलवाद कहा जाता है। रमणिका गुप्ता आदिवासियों की आर्थिक स्थिति का विवेचन करते हुए लिखती हैं, 'जंगल माफिया, कीमती पेड़ उससे सस्ते दामों पर खरीदकर चे दामों पर बेचता है और करोडपति बन जाता है। पेड़ काटने के आरोप में आदिवासी दंड भरता है या जेल जाता है। सरकार की ऐसी ही नीतियों के कारण आदिवासी जमीन के मालिक बनने के बजाए पहले मजदूर बने फिर बधुआ मजदूर।'

हिन्दी कविता में आदिवासी जीवन को व्यक्त करने वाले प्रमुख कवियों में महादेव टोप्पो, हरीराम मीणा, रामदयाल मुंडा, ग्रेस कुजूर, निर्मला पुतुल रणेन्द्र, अनुज लुगुन, डॉ. मंजू ज्योत्स्ना, सरिता बड़ाइक, विनोद कुमार शुक्ल, कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह, एकांत श्रीवास्तव आदि का नाम विषेष रूप से लिया जाता है ये कवि अपनी कविताओं के माध्यम से अपना भोगा हुआ यथार्थ और अपने समाज की सामाजिक वैयक्तिक जीवन संघर्ष की समस्याओं को अभिव्यक्ति देते हैं। इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से आदिवासी अस्मिता को पहचानने की बात कही है—

''ओ रे
मानवता के आदिम नुमाइंदों
तुम जंगली ढोर, गंवार हो
एक सलाह है तुम्हें सभ्य बनाने की
रोपना होगा, मुख्यधारा की उर्वरा भूमि पर।''[2]

आदिवासी कविताओं में इस समाज की प्रताड़ित महिलाओं की आत्मा की और पहाड़ी जंगलों और घाटियों में मदद के लिए पुकारती आवाजें सुनाई देती हैं स्त्री-भ्रूण हत्या, बलात्कार, भगवान के नाम पर छोड़ देने जैसे कई अमानुषिक व्यवहार उनके साथ हो रहे हैं। आदिवासी स्त्रियों ने पहले से अपने हित और अधिकारों के लिए पुरुष के साथ मिलकर समाज और शासकों का सामना किया है समय-समय इन स्त्रियों ने हाथ में हथियार भी उठा लिए है पर इस बात पर दुःख होता है कि आदिवासी वीरांगनाओं को लोग ऐसे याद नहीं करते जैसे झाँसी की रानी को याद करते हैं। आदिवासी कविता में स्त्री का चित्रण इसी रूप में हुआ और उसकी बेदना आदिवासी कविता में प्रकट हुई है। निर्मला पुपुल ने अपनी 'अपने घर की तलाश' में 'तुम कहाँ हो माया' कविता में स्त्री की अस्मिता का सवाल उठाया है—

''दिल्ली के किस कोने में हो तुम
मयूर विहार, पंजाबी बाग या शाहदरा मे
कनाट प्लेस की किसी दुकान में
सेल्सगर्ल हो या
किसी हर्बल कंपनी में पैकर?
कहाँ हो तुम माया? कहाँ हो?
कहीं हो भी सही सलामत या
दिल्ली निगल गयी तुम्हें?''[3]

निर्मला पुतुल ने इस कविता में एक आदिवासी लड़की की व्यथा को व्यक्त किया है जो रोजगार के लिए जब दिल्ली आती है तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है उसे रोजगार दिलानें के नाम पर उसका दैहिक शोषण किया जाता है। इनकी कविता में शोषण के खिलाफ एक तीखा प्रतिरोध का स्वर सुनाई देता है। निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी स्त्री के जीवन का चित्रण बखूबी ढंग से किया गया है।

डॉ. मंजू ज्योत्स्ना 'ब्याह' कविता के माध्यम से एक आदिवासी स्त्री के मन में बैठी शादी के बाद की पीड़ा को व्यक्त करती है। उन्होंने इस कविता में ससुराल में लड़कियों के साथ होने वाले शोषण, अत्याचार, दहेज के लिए जलाए जाने, खेत और घर को सँभालने आदि के उदाहरण दिए हैं वह ऐसे समाज का विरोध करती है जो स्त्री को सिर्फ चूल्हा और बिस्तर के योग्य समझाता है। इसीलिए वह अपने पिता से कहती है—

''पिता मेरी शादी मत करना।
मैंने देखी है बुधनी की जिन्दगी
बाल-बच्चे सम्भाल
खेत में खटती है
उसका मर्द साँझ, सबेरे, रात
मारता हैं कितना।''[4]

सरिता बड़ाइक जी की कविताएँ औरत को मात्र वस्तु न मानकर उसकी आजादी के लिए सपने संजोती है उनकी कविताओं में नारी पात्र ग्रामीण परिवेश के साथ अपने अस्तित्व का अलग चित्र करते प्रस्तुत हैं। उनकी 'मुझे भी कुछ कहना है' कविता में वे स्त्री के अस्तित्व का संदेष अपने प्रियवर को देती है। एक आदिवासी स्त्री अपने जीवन के हर क्षण को घर के सदस्यों को चूल्हे से लेकर बिस्तर तक खुष रखने में व्यतीत करती है उस जीवन को वह नकारती है—

''चूल्हे बिस्तर की परिधि में
मुझे नहीं है रहना
गऊ चाल में चलकर नही है थकना
मन में भारी है कविता
मंजूर नहीं है थमना
हे प्रियवर.........''[5]

सरिता जी की कविताओं के बारे में रमणिका गुप्ता कहती हैं—''सरिता की मोर पंखी भाषा इरानी बहुरंगी है कि झारखंड के हर तेवर को पकड़ लेती हैं वे न केवल झारखंड के गांवो की धड़कनों को स्वर देती हैं बल्कि झारखंड के हर निवासी की, चाहे वह किसी आयु स्तर, वर्ग, वर्ण का न हो उनके बिम्ब सरल सहज पदों में खड़ा कर देती है।''[6]

विस्थापन मनुष्य को सांस्कृतिक, मानसिक और भौगोलिक तौर पर बदल देता है। आदिवासी समाज विस्थापन की समस्या से पीढ़ी दर पीढ़ी जूझता आ रहा है आधुनिक काल में तथाकथित मुख्य धारा के लोगों ने इस समाज का तिरस्कार किया इनको बंदरों सा नचाया, नंगल तस्वीरे खींची इस समाज को अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया तथा सरकारी कानून और परियोजनाओं, विदेशी कंपनियों, पुलिस और नक्सलवाद ने इस समुदाय को और घने जंगल में जाने को मजबूर किया। इस विस्थापन के साथ मुख्यधारा के तथाकथित लोग और सभ्य कहा जाने वाला समाज आदिवासी स्त्री देह की गंध से रोमांचित हो जाता है। उसकी तारीफ करते हुए वह उसकी देह को नोंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वह सब समझने लगी है। निर्मला पुतुल अपनी कविता के माध्यम से सभ्य समाज के ऐसे व्यक्ति को चेतावनी देती हैं—

''मैं चुप हूँ तो मत समझो की गूँगी हूँ
या की रखा है मैंने आजीवन मौनव्रत
गहराती चुप्पी के अंधेरे में सुलग रही है भीतर
जो आक्रोश की आग।''[7]

आदिवासी साहित्य मुख्य धारा की संस्कृति की परिधि से बाहर रहकर आदिवासियों के जीवन को व्यक्त करने वाला, उनकी संस्कृति, परंपराए, इतिहास को एक स्तर से ऊपर वाला साहित्य है आदिवासी सदियों से जंगलों में रहते आये हैं उन्होंने प्रकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार किया है लेकिन उन्होंने कभी भी इन संसाधनों को नुकसान नही पहुंचाया। आज विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को उजाड़ा जा रहा है जो इन संसाधनों की रक्षा करते थे उनको विस्थापित किया जा रहा है।

आदिवासी अपने आँखों के सामने पेड़ों को कटने नही देते है वे उसका विरोध करते हैं इन सब कारणों से आदिवासी लेखनी में आज विश्वास भर गया है इसलिए महादेव टोप्पो कहते है—''वह धनुष उठाएगा प्रत्यांचा पर कलम चढ़ाएगा साथ में बांसुरी और गांदर भी जरूर उठाएगा जंगल के इरेपन को बचाने के खातिर जंगल का कविमांडर बजाएगा चढ़ा कर प्रत्यांचा पर कलम।''

पूर्वोत्तर भारत के आदिवासियों का आंदोलन अपनी पहचान का आदोलन है। अराग, मिजोरम, नागालैंड तथा मणिपुर का आदिवासी आंदोलन अपनी अस्मिता के साथ साहित्य को ढूँढने का उत्थान कर रहा है। इस क्षेत्र में आज बोडो साहित्य लोकगीतों, लोककथाओं, गीतों और गाथाओं में देखने में मिलता है। कवियों तथा कथाकारों ने बोड़ो साहित्य की समृद्ध परंपरा को चलाया है। इन्होंने अपनी संस्कृति को बचाये रखने में एक होकर आदोलन को सशक्त बनाया। लेकिन आज सरकार की नीतियों विदेशी आक्रमणों, नक्सलवाद और धर्म के प्रचारको ने इनकी संस्कृति को हड़पने और अपनी जड़े जमाने की कोशिष की है जिसका विरोध आदिवासी कवियों ने अपनी कविताओं में किया है उसके विरोध में ये कवि विद्रोह भी करते हैं ये कवि इसलिए भी विद्रोही हो गए है क्योंकि उनके प्रदेश में देशी और विदेशी घुसपैठ के कारण आदिवासी समाज स्वयं अपनी संस्कृति, परंपरा और आदिम मूल्यों को हेय दृष्टि से देखने लगा है अगर इन लोगों का साहित्य देखा जाए तो ये अपनी कविताओं में इस पीड़ा एवं संकल्प को अभिव्यक्त करते हैं पूर्वोत्तर का आदिवासी समाज आज भी अपनी मूल संस्कृति और भाषा को बचाकर रखने में कामयाब है। पाष्चात्य संस्कृति के प्रभाव एवं अपने समाज के ऊपर लादे गए संस्कारों पर आदिवासी कवि व्यंग्य रूपी शब्द बाणों से प्रहार करते हैं मेघालय के कवि 'पॉल लिंग दोह' अपनी 'बिकाऊ है' कविता में इस सांस्कृतिक पतन के कारणों अपनों को ही कोस रहे हैं—

''बिकाऊ है हमारा स्वाभिमान
हमारी मान्यताएँ
हमारी सामूहिक चेतना
अतिरिक्त बोनस :
ये सारी चीजें लुटाने के भाव उपलब्ध है।
विशेष : संपर्क के लिए टेलिफान नंबर को जरूरत नहीं
हमारे एजेंट हर कहीं है॥''[9]

अपनी पुरातन संस्कृति का हास और विकृति को देखकर पूर्वोत्तर कवि तिलमिला उठते है कोई विपदा आने पर पड़ोसी देश के लोग उनको संरक्षण देते हैं उस संरक्षण और सहायता के बदले पड़ोसी देश के लोग इनके अंदर स्वयं के प्रति हीन भावना को जागृत करते हैं तथा अपनी जमीन के प्रति गद्दारी करने को मजबूर करते हैं।

महाराष्ट्र में लगभग 45 आदिवासी जनजातियाँ पायी जाती हैं जिनकी स्थिति ये है कि आजादी के 69 साल बाद भी अपनी आदिम अवस्था में जी रही है। सहयाद्री सतपुड़ा, गोंडवाना में ये जनजातियां देखने को मिलती है शिक्षा के प्रचार-प्रसार और सभ्य समाज की उपेक्षा ने इन्हें अपने आप का निरीक्षण करने और

आदिवासी समाज का चिंतन करने को मजबूर किया है। यही कारण है कि आज विभिन्न स्तरों पर आदिवासी है साहित्य सम्मेलन आदिवासी प्रशिक्षण शिविर और साहित्यिक मेलों आदि का आयोजन किया जा रहा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ की जनजातियों आज भी अपनी आदिम अवस्था में है अंग्रेजों ने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को अपराधिक दंड देने के लिए इन द्वीपों का प्रयोग 'कालेपानी' की सजा देने के लिए किया। ये ऐसे समुद्र द्वीप थे जिन पर निवास कर रहे जन समूहों का मीलों दूर अन्य समाज से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं था। काले पानी की सजा काटने के लिए मार्च 1858 में सबसे पहले वहाँ पर लोग पहुंचे। तबसे वहाँ पर हिंदी भाषा का व्यवहार शुरू हुआ। ऐसे भू-भाग पर साहित्य लेखन की बात असंभव है परंतु सन 1979 ई. में 'नव परिमल' द्वारा प्रकाशित एक कृति यहाँ पर मिली है जिसमें हिंदी और अहिन्दी भाषी 22 कवियों की कविताएं है। सुख-दुःख, आशा-निराशा, संघर्ष, आक्रोश के रूप में इनकी कविताओं की संवेदना को देखा जा सकता है। अंडमान के आदिवासी की मनोदशा से विचलित होकर हरिराम मीणा का मन कह उठता है—'समुद्र से उठ रही है आग की लपटें। पृथ्वी की सारी सभ्यता एक भीमकाय रोड रोलर की मानिंद लुढ़कती आ रही है हमारी जानिब और हम बदहवास।[10] हरिराम मीणा के शोधपरक आलेखों से यह तथ्य सामने आया है कि मानगढ़ में 1500 आदिवासियों को अंग्रेजों ने राजस्थान और गुजरात के रजवाड़ों के साथ मिलकर गोलियों से भून डाला था। असम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड आदि के कवियों की कविताएँ विदेशी आक्रमणों से त्रस्त गाँवों कबीलों और समूहों के त्रस्त जीवन को उजागर करती हैं। उनका साहित्य इतिहास से प्रेरणा शक्ति और वर्तमान स्थिति से बोध लेकर अपनी जड़ों को खोजने का भरसक प्रयास करता है। आजादी के 69 साल बाद भी आदिवासियों की स्थिति ज्यों की त्यों उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आया है।

वर्तमान आदिवासी कविताएँ क्रांतिदर्शी है उसमें अंधविश्वासों के प्रति विरोध है। वर्तमान में आदिवासियों पर अस्तित्व के संकट के साथ पहचान की भी समस्या लगातार गहराती जा रही है। लोग उन्हें सामान्य मनुष्य के तौर पर नहीं बल्कि जंगली, वनवासी, असभ्य और संविधान में आरक्षित मनुष्य के रूप में परिभाषित करते हैं आदिवासी समाज की इस विडम्बना पूर्ण स्थिति को महादेव टोप्पो की कविता 'त्रासदी' अभिव्यक्त करती है।

''इस देश में पैदा होने का
मतलब है–
आदमी का जातियों में बंट जाना
और गलती से तुम अगर हो गए पैदा
जंगल में
तो तुम कहलाओगे
आदिवासी - वनवासी- गिरिजन
वगैरह-वगैरह
आदमी तो कम से कम
कहलाओगे नहीं ही।''[11]

समकालीन कविता में असाधारण संतुलन के कवि मंगलेश डबराल अपनी कविता 'आदिवासी' में दिकू समाज द्वारा उन्हें मनुष्य न समझे जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। मनुष्यता इस स्तर तक क्षीण हो चुकी है कि समाज आज कई स्तरों में बंट चुका है। ये तथाकथित मुख्य धारा के लोगों से सवाल पूछते हैं कि सर्वहारा पर किसी की दृष्टि क्यों नहीं जाती है? उनकी समस्याओं को मुखरता से अभिव्यक्ति क्यों नहीं मिलती है? एक अखबारी रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए ये सकारात्मक मुहिम पर बल देते हैं—

'अखबारी रिपोर्ट बताती हैं कि लोग उस पर शासन करते हैं। देश के 636 में से 230 जिलों में उनका उससे मनुष्यों जैसा कोई सरोकार नहीं रह गया है, उन्हें सिर्फ उसके पैरों तले की जमीन में दबी हुई सोने की एक नई चिड़िया दिखायी देती है।'[12]

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि आदिवासी कविता जीवन की कविता है यह कल्पना और मनोरंजन की कथा मात्र नहीं है और साथ ही आदिवासी स्त्रियाँ भी नुमाईश की वस्तु नहीं है। वे दर्द सहने की आदी हैं। उनका जीवन कठोर संघर्ष की गाथाओं से भरा पड़ा है किन्तु मुक्ति के लिए उनका मन भी बेचैन हैं। इनकी दृष्टि अब उन तथाकथित सभ्य लोगों को पहचानने लगी हैं जो आदिवासी औरतो को सिर्फ वस्तु मानते हुए हैं और आदिवासी समाज को सस्ता मजदूर बनाकर उनकी संस्कृति, जंगल तथा जमीन को बड़ी ही चतुराई से हथिया कर उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर देते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. रमणिका गुप्ता—आदिवासी विकास से विस्थापन, पृष्ठ सं. 12
2. हरिराम मीणा—अंडमान आदिवासियों को सभ्य बनाने की सलाह सुबह के इंतजार में काव्य संग्रह, पृष्ठ सं. 41-42
3. निर्मला पुल अपने घर की तलाश में, पृष्ठ सं. 31
4. आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी सं. रमणिका गुप्ता वाणी प्रकाशन संस्करण - 2008, पृष्ठ सं. 98
5. नन्हें सपनों का सुख—सरिता बड़ाइक, प्रका. रमणिका फाउंडेशन संस्करण - 2013, पृष्ठ सं. 108
6. नन्हें सपनों का सुख—सरिता बड़ाइक, सं. रमणिका गुप्ता, रमणिक फाउंडेशन संस्करण 2013, पृष्ठ सं. 08
7. नगाड़े की तरह बजते शब्द—निर्मल पुतुल प्रका. भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण 2005 पृष्ठ सं. 56
8. आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी—सं. रमणिका गुप्ता, वाणी प्रकाशन संस्करण 2008, पृष्ठ सं. 47
9. आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना—सं. रमणिका गुप्ता, सामयिक प्रकाषन संस्करण 2013, पृष्ठ सं. 69
10. सुबह के इंतजार में—हरिराम मीणा, अक्षर शिल्पी प्रकाशन, संस्करण-2007, पृष्ठ सं. 34
11. रमणिका गुप्ता—आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, पृष्ठ सं. 49
12. मंगलेश डबराल—नये युग में शत्रु, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 17

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 10th May 23 Paper Accepted : 25th May 23

रमणिका गुप्ता की आत्मकथा में सच और एकाकी अनुभूति संदर्भ समेत

❒ रीना सिंह*
❒ डॉ. राघवेन्द्र तिवारी**

शोध सारांश

प्रस्तुत अध्ययन में समाजसेविका, वरिष्ठ साहित्यकार और सम्पादक, कुशल राजनीतिज्ञ रमणिका गुप्ता के जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव, उनके द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न एवं उनके जीवन में एकाकीपन की अनुभूति एवं उससे निकलने के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों का वर्णन है। अपने ही घर की चैहद्दी में शोषित होने के बाद भी समाज में सच के लिए एवं दूसरों के अधिकारों एवं स्वयं के एकाकीपन के भाव को समाप्त करने के लिए अलग-अलग प्रयासों का वर्णन है। इन्हीं तथ्यों को इस शोध पत्र में प्रस्तुत करने का प्रयास है।

मुख्य शब्दः-सम्पादक, अभिव्यक्ति, अनुभूति, अथक प्रयास, शोषित, एकाकीपन बेबाक, उद्गार, अवहेलना, त्रासदी।

प्रस्तावनाः-

सृजन, रचनाकार का अनुभूतिपरक जीवन दर्शन होता है जो शब्द का रूप लेकर पुस्तक कार को जनमानस के आत्मचिंतन का आधार बनाता है। अनुभूतियों का यह जंजाल समय-समय पर चर्चा और चिंतन के नवीन युग का प्रेरक बनता है। इसका कायिक स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है कभी गीत के रूप में, तो कभी कथा के रूप में, तो कभी आत्मकथा के रूप में। कथा और आत्मकथा का जब रूपाकार होता है तब आत्मकथा का रूपण होता है। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मनीषियों ने अपने अनुभवों को डायरियों से मुक्त कर पुस्तकार किया जिससे आत्मकथा की प्रवाहमान श्रृंखला प्रस्तुत हुई। इस श्रृंखला में पुरुष और महिला दोनों प्रकार के रचनाधर्मी सामने आये। महिला आत्मकथाकारों की श्रृंखला में हिन्दी साहित्य में रमणिका गुप्ता का योगदान अत्यन्त सराहनीय है। रमणिका जी का साहित्य बहुआयामी है। उन्होंने अपनी सहज जीवन शैली में नारी के विविध रूपों के साथ नारी विमर्श को भी अत्यंत प्रभावी ढ़ंग से एवं सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने आधुनिक 'नारी संघर्ष एवं मजूदर संघर्ष' को अपने साहित्य लेखन का विषय बनाया है। नारी जो स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक रही है। उनकी

* शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक हिन्दी विभाग, श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव,जिला-रीवा (म.प्र.)

दृढ़ इच्छा रही है कि ''आधुनिक नारी समाज की जर्जर और रूढ़ी मान्यताओं को तोड़कर आत्मसम्मान युक्त जीवन व्यतीत करें।''

रमणिका जी का समग्र साहित्य उनके अपने अनुभवों की उपज है। उन्होंने जो कुछ देखा, जिया और अनुभव किया उसे ही अपने साहित्य का स्रोत बनाया, उनके जीवन की गहरी, सूक्ष्म और कलात्मक अभिव्यक्ति ही उनका साहित्य है। रमणिका जी ने आत्मकथा के अलावा उपन्यास, कविता चिंतन, अनुवाद के साथ संपादन का लेखन भी किया है परंतु उनकी सभी कृतियों में जीवन में बीतने वाली सभी घटनाओं के दृश्य कहीं न कहीं दिखाई दे ही जाते हैं। सम्पूर्ण साहित्य जीवन के यथार्थ पर आश्रित है। अपने साहित्य का विषय या मुख्य पात्र ऐसा चुना जो दृढ़ निश्चयी हो, निर्णय लेने में सक्षम हो उन्होंने स्वयं लिखा है मेरा साहित्य उन्हें समर्पित है जो

''उन स्त्रियों के हठ को
जिसने उन्हें 'आपुहुदरी' बनाया
उनके उस फैसले को
जिसने अपनी राह खुद चुनी
जिसने जोखिम उठाया
पर कभी हारा नहीं.....।''

उनके साहित्य का सफर कविता से प्रारंभ हुआ उपन्यासों से आगे बढ़कर आत्मकथा और चिंतनजनित सृजन में परिवर्तित हुई। उनकी आत्मकथा दो भागों में विभक्त है पहली 'हादसे' राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित हुई। 'हादसे' में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन, मजदूरों के लिये किया जाने वाला संघर्ष, स्त्री कामगारों एवं जंगल और जमीन के आन्दोलनों का वर्णन किया है। उनकी आत्मकथा का दूसरा अंश 'आपहुदरी' सामयिक प्रकाशन द्वारा 2015 में पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। इसमें उनका पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन प्रेम, विवाह, तत्कालीन देश व समाज की स्थिति, भारत-पाकिस्तान का विभाजन, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक पशोपेश आदि का वर्णन है। आपहुदरी में स्त्री की असुरक्षा एवं जीवन के विविध सोपानों को अत्यन्त ही संवेदनशीलता एवं गहराई के साथ उठाया गया है। जिसमें जीवन और समय के सच को यथार्थ दृष्टि से रेखांकित किया गया है।

समाज की बड़ी ही अनोखी विडंबना है एक तरफ कहा जाता है कि हम स्त्री का दर्द समझते हैं पर कभी-कभी स्त्री ही स्त्री का दर्द नहीं समझ पाती और उस पर जब बात माँ कि हो अगर वो ही अपनी संतानों में भेद करने लगे तो संतान के लिए और भी कठिन हो जाता है। वो अपने ही घर में भरे-पूरे परिवार के बीच रहकर भी सदैव अकेलेपन का ही अनुभव करता है, यही एकाकीपन रमणिका गुप्ता ने भी सहा है। उनका एकाकीपन ही उनकी कविताओं का आधार था, उन्होंने प्रारंभ से कविताएँ ही लिखी थी। उन्होंने स्वयं लिखा है ''मैं मूलतः एक कवि हूँ। गद्य लेखन मैंने बहुत बाद में शुरू किया।''

जब 1978 में बीमारी के उपरांत अस्पताल में थी तब उन्होंने भारत यायावार जी के कहने पर कहानी लेखन प्रारंभ किया और अपनी पहली कहानी 'परबतिया' वहीं अस्पताल में ही लिखी। वैसे तो लेखन कार्य के लिए वो भारत यायाबार जी को ही अपना साहित्यिक गुरु मानती थी पर गद्य लेखन को योजनाबद्ध तरीके से लिखने की कला बहुत हद तक डॉ. रामविलास शर्मा जी ने भी सिखाई थी। उन्होंने जब अपनी पहली आत्मकथा 'हादसे' लिखी तो उसका एक संक्षिप्त रूप हरिवंश जी ने 'अग्निदीक्षा' के नाम से 'प्रभात खबर' पटना में धारावाहिक रूप में भी छापा था। उनके 'मौसी' उपन्यास को सत्यप्रकाश ने बनारस से 'आज' में धारावाहिक के रूप में छापा था।

रमणिका गुप्ता एक प्रगतिवादी प्रवृत्ति की महिला थी उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन रूढ़ियों एवं छूआछूत के खिलाफ एक ऐसे वर्ग की आवाज बनने में समर्पित किया, जिसे समाज अछूत एवं द्वयम दर्जे का समझता है। रमणिका आधुनिक विचारधारा की महिला थी भले ही उन्हें घर वालों की अवहेलना सहन करनी पड़ती थी परन्तु फिर वो कभी भी ऐसी किसी प्रथा को समर्थन नहीं करती थी जो समाज सापेक्ष्य न हो। उनकी खिलाफत के लिए ताना-कसी होने पर नजरें झुका कर मुस्करा देती थी और चली जाती पर

कभी भी जो निश्चय कर लिया उससे पीछे नहीं हटती थी। उन्होंने लिखा भी है—

"मैं सफल हुई या नहीं, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं मैंने निष्ठापूर्वक प्रयास किया- मेरे लिए यह महत्व रखता था। " उन्होंने मनुष्य को मनुष्य की नजर से देखा वो सभी नीति, नियम, धर्म हर चीज से ऊपर मनुष्य को रखती थी उनका कहना था- "देश और दुनिया के केन्द्र में मनुष्य ही है। सबकुछ मनुष्य के लिए ही है, इनके लिए न तो मनुष्य बना है न ही बनेगा। "

अतः कोई नियम या कानून मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य की कसौटी मानवता होनी चाहिए बाकी सब नियम तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। मनुष्य की ही एक आवश्यकता है प्रेम जिसे तत्कालीन भारत में हेय या अपराध की दृष्टि से देखा जाता था। अपने जीवन के एकाकीपन को समाप्त करने और आर्य समाजी मास्टर की हवस से मुक्ति पाने के लिए वो एक ऐसा पुरुष अपने जीवन में चाहती थी जो उन्हें प्रेम दे सके और वो अपना घर अर्थात् पिता का घर छोड़कर वहाँ से दूर जा सके अपनी इस कामना पूर्ति के लिए उन्होंने प्रकाश गुप्ता का चयन किया, जिसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। प्रकाश गुप्ता दूसरी जाति के थे और तत्कालीन समाज में प्रेम विवाह भी वर्जित था। रमणिका ने फिर भी हार नहीं मानी और अंततः अपने माता-पिता को राजी कर लिया और प्रकाश गुप्ता से ही विवाह किया।

रमणिका गुप्ता के मन में परंपरा के प्रति शुरू से ही उदासीनता के भाव प्रबल थे। वो एक क्षत्रिय परिवार के बड़े मिलिट्री अफसर की बेटी थी। वो शुरू से ही अपने परिवार की मानसिकता से भिन्न थी। वो शुरू से ही हठीली व जिद्दी स्वभाव की थी, कदम-कदम पर सामन्ती युग की कसौटियों को चुनौती देती रहती थी। परिवार द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत जाकर वही करती जो उन्हें सही लगता था। घर से बाहर जाते समय माँ के द्वारा सिर ढँककर चलने को कहने पर प्रतिकार करते हुए मना करना ताँग में पर्दा खोलकर बैठना, कार में नाना के बगल में बैठना आदि नियम विरुद्ध कार्य थे। वो स्कूल, कॉलेज में भी बेबाक होकर कार्य करती थी। 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के पश्चात् उनका विद्यालय पाकिस्तान पंजाब में पड़ने की वजह से ये घोषणा की गई की जिसे अपनी 12वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र चाहिए वो तीन महीने तक शरणार्थियों की सेवा करेगा और वो सहज भाव से खुशी-खुशी तीन महीने तक सेवा करने के लिए कैम्प चली गईं। विभाजन के बाद फैली त्रासदी, मार-काट से अपने मित्र को बचाने के लिए वो स्वयं मैदान में उतर जाती है बिना अपनी जान की परवाह किये वो दिन-रात दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहीं।

कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ाना शुरु कर दिया था और मंचन व आन्दोलन के माध्यम से अपना मनतव्य प्रकट करती रहती थी। वो स्पष्ट वक्ता थीं मंचों में खड़े होकर बड़े-बड़े नेता आदि के विरुद्ध भी बोलने से पीछे नहीं हटती थी फिर भले चाहे घर जाकर माँ से मार ही क्यों न खानी पड़े।

विवाह उपरांत भी सभी नियमों को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई। 1960 में धनबाद जाने के बाद उन्होंने पूरी तरह समाजसेवा और राजनीति की दुनिया में प्रवेश कर लिया। कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, आन्दोलन किया और सम्पूर्ण मजदूर वर्ग का साथ पाक सफल भी किया मजदूरों को उनका हक दिलाया। आदिवासियों के हक के लिए लड़ी उनका जंगल, जमीन उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा आदि के लिए अथक प्रयास किए। जिस प्रकार वो हमेशा चाहती थी कि लोग उनके कारण उन्हें पहचाने उसी प्रकार वो हर महिला के बारे में सोचती थी उन्हें लगता था कि बात-बात पर अपने पति की आज्ञा लेना स्त्री अधिकार का हनन है, इसलिए वो कभी किसी से आज्ञा नहीं लेती थी अपितु निर्णय लेने के उपरांत सूचित करती थी कि मुझे यह कार्य करना है। वो अपनी सत्ता को दूसरे की सत्ता से अलग समझती थी यहाँ तक कि विवाह आदि में अगर कोई कार्ड भेजना और उसमें रमणिका जी का नाम अलग से अंकित नहीं होता था तो ये उस

निमंत्रण में कभी भी अपने पति के साथ नहीं जाती थी। इनका हमेशा यही कहना था कि मेरा अलग अस्तित्व है। अतः ''लोग मुझे मेरे कारण जाने-पहचानें, प्रकाश की पत्नी होने के कारण नहीं।''

रमणिका जी ने धनबाद में सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और भारत सेवक समाज के तहत कई संस्थान खोले। जिसके माध्यम से निम्नवर्ग की गृहिणयाँ तथा ग्रामीण महिलाएँ व बच्चे प्रशिक्षण ग्रहण करने लगे। धनबाद में एस.पी. साहब के घर के ठीक बाहर एवं लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट महिला कॉलेज के सामने गृहिणियों के लिए सिलाई के प्रशिक्षण केन्द्र के साथ-साथ महिला को ऑपरेटिव के तहत सिलाई का काम देकर पार्ट-टाइम रोजगार में संलग्न करने का कार्य भी करने लगी। अपने इस समाज सेवा के कार्य को अनवरत चालू रखने के उद्देश्य से उन्होंने प्रकाश के साथ कानपुर न जाने का निर्णय लिया क्योंकि उसकी मान्यता यही भी कि ''अपने परिवार के लिए तो सभी जीते है, सभी जीते है, सभी लोग सबकुछ करते हैं-जो दूसरों के लिए कुछ करे की इंसान है।''

वो जो भी कार्य करती थी पूरी स्वच्छन्दता के साथ करती थी। आरंभ में जब राजनीति से परिचित हुई तभी से उन्होंने स्वयं कांग्रेसी ही समझा था परन्तु 1967 में संविद की सरकार बिहार में बनने के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया और कांग्रेस की छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ने का कारण कांग्रेस ऐसे अधिकतर नेता थे जो स्त्री को मात्र कलेवा समझते थे जिसे भूख लगने पर खाने का एक स्व-अर्जित जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था और रमणिका कलेवा बनने को तैयार नहीं थी इस बजट से अधिकतर नेता उनसे चिढ़ते थे। यही बजट हैकि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल कपूर को भी यही लिखा कि ''मैं कांग्रेस से त्यागपत्र दे रही हूँ। मैं अपना रास्ता खुद बनाने में सक्षम हूँ, इसलिए अपना रास्ता खोज लूँगी, नहीं तो रास्ता ही मुझे खोज लेगा।'' और वाक्य उन्हें कार्य ने ही खोज लियर 1952 में पुरानी ड्रिलिंग और सर्वे का लाभ उठाने वाले राजा लक्ष्मण सिंह के खिलाफ विद्रोह में मजदूरों की नेता के रूप में लक्ष्मण सिंह के खिलाफ विद्रोह करती हैं और लाखों प्रयत्न और खतरे, उइाने के बाद आखिर कर किसानों को हक दिलाती है। मजदूर की उचित मजदूरी के लिए आवाज उठाती है और सफल भी होता है।

अपने सभी प्रयासों और सभी इच्छाओं को उन्होंने अपनी कृतियों में लिपिबद्ध किया अपने मन के उद्गार को अपनी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों एवं अपने जीवन वृत्तान्त को आत्मकथा के रूप में सुरक्षित किया। रमणिका गुप्ता तत्कालीन समाज में एक स्वतंत्र एवं शिक्षित नारी का उदाहरण स्वरूप है जो दूसरी स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। चाहे जीवन में कितने ही उतार-चढ़ाव क्यों न आएँ परन्तु बिना हार माने अथक प्रयास के लिए प्रेरित करती है।

संदर्भ स्रोतः-

1. गुप्ता, रमणिका, 'हादसे', 2005, राधाकृष्ण प्राइवेट लिमिटेड
2. गुप्ता, रमणिका, आपहुदरी, 2019, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. खेतान, प्रभा, अन्या से अनन्या, 2007 राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली
4. गुप्ता, रमणिका, आदिवासी साहित्य यात्रा, 2016 राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
5. गुप्ता, रमणिका, आदिवासी विकास से विस्थापन, 2015, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
6. गुप्ता, रमणिका, निज घरे परदेसी, 2004/2016 वाणी प्रकाशन
7. दुबे, प्रीती, स्त्री हिन्दी आत्मकथा साहित्य, एक अनुशीलन (इक्कीसवी सदी के विशेष संदर्भ में) 2019

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 25th May 23

भारतीय लोकतंत्र में जनता एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका एवं लोकतंत्र की चुनौतियाँ

अंजू तिवारी*
डॉ.(श्रीमती)शशि त्रिपाठी**

शोध सारांश

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता द्वारा प्रतिनिधियों का अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव किया जाता हे जो देश की शासन और सत्ता में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं परन्तु आज जन-प्रतिनिधियों का नैतिक पतन 'कर्तव्य विमुखम' आम आदमी से लगाव न होने के कारण भारतीय विशेषकर ग्रामीण समाज का आम आदमी हैरान है, प्रमुखतः गरीब उनके लिए राजनैतिक व नागरिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है पुलिस हिरासत में मरने वाले प्रमुखतः गरीब लोग ही होते हें। भारत में मानव अधिकारों के हनन के मामले इतने अधिक है कि उनकी संख्या मालूम करना असंभव है। तंत्र जनता पर हावी हो जाता है। सरकारें बनती है बदलती है नये-नये नारे तैयार किये जाते हैं। पर जातना की स्थिति जैसी की तैसी है उसका मन भारी क्षोम व खिन्नता से भरता जा रहा है। क्या इसी प्रजातंत्र की कल्पना की थी। लोकतंत्र शासन व्यवस्था शासन के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें जनता सर्वोच्च है। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है। भारत में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। 'प्रजातंत्र'' महज एक शब्द नहीं सिद्धांत और व्यवहार भी है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म दर्शन जीवन सभी में प्रजातंत्र समाहित है। यदि वह राजनीति के लिए आदर्श है तो जीवन का अंग भी है।

मुख्य शब्दः-भारतीय, लोकतंत्र, देश, प्रतिनिधि, राजनैतिक, जनता, प्रजातांत्रिक, संसदीय।

प्रस्तावनाः-

भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था सफलता से निरंतर गतिशील है इससे जनमानस की निष्ठा है। पर जन-प्रतिनिधियों में अधिकांश नेता ईमानदार तथा देश भक्त के वे जनता के प्रति समर्पित थे तथा जनता उनकी अपील थी। अपने जन-प्रतिनिधियों की एक झलक पाने के लिए जनता लालायित रहती थी कई किलोमीटर पैदल चलकर मिलने आती थी। उनके एक-एक शब्द

* शोधार्थी राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

उनके लिए प्रेरणा के स्रोत थे। वे अपने नेता के लिए, तन, मन, धन सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे, माह सितम्बर 2014 के अंतिम दिनों में एक राज्य के मुख्यमंत्री के कछित भ्रष्टाचार के न्यायालय ने दोषी पाया जिसके कारण उन्हें पद को छोड़ना पड़ा परन्तु परिणाम कोर्ट के निर्णय के विरोध कई व्यक्ति ने अपने जान तक दे दी और नये मंत्रीमण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में कई मंत्री भावुक मन से व आंसू भरे आंखों से शपथ ली। परन्तु सर्वत्र ऐसा नहीं है यह भी देखने में मिला है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधियों से विश्वास भी घटते देखा गया है।

भारत में लोकतंत्र की यात्राः-

भारतीय संविधान निर्माताओं में से एक डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है, एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वा समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। 26 जनवरी 1950 को उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए भारत में लोकतंत्र की विधिवत् स्थापना हुई। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें विविधता में एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। भारतीय संस्कृति इस विषय में अन्य संस्कृतियों से भिन्न है कि अभी भी भारत अपनी प्राचीनतम परम्पराओं को संजोने के साथ उसमें नवीनता भी लाता है। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है।

भारत दुनिया में एकमात्र राष्ट्र है जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार देकर राजनैतिक न्याय स्थापित कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन जेसे कई लोकतंत्र जिन्होंने राजनैतिक न्याय की स्थापना में वर्षों का समय लगाया है। तंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की कुंजी है क्योंकि चुनाव ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपनी सम्प्रभुता का हस्तांतरण करती हे। भारत अपनी चुनाव प्रणाली पर निश्चित रूप से गर्व कर सकता है। निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की कार्यकुशलता से भारत में सत्ता का समयबद्ध और निर्वाध हस्तांतरण हुआ जबकि भारत के साथ ही स्वतंत्र कई देशों में तानाशाही तथा सैन्य शासन भी लागू हो गया।

आज तक भारत में मात्र एक बार आपातकाल का प्रयोग हुआ जिसमें जनता ने यह महसूस किया की सरकार द्वारा लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है तब भारत की इसी जनता ने आपातकाल का जवाब दिया तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठी। भारत के न्यायालय ने कई बार मूलाधिकारों की रक्षा के लिए संसदीय कानूनों तथा कार्यपालिकीय आदेशों को अवैध घोषित कर देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर लोकतांत्रिक तत्वार्थ को जीवित रखा है।

जन-प्रतिनिधियों की गुणवत्ता के ह्यस के कारणः-

जन-प्रतिनिधियों की गुणवत्ता का ह्यस होता जा रहा है। जन-प्रतिनिधि न तो जनता के प्रति जवाबदेही बन रहे हैं नहीं लोगों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि बन पा रहे हैं। बेरोजगारी बिजली पानी के संकट से जूझता आम आदमी यही सोचता है कि क्या यही है, लोकतंत्र की असली चेहरा अर्थात् आम आदमी हाथिये पर चला गया है। प्रजातंत्र प्रश्नों की परिधि में खड़ा है। लोकतंत्र में 'लोक' शब्द सिमटता, सिकुड़ता जा रहा है और तंत्र जोड़-तोड़ का परिचायक हो चुका है। जन-प्रतिनिधि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा शक्ति नाम व धन कमाना चाहते हैं जो सोचने का विषय है। राजनैतिक अपराधीकरण भ्रष्टाचार राजनैतिक हिंसा किसी भी संदर्भ में कोई न कोई जन-प्रतिनिधि का नाम जुड़ते देखा गया है वह या तो अपराधियों को संरक्षण देता है अथवा स्वयं शामिल होता है। हवाला, काण्डा, दूरसंचार घोटाला, निविदा काण्डा, यूरिया, पशुपालन घोटाला, तहलका काण्ड, ताबूत काण्ड, ईराक का तेल सौदा, रजी घोटाला, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल महाघोटला, कोयला घोटाला इत्यादि मामले हैं जिनमें जन-प्रतिनिधि, सीधे तौर से लिप्त पाए गये है, इससे जनता का जन-प्रतिनिधियों से

विश्वास घटता जा रहा है, जनता पूरे विश्वास से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है वहीं उनके प्रतिनिधि उनके सपनों को छिन्न-भिन्न देते हैं। राजनीतिज्ञों, नौकरशाही और माफिया सरदारों के बीच ऐसा त्रिकोण बनता जा रहा है जो सत्ता पर नियंत्रण करना चाहता है।

आज वर्तमान कालिक परिदृश्य में प्रायः देखने को मिल जाता है कि प्रजातंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद विधानसभा भवनों के अंदर भी संसदो, विधायकों की भूमिका सही मायनों में नहीं हो रही है। संसद विधानसभाओं की खाली सीटे सही समय पर उपस्थित न होना, कोरम का पूना न होना, सदस्यों की निष्क्रियता साबित होती है। परिणामस्वरूप न्यायपालिका का दिनों-दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है संसद भवन में इन लोगों की सकारात्मक भूमिका तो कम हो रही है पर संसदीय लोकतंत्र के विपरीत नये-नये कारनामें हो रहे हैं। विधेयकों के प्रति लड़ना कुर्सी माइक-तोड़ने, मंचों में छोटी-छोटी बातों के लिए संसद का बहिष्कार करना आदि भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक है करोड़ों रुपया संसद की कार्यवाही न चलने देने पर बर्बाद होते हैं जो जनता के खून-पसीने की कमाई होती है, इसके विपरीत अपने स्वार्थ व लाभ की बात होती है तो सब एक हो जाते हैं, पेंशन, वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएँ तथा राजनीति के अपराधीकरण जैसे विधेयक सर्वसम्मति के पास हो जाते हैं जबकि महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल बरसों के अटके हैं। जन-प्रतिनिधियों का नैतिक पतन, कर्तव्य विमुखता, आम आदमी से लगाव न होने के कारण भारतीय गरीब समाज विशेषकर ग्रामीण समाज का आम आदमी हैरान व परेशान है, उनके लिए राजनैतिक व नागरिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है पुलिस हिरासत में मरने वाले अधिकांश गरीब न छोटे तबके के लोग ही होते हैं, भारत में मानव अधिकार के हनन के मामले इतने अधिक है जिसकी संख्या मालूम करना इतना सरल नहीं है। तंत्र जनता पर हावी हो जाता है। सरकारें बनती व बदलती है नए-नए नारे दिये जाते हैं जनता की स्थिति तस की तस है उसका मन भारी क्षोम व खिन्नता से भरता जा रहा है, क्या इसी लोकतंत्र की हम सबने कल्पना की थी।

भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँः-

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने कई आयामों को प्राप्त किया है परन्तु 26 जनवरी 2021 को लालकिले पर होने वाली अराजक घटनाओं ने यह स्पष्अ किया कि भारत में लोकतंत्र के सम्मुख अभी कई चुनौतियाँ हैं।

राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए उसका आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक लोकतंत्र से गठबंध आवश्यक है। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने विकास की समान भौतिक सुविधाएँ मिलें। लोगों के बीच आर्थिक विषमता अधिक न हो और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके। एक ओर घोर निर्धनता तथा दूसरी ओर विपुल सम्पन्नता के वातावरण में लोकतंत्रात्मक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। वहीं सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि सामाजिक स्तर पर विशेषाधिकारों का अभाव हो। परन्तु भारत में अभी भी ये दोनों की स्थापित नहीं हो सके हैं। हमारे देश की 1 प्रतिशत अमीरों के पास देश की 85 प्रतिशत से अधिक सम्पत्ति है देश के 63 अरबपतियों की कुल सम्पत्ति राष्ट्रीय बजट के बराबर हो। इस असमानता के साथ ही देश लैंगिक, जातीय, धार्मिक भेदभाव वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना को रोकता है।

राजनीति का अपराधीकरण तथा चुनाव में धनबल का प्रयोग भारतीय चुनावों की बड़ी समस्या रही है। मौजूदा लोकसभा में 200 से अधिक ऐसे संसद है जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही देश में गरीबी, भ्रष्टाचार चालबाजियों ने लोगों के दैनिक जीवन में निराशा का प्रसार करते हुए चुनाव व्यवस्था को प्रभावित किया है। बाहुबल, धनबल, के बढ़ते हुए महत्व, राजनीतिक जीवन में जातिवाद साम्प्रदायिकता तथा भ्रष्टाचार के प्रभाव में राजनीतिक परिदृश्य को विषावत कर किया है।

भारत की कठिन, दुरुह तथा लम्बी न्यायिक प्रक्रिया ने देश में न्याय में विलम्ब की स्थिति ला दी है। कई बाद कुशासन के कारण न्याय की निष्पक्षता स्वयं करधरे में आ गई है। न्याय में देरी कई बार अन्याय के समान हो जाती है। हमारे न्यायपालिका में लगभग 3 लाख से अधिक मुकदमें लंबित हैं। इसके साथ ही पितृसत्ता, खाप पंचायत जेसी अवधारणाओं ने देश में लोकतंत्र को कमजोर किया है। यह भी एक चिन्ता है कि भारत के समूह की प्राथमिक इकाई परिवार तथा समाज दोनों ही लोकतांत्रिक नहीं रह गए हैं।

निष्कर्षः-

भारत ने महान लोकतांत्रिक उपलब्धियों को हासिल किया है परन्तु स्वतंत्रता के उपरान्त जिन उच्च आदर्शों की स्थापना हमें इस देश व समाज में करनी चाहिए थी, हम आज ठीक उनकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं और भ्रष्टाचार, दहेज, मानवीय घृणा, हिंसा, साम्प्रदायिकता जैसी समस्या अब जीवन का भाग बनती जा रही है। परन्तु हमारा देश प्राचीन काल से ही कई समस्यों को हल करता आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ऐसे में युवाओं को अपनी भागीदारी बढ़ाकर देश, समाज तथा परिवार को लोकतांत्रिक करना होगा।

भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था निरंतर प्रगतिशील है जिस पर जनमानस का अटूट विश्वास है। लेकिन आज वर्तमान समय में लोकतंत्र में लोक शब्द सिकुड़ता जा रहा है जोड़-तोड़ का दौर चालू हुआ है जिससे हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जनमानस का मन कुछ न कुछ दूर अवश्य होता दिखाई दे रहा है लेकिन इसके जिम्मेदार केवल हमारे जन-प्रतिनिधि ही नहीं है अपितु सम्पूर्ण जनमानस इसके जवाबदार है कहीं-न-कहीं आज समाज के शिक्षित और बौद्धिक वर्ग को इस व्यवस्था में सुधार हेतु आगे आना होगा नवीन नीतियों के निर्माण के क्षेत्र में प्रयास करना होगा तभी हम एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूर्णरूप से परिकल्पना कर सकते हैं।

संदर्भ स्रोतः-

1. दैनिक भास्कर सतना संस्करण की विभिन्न संपादकीय
2. साप्ताहिक पत्रिका योजना नई दिल्ली,
3. पाण्डेय, अरुण, हमारा लोकतंत्र और पाने का अधिकार, वाणी प्रकाशन (जयपुर 2020)
4. डॉ. कृष्ण कुमार, भारत वर्तमान परिदृश्य नवीन संस्करण, बुक एनक्लेव जयपुर (2021)
5. फड़िया, डॉ. बी.एल., (2013), भारतीय शासन और राजनीति
6. अवस्थी, डॉ. ए.पी., (2020), भारतीय शासन और राजनीति

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal

IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 25th May 23

OPPORTUNITIES FOR WOMEN EMPOWERMENT THROUGH SELF-RELIANT INDIA

❐ Priyanka Gupta*
❐ Dr. Divya Dwivedi**

ABSTRACT

"Self-reliant" is the representation of Atma Nirbhar Bharat. In his address to the nation on 12th May 2020, Prime Minister Narendra Modi announ. a 20 trillion rupee (equivalent to India's 10% of India's GDP) economic package to recover the covid crisis as part of the Atma Nirbhar Bharat Abhiyan. He gave this to that the economic package would help India become "Self-reliant" and would be advantageous to workers, farmers, law-abiding taxpayers, MSMEs, and cottage industries. Modi ji indicates about 5 pillars of Self-reliant India movement namely- Economy, Infrastructure, Technology driven system, Demographics and Demand. He has given direction to convert the indigenous products in global. It redirects to Vocal for Local. This research paper will provide about self-reliant opportunities and future ambitions about this campaign for women.

Key words: - Self-reliant India, Opportunities for women and 5 pillars of Self-reliant India.

Self-reliant means that a nation can meet all of its residents and businesses needs without relying on outside resources that the nation self-sufficiently generates all the products and services it needs. On the other hand, self-reliance implies that the nation produces enough surpluses to meet its own demands and does not depend on the loans and aid of other nations or organizations for the resources or money needed to buy them.

Objectives of Self-reliant India:-

1. Increase the nation's sense of Self-reliance by strengthening local service providers and manufacturers. Focus on reducing the trade imbalance and improving the exchequer balance to raise living standards.

2. Increase fiscal stimulus to boost the economy in all sectors.

* Research Scholar (Commerce- Applied Business Economics), K.R. Degree College, Mathura, Affiliation- Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra, Contact No.-7905559414/9506123618, Email ID- priyagupta.icai@gmail.com

** Associate professor, College Name- K.R. Degree College, Mathura, Affiliation- Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra, Contact No. 7017969955, Email ID- divyavatsa.kr@gmail.com

3. Having a concentration on land, labor, liquidity, and laws and an emphasis on independence.

4. Provide economic support packages equal to 10% of the Indian GDP and provide special incentives and funding to farmers and small companies who lost much as a result of COVID-19.

According to President Droupadi Murmu, Women's empowerment is crucial to the development and independence of India, speaking on November 16, 2022, at a summit of women's self-help groups in Bhopal. Self-help groups can help women become more independent and increased participation by women. Women contribution will increase for themselves, society, the nation's economy, and government. She continued by saying that the majority of self-help groups are led by women, who also sell their goods both in India and overseas. "Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd (TRIFED) is the channel through which the items created by tribal women are distributed to consumers." The advancement of women in our nation is crucial to the general growth of the nation. Women's contributions would help India become a developed country in the not-too-distant future. Women-led development will open the door for a really independent Bharat. We must not lose sight of the fact that women make up 50% of our population.

The expansion of women's entrepreneurship in India has not kept up with it. In India, women make up only 6% of the country's mass entrepreneurs. Only 27% of these businesswomen report an annual income of more than Rs 10 lakh. However, they only provide 3.09 percent of India's overall industrial production. The macroeconomic growth of women-owned businesses in India is still constrained. Given this, it is possible to view India's growth story as unfinished. Given that women make up approximately half of this section's population, their participation is especially crucial to Voice for Local's success. So, unleashing this growth may have a positive impact on India's Economy and job growth.

The top authority claims that if efforts are stepped up, there might be 31.5 million women-owned businesses by 2030. Within this time frame, 150 to 170 million employments could be produ. if more women started their own businesses. Also, if more women entered the workforce, India's GDP would rise by 16 to 60% by 2025.

5 pillars of Self-reliant India:-

1. Economy-Quantum jumps, not incremental changes

* The government strives to create an economy that causes a quantum leap rather than gradual change.

2. Infrastructure-represents modern India

* Infrastructure should become identity of world-class future India view.

3. Systems-Technology-driven systems

* A systematic technology driven system to build India’s progress.

4. Demography- Vibrant Demography of the largest democracy

* Demography is the best resource to convert the energy in output.

5. Demand- Full utilization of the power of demand & supply

• Each stakeholder in our supply chain needs to be given more leverage in order to increase demand in the nation and meet this demand.

Advantages of Self-Reliant India-

1. By encouraging domestic production, the initiative seeks to make India self-sufficient while also reducing imports and boosting the economy of the nation.
2. The campaign supports neighborhood companies financially and in other ways to promote innovation and entrepreneurship.
3. The Atma Nirbhar Bharat Abhiyan seeks to lessen India's dependency on imports from abroad, particularly in vital industries like defense and technology, which will improve India's national security.
4. The program attempts to promote and protect India's rich cultural heritage through supporting local production and goods.

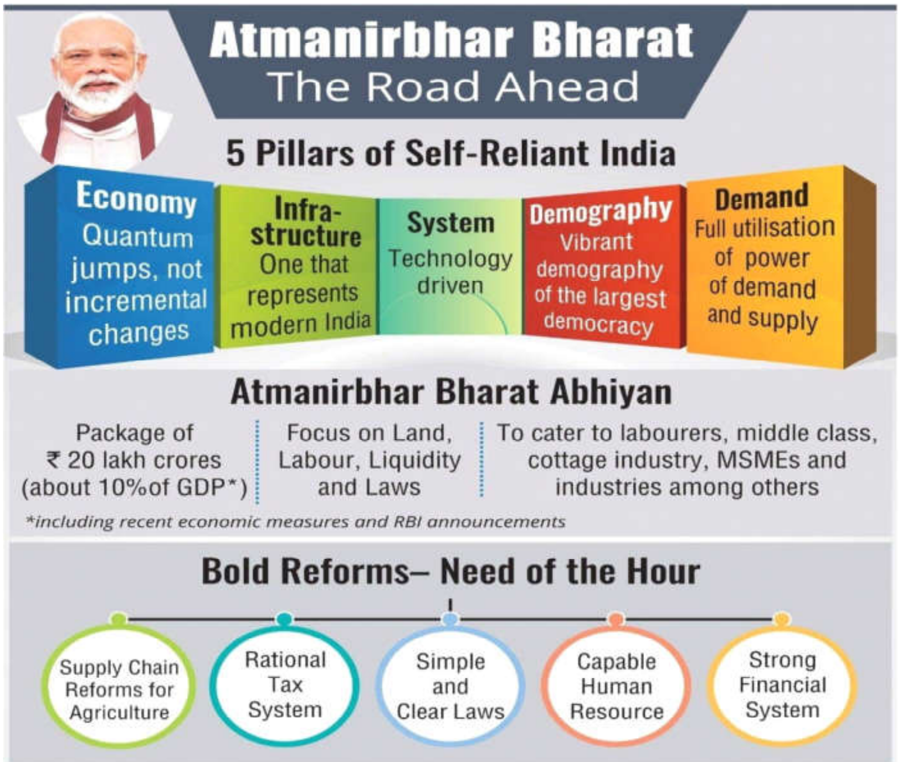

Schemes of Self-Reliant India-

- A 50 lakh rupee insurance policy for each health professional.
- Beginning in May 2020, 80 crores of the impoverished would receive 5 kilogram of wheat or rice each person for three months.
- 20 billion women From May 2020, owners of Jan Dhan accounts get INR 500 per month for three months.
- Eight crore low-income families received free gas cylinders for a period of three months.

- The MNREGA pay was raised from INR 182 to INR 202 per day. 13.62 crore families benefited from this.
- Farmers received a front-loaded payment of INR 2,000 under PM-KISAN. 8.7crore farmers benefited from this.
- The RBI enhan. the State Overdraft Duration Limits and the State Ways and Means Advance Limits by 60% each.
- Three-month moratorium on making payments for installments and interest on any Term Loans' Working Capital Facilities.
- An amount of INR 3 lakh crores Collateral-free automatic loans for businesses, including MSME.
- A lending ceiling of Rs. 25,000 crores was allowed for 25 lakh new Kisan Credit Cards.
- From March through April 30, 2020, 63 lakh loans totaling Rs. 86,600 crores were approved for use in agriculture.
- An increase in emergency working capital of Rs 30,000 crore for farmers through NABARD

The need for more female labor force involvement, along with India's fast expanding innovation and digitalization environments, call for efforts to support women's employment and entrepreneurship are as important avenues for attaining economic growth. Moreover, innovation fosters increased competitiveness and generates new firms. In order to boost India's potential for innovation, research and development is a focus area that has continuously seen additional financing from the budget. Self-reliant India will improve the ranking of gender employment percentage in comparison to other countries. They will lead in future India's vision in technology and supports in the vision future growth possibilities. Ironically, implementing the government's desire for Atma Nirbharta (self-reliance) requires sophisticated global inter linkages and possibly even denser global networks for a country that homes a sixth of humanity.

References:-

https://smefutures.com/atmanirbhar-bharat-chronicles-of-women-entrepreneurs-powering-self-reliant-india-through-innovation-and-entrepreneurship/

https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/youth2020/atmanirbhar-bharat-and-women-empowerment-26777/

https://newsonair.gov.in/Main-News-Details.aspx?id=450950

https://www.livemint.com/news/india/participation-women-essential-for-india-to-become-self-reliant-president-11668592586629. html

https://www.ibef.org/blogs/self-reliant-india-movement-an-opportunity

https://www.investindia.gov.in/atmanirbhar-bharat-abhiyaan#:~ :text=The%20aim%20is%20to%20make,System%2C%20 Vibrant%20Demography%20and%20Demand.

https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/relevance-of-atmanirbharata

https://byjusexamprep.com/upsc-exam/atmanirbhar-bharat-abhiyan

https://www.shareyouressays.com/essays/essay-on-self-reliance-in-india-progress-and-objectives/138

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th Apr 23 Paper Accepted : 10th May 23

''महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास का एक अध्ययन''

❒ अंजू तिवारी*
❒ डॉ.(श्रीमती)राशि त्रिपाठी**

शोध सारांश

महिला सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है, जिसमें महिलाओं के लिए सर्व सम्पन्न और विकसित होने हेतु सम्भावनाओं के द्वार खुले हो। भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएँ, शिशुपालन, प्राकृतिक संसाधन, पैकिंग सुविधाएँ, कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। आज भारत की लगभग 65 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षा के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने की पुरजोर कोशिश में लगी है। वह दुनिया के कोने-कोने में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान रखती है व अपने जीवन जीने के तरीके में आमूल परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक है।

मुख्य शब्दः-महिला, सशक्तिकरण, ग्रामीण, विकास, अध्ययन, प्राकृतिक, संसाधन, पैकिंग, सुविधाएँ, कानूनी।

प्रस्तावनाः-

21वीं सदी में प्रवेश के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन एवं विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के साथ महिला अधिकारों को सुरक्षित रखने हे सरकार द्वारा निरंतर प्रयास जारी है। गाँवों का विकास स्त्री शिक्षा पर ही आधारित है। यदि गाँवों की प्रगति हम चाहते हैं तो गाँवों को शहरों से जोड़ा जाना चाहिए और यह कार्य तभी संभव है, जब ग्रामीण स्त्रियाँ शिक्षित होगी।

पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने महिलाओं को भारत में साक्षरता और शिक्षा में प्राथमिकता देने की वकालत की है। उनका कहना है कि समाज को सही मायनों में विकसित करना है तो इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। महिलाओं की साक्षरता की दर में कमी पर भी गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि 19वीं सदी के शुरु में भारत साक्षरता की दर सिर्फ 05.35 फीसदी की आजादी के समय यह 18.33 और वर्तमान में 73.00 प्रतिशत है किन्तु महिला और पुरुषों की साक्षरता दर में काफी अंतर है।

देश के लगभग 5 लाख गाँवों में निवास करने वाली 70 प्रतिशत आबादी में आधी संख्या महिलाओं की है, जिनका जीवन आज भी कठिन व चुनौतीपूर्ण

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, शास.ठा.रण.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
** प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शास.ठा.रण.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

है। वे आज भी सामाजिक, आर्थिक वंचनाओं के बीच जीवन-यापन कर रही हैं। उनमें साक्षरता की कमी, कुपोषण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, प्रशिक्षण व कौशल का अभाव, राजनीति में आधी-अधूरी भागीदारी इत्यादि स्पष्ट दिखाई देती रही है। ऐसी हसिये में मौजूद ग्रामीण महिलाओं का विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिस पर हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही ध्यान केन्द्रित किया गया, क्योंकि यह सर्वविदित है कि आधी आबादी महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। लगातार सरकार व सरकारी प्रयासों के साथ-साथ स्वयं के अनुवरन् संघर्ष के चलते महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र स्वयं को शाषित किया है। ग्रामीण महिलाएँ भी इसमें पीछे नहीं है उनमें साक्षरता बढ़ी है, स्व-रोजगार की दिशा में अग्रसर है, पंचायतों में नेतृत्व संभाल रही है, उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है, उनमें सामाजिक जागरुकता आइ है, कुरीतियों के विरोध में वे डटकर खड़ी रहती है, किन्तु लैंगिक भेदभाव के चलते यह परिवर्तन बहुत धीमा है।

ग्रामीण विकास से तात्पर्यः-

ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण भू-दृश्य के सम्पूर्ण प्रत्यावर्तन से है। इसीलिए इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक स्वास्थ्य अव्यवस्थापना तत्वों का विकास और शोषण रहित सामाजिक न्याय पर आधारित संरचनात्मक तत्वों का मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूपांतरण सम्मिलित है। भारत गाँवों का देश है। औरत रूप में तीन-चैथाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसीलिए जब तक गाँवों का पूर्ण विकास नहीं हो जाता तब तक देश में आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में ग्रामीण विकास से ही राष्ट्रीय विकास अक्षय स्वरूप प्राप्त करता है। ग्रामीण अर्थतंत्र में कृषि आधारित तत्व है। इसलिए कृषि में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि ग्रामीण विकास हो आधार स्तम्भ है।

भारत में स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने अपने अधिवेशनों में अंग्रेजों द्वारा थोपी गयी शोषक व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की थी। हमारे राष्ट्रीय नेतओं जिनमें महात्मा गाँधी, पं. नेहरु तथा सुभाषचन्द्र बोस प्रमुख है, ने ग्रामीण विकास के समर्थन तथा किसानों पर बढ़ती हुई मालगुजारी के विरोध में अनेक आंदोलन किये। महान कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर में ग्रामीण विकास के लिए शांति निकेतन में ग्रामीण सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की। रवीन्द्रनाथ टैगोर का उद्देश्य ग्रामीण जनता में उत्साह तथा नई क्रांति लाना था, ताकि वे स्वावलम्बी बन सके। इसी प्रकार महात्मा गाँधी ने भी ग्रामीण विकास के लिए अभियान सेवाग्राम 1931 में प्रारंभ किया। गाँधी जी के सेवाग्राम का मुख्य लक्ष्य मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामों को पुनर्निर्मित करने स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना था।

भारत में गाँवों के पुनर्निर्माण के संदर्भ में 1920 में महात्मा गाँधी ने वृद्धा शिक्षा कार्यक्रम चलाया था। 1921 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन में ग्रामोन्नति कार्यक्रम चलाया था। ग्रामोन्नति कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, कुटीर उद्योगों, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए कार्यक्रम संचालित किये जाते थें। इसी प्रकार 1924 में अल्वर्ट मेयर ने इटावा में इटावा अग्रगामी कार्यक्रम चालू किया था। इसके माध्यम से गाँव के निवासियों में सामुदायिक भावना, स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास की भावना जाग्रत करने का प्रयास किया गया। 1946 में मद्रास में फिरका ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। फिरका कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, कृषि में सुधार तथा सांस्कृतिक विकास करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार में ग्रामीण विकास प्रमुखता प्रदान की तथा इस संदर्भ में विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये—

तालिका क्रमांक 1

क्र.	आयोजित कार्यक्रम	सन्
1.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	2 अक्टूबर 1952
2.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1976-77
3.	ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना	5 अगस्त 1979
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्व-रोजगार कार्यक्रम	2 अक्टूबर 1980
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बाल-विकास के कार्यक्रम	1982-83
6.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	15 अगस्त 1983
7.	जवाहर रोजगार योजना	अप्रैल 1989
8.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	1992
9.	सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम	1973-74
10.	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	1977-78
11.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1993-94
12.	गंगा कल्याण योजना	1 फरवरी 1997
13.	सामूहिक जीवन योजना	1995-96
14.	स्वर्ण जयंती ग्राम योजना	1997-98
15.	ग्रामीण आवास योजना	1999-2000
16.	अन्नपूर्णा योजना	19 मार्च 1999
17.	सम्पूर्ण ग्रामीण स्व-रोजगार योजना	25 सितम्बर 2001
18.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	2 फरवरी 2006

ग्रामीण महिलाओं की स्थितिः-

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास पर केन्द्रित प्रस्तुत शोध-पत्र के प्रथम भाग में ग्रामीण महिलाओं का शैक्षणिक विकास, द्वितीय भाग में आर्थिक विकास, तृतीय भाग में राजनैतिक सहभागिता, चतुर्थ भाग में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं पाँचवें भाग में सामाजिक विकास पर चर्चा की गई है और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

1. ग्रामीण महिलाओं का शैक्षणिक विकासः-

शिक्षा मानवीय विकास का केन्द्र बिन्दु है। सदियों से शिक्षा के अभाव में ग्रामीण महिलायें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र-आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक इत्यादि में शोषण व अन्याय का शिकार हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था कर दी गई थी। इसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी महिला शिक्षा के विभिन्न प्रयास किये गये जैसे- अनौपचारिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, पोषाहार राष्ट्रीय कार्यक्रम, लोक जुंविश कार्यक्रम, शिक्षाकर्मी परियोजना, महिला सभाख्या कार्यक्रम इत्यादि। वर्तमान समय में सर्वशिक्षा अभियान महिला शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण महिलाओं का शैक्षणिक विकास तालिका से स्पष्ट होता है—

तालिका क्र.2
ग्रामीण महिलाओं का शैक्षणिक विकास
(साक्षरता दर प्रतिशत में)

वर्ष	महिला	पुरुष
1951	08.60	04.90
1961	29.10	08.60
1971	33.70	13.10
1981	17.97	40.79
1991	24.40	47.40
2001	46.56	71.18
2011	64.60	80.00

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

तालिका से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के सार्थक प्रयासों के चलते ग्रामीण महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में पर्याप्त अंतर आया है, वे कठिवादी परंपराओं को लाघ कर आगे आई है। उनमें गुणात्मक परिवर्तन का आता शुरू हुआ है। अपनी हर भूमिका में वे अपनी परंपरागत छवि को कही पीछे छोड़कर एक-दूसरे ही रूप में सामने आई है। साक्षरता के कारण आया आत्मविश्वास साफ झलकने लगा है। लेकिन दूसरी और एक कड़वी सच्चाई यह है कि स्त्री-पुरुष साक्षरता में विगत दशकों से एक निश्चित अंतराल लगातार बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में किये गये एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में प्रवेश लेने वाली 100 बालिकाओं में से कक्षा पाँच तक पहुँचते उनकी संख्या एक तिहाई रह जाती है, आठवी तक मात्र 18, दसवी तक 8 और 12वीं तक केवल 1 या 2 छात्रायें ही पहुँच पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने वाले लैंगिक भेदभाव को लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण माना जाता है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षो के सरकारी प्रयासों के चलते स्कूलों में लड़कियों की नामांकन संख्या बढ़ी हैं स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर वे उच्च शिक्षा की ओर भी अग्रसर हो रही है।

2. ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकासः-

भारत गाँवों का देश है। देश की 74.03 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है, जिसमें आधी जनसंख्या महिलाओं की है। किन्तु श्रमशक्ति की बात करे तो 2001 के आँकड़ों के अनुसार कुल रोजगाररत् 31.09 करोड़ जनसंख्या में महिलाओं की संख्या केवल 11.14 करोड़ है। जिसका स्पष्ट अर्थ है कि कुल श्रमशक्ति में एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी है क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री व पुरुष की जिम्मेदारियाँ व उनके लिये भौतिक संसाधनों की उपलब्धता भिन्न है। भारत ही नहीं विश्व के अधिकांश समाजों में सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के चलते घरेलू कार्य परिवार की देशभाल व सामुदायिक कार्यों की जिम्मेदारी महिलाओं की है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्यसेन के अनुसार महिलाओं को घर के बाहर जो भी कार्य मिलते हैं वे निचले दर्जे के होते हैं तथा वेतन पुरुषों से भी कम मिलता है। विकासशील देशों में 70-80 प्रतिशत लघु उद्योग महिलाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं। ग्रामीण भारत में भी 90 प्रतिशत कार्यशील महिलाओं की आबादी लघु व कुटीर उद्योगों में लगी हुई है। लेकिन अधिकांश महिलायें कम आय वाले कार्यों में तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम 1976 में लागू होने के बाद भी स्त्री व पुरुष की मजदूरी में पयाप्त अंतर पाया जाता है। ग्रामीण भारत में मजदूरी रिपोर्ट 2006 के अनुसार स्त्री व पुरुषों को मिलने वाली मजदूरी में 27.06 प्रतिशत का अंतर पाया जाता है।

दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाये घरेलू खेती बाड़ी, पशुपालन, ईंधन बटोरने तथा कुटीर उद्योग जैसे कार्य में लगी हुई है उन्हें रोजगार की श्रेणी में भी नहीं माना जाता। महिलाओं के अधिकांश कार्यो की गणना का आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जाता। यदि ऐसे कार्यों की गणना की जाये तो ग्रामीण क्षेत्रों में 88 प्रतिशत व शहरों में 68 प्रतिशत महिलायें आर्थिक दृष्टि से उत्पादक है। फसल के मौसम में एक महिला

घर के कार्यों के साथ कृषि कार्य में सहभागिता करते हुए लगभग 15 घण्टे कार्य करती है जबकि पुरुष मात्र 7-8 घण्टे कार्य करता है किन्तु फसल प्रबंधल, फसल की आय पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता है। इसी प्रकार जब रोजगार की तलाश में पुरुष गाँवों से पालयन करते हैं तो महिलायें घर की जिम्मेदारी के साथ-साथ खेती, पशुपालन आदि का भी कार्य करती हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही महिलाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं एवं अन्य सरकारी प्रयासों का क्रियान्वयन निरंतर जारी है।

3. पंचवर्षीय योजनायें एवं ग्रामीण महिलाओं का विकासः-

संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही महिलाओं पर ध्यान दिया किन्तु इस समय दृष्टिकोण विकास से ज्यादा कल्याण में था, इसीलिए कल्याण के दृष्टिकोण से नीतियाँ बनाई गई। वर्ष 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर विशेषकर ग्रामीण निर्धन महिलाओं व बच्चों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना से भी सरकार का नजरिया कल्याण कारी था। एक लम्बे समय तक इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया। छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) के आते-आते तक वर्ष 1975 के अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, 1974 में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट एवं विभिन्न महिला संगठन के प्रयासों से चलते अब सरकार का दृष्टिकोण कल्याण के बदले विकास हो गया और अब शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार पर जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी (1985-90) में भी महिलाओं के लिए विकासात्मक कार्यक्रम बनाये गये, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति में सुधार कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना था। इसके लिए सरकार में विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थी जनित योजनाओं को बढ़ावा दिया जिससे कि किसी भी योजना का लाभ सीधे महिला को मिले। इसके साथ-साथ शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिये महिलाओं के कौशल व तकनीकी दक्षता पर भी जोर दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना यद्यपि मानव विकास पर केन्द्रित की लेकिन इससे यह प्रयास किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले लाभों से महिलायें वंचित न रहे। नवमीं पंचवर्षीय योजना (1987-2002) में महिला संबंधी नीतियों में दो महत्वपूर्ण बदलाव आये।

1. महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई, जिसके तहत योजना का काम ऐसा वातावरण तैयार करना था जिससे महिलायें घर के भीतर व बाहर समान रूप से भागीदारी कर सकें।

2. इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा योजनाओं का विलय कर दिया गया व राज्य सरकारों को ऐसे कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिये गये जिसमें सभी विकास कार्यक्रमों व योजनाओं में महिलाओं की 30 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। दसवीं योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये तीन मुख्य लक्ष्य रखे गये। सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं के लिये समान न्याय। इसके बाद ग्यारहवीं योजना में महिला सशक्तिकरण को समावेशी और समेकित विकास के साथ सामाजिक व राजनैतिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ा गया।

पंडित नेहरु के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिला विकास की कल्पना संभव नहीं है सच भी है। महिला सशक्तिकरण के लिये बहुत जरूरी है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर हो। सरकार के द्वारा ग्रामीण महिलाओं की आय व स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे नोराड, राष्ट्रीय महिला कोष, स्व-सहायता समूह स्वयं-सिद्धा, स्व-शक्ति परियोजना, महिला प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम सहयोग, स्वावलंबन, स्वर्ण जयंती स्व-रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इत्यादि। महिला व बाल-विकास विभाग

के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संगठित कर 650 ब्लाक में स्वयंसिद्धा योजना चलाई गई। इसके माध्यम से स्व-सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण निर्धन महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया गया। स्व-शक्ति योजना के माध्यम से समूहों का गठन कर महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जारी है। स्वावलंबन कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को गैर-परंपरागत क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व-रोजगार के लिये प्रेरित करना है। इसके लिये ग्रामीण महिलाओं को स्वयंसेवी अथवा गैर-सरकारी संगठन द्वारा कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, घड़ियाँ, रोडियो व टी.वी. ठीक सा हाथ करघा कार्य, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में अन्य सभी कार्यक्रमों को समाहित कर दिया है व महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण ऋण, तकनीकी संसाधन, बाजार आदि तक की सुविधायें महिलाओं को प्रदान की जा रही है। समूह की बचत को ही उधार लेन-देन में इस्तेमाल किया जाता है। उनके लिए एस.एच.जी. बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत रिवाल्विंग फंड बैंक ऋण व सब्सिडी जेसी सुविधायें मुहैया कराई जाती है। इसके साथ ही ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जेडर वजटिग जैसी अवधारणा को पोषित किया गया है।

ग्रामीण महिलाओं की राजनैतिक सहभागिताः-

महिलाओं की उन्नति व विकास के लिये आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सहभागिता हो। लेकिन भारतीय समाज का गहराई से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सभ्य शिक्षित नगरीय समाजों में भी महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है तब ग्रामीण समाज में जहाँ सदियों में पर्दा प्रथा प्रचलित रही हो, पारिवारिक निर्णय संयुक्त परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथ में रहा हो, वहाँ राजनैतिक सहभागिता का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि पिछले कई दशकों से चले आ रहे महिला आंदोलनों के चलते कई महिलायें राजनीति के क्षेत्र में आई हैं पर उनकी संख्या बहुत कम रही है।

तालिका क्र. 3
पंचायतों में महिलाओं की स्थिति

क्र.	पंचायत स्तर	संख्या	चयनित प्रतिनिधि	महिलायें
1.	जिला	542	15613	5810
2.	मध्य स्तर	6094	156794	58191
3.	ग्राम	232855	26455883	975057
4.	कुल	239491	2818290	1039058

ग्रामीण महिलाओं के विकास में संविधान का 73वाँ और 74वाँ संशोधन कर ऐतिहासिक कदम है इसमें देश भर की शहरी व ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिला। इससे ग्रामीण स्तर पर करीब दस लाख महिलाओं ने नेतृत्व की कमान संभाली। इनमें से 75000 महिलायें ग्रामीण, ब्लाक व जिला स्तर पर अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इस प्रकार ग्रामीण महिलायें जो अब तक उपेक्षित रहने को मजबूर थी उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण देकर केवल सदस्य के रूप में नहीं बल्कि पंचायत के मुखिया के रूप में चुने जाने का अवसर प्रदान किया है। इसके माध्यम से हाशिये पर बैठी ग्रामीण महिला को स्थानीय

स्तर पर जरूरतें पूरी करने के लिये अवसर मिला, जिससे लोकतंत्र में मजबूती आई है। पंचायतों में महिला आरक्षण नीति ने ग्रामीण महिलाओं की तकदीर व तस्वीर भी बदली है। यद्यपि विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों से यह बात उभर कर सामने आई है कि महिलाओं को अभी इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। अधिकांशतः वे बैठकों में उपस्थित नहीं होती या होती भी है तो अपनी निरक्षरता के चलते प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रही है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन में परिवर्तन ला दिया है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में दलित, आदिवासी, पिछड़ी तथा मुस्लिम महिलायें भी हैं। ए.सी.नीलसन, ओ.आर. श्री मार्ग के अध्ययन से पता चलता है कि पंचायती राज संस्थाओं में बड़ी संख्या में वी.पी.एल. और निरक्षर उम्मीदवार भी है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं ने अपनी प्रतिभा समर्पण व कार्यकुशलता से सभी को परिचित कर दिया है। पितृसत्तात्मक में महिलाओं द्वारा सत्ता चलाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे वे बखूबी निभा रही है। इन महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, शराबखोरी, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। इसके अलावा दोपहर का भोजन कार्यक्रम, सर्वशिक्षा, अभियान, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रोजगार गारंटी योजना आदि के क्रियान्वयन में भी फर्क पड़ा है। समग्र रूप से देखे तो स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता के चलते उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है। आत्मविश्वास और जोश से भरी हुई ये महिलायें आस-पास की घटनाओं के प्रति सजग हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनैतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत की महिलाओं का स्थान 128 देशों में 21वें स्थान पर है।

ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक विकासः-

परंपरागत ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में महिलायें जन्म के पूर्व से ही लैंगिक भेदभाव का शिकार रही है। जन्म के पश्चात् बचपन से ही भोजन व शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता हैं अल्प आयु में ही परिवार के आर्थिक कार्यों में सहयोग करना पड़ता है। कम आयु में ही वैवाहिक व पारिवारिक दायित्वों के कारण उनके शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास में बाधा पहुँचती है। परंपरागत तरीके से वे लगभग 18 घण्टे काम करती है। कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण सहभागिता निभाती है। इन सबके बावजूद समाज में उनकी स्थिति दोयम दर्जे की रही है। लेकिन भारतीय समाज में आये क्रांतिकारी परिवर्तनों के इस दौर में ग्रामीण महिलायें विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। इस दिशा में सरकार द्वारा सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये—

1. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये प्रसव पूर्व जाँच तकनीकी अधिनियम 1994 जिसे वर्ष 2002 में संशोधित कर कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित किया गया।
2. रोजगार के समान अवसर व समान कार्य के लिये समान वेतन का निर्धारण किया गया।
3. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिये विशेष योजनायें/कार्यक्रम बनाये गयें।
4. महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षण के लिये विशेष कानून बनाये गयें।
5. पंचायती राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया गया।
6. महिला स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान दिया गया।

निष्कर्षः-

21वीं सदी में महिलायें एक ताकत के रूप में उभर रही हैं। इससे रूठे गाँवों से लेकर नगरों तक की महिलाओं में प्रभावी परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

दस वर्ष पूर्व राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2000 व अन्य शोध के आधार पर महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही गई थी-

1. राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को उपलब्ध नहीं है।
2. समूहों में संगठित न होने के कारण अलग पड़ जाती है।
3. ऋण या संसाधनों तक उनकी पहुँच नहीं है।
4. शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव है।
5. महिलायें, कुपोषण का शिकार है।
6. गाँवों में आयातकालीन चिकित्सा सुविधा का अभाव है।
7. जीवन का विषम परिस्थितियों में सामाजिक सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है।

वर्ष 2000 से केवल 10 वर्षों बाद उक्त मुद्दों के संबंध में ग्रामीण महिलाओं के विकास संबंधी निम्नलिखित तथ्य उभरकर आते हैं। इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं के विकास के संदर्भ में निष्कर्षतः रूप में हम पाते हैं कि ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता बढ़ी है और वे स्व-रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही है। ग्रामीण नेतृत्व पूरी क्षमता के साथ कर रही है। उनमें राजनैतिक समस्याओं के प्रति जागरुकता बढ़ी है। शिक्षा के चलते उनके विचारों में परिवर्तन आया है। ग्रामीण महिलाओं की परंपरागत स्थिति एवं भूमिकाओं में परिवर्तन आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण महिलायें शिक्षा के महत्व को समझने लगी है। कभी स्वयं लैंगिक भेदभाव का शिकार रही ये महिलायें स्वयं इस भेदभाव को दूर कर लड़कियों को भी समान महत्व दे रही हैं। लड़कियों के भविष्य के लिये परिवार अब अधिक जागरुक हो गये हैं। स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है।

अतः यह कहा जा सकता है कि देश का आर्थिक विकास ग्रामीण विकास पर निर्भर है तथा ग्रामीण विकास ग्रामीण महिला सशक्तिकरण पर निर्भर है।

संदर्भ स्रोतः-

1. बनर्जी, एन.के., (2002) ग्रासरुर एम्पावरमेंट ए डिस्कशन पेपर
2. हैड़ी, फेमिडा (2004) वूमेन्स एम्पावरमेंट इन करल इंडिया।
3. इना फीमेन नैसी हिंगनसन (2007), माइक्रोक्रेडित यू द फेमिनिस्ट लेंस
4. एस अखिलेश (2010) महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा गायत्री पब्लिकेशन रीवा (म.प्र.)
5. शर्मा, प्रज्ञा, महिला विकास और सशक्तिकरण (2001) आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर।

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 10th May 23
Paper Accepted : 25th May 23

भारतीय नारियों की महान प्रेरणा : कस्तूरबा गांधी

❐ डॉ. पूनम मिश्रा*
❐ श्रीमती अंजली पाण्डेय खरे**

शोध सारांश

कस्तूरबा गांधी, भारत के महान नेता महात्मा गांधी की अर्धांगिनी और सहधर्मिणी थीं। कस्तूरबा जी त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति थी। देश की आजादी के खातिर उन्होंने गाँधी जी का पूरा सहयोगकियाथा। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी से उम्रमें छः महीने बड़ी थीं। जब कस्तूरबा का मोहनदास से विवाह हुआ तब उनके ससुर राजकोट में दीवान थे। कस्तूर के माता-पिता ने उनका विवाह यही सोचकर कराया था कि कस्तूरबा का विवाह एक अच्छे, प्रतिष्ठित और भरे-पूरे परिवार में हो रहा है।

कस्तूरबा का परिवार वैष्णव मत का अनुयायी थाइसलिए कस्तूरबा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली थीं। जिस समय कस्तूरबा महात्मा गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में निवास कर रही थीं तभी दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें कहा गया कि जिन स्त्रियों के विवाह 'मैरिज अफसर' के दफ्तर में रजिस्टर नहीं है, उन स्त्रियों के विवाह को अवैध माना जाएगा और केपटाउन में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस कानून की वजह से अनेक विवाह अवैध हो गए, पत्नी को अब रखैल माना जाने लगा, जो किसी भी पत्नी के लिए अपमानजनक बात थी। महात्मा गांधी जी ने इस कानून को बदलने के लिए सरकार से अपील की लेकिन सरकार ने इसको ठुकरा दिया जिस वजह से गांधी जी ने सत्याग्रह करने का फैसला किया।

इस विषय में गांधी जी ने 'दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास' नामक पुस्तक में लिखा है, 'मैं जानता था कि बहनों को जेल भेजने का काम बहुत ही खतरनाक था। ....मैंने तय किया कि मैं अपनी पत्नी को हरगिज नहीं ललचाऊंगा। वे इंकार भी नहीं कर सकतीं थीं और हां कह दें तो उस हां की भी कितनी कीमत आंकी जाए, सो मैं कह नहीं सकता था। ....पत्नी ने मुझसे कहा, 'आप मुझसे इस बात की चर्चा नहीं करते, इसका मुझे दुख है। मुझमें ऐसी क्या खामी है कि मैं जेल नहीं जा सकती? मुझे भी उसी रास्ते जाना है, जिस रास्ते जाने की सलाह आप इन बहनों को दे रहे हैं।' मैंने कहा, 'मैं तुम्हें दुख पहुंचा ही नहीं सकता।

* शोध निर्देशक, प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी (इतिहास), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

इसमें अविश्वास की भी कोई बात नहीं। मुझे तो तुम्हारे जेल जाने से खुशी ही होगी,.... बस इस भय के कारण ही मैंने तुम्हें ललचाया नहीं।' कस्तूरबा जी ने कहा, 'मैं हार कर छूट जाऊं, तो मुझे मत रखना। मेरे बच्चे तक सह सके। आप सब सहन कर सकें और अकेली मैं ही न सह सकूं, ऐसा आप सोचते कैसे हैं? मुझे इस लड़ाई में शामिल होना ही होगा। आपको शामिल करना ही होगा। गाँधी ने कहा मेरी शर्त तो तुम जानती ही हो। मेरे स्वभाव से भी तुम परिचित हो। अब भी विचार करना हो तो कर लेना और भली-भांति सोचने के बाद यदि तुम्हें लगे कि शामिल नहीं होना है तो समझना कि तुम इसके लिए आजाद हो, साथ ही साथ यह भी समझ लो कि निश्चय बदलने में अभी शर्म की कोई बात नहीं।' कस्तूरबा ने जवाब दिया, 'मुझे विचार-विचार कुछ नहीं करना है। मेरा निश्चय ही है।'

कस्तूरबा जी की चरित्र की दृढ़ता यह उनकी एक विशेषता थी। कस्तूरबा गांधी जी जो भी कार्य करने की सोचती थी, उसे वह हर हाल में करती थी। जब कस्तूरबा जी को पता चला की महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय महिलाएं जेल जाने के लिए तैयार हैं तो फिर वह स्वयं कैसे पीछे रह सकती थीं जबकि उस समय बीमारी की वजह से कस्तूरबा जी का शरीर कमजोर हो गया था। अपने इस दृढ़ निश्चय से कस्तूरबा जी 4 अन्य सत्याग्रही बहनों के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के इस कानून को तोड़ने के लिए निकल गयी और वॉल क्रस्ट में दाखिल हुई। वॉल क्रस्टमें शामिल होने से उन्होंने सीमा का उल्लंघन कर दिया था जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कस्तूरबा जी को जेल में जो खाना मिलता था, उसको खाने से कस्तूरबा जी ने मना कर दिया था क्योंकि वह खाना गंदे बर्तनों में आता था अतः कस्तूरबा जी ने खाना की जगह फलों की मांग की थी लेकिन उनकी इस मांग को इनकार कर दिया गया। वहां की जेल वार्डन ने उनसे कहा अगर मनपसंद खाना चाहिए था तो जेल में आने की क्यों सूझी, यहां तो कैदियों को मिलने वाला खाना खाना है, तो खाओ, अन्यथा भूखी मरो। इस पर कस्तूरबा जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर उनको फलाहार मिलेगा तो वह खाएंगी, नहीं तो वह उपवास करेंगी। इस तरह से कस्तूरबा को जेल में फल नहीं दिए गए जिससे कस्तूरबा ने उपवास किया और उनको उपवास करते हुए 3 दिन हो गए थे। अब कस्तूरबा को अन्य जेल में लाया गया यहां भी कस्तूरबा ने उपवास जारी रखा अंत में सरकार को झुकना पड़ा और पांचवे दिन कस्तूरबा को जेल में फलाहार दिया गया लेकिन फल बहुत ही कम थे जिसकी वजह से कस्तूरबा का आधा पेट भरता था। कस्तूरबा गांधी 3 महीने जेल में रही और उपवास रखने से उनका शरीर कमजोर हो गया और वह सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी।

22 दिसंबर 1913 को कस्तूरबा जब जेल से बाहर आई तो महात्मा गांधी जी उनके स्वागत के लिए जेल के फाटक पर थे। उस समय का वातावरण बहुत गंभीर था जिसको हल्का करने के लिए गांधीजी ने परिहास में कहा कि तुम तो बहुत बूढ़ी लग रही हो। गांधीजी ने भले ही यह मजाक में कहा था, लेकिन यह सच था कि कस्तूरबा उपवास और बीमारी की वजह से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। जेल से बाहर आने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद सीनेट में एक प्रस्ताव को पेश किया गया और रिलीफ बिल पास करवाया गया। इस बिल के अनुसार भारत में वैध माने जाने वाले विवाहों को दक्षिण अफ्रीका में भी वैध माना जाने लगा,इस तरह से कस्तूरबा का सत्याग्रह सफल हुआगया। महात्मा गांधी जी आश्रम की स्थिति को संभालने और सुधारने के लिए कभी-कभी उपवास भी किया करते थे। वह वर्ष के अधिकतर दिनों में उपवास करते थे, इसमें कस्तूरबा महात्मा गांधी जी का पूरा सहयोग करती थीं। कस्तूरबा के उपस्थिति से ही गांधी जी को एक नई ऊर्जा मिलती थी और एक नया

जीवन और नई दिशा मिलती थी। कस्तूरबा गांधी जी की सहनशीलता उनका धैर्य त्याग की वजह से गांधीजी को सत्याग्रह में सफलता मिली।

कस्तूरबा जी और महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए बहुत समय हो गया था अब गांधीजी का मन अपने देश की ओर जाने का होने लगा था। 09 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आएं गांधीजी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। आश्रम में कस्तूरबा जी अपने बच्चों के साथ रहने लगी थी और जो उनके साथ अन्य सहयोगी थे,वह भी उसी आश्रम में रहने लगे थे। महात्मा गांधी जी अस्पृश्यता को और असमानता को मानव जाति का घोर शत्रु मानते थे इसीलिए उन्होंने आश्रम में रहने वालों के लिए कुछ नियम बना दिए थे। जिसके अनुसार अगर कोई अछूत है, वह आश्रम में आकर रह सकता है। उनके इस नियम से सभी आश्रम वासियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कस्तूरबा को भी इस नियम से आश्चर्य हुआ क्योंकि इस आश्रम में एक अछूत परिवार निवास करने के उद्देश्य से आया था। जिसको गांधीजी ने उस आश्रम में प्रवेश की अनुमति दे दी थी, इस विषय में प्रसिद्ध लेखिका वनमाला पारेख ने अपनी पुस्तक 'हमारी बा' में लिखा है, आश्रम में अछूत परिवार के साथ रहने में बा को और दूसरी बहनों को मन ही मन थोड़ी झिझक महसूस हुई, पशुओं को छूने में उन्हें कोई आपत्ति ना थी लेकिन उनको रसोई घर में और परिवार में दाखिल करते समय अपने पुराने वैष्णवी संस्कार बाधक बनते थे। प्याले से मुंह लगाकर पानी पीने के बाद उसे मांजना ही चाहिए अगर बिना मांगे वह पनियारे पर रख दिया जाए तो बापू को उससे बहुत दुख होता था। थाली में भोजन परोसते समय परोसने की चम्मच भोजन की थाली में जरा भी छू जाए तो वह चम्मच झूठा माना जाता था। हमें उसे मांजने के लिए बर्तन में ही रख देना होता था। बेचारे दुधा भाई और दानी बहन इस तरह की पूरी सावधानी रखने की भरपूर कोशिश करते लेकिन कहीं भूल चूक से ऐसी कोई गलती हो जाती थी तो बा को यह अच्छा नहीं लगता था। जोधा भाई और दानी बहन ने कुछ कारणों से आश्रम को छोड़ दिया और गांधी जी ने आग्रह करके उनकी कन्या लक्ष्मी को आश्रम में रख लिया था। गांधी जी ने यह ऐलान भी कर दिया कि उन्होंने लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया है। लक्ष्मी की सार संभाल का सारा काम बा को सौंप दिया। इस अवसर पर भी बा को थोड़ी सी कठिनाई महसूस हुई लेकिन कुछ ही समय में बा ने लक्ष्मी को भली प्रकार से अपना लिया। बा ने एक बार मन से यह तय कर लिया कि इसे अपनी बेटी की तरह रखना है, उसके बाद तो उसके सार संभाल करने में रुकने वाली ना थी। छोटा बालक थोड़ा झगड़ालू या जिद्दी तो होता ही है,इसी तरह लक्ष्मी ने भी कभी कभी झगड़ा करके परेशान किया होगा लेकिन बा ने उसको कभी कोई दुख नहीं समझा बल्कि लक्ष्मी बहन को और बड़ी हो जाने के बाद उनके बच्चों को भी अपने प्रेम से नहलाया ही है। जब कस्तूरबा दक्षिण अफ्रीका में रहती थीं तो उनके मन से अस्पृश्यता की भावना मिटने लगी थी, जब वह स्वदेश आयीं तो जो उनके मन में थोड़ी बहुत झिझक थी, अब वह भी शेष नहीं थी।

कस्तूरबा जब गांधीजी और अनुसेवक के साथ चंपारण पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि बिहार का एक अत्यंत पिछड़ा और गरीब क्षेत्र जो बहुत संघर्ष करके दो वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। उन लोगों की समस्या को देखते हुए महात्मा गांधी जी कस्तूरबा और अन्य सहयोगी उनके निवारण के लिए सक्रिय हो गए। उन सभी स्वयंसेवकों ने अपने को छोटे-छोटे गुटों में बांट लिया और वहां की बस्तियों में गए, कस्तूरबा खुद भी अपने गुट के साथ सीधे हरवा गांव में गयी। कस्तूरबा ने वहां रहने के लिए उस गांव की सीमा के पास एक मंदिर था। उस मंदिर के बराबर में ही कस्तूरबा ने एक घास फूस की छोटी सी झोपड़ी बना ली थी, वहां कस्तूरबा

बच्चों के साथ घुल-मिल गई और उनको सफाई की बातें बताती थीं। इस तरह से धीरे-धीरे कस्तूरबा बच्चों और बड़ों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी। झोपड़ी में कस्तूरबा रहती थी,वहां एक गोरे लोगों की एक बहुत बड़ी कोठी थी। गोरे लोगों को उन गांव के बच्चे और बड़ों बुजर्गों का कस्तूरबा से मिलना पसंद नहीं था। जब कस्तूरबा गांव में लोगों से मिलने गयी तभी उनगोरे लोगों ने कस्तूरबा की झोपड़ी में आग लगा दीं क्योंकि वे चाहते थे कि गांव के लोग जागरूक ना हो और ना ही वे लोग गोरे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की आवाज उठाएं। जब कस्तूरबा गांव से वापस आयीं तब उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी तो जली हुई है, जिससे उनको बहुत दुख हुआ लेकिन वे इससे दुखी थी की बच्चों की पाठशाला एक भी दिन के लिए ना बंद हो इसलिए उन्होंने दूसरी एक और घास फूस की झोपड़ी बना ली। महात्मा गांधी जी ने कस्तूरबा और अन्य स्वयंसेवकों के साथ अंग्रेजों की नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया जिससे लोग जागरूक हुए।

प्रविधि

इस शोध पत्र में मैंने कई स्थानों में जाकर विषय से संबंधित पुस्तकों को एकत्रित किया। विषय से संबंधित मुझे जितने भी साहित्य की प्राप्ति हुयी। उन सभी का मैंने बहुत ही गहराई से अध्ययन कर शोध पत्र को तैयार किया। इसके लिए मैं अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ के केन्द्रीय पुस्तकालय, माधवराव सप्रे संग्रहालय, भोपाल आदि स्थानों में भ्रमण किया।

परिणाम

अपने पति महात्मा गाँधी के वृहद् उदेश्यों की पूर्ति हेतु कस्तूरबा ने अपनी सांसारिक इच्छा का परित्याग करके अपने पति के कार्यों व इच्छाओं को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। वर्तमान महिलाओं को कस्तूरबा गांधी जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह दृढ़ निश्चयी, निर्भीक व्यवहार, एक आदर्श पत्नी और अपने अधिकारों को समझने वाली महिला थीं। पति परायणता, विपरीत परिस्थिति में पति का साथ देने वाली, निजी जीवन और समाजिक जीवन में सामंजस्य बैठाने वाली एक महान व्यक्तित्व थीं।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र से यही निष्कर्ष निकलता है कि कस्तूरबा एक महान व्यक्तित्व वाली महिला थी। गाँधीजी को महात्मा बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था कस्तूरबा एक साधारण पारिवारिक माहौल से निकल कर एक असाधारण व्यक्ति के साथ अपना जीवन निर्वाह की। यह अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। उनके जीवन के कई प्रसंगों को पढ़ कर हम यह समझ सकते है कि कस्तूरबा गाँधी ने किस प्रकार से विभिन्न कठिन परिस्थितियों का सामना किया अतः वे देश की ही नहीं बल्कि इस देश के महात्मा व बापू कहलाने वाले अपने पति की भी बा बनी। 'अगर बा का साथ न होता तो मैं इतना ऊंचा उठ ही नहीं सकता था।'

संदर्भ-ग्रंथ सूची

- परीख वनमाला, हमारी बा, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, छठा संस्करण, अप्रैल 2019, पृष्ठ संख्या 73-74
- कलार्थी मुकुल भाई, बा और बापू,नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद नवां संस्करण, अप्रैल 2018, पृष्ठ संख्या 45-46
- ब्योहर एन. सी, कस्तूरबा गाँधी, द साइलेंट सफरर, नोशन प्रेस चेन्नई, प्रथम संकरण, 2018, पृष्ठ संख्या 226-227
- किशोर गिरिराज, हिंदी अनुवाद - चौधरी मनीषा, बाराज कमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 29
- राजस्वी एम. आई, कस्तूरबा गांधी मनोज पब्लिकेशंस, दिल्ली।

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 25th May 23

महात्मा गाँधी जी की अविभाजित मध्य प्रदेश यात्रा : जबलपुर के विशेष सन्दर्भ में

❐ अभिषेक खरे*
❐ डॉ. महेंद्र मणि द्विवेदी**

शोध सारांश

भारत वह पवित्र भूमि है जहाँ महावीर जैन,गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व अवतरित हुए, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, जैसे उच्च मानवीय आदर्शों को अंकुरित,पल्लवित व पुष्पित किया। इसी क्रम में 19वीं शताब्दी में भारत भूमि में मोहनदास करमचंद गाँधी का जन्म हुआ, जिन्होंने महावीर और बुद्ध के आदर्शों को व्यवहारिक रूप में अपने उद्देश्य व कार्यों में फलित किया जिसके चलते ही वें भारतीय इतिहास में महात्मा गाँधी जी के नाम से प्रख्यात हुए। भारत में सफल राजनीतिक आन्दोलन चलाने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध होने वाले रंग भेद व काले कानून के विरुद्ध सफल आन्दोलन का संचालन किया।

महात्मा गाँधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी सन् 1915 को हुआ। गाँधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति से रूबरू होने के लिए भारत भ्रमण की सलाह दी,गाँधी जी ने इस सलाह का बखूबी पालन भी किया। उन्होंने तृतीय श्रेणी के रेल कोच में बैठ कर भारत के जनमानस को भलीं-भांति जाना समझा,उनकी यही समझ उनके आगे के कार्यक्रम के निर्धारण व क्रियान्वयन में काफी सहायक सिद्ध हुई।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रसार व जनजागरण हेतु उन्होंने देश भर में काफी यात्रायें कीजिनका ऐतिहासिक महत्त्व है। सन् 1918 से सन् 1942 के बीच अविभाजित मध्यप्रदेश (मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़) में उन्होंने 10 यात्रायें कीजिनमें से 4 दफ़ा (सन् 1921, 1933, 1941, 1942) गाँधी जी के पवित्र पग संस्कारधानी जबलपुर की भूमि पर पड़े। इन्हींयात्राओं के प्रभाव के चलते जबलपुर राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख केन्द्रों में से एकरहा।

जबलपुर की प्रथम यात्रा

सन् 1921 के ऐतिहासिक नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधीजी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिल गयी और वे भारतीय राजनीति में ध्रुव तारे की भांति चमके। इस अधिवेशन के बाद वे नागपुर से सिवनी होते हुए,दिनांक 20 मार्च सन् 1921 को जबलपुर आएं। यह उनका प्रथम जबलपुर आगमन था। जबलपुर की यात्रा का सारा प्रबंध

* (नेट,एम.पी. सेट) शोध छात्र,इतिहास,अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा (म.प्र.)
** शोध निर्देशक, प्राध्यापकइतिहास,शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

श्री श्याम सुन्दर भार्गव तथा सेठ गोविन्द दास कर रहे थे। गाँधी जी के ठहरने की व्यवस्था श्री श्याम सुन्दर भार्गव के कोठी खजांची भवन में की गयी थी।

श्री गोविंददास ने अपनी पुस्तक 'आत्म निरीक्षण' में इस यात्रा का वर्णन किया है, 'सबसे पहले स्त्रियों की सभा में गांधीजी का भाषण हुआ। जबलपुर में इसके पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या मेंस्त्रियाँ एकत्रित नहीं हुई थीं। इस सभा में जब गांधी जी तिलक स्वराज्य-फण्ड के लिये स्त्रियों से जेवर मांगे तब उन्हें काफी जेवर मिले। फिर सार्वजनिक सभा हुई। लाउड स्पीकर के अभाव में लोग गाँधीजी का भाषण न सुन सके (उस सभा में अनुमानतः दस हजार लोग उपस्थित थे) और इतना हो-हल्ला मचा कि गांधीजी सभा को यों ही छोड़कर आ गये। 'जबलपुर की इस यात्रा में गांधीजी को लगभग 20 हजार रुपये मिले। गाँधीजी के साथ माता कस्तूरबा भी पधारी थी। गाँधीजी की सार्वजनिक सभा गोल बाजार के विस्तृत मैदान में हुई थी जहाँ आज भव्य शहीद स्मारक का भवन बन गया है। गाँधीजी अपनी जबलपुर यात्रा से बहुत प्रसन्न और संतुष्ट थे।

जबलपुर की द्वितीय यात्रा

3 दिसम्बर, सन् 1933 को गाँधीजी दूसरी बार जबलपुर आएं। जबलपुर में गाँधीजी की आवास व्यवस्था व्यौहार राजेन्द्रसिंह के साठिया कुंआ स्थित मकान में की गयी थी। विशाल जुलूस के साथ गाँधीजी को व्यौहार भवन ले जाया गया जहाँ उनका स्वागत किया गया। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात् गाँधीजी गोलबाजार पहुँचे जहाँ एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। बापू ने अपने भाषण में स्वागत और थैली के लिए जबलपुर की जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

हरिजन समस्या पर प्रकाश डालते हुए गाँधीजी ने कहा, 'जो अधिकार सवर्ण हिन्दुओं को प्राप्त हैं, वे सारे अधिकार हरिजनों को भी मिलने चाहिए। हरिजनों को संबोधित करते हुए गाँधीजी ने कहा कि उन्हें अपना सुधार अपने आप ही करना चाहिए। मजदूर संघ की ओर से दिये गये मानपत्र में गाँधीजी से पूछा गया था कि वे मजदूरों को पूँजीपतियों से बचाने का काम हाथ में क्यों नहीं लेते। इस संबंध में गाँधीजी ने कहा— 'यदि ऊँच-नीच के भेदभाव मिटाने का यह आंदोलन सफल हो गया तो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़े बिना नहीं रह सकता। मजदूरों और मालिकों का संघर्ष मिट जावेगा। उसके बदले सहयोग और सद्भाव उदय होगा। मेरा तो विश्वास इस आंदोलन पर बढ़ता ही जाता है। हमारे हृदय शुद्ध होते ही हृदयों की एकता का द्वार खुल जायेगा। अस्पृश्यता इस असमानता का सबसे बुरा पहलू है। यह अनेक सिरों वाला राक्षस अनेक रूपों में प्रगट होता है।'

राष्ट्रीय स्काउटों द्वारा दिये गये मानपत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने सेवा-धर्म पर प्रकाश डाला और कहा 'सभी सेवकों के साथ मेरा आशीर्वाद है। संसार के विभिन्न देशों में घूमते हुए मैं हजारों स्वयंसेवकों से मिलाहूँ। सच्चे स्वयंसेवक वीर, विचारवान, नम्र और बुद्धिमान होते हैं। अन्य सेवा-कार्य के समान हरिजनों के लिए भी वे कार्य करें। इसमें अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं। सेवा-भावना' हो तो विस्तृत कार्य-क्षेत्र सामने पड़ा हुआ है।'

धार्मिक आंदोलन की विवेचना करते हुए गाँधीजी बोले—'धार्मिक आंदोलन की विशेषता यही है कि सामने आने वाली सारी बाधाएं ईश्वर कृपा से दूर हो जाती हैं। प्रेरक वही है- हम सब उसके औजार मात्र हैं। यदि हम ईश्वर और मानवता के विरुद्ध चले आ रहे इस युग-व्यापी पाप से युद्ध करने की ठान लें, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित और संतों द्वारा अनुमोदित मार्ग पर नम्रतापूर्वक चलें और ईश्वरीय प्रकाश चाहें तो हमारी सफलता निश्चित है। इसके लिए सत्य और अहिंसा का पालन परमावश्यक है। उसके साथ यदि विरोधियों के प्रति उदारता और सद्भाव रहा तो सारी कठिनाइयों का पहाड़ गल जावेगा।'

दूसरे दिन गाँधीजी का मौन दिवस था। उसी दिन जबलपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें भाग लेने कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अंसारी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, सेठ जमनालाल बजाज आदि अनेक नेतागण जबलपुर पधारे। लेकिनगाँधीजी का रक्तचाप बढ़ गया था और गाँधीजी को विश्राम की अनिवार्य आवश्यकता थी। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण दूसरे दिन भी गाँधीजी ने पूर्ण विश्राम किया। 6 दिसम्बर को संध्या में गुजराती क्लब में जबलपुर के गुजराती समाज की ओर से गाँधीजी का स्वागत किया गया। यहाँ पर उन्हें 1000 रुपये की थैली भेंट की गयी तथा नीलामी में 5000 रुपये प्राप्त हुए इससे गाँधीजी बहुत प्रसन्न हुए।

7 दिसम्बर को अपने जबलपुर प्रवास के अंतिम दिन हितकारिणी हाई स्कूल में गाँधीजी ने महिलाओं की एक सभा में धन संग्रह किया। फिर खादी भंडार होकर जवाहरगंज में मानपत्र तथा थैली स्वीकार की। इसके बाद वे गोरखपुर होकर सदर बाजार गये। सदर बाजार में उनके दर्शनार्थ एकत्रित भीड़ ने एक जुलूस सा ही बना दिया। इस अवसर पर सदर बाजार के दो मंदिर हरिजनों के लिए खोले गये। यहाँ भी गाँधीजी को थैली भेंट की गयी। सदर बाजार से गाँधीजी थियोलोजिकल कॉलेज गये। यहाँ पहले ईसाई भजनों का सुमधुर गान हुआ जिन्हें सुनकर गाँधीजी ध्यानावस्थित हो गये। यहाँ पर गाँधीजी का जो भाषण हुआ उसमें सर्वधर्म समानता पर विचार व्यक्त किया, 'मैं संसार के सभी धर्मों की समानता में विश्वास करता हूँ। बचपन से ही मैं अपने धर्म के समान ही दूसरों के धर्म का भी आदर करता आया हूँ। असल में ऊंची जातियों द्वारा प्रायश्चित और पश्चाताप करने का यह आंदोलन है। अस्पृश्यता जियेगी तो हिन्दू धर्म मरेगा और यदि अछूतपन मरेगा तो हिन्दू धर्म कलंक रहित होकर जियेगा। अंधविश्वास के अंधकार और सुधार के प्रकाश के बीच यह युद्ध है। यह सुधार हो गया तो मनुष्य मात्र को इससे लाभ होगा। मैं इसमें कानूनी अथवा सरकारी सहायता नहीं चाहता। सुधार आंतरिक होना चाहिए। इसके द्वारा दलितों का राजनीतिक उत्थान करना मेरा उद्देश्य नहीं, चाहे उसका परिणाम राजनीतिक जाग्रति भले ही हो। यह तो आत्मा- शुद्धि का आंदोलन है। 'प्रारम्भिक भाषण में गाँधीजी से पूछा गया कि अछूतोद्धार के उनके आंदोलन में ईसाई लोग किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा—'यदि आप ईसाई धर्म की ओर उन्हें उन्मुख करने के विचार से सहयोग देते हैं तो प्रायश्चित और सुधार का जो लक्ष्य हमारे सामने है वह निराशोन्मुख हो जावेगा। अतः सहयोग के विषय पर आपको सहानुभूति के आधार पर विचार करना होगा। मेरे विचार में मुख्य प्रश्न यह है कि आपके समक्ष हिन्दू धर्म का क्या स्वरूप है। यदि आपके अंतरतम में यह विश्वास है कि हिन्दू धर्म ईश्वर की देन नहीं अपितु शैतान की देन है तो आप हमारी मदद नहीं कर सकते और मैं ईमानदारी से आपके मदद की आकांक्षा भी नहीं कर सकता।'

थियोलोजिकल कॉलेज के इस समारोह से लौटकर गाँधीजी ने गलगला में हरिजनों को एक सभा में भी भाषण दिया और हरिजनों को सलाह दी कि वे मांस-मदिरा आदि का त्याग करें तथा स्वच्छता को अपने जीवन में अपनायें। इसके पश्चात गांधीजी जबलपुर से ट्रेन द्वारा सोहागपुर के लिए रवाना हो गये।

जबलपुर की तीसरी यात्रा

सन् 1933 के हरिजन दौरे के पश्चात लगभग आठ वर्ष बाद सन् 1941 के फरवरी महीने में गांधी जी ने इलाहाबाद में कमला नेहरू अस्पताल का उद्घाटन करने के उद्देश्य से जबलपुर होते हुए इलाहाबाद गये थे और कुछ समय के लिए जबलपुर में रुके थे। इस यात्रा में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रखा गया था लेकिन जबलपुर के निकट स्थित प्रकृति की वैभव-स्थली भेड़ाघाट का दर्शन इस यात्रा की प्रमुख घटना है। गांधीजी को

जबलपुर के निकट ही मीरगंज स्टेशन पर ट्रेन से उतार लिया गया जहां से भेड़ाघाट नजदीक ही पड़ता है। नगर के अधिकांश सार्वजनिक नेता उस समय व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण जेल में थे और इसीलिए गांधी जी के स्वागत का भार कुछ गिने-चुने कार्यकर्ताओं पर ही पड़ा था। अधिक लोगों को गांधीजी के आगमन का समाचार भी नहीं मिला था इसलिए भेड़ाघाट आदि में अधिक भीड़भाड़ न हो सकी थी। बापू ने पहले तो धुंआधार जल प्रपात का निरीक्षण किया और बाद में बंदर- कूदनी देखने के लिए वे अपने साथियों सहित नाव में बैठकर गए। प्रकृति के इस असीम वरदान को बापू अपलक निहारते रहे और लगभग एक घंटे तक उन्होंने नौका-नयन किया। साथ में 'गाइड' भी था बापू बड़े कुतूहल से गाइड की सारी बातें सुनते रहे और मुस्कुराते हुए उस अलौकिक सौंदर्य का अवलोकन करते रहे।

भेड़ाघाट दर्शन के पश्चात गांधीजी कार द्वारा जबलपुर आए जहां उनके भोजन व विश्राम की व्यवस्था श्री हीरजी गोविंद जी के 'रत्नहीर' नामक भवन में की गई थी। श्री नर्मदा प्रसाद सराफ ने गांधी जी की इस यात्रा का विवरण देते हुए 'महात्मा गांधी और जबलपुर नामक पुस्तिका में लिखा है—'बापू ने इतनी व्यस्तता तथा यात्राश्रम के बाद भी दोपहर में क्षणिक विश्राम किया और इस बीच उन्हें जो समय मिला उसमें वे अपने साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' के लिए लेख लिखने बैठ गए। एकांत में बापू की वह ध्यान मुद्रा, जिसे दरवाजे की ओर से हम सब देख लेते थे, अनासक्ति योग और कर्मठता की साक्षात प्रतिमा दिखाई देती थी। प्रस्थान करते समय हीरजी गोविंदजी फर्म की ओर से गांधीजी को हरिजन फंड में 501 रुपये दिए गए। स्टेशन जाते हुए वे गोल बाजार स्थित मोहनलाल हरगोविंद दास के निवास स्थान से होते हुए गए जहां उन्हें 1001 रुपये की थैली प्राप्त हुई। वहां से बापू स्टेशन चले गए और फिर इलाहाबाद की ओर रवाना हुए।

जबलपुर की चैथी व अंतिम यात्रा

गांधीजी अंतिम बार सन् 1942 के प्रारंभिक महीनों में जबलपुर आए। 27 अप्रैल की घटना है। वे जबलपुर कुछ ही घंटे ठहरे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे। जबलपुर के उपनगरीय स्टेशन मदन महल पर बापू उतरे थे। स्टेशन के निकट ही उन दिनों पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का निवास स्थान था। जहाँ वे आतिथेय के लिए लायें गए, बापू के साथ महादेव भाई देसाई भी आएं थे। गांधीजी का यह अल्प प्रवास बहुत व्यस्त था। उन्होंने अपने नियमित कार्य किए और लोगों से मुलाकात भी की। इन दिनों सेठ गोविंददास ऑपरेशन के लिए विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती थे। श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र के साथ गांधी जी कुछ समय के लिए अस्पताल भी गए और वहां बाबू गोविंद दास के पास बैठे रहे। यद्यपि समय का अभाव था, फिर भी गांधीजी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विनिमय किया और भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की। यहां एक संस्मरण उल्लेखनीय है जिस समय दोपहर को कलकत्ता जाने वाली बम्बई मेल के द्वारा इलाहाबाद जाने के लिए गांधी जी अपने मेजबान पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ जबलपुर स्टेशन पहुंचे महिलाएं काफी बड़ी संख्या में गांधी जी के दर्शन-लाभ हेतु रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसमें संभ्रांत परिवारों की गृहणियां भी सम्मिलित थीं, जो कि प्रचुर तादात में कीमती स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए थीं। उनको देखकर गाँधीजी कह उठे 'ये गहने आप लोग मुझे क्यों नहीं दे देतीं? हरिजन फण्ड के काम आयेंगे।' बापू की इस सलाह को वे महिलायें ठुकरा न सकीं और उन्होंने उसका पालन कर अपने गहने शरीर से उतारकर बापू के हवाले कर दिये।

प्रविधि

मैंने इस शोध पत्र लेखन में प्राथमिक स्रोत के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल के पुस्तकालय से प्राप्त कर्मवीर पत्रिका के मूल अंकों का अध्ययन

किया तथा द्वितीयक स्रोत के रूप में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भोपाल, संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल, गाँधी भवन भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल से सम्बंधित विषय पर उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन कर इस शोध पत्र को तैयार किया।

परिणाम

गाँधीजी की समय-समय पर की गयी जबलपुर यात्रा ने वर्तमान मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायता प्रदान की। स्थानीय नेताओं को सत्याग्रह के विषय में प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान किया एवं सत्य, अहिंसा के मार्ग से आम जनता को स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित किया एवं गाँधी जी की इन यात्राओं से हरिजनों के लिए मंदिरों के लिए द्वार खुले। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के सफलसंचालन हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जिसमें जबलपुरवासियों ने बढ़.चढ़ कर हिस्सा लिया।

निष्कर्ष

गाँधी जी की मध्य प्रदेश यात्राओं में जबलपुर की यात्रा (सन् 1921, 1933, 1941, 1942) का विशेष महत्त्व है। हरिजन उत्थान के लिए गाँधी जी ने सवर्णों कोभेद भाव समाप्त करने का आह्वाहन किया और हरिजनों को मदिरा मांस का त्याग कर स्वच्छता का सन्देश दिया। इन यात्राओं ने जबलपुर व इसके आस पास के क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रसार व जनजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गाँधी जी के जबलपुर यात्राओं से जुड़े संस्मरणों, ऐतिहासिक स्थलों से भावी पीढ़ियों को रूबरू कराने व इसे संजोय रखने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- मध्य प्रदेश और गाँधी जी, आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय भोपाल, द्वितीय संस्करण, 2019 पृष्ठ संख्या 21-23, 65-68,84-86
- महात्मा गांधी और जबलपुर,नगर निगम जबलपुर, 1969 पृष्ठ संख्या 1-15, 49-60
- डॉ. अवस्थी शिवकुमार, मध्य प्रदेश के गाँधी धाम, दया राम नामदेव सचिव, गाँधी भवन न्यास भोपाल (म.प्र.) प्रथम संस्करण, 2019 पृष्ठ संख्या 17-19, 32-35, 45-47
- सक्सेना सुधीर, ऐसे आएं गाँधी, स्वराज भवन भोपाल, 1999 प्रथम संस्करण, पृष्ठ संख्या 39-41, 76-79 99-101, 103-105
- म.प्र. सन्देश, पी. नरहरि जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, अक्टूबर 2019 पृष्ठ संख्या 11
- द कलेक्टेड वर्क ऑफ़ महात्मा गाँधी द डायरेक्टर, द पब्लिकेशन डिवीज़न नई दिल्ली,1982 वॉल्यूम 20 पेज नं.20-21
- द कलेक्टेड वर्क ऑफ़ महात्मा गाँधी द डायरेक्टर,द पब्लिकेशन डिवीज़न नई दिल्ली, 1982 वॉल्यूम 56 पेज नं. 309
- सेठ गोविन्ददास, आत्म निरीक्षण, खण्ड दो पृष्ठ संख्या 23
- श्रीवास्तव प्रेम नारायण, जबलपुर गजेटियर, जिला गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल प्रथम संस्करण 1969

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 25th May 23

1857 की क्रान्ति और बहादुरशाह 'ज़फ़र'

❒ डॉ. फ़ैज़ान अहमद*

शोध सारांश

दिल्ली सदियों से भारतीय राजनीति का प्राण रही है। फिर प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से वह अलग कैसे रह सकती थी? सच पूछा जाए तो 1857 ई. की क्रान्ति को राष्ट्रीय स्वरूप दिल्ली ने ही प्रदान किया। 10 मई 1857 ई. को मेरठ में सैनिक क्रान्ति के बाद देश के कोने-कोने से 'दिल्ली चलो' का नारा बुलन्द हो गया था। बहादुरशाह 'ज़फ़र' भारत राष्ट्र के प्रतीक के रूप में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के केन्द्र बिन्दु बन गए। बहादुरशाह 'ज़फ़र' भारत में मुग़ल राजवंश के 17वें व अन्तिम बादशाह थे। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1775ई. को हुआ था। उनका वास्तविक नाम बहादुरशाह द्वितीय था। उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय एवं माता का नाम लालबाई था। वह फ़ारसी के विद्वान एवं उर्दू के अच्छे शायर थे और 'ज़फ़र' नाम से शायरी करते थे। 62 वर्ष की अवस्था में 30 सितम्बर 1837 ई. को वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे।

प्रस्तावना-

पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हमारे देश का केन्द्रीय शासन बहुत कमज़ोर हो गया था। इसका पूरा लाभ 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' ने उठाया। धीरे-धीरे अपनी चालाकी से अंग्रेज़ों ने 1757 ई. के 'प्लासी के युद्ध' तथा 1764 ई. के 'बक्सर के युद्ध' को जीतकर सम्पूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। अब दिल्ली का बादशाह केवल नाम मात्र का था। समस्त अधिकार कम्पनी सरकार के हाथ में थे। मुग़ल बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' को केवल एक लाख रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जिससे वह दिल्ली के लाल क़िले में ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत करते थे। परन्तु अंग्रेज़ी अत्याचारों के प्रति उनके मन में दिन-प्रतिदिन घृणा उत्पन्न होती जा रही थी। कम्पनी सरकार मुग़ल बादशाह को कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपमानित करती रहती थी। निःसहाय मुग़ल बादशाह कर भी क्या सकते थे? परन्तु मेरठ की क्रान्ति के बाद जब क्रान्तिकारी सेना दिल्ली पहुँची तो बहादुरशाह 'ज़फ़र' खुशी से फूले न समाए और अंग्रेज़ी शासन को समाप्त करने का स्वप्न देखने लगे।

बहादुरशाह 'ज़फ़र' में बहुत से गुण थे। वह घुड़सवारी की कला में दक्ष थे। तीर चलाने और बन्दूक़ बाज़ी में भी वह महारत रखते थे। उनकी साहित्य और कई कलाओं में अच्छी रुचि थी। बहादुरशाह 'ज़फ़र' को दिल्ली और दिल्ली वालों से बहुत प्यार था। वह उनके सुख-दुःख का

* प्रोफ़ेसर (राजनीति विज्ञान) एवं कार्यवाहक प्राचार्य, जी. बी. पन्त (पी.जी.) कालेज, कछला, बदायूँ (उ.प्र.)

खय़ाल रखते थे। जब महंगाई बढ़ी तो उन्होंने अनाज के दाम तय करा दिए। घोसियों और क़साइयों को अंग्रेज़ी प्रशासन ने जब नगर से बाहर निकलने का हुक्म दिया तो बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने भी अपना शाही खेमा़ यमुना की रेती पर लगाने का हुक्म दिया और कहा कि ''जहाँ मेरी प्रजा रहेगी, मैं भी वहीं रहूंगा।''[1] आखिर् अंग्रेज़ों को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। जब दिल्ली में बारिश नहीं हुई तो उन्होंने लोगों के साथ ईदगाह में जाकर भीगी आँखों से दुआ माँगी। मशहूर है कि पेशवा नाना साहब जब क्रान्ति का प्रचार करने तीर्थ-यात्रा के बहाने निकले थे तो वह तीन दिन तक लाल क़िले में भी रहे थे। बहादुरशाह 'ज़फ़र' के पास भले ही राजकीय शक्तियाँ न रही हों, पर वह दिल्ली वालों के दिलों पर राज करते थे। लाल क़िला और उसका बादशाह दिल्ली वालों के आदर के केन्द्र थे। अंग्रेज़ इस बात के खिला़फ़ थे। वे कोशिशें कर रहे थे कि बादशाह को लाल क़िले से हटाया जाए। ऐसी तमाम रस्में बन्द कर दी गई थीं जिनमें 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' वाले बादशाह के अधीन दिखाई दें।

बेगम ज़ीनत महल अपने बेटे जवाँ बख़्त को युवराज बनवाने के लिए अंग्रेज़ों से बात-चीत कर रही थीं। परन्तु अंग्रेज़ किसी ऐसे शहज़ादे को आगे लाने की फ़िराक में थे जो लाल क़िले में न रहे, अपने नाम के आगे बादशाह न लिखे, दरबार न लगाए, लोगों को पदवियाँ और खिल्अतें न दे और नाममात्र की पेंशन (रुपये 15000 मासिक) लेने को तैयार हो। अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ा फ़खरू को बहकाकर इस हेतु राज़ी भी कर लिया था। लेकिन जब अंग्रेज़ बेगम ज़ीनत महल के बेटे जवाँ बख़्त को युवराज मानने के लिए राज़ी नहीं हुए तो वह क्रान्तिकारियों की तरफ़ झुक गईं।

दिल्ली में क्रान्ति—11 मई 1857 ई. को मेरठ से आए मुक्ति सैनिक लाल क़िले में पहुँचे। उन्होंने बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' से क्रान्ति का नेता बनने की प्रार्थना की। यह एक विचारणीय मामला भी है और 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम का एक स्वर्णिम पहलू भी कि मेरठ से आने वाले मुक्ति सैनिक जिसमें लगभग 70 प्रतिशत हिन्दू थे, एक मुसलमान बादशाह को अपना नेता बनाना चाहते थे। वे रजवाड़े जो मुग़ल शासन के खिला़फ रहते थे, वह भी बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' को अपना नेता मान रहे थे। बहादुरशाह 'ज़फ़र' शुरू में तो इस हेतु तैयार ही नहीं हुए थे। वह इस नए बखेड़े से दूर ही रहना चाहते थे। शाही चिकित्सक हकीम अहसन उल्लाह भी बादशाह को मना कर रहा था। बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने क्रान्तिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि ''मेरे पास न सेना है कि तुम्हारी सहायता कर सकूँ और न खज़ाना है जो तुम्हें तन्ख़्वाहें दे सकूँ।''[2] लेकिन क्रान्तिकारियों ने कहा कि ''हम तो आपके क़दमों पर न्यौछावर होने आए हैं।''[3] अपनी बेगम ज़ीनत महल के कहने पर बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' क्रान्तिकारियों का नेता बनने पर सहमत हो गए।

बहादुरशाह 'ज़फ़र' को बादशाह मानना क्रान्तिकारियों की सूझ-बूझ का परिचायक है, क्योंकि—

1. बहादुरशाह 'ज़फ़र' मुग़ल वंश के आखिरी़ शासक थे। वह शक्तिहीन तो हो गए थे परन्तु अब भी वह 'शहंशाह-ए-हिन्द' थे। उनका नाम दूर-दूर तक था।
2. बहादुरशाह 'ज़फ़र' वैधानिक रूप से अभी तक बादशाह थे, इसलिए उनके कार्य वैधानिक थे।
3. बहादुरशाह 'ज़फ़र' को बादशाह मानने से क्रान्तिकारियों को लाल क़िला और दिल्ली में सुरक्षा सहित ठहरने का वैधानिक अधिकार मिल गया।
4. शक्तिहीन बादशाह क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर ही कार्य करेगा, ऐशी आशा थी।
5. बादशाह अन्य राजाओं और नवाबों को पत्र भेजकर क्रान्ति में सहयोग देने के लिए लिख सकता था।

जब क्रान्तिकारी 11 मई 1857 ई. को लाल क़िले में पहुँचे तो हो-हल्ला सुनकर अंग्रेज़ कप्तान डगलस रोब दिखाता हुआ क्रान्तिकारियों की ओर बढ़ा। वह लाहौरी दरवाज़े के ऊपर वाले हिस्से में रहता था। उसकी कमान के नीचे कम्पनी सेना की एक सैन्य टुकड़ी भी थी। उसकी सहायता के लिए एक मेजर भी आ धमका। क्रान्तिकारियों

ने क्षण भर में ही दोनों अंग्रेज़ अफ़सरों को मौत के घाट उतार दिया। क्रान्तिकारियों ने 'दीवाने आम' में अपने डेरे डाल दिए। कुछ समय में ही लाल क़िले तथा दिल्ली से अंग्रेज़ों का सफ़ाया कर दिया गया। बचे-खुचे अंग्रेज़ रिज पहाड़ी की ओर भाग निकले और कश्मीरी गेट के बाहर मोर्चा जमाने लगे। दिल्ली पर क्रान्तिकारियों का अधिकार हो गया। दिल्ली के संघर्ष में मेरठ, रुहेलखण्ड, नीमच आदि स्थानों के सैनिकों ने भाग लिया। दिल्ली के क्रान्तिकारियों का नेतृत्व कुछ दिनों तक मुहम्मद खाँ. ने किया। बाद में बहादुरशाह 'ज़फ़र' के सेनापति बख़्त खाँ. ने मोर्चा संभाला।

12 मई 1857 ई. को 'दीवाने खास़' में स्वतन्त्रता समारोह मनाया गया। बहादुरशाह 'ज़फ़र' को भारत का बादशाह और स्वतन्त्रता संग्राम का नेता घोषित किया गया। सभी क्रान्तिकारियों ने मिलकर इस क्रान्तिवीर का स्वागत किया। सभी ने अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए बलिदान देने की क़सम खाई और क्रान्ति का बिगुल बजा दिया। मुग़ल बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने अनेक हिन्दू और मुसलमान राजाओं को पत्र लिखा कि वे संकट की इस घड़ी में एक होकर संघर्ष करें, विजयी होने पर वे जिसे चाहें राजा घोषित करें। बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने साफ़ लिखा कि ''मेरी यह दिली ख़्वाहिश है कि जिस ज़रिए से भी और जिस क़ीमत पर भी हो सके, फ़िरंगियों को हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। मेरी यह ज़बरदस्त ख़्वाहिश है कि तमाम हिन्दुस्तान आज़ाद हो जाए। अंग्रेज़ों को निकाल दिए जाने के बाद अपने निजी फ़ायदे के लिए हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने की मुझ में ज़रा भी ख़्वाहिश नहीं है। अगर आप सब देशी नरेश दुश्मन को निकालने की गरज़ से अपनी-अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार हों, तो मैं राज़ी हूँ कि अपने तमाम शाही इख़्तियारात और हकूक़ देशी नरेशों के किसी ऐसे गिरोह के हाथ में सौंप दूँ जिसे इस काम के लिए चुन लिया जाए।''[4] लेकिन इस पत्र का हिन्दू और मुसलमान राजाओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

यह बहादुरशाह 'ज़फ़र' का ही प्रभाव था कि अंग्रेज़ों की हिन्दू और मुसलमानों में फूट डालने की नीति सफल नहीं हो सकी। दिल्ली की जामा मस्जिद की दीवार पर एक इश्तिहार लगाया गया था जिसमें मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध जिहाद (धर्मयुद्ध) शुरू करने के लिए कहा गया था। बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने इसका खण्डन किया और अंग्रेज़ों की कूटनीति को विफल कर दिया। 1857 ई. की क्रान्ति का उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधकर स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। मुग़ल बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' की घोषणा से भी ऐसा ही स्पष्ट होता है। उनके अनुसार ''ऐ हिन्दुस्तान के फ़रज़न्दो! अगर हम इरादा कर लें तो बात की बात में दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। हम दुश्मन का नाश कर डालेंगे और अपने धर्म तथा देश को, जो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा है, खतरे से बचा लेंगे।''[5] 1857 ई. की क्रान्ति का उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्त करना था, इसमें कोई सन्देह नहीं। बहादुरशाह 'ज़फ़र' के वक्तव्यों एवं घोषणा-पत्र से तो यही प्रमाणित होता है।

यद्यपि बहादुरशाह 'ज़फ़र' में क्रान्ति का नायक बनने के गुण नहीं थे, फिर भी उनके नाम और झण्डे के नीचे लोग एकत्र हुए। उनके नाम से लोगों को एक नेता मिला, लाल क़िले जैसा सुरक्षित स्थान मिला और दिल्ली क्रान्ति का प्रमुख केन्द्र बन गया। निर्बल होते हुए भी बहादुरशाह 'ज़फ़र' क्रान्ति के प्रतीक थे। अवध के ताजदार बिरजीस क़द्र ने तख़्त पर बैठने के लिए उनके नाम पर सिक्का ढ़ाला था। बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने मौलाना फ़ज़ले हक़ खैराबादी से स्वतन्त्र सरकार का संविधान भी बनवाया था, जिसकी प्रथम धारा थी कि बादशाह के पूरे राज्य में कहीं भी गौवध नहीं होगा। लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक क़ायम न रह सकी। क्रान्तिकारियों में फूट पैदा हो गई। मुग़ल सेनापति बख़्त खाँ. का आदेश मानने से नीमच के सैनिकों ने इनकार कर दिया। यद्यपि बख़्त खाँ. एक बहादुर सेनानायक थे, पर अधिकांश मुसलमानों ने उनके नेतृत्व

को नहीं माना। क्योंकि वह एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे। इसके अलावा वेतन बढ़ाने के लिए सैनिक हड़ताल करने लगे। बहादुरशाह 'ज़फ़र' वृद्ध हो गए थे। उनमें नेतृत्व संभालने की शक्ति क्षीण हो गई थी। अतः सफल नेतृत्व करने में बहादुरशाह 'ज़फ़र' विफल रहे।

दिल्ली पर अंग्रेज़ों की पुनः विजय- गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग को दिल्ली की हार से बहुत दुःख हुआ। उसने नए सिरे से दिल्ली को वापस लेने की योजना बनाई। उसने पटियाला, पंजाब आदि सिख रियासतों, राजस्थान की राजपूत रियासतों, हैदराबाद, ग्वालियर तथा नेपाल आदि से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, जो उसको मिल गई। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि ''अंग्रेज़ों ने पंजाबी और हिन्दुस्तानी में और हिन्दू तथा मुसलमान में मतभेद उत्पन्न किया। उन्होंने सारे पंजाब में बादशाह के नाम से झूठे फ़रमान जारी किए जिनमें कहा गया था कि लड़ाई में जीत होते ही प्रत्येक सिख का बध कर दिया जाएगा।''[6] इसके बाद सिखों और गोरखों की सहायता से जॉन निकलसन ने दिल्ली को मई 1857 ई. में घेर लिया।

कठिनाइयों के बावजूद मुग़ल सेनापति बख़्त खाँ. ने कई महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने प्रधान ब्रिटिश सेनापति जॉन निकलसन को पराजित कर दिया। वह युद्ध में मारा गया। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने बख़्त खाँ. की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ''सन् सत्तावन की सारी लड़ाई के मुकुट यदि बहादुरशाह 'ज़फ़र' थे और हाथ-पाँव हिन्दू और मुसलमान थे, तो इस युद्ध का दिल और दिमाग़ बख़्त खाँ. थे।''[7] बाद में अंग्रेज़ों को पंजाब और कश्मीर से काफ़ी सहायता मिली। अंग्रेज़ भारतीयों की फूट से भी काफ़ी लाभन्वित हुए। यही नहीं बहादुरशाह 'ज़फ़र' का समधी मिर्ज़ा इलाही बख़्श अंग्रेज़ों से जा मिला। उसने बहादुरशाह 'ज़फ़र' के सारे भेदों को अंग्रेज़ों को बता दिया। 14 सितम्बर 1857 ई. को अंग्रेज़ सेना ने मेजर हडसन के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोला। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। 6 दिन तक रात-दिन क्रान्तिकारियों ने गली-गली में अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया, परन्तु मिर्ज़ा इलाही बख़्श के विश्वासघात के कारण क्रान्तिकारी सबल होते हुए भी हार गए। वास्तव में अंग्रेज़ों ने दिल्ली को बल से नहीं, बल्कि छल से जीता था। अंग्रेज़ी सेना लाल क़िले में प्रवेश करने ही वाली थी कि बादशाह के स्वामिभक्त सेनापति बख़्त खाँ. ने उन्हें सुरक्षित दिल्ली से बाहर निकालने की योजना बना ली थी। बख़्त खाँ. ने बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' को हुमायूँ के मक़बरे पर बुलाया और कहा कि ''दिल्ली हाथों से निकल गई तो क्या हुआ? पूरा हिन्दुस्तान आपके सामने है। साथ चलिए, क्रान्ति युद्ध जारी रखेंगे।''[8] परन्तु बहादुरशाह 'ज़फ़र' की हिम्मत नहीं पड़ी। बुढ़ापे का शरीर (82 वर्ष की अवस्था), बेगम ज़ीनत महल की सलाह और ग़द्दार मिर्ज़ा इलाही बख़्श जैसे अंग्रेज़ों के जासूस की चालाकी ने उन्हें दिल्ली में ही रखा। 21 सितम्बर 1857 ई. को मेजर हडसन ने बहादुरशाह 'ज़फ़र' और बेगम ज़ीनत महल को हुमायूँ के मक़बरे से गिरफ़्तार कर लिया।

बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' को मिर्ज़ा इलाही बख़्श के विश्वासघात पर बहुत दुःख हुआ। उन्होंने सेनापति बख़्त खाँ. की बात न मानकर भारी भूल की। परन्तु अब वह कर भी क्या सकते थे। मिर्ज़ा इलाही बख़्श की ही सूचना पर बादशाह के पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज्र सुल्तान तथा पौत्र मिर्ज़ा अबू बकर, हडसन के हाथों गिरफ़्तार हो गए। हडसन ने इन तीनों स्वतन्त्रता सेनानियों को गोली मार दी। इन शहज़ादों के सिर काटकर जनता को आतंकित करने के लिए बाज़ार में टंगवाकर हडसन ने अंग्रेज़ी सेना की पाशविकता का खुला परिचय दिया। जब बहादुरशाह 'ज़फ़र' को भूख लगी तो अंग्रेज़ उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों तथा पोते का सिर ले आए। बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने जवाब दिया कि ''हिन्दुस्तान के बेटे देश के लिए सिर क़ुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं।''[9] बहादुरशाह 'ज़फ़र' और उनकी बेगम ज़ीनत महल को ज़ीनत महल की हवेली में क़ैद करके रखा गया और उनके साथ अनादर का व्यवहार किया गया।

बादशाह बहादुरशाह 'ज़फ़र' पर लाल क़िले में 27 जनवरी 1858 ई. से मुक़दमा शुरू हुआ और 09 मार्च 1858 ई. को फैसला आ गया। उन पर अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध षड्यन्त्र में भाग लेने का आरोप लगाया गया। यह मुक़दमा केवल नाटक ही था, फ़ैसला तो पहले से ही तय था। बादशाह को साधारण कैदी जैसी सुविधा भी नहीं दी गई। सैनिक न्यायालय में बैठने के लिए उन्हें कुर्सी भी नहीं दी गई। बुढ़ापे और कमज़ोरी के कारण एक दिन अदालत में गिरकर वह बेहोश हो गए थे। मेजर हड्सन को बेगम ज़ीनत महल बहुत क़ीमती हीरों का हार पहले ही रिश्वत में दे चुकी थीं, ताकि उनकी और बादशाह की जान बख़्श दी जाए। अंग्रेज़ों को भय था कि बहादुरशाह 'ज़फ़र' को मृत्यु दण्ड देने से लोग भड़क उठेंगे। इसलिए जन आक्रोश को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें मृत्यु दण्ड की सज़ा नहीं दी, परन्तु उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड देकर बहुत दूर बर्मा (अब म्यांमार) की राजधानी रंगून भेज दिया गया। वहाँ आजन्म वह अपनी बेगम ज़ीनत महल के साथ नज़रबन्दी के रूप में निर्वासित का जीवन बिताते रहे। पक्षाघात के कारण 7 नवम्बर 1862 ई. को बहादुरशाह 'ज़फ़र' की मृत्यु हो गई। उन्हें रंगून में ही श्वेडागोन पैगोडा के निकट दफ़न कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने बहादुरशाह 'ज़फ़र' की लाश को एक कच्ची क़ब्र में दफ़न किया और उसके चारों ओर बाँस का बाड़ा लगवा दिया ताकि शीघ्र ही यह सब गलकर समाप्त हो जाए। लेकिन 1934 ई. में स्थानीय लोगों ने यहाँ एक मक़बरा बना दिया। मज़ार पर 'फ़ातिहा-ख़्वानी' और 'चिराग़-बत्ती' की व्यवस्था कर दी गई है।

उर्दू के एक बड़े शायर- बहादुरशाह 'ज़फ़र' सिर्फ़ एक देशभक्त मुग़ल बादशाह ही नहीं, बल्कि वे एक मशहूर शायर भी थी। उन्होंने बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएं लिखीं, जिनमें से काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बग़ावत के समय मची उथल-पुथल के दौरान खो गईं या नष्ट हो गईं। उनकी शायरी भावुक शायरी की बजाय देशभक्ति के जोश से भरी रहती थी। यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेज़ शासकों को तख़्ते-लन्दन तक हिन्दुस्तान की तलवार चलने की चेतावनी दी थी। बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने कहा था कि-

''ग़ाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की।
तख़्ते-लन्दन तक चलेगी तेग़ हिन्दुस्तान की।।''[10]

देश से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू शायरी का जलवा जारी रहा। वहाँ भी उन्हें हर समय हिन्दुस्तान की फ़िक्र रही। उनकी अन्तिम इच्छा थी कि वह अपने जीवन के अन्तिम श्वांस तक हिन्दुस्तान में ही रहें और वहीं उन्हें दफ़नाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दुःखी होकर बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने अपने जीवन में ही कहा था कि-

''कितना है बदनसीब 'ज़फ़र' दफ़्न के लिए।
दो गज़ ज़मीन भी न मिली कू-ए-यार में।।''[11]

बहादुरशाह 'ज़फ़र' जैसे कम ही शासक होते हैं जो अपने देश को महबूबा की तरह मुहब्बत करते हैं और कू-ए-यार (प्रेयसी की गली) में जगह न मिल पाने की पीड़ा के साथ परदेश में दम तोड़ देते हैं। उन्होंने न केवल मिर्ज़ा ग़ालिब, दाग़ देहलवी, मोमिन ख़ाँ 'मोमिन' और शेख़ इब्राहीम ज़ौक़ जैसे उर्दू के बड़े शायरों को प्रोत्साहन दिया, बल्कि वह स्वयं भी एक अच्छे शायर थे और मुशायरों में हमेशा शरीक़ होते थे। उर्दू के अतिरिक्त वह फ़ारसी, ब्रजभाषा और पंजाबी में भी कविता करते थे। उनके चार काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए, लेकिन पाँचवां नहीं छप सका। साहित्यिक समीक्षकों के अनुसार जहाँ बहादुरशाह 'ज़फ़र' के समय में मुग़ल कालीन सत्ता चरमरा रही थी, वहीं उर्दू साहित्य खास़कर उर्दू शायरी अपनी बुलन्दियों पर थी। बहादुरशाह 'ज़फ़र' की मौत के बाद उनकी शायरी 'कुल्लियात-ए-ज़फ़र' के नाम से संकलित की गई।

सम्मान—1857 ई. की क्रान्ति के नायक बहादुरशाह 'ज़फ़र' के लिए लोगों के दिलों में कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जब रंगून पहुँचे तो उनके मज़ार पर भी गए थे। भारत में कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी बहादुरशाह 'ज़फ़र' के नाम पर एक सड़क का नाम रखा

गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढ़ाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुरशाह 'ज़फ़र' पार्क कर दिया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने जब 2012 ई. में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का दौरा किया था तो वह बहादुरशाह 'ज़फ़र' के मज़ार पर गए थे। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी सितम्बर 2017 ई. की अपनी म्यांमार यात्रा में बहादुरशाह 'ज़फ़र' के मज़ार पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बहादुरशाह 'ज़फ़र' भारत की स्वतन्त्रता से प्रेम करने वाले एक ऐसे बादशाह थे जो किसी भी क़ीमत पर अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के पक्षधर थे। बहादुरशाह 'ज़फ़र' के व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन करते समय हमें उन परिस्थितियों को भी नज़र में रखना चाहिए जिनमें उन्हें जीना पड़ रहा था। यदि वह अपने सेनापति बख़्त खाँ. के साथ दिल्ली छोड़कर चले जाते और स्वतन्त्रता युद्ध जारी रखते तो उनका इतिहास में नाम और अधिक आदर के साथ लिया जाता। उनकी विशिष्टता यह थी कि वह क्रान्ति का राष्ट्रीय चिन्ह बन गए थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही क्रान्तिकारियों ने उन्हें अपना नेता माना। वह एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनका बादशाह के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सभी भारतीय सम्मान करते हैं। देश में हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला तुर्क़मानगेट के सामने रामलीला मैदान में होती है। बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने ही इस रामलीला की शुरूआत कराई थी। यद्यपि भारतमाता के सच्चे सपूत बहादुरशाह 'ज़फ़र' को अपने जीवन काल में स्थाई रूप से भारत की आज़ादी देखने को नहीं मिली, परन्तु उनका अटल विश्वास था कि आज़ादी की यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और भारत अवश्य स्वतन्त्र होगा। हम समस्त भारतीय युग-युग तक उनके ऋणी रहेंगे।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-

1. डॉ. धर्मेन्द्र नाथ- स्वतन्त्रता के ज्योतिपुंज- पृष्ठ 66-राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली- संस्करण 2011 ई.।
2. वही, पृष्ठ 67।
3. वही, पृष्ठ 67।
4. डॉ. भरत मिश्र- 1857 की क्रान्ति और उसके प्रमुख क्रान्तिकारी- पृष्ठ 26-27 - राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली- संस्करण 2008 ई.।
5. डॉ. फ़ैज़ान अहमद- भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन- पृष्ठ 56- राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली- संस्करण 2017 ई.।
6. डॉ. भारत मिश्र- 1857 की क्रान्ति और उसके प्रमुख क्रान्तिकारी- पृष्ठ 41 - राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली- संस्करण 2008 ई.।
7. डॉ. धर्मेन्द्र नाथ- स्वतन्त्रता के ज्योतिपुंज- पृष्ठ 79 -राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली- संस्करण 2011 ई.।
8. वही, पृष्ठ 68।
9. बहादुरशाह 'ज़फ़र'- विकिपीडिया (https://hi.m.wikipedia.org) - पृष्ठ- 2 दिनांक 25/09/2022 से उद्धृत।
10. वही, पृष्ठ 3।
11. संपा. गंगा शरण त्यागी, मुकेश 'नादान' - 1857 के महान् क्रान्तिकारी- पृष्ठ 73 - सनशाइन बुक्स, नई दिल्ली- संस्करण 2008 ई.।

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 27th Apr 23
Paper Accepted : 15th May 23

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्य दल की भूमिका : एक अध्ययन

❑ महेश कुमार चोबदार*

शोध सारांश

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कें अंतर्गत असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य की अवधि राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस कालखण्ड में स्वराज्य दल का उदय जनता के मार्गदर्शन एवं नवीन रचनात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। स्वराज्य दल का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति था। यद्यपि स्वराज्य दल ने कांग्रेस की नीतियों एवं असहयोग के सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया तथापि कौंसिल प्रवेश के प्रश्न पर स्वतंत्र नीति और कार्यक्रम अपनाने का निर्णय किया। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने में स्वराज्य दल के कार्यकरण ने अपना अमूल्य योगदान दिया जिनमें समाचार पत्र-पत्रिकायें एवं मंच प्रचार, जनसम्पर्क, कृषक-श्रमिक उत्थान, रचनात्मक कार्यक्रम, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण, शासन की दमनकारी नीतियों की आलोचना तथा स्वदेशी का प्रचार प्रसार आदि सम्मिलित थे। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज्य दल की भूमिका का सारपूर्ण विवेचन किया गया है। विधायिका सभाओं के बाहर स्वराज्य पार्टी ने समाचार पत्र एवं जनसम्पर्क द्वारा जनता को अपने दृष्टिकोण से परिचित कराया तथा जनजागरण संबंधी विविध कार्यों द्वारा देश में एक नवीन वातावरण का निर्माण किया।

एक नयी पार्टी की स्थापना अवश्यम्भावी मानकर देशबन्धु दास ने 31 दिसम्बर 1922 को ही अपने समर्थकों की बैठक बुलायी। यह बैठक गया में महाराज टिकारी के निवास स्थान पर हुई। यहां कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के नाम से एक नयी पार्टी बनायी गई।[1] 1 जनवरी 1923 की कांग्रेस समिति की बैठक में पं. मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की विधिवत घोषणा की।[2] स्थापना के समय पार्टी का एक संक्षिप्त घोषणापत्र एवं भविष्य का कार्यक्रम तैयार किया गया। इसमें कांग्रेस की नीति और अहिंसात्मक असहयोग के मूलभूत सिद्धान्त स्वीकार किये गये।[3] घोषणापत्र में पार्टी का अपना स्वयं संघटन तथा कार्यक्रम बनाना आवश्यक बताया गया और उसे प्रकाशित करने का उल्लेख भी हुआ।[4] इस अवसर पर देशबन्धु दास, पं0 मोतीलाल नेहरू, विठ्ठल भाई पटेल और चैधरी खलीकुज्जमा सेक्रेटरी बनाये गये। उक्त घोषणापत्र पर एक सौ से अधिक व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थें।[5]

* सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान

1 जनवरी 1923 को गया में कांग्रेस कार्यसमिति की पुनः बैठक हुई। यहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हुआ। पं. मोतीलाल नेहरू ने कहा कि इस नवीन पार्टी के माध्यम से असहयोग के कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाएगा और कौंसिलों में राष्ट्रीय मांग की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव उपस्थित किये जायेंगे। इसी बैठक में देशबन्धु दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र देने का विचार भी व्यक्त किया। कार्यसमिति में परिवर्तनवादी सदस्यों की संख्या तो अधिक थी, किन्तु देशबन्धु दास का त्यागपत्र स्वीकार कर कांग्रेस को कमजोर बनाना कोई भी नहीं चाहता था। अतः उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ और उनसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना की गई। देशबन्धु दास का कहना था कि कांग्रेस का बहुमत उनकी नीति का विरोधी है, इसलिये वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रह सकते। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र तो दे दिया किन्तु दूसरा अध्यक्ष निर्वाचित न होने से 1923 तक बैठक की अध्यक्षता उन्होंने ही की।

स्वराज्य पार्टी के उदय के कारण

स्वराज्यपार्टी के उदय के कारण केवल असहयोग आन्दोलन की विफलता ही नहीं थी; उसके संस्थापक का असहयोग अभियान के समय से गांधीजी के कार्यक्रम एवं कार्यपद्धति में अविश्वास भी था।[6] उक्त अविश्वास समय-समय पर प्रकट भी हो चुका था। कौंसिल-प्रवेश के समर्थक असहयोग की कार्यपद्धति को राष्ट्रीय संघर्ष के लिये समयानुकूल नहीं समझते थे।[7] अतः उक्त कार्यपद्धति का विरोध असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व से होता आया था। सरकार के साथ चल रहे समझौते के समय और आन्दोलन स्थगित करने के समय भी विरोध हुआ। आन्दोलन के स्थगन से उत्पन्न निराशा, कुण्ठा आदि के वातावरण में वह विरोध बढ़ता ही गया। वस्तुतः स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों के मस्तिष्क में एक नयी पार्टी स्थापित करने की योजना पहले से ही थी। 1922 के पूर्वार्द्ध (अलीपुर सेण्ट्रल जेल) में ही चितरंजनदास एक नयी पार्टी स्थापित करने के लिए योजना तथा कार्यक्रम बनाने लगे थे।[8] अतः स्वराज्य पार्टी की स्थापना के लिए क्रमशः पृष्ठभूमि तैयार होती गई।

इस प्रकार गया अधिवेशन तक कांग्रेस कार्यक्रम के प्रति अविश्वास एवं असंतोष का रूप पूर्णतया स्पष्ट तथा प्रबल हो गया था। डॉ. पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है कि जिस समय देशबन्धु दास ने गया-कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण किया, उनके पास दो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे—प्रथम में उनका अध्यक्षीय भाषण था और द्वितीय में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र तथा स्वराज्य पार्टी की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-उपनियम थे।[9] स्पष्ट है कि गांधी जी की कार्यपद्धति के विरुद्ध जो मतभेद तथा असन्तोष, असहयोग अभियान के समय से चला आ रहा था वह गया अधिवेशन के निर्णय के पश्चात् सामने आ गया।

अतः देशबन्धु दास तथा पं. मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में संसदीय पद्धति द्वारा संघर्ष आरम्भ करने के लिए एक नई पार्टी का जन्म हुआ। इसने कांग्रेस की नीतियों एवं असहयोग के सिद्धान्तों में पूर्ण विश्वास प्रकट किया। लेकिन कौंसिल-प्रवेश के प्रश्न पर स्वतंत्र नीति एवं नया कार्यक्रम अपनाने का निश्चय किया।[10] अतः नवीन राजनीतिक सिद्धान्त तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष की एक नई कार्य पद्धति के साथ इस पार्टी का उदय हुआ। फलतः कौंसिलों में कांग्रेस के प्रवेश का एक महत्वपूर्ण अध्याय आरम्भ होता है।

कांग्रेस तथा स्वराज्य पार्टी में समझौते के प्रयास

एक ओर कांग्रेस से अलग होने पर स्वराज्य पार्टी में अपूर्णता बनी रही और दूसरी ओर पं. मोतीलाल नेहरू तथा देशबन्धु दास जैसे प्रमुख स्तम्भों के हटने से कांग्रेस में स्वयं शून्य का आभास होने लगा।[11] इस भाव की पूर्ति के लिए स्वराज्य दलीय सदस्यों तथा अपरिवर्तनवादियों के मध्य समझौते का प्रयास होना स्वाभाविक और आवश्यक था। जनवरी 1923 में जेल से रिहा होने पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दोनों दलों में समझौता करने के लिए प्रयास किया।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक जनवरी 1923 के अंतिम सप्ताह में बम्बई में बुलायी गयी। मौलाना आजाद ने समझौता के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें दोनों दलों के लिए तीन महीनों तक कौंसिल- विषयक प्रचार स्थगित कर 'गया अधिवेशन' में स्वीकृत हुए कार्यक्रम के अनुसार पचास हजार स्वयंसेवक बनाने तथा पचीस लाख रुपया (तिलक स्वराज्यकोष के लिए) एकत्रित करने का प्रयास करना आवश्यक बताया गया। निर्धारित अवधि के पश्चात् दोनों दलों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के निर्णय की प्रतीक्षा करनी आवश्यक थी। इस अवधि की समाप्ति तक समस्या का समाधान न होने पर जून 1923 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन बुलाने के लिए प्रस्ताव में उल्लेख था।[12] वाद-विवाद के पश्चात् कार्यसमिति ने मौलाना आजाद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया लेकिन देशबन्धु दास तथा उनकी पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया।[13] दास बाबू ने कौंसिल-बहिष्कार का प्रचार तत्काल ही स्थगित करने की मांग की किन्तु कार्यसमिति ने उसे स्वीकार नहीं किया। अतएव कोई समझौता न हो सका। अब परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी दोनों ही कांग्रेस संघटन पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयास करने लगे।

समझौते का दूसरा प्रयास प्रयाग में हुआ। 27 फरवरी 1923 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक देशबन्धु दास की अध्यक्षता में हुई। पर्याप्त वाद-विवाद के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ[14]—

1. कौंसिल-संबंधी प्रचार दोनों ही ओर से 30 अप्रैल तक बन्द रहे।
2. इस अवधि के बीच दोनों पक्ष अपने-अपने कार्यक्रमों के शेष भागों का कार्य संचालन पूरा करें लेकिन एक दूसरे के कार्य में बाधा न डालें।
3. अपरिवर्तनवादी गया-कांग्रेस के निश्चयानुसार सत्याग्रह के लिए धन एकत्रित करें तथा स्वयंसेवकों की संख्या में वृद्धि करें।
4. परिवर्तनवादी सदस्य अपरिवर्तनवादियों के साथ रचनात्मक कार्य तथा दूसरे कार्य (जिसे दोनों स्वीकार करते हैं) के लिए रूपया एकत्रित करने और कार्यकर्ता बनाने में सहयोग करें।
5. 30 अप्रैल के पश्चात् फिर दोनों पदों, जैसा उचित संपर्क, अपने अपने कार्यक्रमानुसार कार्य करें।

इस प्रस्ताव की मूलभूत धारणा यह थी कि 30 अप्रैल 1923 तक परिवर्तनवादी सदस्य सविनय अवज्ञा पुनः आरम्भ करने की तैयारी विषयक कार्यक्रम पूरा कर लेंगे तो उस स्थिति में कौंसिल-प्रवेश का प्रश्न न उठाया जायेगा।[15] अतएव कुछ ही समय पश्चात् यह समझौता भी अस्थायी तथा अनुपयुक्त सिद्ध हुआ। अपरिवर्तनवादियों ने समझौते के अनुसार कार्य किया लेकिन उन्हें संतोषजनक सफलता न मिल सकी। सविनय अवज्ञा की तैयारी का कार्यक्रम निर्धारित अवधि तक पूरा नहीं हुआ। तिलक स्वराज्य कोष में पचीस लाख के स्थान पर लगभग तेरह लाख रुपया ही एकत्रित हो पाया। स्वयंसेवकों की संख्या पचास हजार नहीं अपितु दस हजार के लगभग ही हो सकी।[16] स्वराज्यदलीय सदस्यों ने इसे अपरिवर्तनवादियों की पराजय मानी। अब वे कौंसिल-प्रवेश विषयक कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए पुनः प्रयास करने लगे।

इस समय तक कांग्रेस के तत्कालीन कार्यक्रम से असन्तुष्ट होकर उसके अनेक सदस्य स्वराज्य पार्टी में आने लगे थे। इस प्रकार शनैः-शनैः स्वराज्य पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी।[17] इस सम्बन्ध में सुभाषचन्द्र बोस ने लिखा है कि गांधीजी तथा उनके दर्शन के विरुद्ध एक विवेकशील विद्रोह आरम्भ हुआ, जिसका नेतृत्व स्वराज्य पार्टी कर रही थी। अतएव कांग्रेस के दक्षिण तथा वामपंथी विचारक भी गांधी जी के अविवेकवाद से असंतुष्ट थे, वे स्वभावतः स्वराज्य पार्टी में आने लगे।[18] अतः स्वराज्य पार्टी की शक्ति वृद्धि में परिस्थितियां भी सहायक हो गई।

समझोते का तीसरा प्रयास बम्बई में हुआ। मई 25 से 27 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। पुरुषोतम दास टण्डन ने समझौता विषयक एक प्रस्ताव उपस्थित कर निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति देनी

आवश्यक बतायी। उन्होंने कौंसिल-बहिष्कार का प्रचार स्थगित करने की मांग भी की।[19] इस प्रस्ताव का पं. जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया। कुछ सदस्यों ने उसका विरोध करते हुए कहा कि गया अधिवेशन में पारित हुए प्रस्ताव के प्रतिकूल कोई भी प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पारित नहीं कर सकती। अध्यक्ष पद से देशबन्धु दास ने उसे पूर्णतः वैध घोषित कर उस पर विचार करने की अनुमति दे दी।[20] अतएव 26 मई 1923 को उस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ। सुभाषचंद्र बोस, नरसिंह चिन्तामणि कैलकर, एस. सत्यमूर्ति आदि ने कौंसिल-प्रवेश की अनुमति विषयक पुरानी मांग पुनः दुहरायी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आदि अपरिवर्तनवादी सदस्यों ने उसका विरोध किया। अन्त में टण्डन जी का प्रस्ताव प्रबल बहुमत से उसी दिन पारित हो गया।[21]

उक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने से छह अपरिवर्तनवादी सदस्यों[22] ने उसी दिन कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया।[23] तत्पश्चात् कार्यसमिति के अन्य सदस्य श्रीमती सरोजिनी नायडू, टी0 प्रकाशम और डॉ. मुहम्मद अली अंसारी ने भी त्यागपत्र प्रस्तुत किया। इसी समय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पदेन सभापति (एक्स-ऑफिसियो चेयरमैन) देशबन्धु दास ने भी इस पद से त्यागपत्र दिया।[24] अब सेण्टर पार्टी के नाम से एक नई कार्यसमिति बनायी गयी।[25] इसमें अधिकांशतया समझौते के लिए तत्पर एवं तटस्थ रहने वाले व्यक्ति ही सदस्य थे। डॉ. मुहम्मद अली अंसारी अध्यक्ष, पं. जवाहर लाल नेहरू कार्यमंत्री, सैयद महमूद तथा टी. प्रकाशम मंत्री, एम. उमर सौबानी कोषाध्यक्ष, श्रीमती सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार तेजसिंह, पुरुषोतम दास टण्डन आदि इसके सदस्य थे।[26] समझौता विषयक स्वीकृत हुआ प्रस्ताव तथा सेण्टर पार्टी का गठन अपरिवर्तनवादियों की शक्ति की क्षीणता का द्योतक और स्वराज्य पार्टी की शक्ति वृद्धि का परिचायक था।[27]

निर्वाचन में भाग लेने के प्रश्न पर स्वराज्य पार्टी तथा अपरिवर्तनवादियों में संघर्ष तीव्र होता जा रहा था। स्वराज्य पार्टी की शक्ति शनैः शनैः बढ़ती जा रही थी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की प्रत्येक बैठक में स्वराज्य पार्टी का समर्थन बढ़ता गया।

कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन व स्वराज्य दल

उक्त राजनितिक परिस्थितियों में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन 15 सितम्बर 1923 को दिल्ली में बुलाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस के तत्कालीन कार्यक्रम में परिवर्तन करने का उल्लेख किया।[28] कौंसिल-प्रवेश के प्रश्न पर सर्वप्रथम विषय-समिति में विचार हुआ। मौलाना मुहम्मद अली ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तदनुसार कांग्रेस के वे सदस्य जो कौंसिल-प्रवेश के समर्थक थे, आगामी निर्वाचन में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होने तथा मत देने के लिए स्वतंत्र थे। उक्त प्रस्ताव में कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध सभी प्रकार के प्रचार बन्द करने का भी उल्लेख था।[29] प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय मुहम्मद अली ने कहा कि गांधी जी ने जेल से ही उनके पास एक संदेश भेजा है जिसमें उन्होंने असहयोग के कार्यक्रम में परिवर्तन एवं संशोधन की अनुमति दी है साथ ही निर्वाचन में प्रत्याशी होने के लिए कांग्रेस के सदस्यों को अपने विवेक से निर्णय करने की छूट भी दी है।[30]

अपरिवर्तनवादी सदस्य प्रस्ताव के विरुद्ध थे। फिर भी स्वराज्यदलीय सदस्यों की तुलना में उन्होंने अपनी शक्ति कम कर कौंसिल-प्रवेश विषयक प्रश्न पर सब उत्तरदायित्व मौलाना मुहम्मद अली पर ही सौंप दिया। चार घंटे तक प्रस्ताव पर वाद-विवाद हुआ। अन्त में वह प्रबल बहुमत से स्वीकृत हो गया।[31] 16 सितम्बर 1923 को मुहम्मद अली ने कौंसिल-प्रवेश सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव कांग्रेस के विशिष्ट अधिवेशन में प्रस्तुत किया। इस समय तक अपरिवर्तनवादियों की शक्ति पहले की अपेक्षा क्षीण हो चली थी। इसलिए वे कौंसिल-प्रवेश के प्रश्न पर समझौता के लिए सहमत हुए।[32]

अन्त में उक्त प्रस्ताव प्रबल बहुमत से स्वीकृत हो गया।[33] फलतः स्वराज्यदलीय सदस्य कौंसिल-प्रवेश

सम्बन्धी कार्यक्रम के संचालन के लिए स्वतंत्र समझे गए और अपरिवर्तनवादी रचनात्मक कार्यक्रम के संचालन के लिए। इस प्रकार स्वराज्यपार्टी की निर्वाचन में भाग लेने तथा कौंसिलों के माध्यम से सहयोग करने की अनुमति मिल गयी। इसे उसकी विजय का द्योतक समझना चाहिए। जैसा कि पहले भी कहा गया है कौंसिल-प्रवेश की मांग असहयोग आन्दोलन के पहले से ही की जा रही थी। लेकिन कुछ वैयक्तिक एवं वस्तुगत कारणों से इसे कांग्रेस की स्वीकृति न मिल पायी। कुछ समय पश्चात् आन्दोलन की असफलता तथा राजनीतिक कार्यक्रम के अभाव से कौंसिल-प्रवेश के पक्ष में शनैः-शनैः परिस्थितियां अनुकूल होती गयीं। कौंसिल-प्रवेश के समर्थकों के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। उन्हें केवल उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी थी।[34] इस प्रकार स्वराज्यदलीय सदस्यों ने 6 महीने के परिश्रम एवं अनवरत संघर्ष के पश्चात् असहयोग की धारा कौंसिल-प्रवेश की दिशा में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की।

स्वराज्य पार्टी का निर्वाचन घोषणा पत्र 1923

1919 के अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान सभा तथा प्रान्तीय विधान परिषदों का प्रथम सामान्य निर्वाचन नवम्बर 1920 में हुआ। उस समय सरकार के विरुद्ध असहयोग अभियान की तैयारी हो रही थी। इस लिए कांग्रेस ने निर्वाचन का बहिष्कार किया। द्वितीय सामान्य निर्वाचन के समय (1923) तक देश की राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन हो चुका था। असहयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने से सांप्रदायिक तत्व प्रबल होने लगे थे। कौंसिल-प्रवेश सम्बन्धी प्रश्न पर स्वयं कांग्रेस में ही स्पष्ट रूप से फूट पड़ गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई जिसका कार्यक्रम फरवरी 1923 में प्रकाशित हुआ। 14 अक्तूबर 1923 को उसका निर्वाचन घोषणापत्र प्रकाशित हुआ।

निर्वाचन घोषणा पत्र में स्वराज्य पार्टी का कांग्रेस से सम्बन्ध, शासन सुधार का वास्तविक स्वरूप तथा उसके प्रति पार्टी के दृष्टिकोण का उल्लेख था। घोषणा पत्र में कौंसिल-प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रम के समर्थकों के साथ सम्बन्ध, निर्वाचक के सम्मुख प्रश्न, राष्ट्रीय माग, अन्य राजनीतिक दलों से स्वराज्य पार्टी के सम्बन्ध आदि की विशद व्याख्या की गई थी। साथ ही देश की तत्कालीन परिस्थितियो का भी इसमें उल्लेख किया गया था। घोषणा पत्र में पार्टी के कार्यक्रम का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया गया था और उसकी और से प्रत्याशी होने के लिए आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी व्यवस्था भी दी गई थी। वस्तुतः निर्वाचन घोषणापत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, पार्टी के कार्यक्रम का वह संक्षिप्त रूप था।

शासन सुधार का वास्तविक स्परूप तथा पार्टी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण

स्वराज्य पार्टी की दृष्टि में ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन करने का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के स्वार्थी एवं हितों की रक्षा करना था। 1919 का अधिनियम इसके लिये एक साधनमात्र था। युद्ध काल में ब्रिटिश शासक ने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए भारतीयों को शासन सुधार द्वारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना का झूठा आश्वासन दिया था। उनका वास्तविक उद्देश्य तो भारत के असीम आर्थिक स्रोतों का इस ढंग से शोषण करना था जिससे भारतीय सदैव ब्रिटेन की अधीनता में बने रहें। भारतीय जनता को नागरिकता के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था।[35] भारतीय नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार न कर ब्रिटिश सरकार विश्व के सामने उन्हें अपमानित भी कर रही थी। इन बुराइयों की समाप्ति तथा भारतीयों के मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना आवश्यक था। अतएव स्वराज्यपार्टी कौंसिलों के माध्यम से अहिंसात्मक असहयोग की प्रगतिशील नीति द्वारा सरकार की निरंकुश शासन व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए तत्पर थी।[36]

कौंसिल-सम्बन्धी कार्यक्रम के समर्थकों से सम्बन्ध

कुछ देशभक्त, ऐसे थे जिन्हें असहयोग आन्दोलन से तो सहानुभूति न थी किन्तु स्वराज्य पार्टी के कौंसिल-विषयक कार्यक्रम के वे समर्थक थे। ऐसे व्यक्तियों से उसने अपना सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक समझा। इसीलिए

निर्वाचन घोषणा-पत्र में स्पष्टतया कहा गया था कि स्वराज्यपार्टी के कौंसिल विषयक कार्यक्रम के प्रति सहानुभूति रखने वाले राष्ट्रवादियों से उसका कोई वैमनस्य नहीं है।[37] कौंसिल-सम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकार कर लेने पर कोई भी राष्ट्रवादी उसका सदस्य बन सकता था। वह निर्वाचन के लिए उसकी ओर से प्रत्याशी भी हो सकता था। इस प्रकार स्वराज्यपार्टी की कौंसिल-सम्बन्धी नीतियों तथा निर्देश के पालन करने पर राष्ट्रवादियों के लिए उसकी और से प्रत्याशी होने का मार्ग खुला था।

निर्वाचकों के सम्मुख राष्ट्रीय समस्याएं

स्वराज्यपार्टी का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति था जिसमें एक संविधान निर्मित करने का अधिकार भी सम्मिलित था। इसके लिए देश की परिस्थिति तथा जनता की प्रतिभा के अनुकूल ही प्रशासकीय व्यवस्था का निर्माण करना था। इसका अभिप्राय शासन का हस्तान्तरण नौकरशाही के हाथ से स्वयं भारतीय जनता के हाथ में लेना था।[38] पार्टी के घोषणा पत्र में नमक कर, प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन), केनया की समस्या जैसे प्रश्नों के समाधान के लिए सरकार की निरंकुशतापूर्ण नीतियों का अन्त करना एकमात्र उपचार बताया गया।[39] वस्तुतः स्वराज्यपार्टी पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना चाहती थी। वह ऐसी व्यवस्था आवश्यक समझती थी जिसमें भारत मंत्री, भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकार आदि की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार भारतीय जनता के हाथ में हो और उसका संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाए।

राष्ट्रीय मांग

स्वराज्यपार्टी के सदस्य केन्द्रीय विधान सभा में प्रवेश कर सरकार की शासन व्यवस्था पर नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत करना चाहते थे।[40] लेकिन उसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण अत्यन्त उदार था। राष्ट्रीय मांग की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ वे सम्मानजनक समझौता करने के लिए तैयार थे। लेकिन कोई न होने, सरकार द्वारा राष्ट्रीय मांग स्वीकार न करने तथा स्वीकार करने योग्य शर्त न रखने पर वे कौंसिल के अन्दर एकरूप (यूनिफॉर्म), सतत (कण्टीन्यूअस) और सुसंगत (कण्डिस्टेण्ट) अवरोध (ऑब्सक्शन) की नीति को अपनाकर सरकार का शासन संचालन असंभव बना देने के लिए कटिबद्ध थे।[41]

अन्य राजनीतिक दलों से सम्बन्ध

निर्वाचन घोषणापत्र में अन्य राजनीतिक दलों के साथ पार्टी के संबंध का स्पष्टीकरण मी आवश्यक समा गया। इसीलिए उसमें कहा गया था कि स्वराज्य पार्टी के सदस्य कौंसिलों के अन्दर केवल सरकार के विरुद्ध अवरोध की नीति अपनायेंगे, किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ नहीं। स्वष्ट है कि अन्य राजनीतिक दलों के साथ स्वराज्यपार्टी का कोई विरोध न था। वह राष्ट्रीय मांग की प्राप्ति के लिए भारत के सभी राजनीतिक दलों का सहयोग चाहती थी। इस दृष्टि से दूसरे दल के गैर-सरकारी प्रस्ताव तथा विधेयक का समर्थन करना भी उसके सिद्धान्तों के विपरीत न था।[42] उसके सदस्य संवैधानिक प्रगति के लिए अपने सिद्धान्त तथा कार्यक्रम के अनुरूप कुछ शर्त एवं सुझाव भी रखे थे- सरकार को पराजित करने के लिए स्वराज्यदलीय सदस्य अन्य दलों को आमंत्रित कर सकते थे। सरकार द्वारा किसी गैर-सरकारी प्रस्ताव का विरोध करने अथवा अन्य दलों द्वारा सरकारी प्रस्ताव का विरोध करने पर वे गैर-सरकारी सदस्यों का साथ देने के लिए तैयार थे।[43] सरकार के सम्मुख राष्ट्रीय मांग उपस्थित करने में कौसिलों के अन्दर सभी राजनीतिक दलों का समर्थन तथा सहयोग मिलने की उन्हें पूर्ण आशा थी। इस प्रकार राष्ट्रीय मांग की स्वीकृति के लिए स्वराज्य पार्टी के सदस्य कौंसिल में अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन एवं सहयोग चाहते थे।

जनता तथा अन्य वर्ग

भारतीय कृषकों के हित के लिए कार्य करना पार्टी के प्रति निष्ठावान् होना बताया गया। कृषक देश के आधारस्तम्भ थे और राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रधान आश्रय।[44] उनकी शोचनीय दशा में सुधार करना पार्टी का मुख्य कर्तव्य समझा गया। पार्टी की दृष्टि में भारतीय कृषकों की दयनीय

स्थिति की समाप्ति का एकमात्र उपचार स्वराज्य प्राप्ति था। स्वराज्यपार्टी कृषकों के हितों की रक्षा के लिए सदा तत्पर थी। साथ ही उसने अपने घोषणापत्र में जमींदारों के साथ भी अन्याय न होने का आश्वासन दिया। उसका दृढ विश्वास था कि कृषकों तथा जमींदारों के वास्तविक हितों की रक्षा से ही स्वराज्य का ठोस आधार सम्भव है। घोषणापत्र में बताया गया था कि पार्टी की सदस्यता सभी के लिए खुली रहेगी, किन्तु प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रवेश उसमें न हो सकेगा।

स्वराज्य पार्टी तथा उदार दल

स्वराज्य पार्टी तथा उदार दल में कई बातों में समानता थी। दोनों का लक्ष्य उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था। इस दृष्टि से सरकार पर शीघ्रातिशीघ्र दबाव डालने के लिए दोनों दृढ़ संकल्प थे। राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए 1919 के अधिनियम को दोनों ही असन्तोषजनक एवं अपर्याप्त समझते थे।[45] इसमें परिवर्तन तथा संशोधन कराने की दृष्टि से कार्यपालिका पर दबाव डालने के लिए दोनों ही कटिबद्ध थे। विदेश में रहने वाले भारतीयों के अधिकारों की प्राप्ति, सेना तथा सार्वजनिक नौकरियों का भारतीयकरण, सुरक्षात्मक आयातकर (प्रोटेक्टिव टेरिफ) की व्यवस्था, राष्ट्रीय उद्योगों के विकास एवं वृद्धि में दोनों के विचार और दृष्टिकोण एक थे।[46]

जहाँ तक कार्यपद्धति का प्रश्न था, दोनों में पर्याप्त भिन्नता थी।[47] उदारदलीय सदस्य 1919 के अधिनियम को असन्तोषजनक समझते हुए भी उसकी क्रियान्विति में सक्रिय भाग लेते आये थे।[48] लेकिन स्वराज्यपार्टी के सदस्य राष्ट्रीय मांग तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनुरूप अधिनियम में परिवर्तन चाहते थे। अतएव वे अपने ढंग से सरकार की व्यवस्था करने के लिए दृढ संकल्प थे।[49]

निर्वाचन अभियान 1923

कौंसिलों के द्वितीय सामान्य निर्वाचन (1923) में मुख्यतया स्वराज्य पार्टी तथा उदारदल में संघर्ष हुआ। कुछ निर्दलीय सदस्यों ने भी निर्वाचन में भाग लिया, किन्तु उनका न तो कोई निश्चित कार्यक्रम था और न राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय संघटन ही था।[50] उदारदलीय सदस्यों को कौंसिल विषयक कार्यों में सफलता न मिल सकी थी। कौंसिलों की कार्यवाहियों में भाग लेने से उनका दलीय संघटन शिथिल हो गया।[51] उनमें उत्साह, साहस तथा शक्ति का क्रमशः ह्रास भी होने लगा। वे शंकित, हतोत्साहित तथा विच्छिन्न हो चुके थे।[52] अपने कार्यों एवं सफलताओं के प्रति उन्हें सन्देह भी होने लगा था। ऐसे वातावरण में उदारदलीय सदस्यों ने निर्वाचन में भाग लिया।[53] उस समय किसी लोकप्रिय अपील के अभाव में वे ब्रिटिश शासन की बुराइयों का पर्दाफाश कर रहे थे जिससे वे स्वयं भी सम्बद्ध थे।[54] अतः निर्वाचन में उनको सफलता की आशा कम थी।

कौंसिल-प्रवेश सम्बन्धी प्रश्न पर विविध कठिनाइयों एवं आलोचना का सामना करने से स्वराज्यपार्टी के कार्य में बहुत बाधा पड़ी थी। निर्वाचन की तैयारी के लिए उसके पास समय कम था। फिर भी अथक परिश्रम द्वारा उसने निर्वाचन में भाग लिया। उसके निर्वाचन घोषणा पत्र में भविष्य की नीति का स्पष्ट उल्लेख था। निर्वाचकों के सम्मुख उदारदल की अपेक्षा उसकी स्थिति सुदृढ थी।[55] वस्तुतः उस समय स्वराज्यपार्टी ही एक ऐसी संस्था थी जिसका अपना दलीय संघटन तथा निश्चित कार्यक्रम था। ग्राम- पुनर्संघटन, प्रान्तीय स्वायत्त व्यवस्था की स्थापना, नौकरियों का भारतीयकरण, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण तथा दमनात्मक कानूनों की समाप्ति आदि से संबंधित उसकी मांग जनता की इच्छा के अनुकूल थीं।

कांग्रेस द्वारा निर्वाचन की अनुमति मिलना भी स्वराज्य पार्टी के लिए सहायक हुआ। यह कांग्रेस से उत्पन्न होने के साथ-साथ उसका एक अभिन्न अंग थी। अतः उससे प्राप्त होने वाले लाभ तथा सहायता का उसने पूर्णतया सदुपयोग किया। अपने निर्वाचन अभियान के समय स्वराज्यदलीय सदस्यों ने यथाशक्ति जनसम्पर्क स्थापित किया।[56] उन्होंने मतदाताओं के सम्मुख उन आदर्श की प्राप्ति का वचन दिया जिसके लिए स्वयं गांधी जी प्रयत्नशील थे। स्वराज्यपार्टी के सदस्यों ने अपनी कौंसिल सम्बन्धी कार्य पद्धति को गांधी जी के असहयोग आंदोलन

का ही एक पहलू समझा और जनता के सम्मुख समय-समय पर इसे स्पष्ट भी किया।[57] उन्होंने कौंसिल-प्रवेश तथा असहयोग सम्बन्धी अपनी नीतियों की विस्तृत व्याख्या भी की थी। वास्तव में उनके कौंसिल- प्रवेश का अभिप्राय सरकार की राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध करना तथा 1919 के अधिनियम के खोखलेपन का पर्दाफाश करना था। उन्होंने जनता को यह आश्वासन दिया था कि वे निर्वाचन के पश्चात् कौंसिलों में जाकर आत्म निर्णय के अधिकार की प्राप्ति के लिए सरकार के सम्मुख एक अल्टिमेटम भी उपस्थित करने वाले हैं। यदि सरकार इसको अस्वीकार करेगी तो वे राज्य के शासन संचालन में बाधा डालने का प्रयास करेंगे।[58] ऐसे कार्यक्रम तथा ऐसे आश्वासन लोकप्रिय थे। अतः यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास में इस प्रकार का निर्वाचन घोषणा पत्र सर्वप्रथम था। जनता की राजनीतिक चेतना जाग्रत करने में इसका पर्याप्त योगदान रहा। इससे राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय आरम्भ होता है। 1937 का निर्वाचन इसका विस्तृत रूप बना।

निर्वाचन में भाग लेने के लिए स्वराज्य पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक योजना बनायी थी। नीचे की इकाई से ऊपर के संघटन की और पहुंचने के लिए प्रत्येक प्रान्त अनेक जिलों में विभक्त था। वास्तव में स्वराज्यदलीय नेताओं ने पार्टी के संघटनात्मक कार्यों में अत्यधिक तत्परता दिखायी। उन्होंने संघटन विषयक कार्यों का विस्तारपूर्वक निरीक्षण भी किया। उनकी कार्य क्षमता तथा लगन से ही पार्टी की संघटन-व्यवस्था सुदृढ हो सकी थी।

आगे चलकर भारतीय राजनीतिज्ञों और समाचारपत्रों के अतिरिक्त सरकार तथा सरकारी दस्तावेजों में भी उसकी प्रशंसा की गई। साइमन कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि 'स्वराज्यपार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भलीभांति सुसंघटित तथा अनुशासित है और जिसका एक निश्चित कार्यक्रम भी है।'

देशबन्धु दास तथा पं. मोतीलाल नेहरू पार्टी के प्रमुख व्याख्याता थे। उनके चुनाव-भाषणों द्वारा पार्टी के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण हुआ। अतएव स्वराज्य पार्टी का कार्यक्रम तथा संघटन उदारदल के कार्यक्रम को प्रभावहीन कर देने में पूर्णतया सफल हुआ। निर्वाचन के समय उसके कार्यक्रम के साथ उदारदल अपनी सहमति प्रकट करने के अतिरिक्त स्वयं अपना कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत करने में असमर्थ था। इस प्रकार 1923 का निर्वाचन जिस वातावरण में हुआ वह स्वराज्य पार्टी के अनुकूल था। फिर भी कौंसिलों के तत्कालीन ढांचे के अन्तर्गत उसे सीमित स्थान ही मिल पाये।

केन्द्रीय विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 143 थी। इसमें 40 मनोनीत, 25 सरकारी तथा 15 गैरसरकारी सदस्य थे। शेष 103 सदस्यों के निर्वाचन होते थे। जमींदारों, विशिष्ट हितों तथा सम्प्रदायों आदि के लिए निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित थे। फिर भी केन्द्रीय विधानसभा के लिए स्वराज्य पार्टी के 45 सदस्य विजयी हुए।

तृतीय सामान्य निर्वाचन नवम्बर 1926 में हुआ। स्वराज्य पार्टी ने कांग्रेस की ओर से निर्वाचन में भाग लिया। कांग्रेस के महामंत्री श्री रंगस्वामी आयंगर ने निर्वाचन घोषणा-पत्र प्रकाशित किया।

कांग्रेस का पूर्ण सहयोग मिलने से 1923 की अपेक्षा 1926 के निर्वाचन में स्वराज्य पार्टी की स्थिति सुदृढ थी, किन्तु कुछ और परिस्थितियों से उसकी शक्ति कम हो गई। 1923 की परिस्थितियां अब नहीं रहीं। उस समय स्वराज्य पार्टी एक नई पार्टी थी। उसमें एकता थी और नया जोश था। अतः इनके समाप्त हो जाने से 1926 का वातावरण स्वराज्य पार्टी के अनुकूल न था।[59] इस चुनाव में केन्द्रीय विधान सभा के लिए निर्वाचित कुल 105 स्थानों में उसे केवल 35 स्थान मिले।[60] यद्यपि स्वराज्य पार्टी ने सदन की कुल निर्वाचित संख्या (105) का एक तिहाई स्थान प्राप्त कर लिया तथापि उसके सदस्यों की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई। मद्रास की प्रान्तीय विधानपरिषद् में वह सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी। बंगाल में वह प्रमुख विरोधी दल के रूप में विजयी हुई। लेकिन 1923 की अपेक्षा इस निर्वाचन में उसकी सदस्य संख्या कम हो गई।[61] यह निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट हो जाएगा-

प्रान्त	स्वराज्य पार्टी के निर्वाचित सदस्य	
	1923	1926
केंद्र	45	35
आसाम	8	19
बंगाल	47	44
बंबई	23	11
मध्यप्रदेश	41	17
मद्रास	14	46
पंजाब	12	13
बिहार	12	35
उत्तरप्रदेश	31	19

स्वतंत्रता आन्दोलन को प्रेरित करने वाले स्वराज्य पार्टी के अन्य कार्य

समाचार पत्र एवं मंच-प्रचार

स्वराज्य पार्टी ने स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु जनता को जागरुक करने के लिए जनकल्याण के लिए अनेक कार्य विधायिका सभाओं से बाहर भी किए। अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों का प्रचार करने, संघटन-व्यवस्था सुदृढ बनाने और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में सहायता पहुंचाने आदि के लिए उसके सदस्यों ने अथक प्रयास किया। इसमें सफलता प्राप्ति के लिए समाचार पत्र तथा मंच की उपयोगिता उन्होंने प्रारम्भ से ही महसूस की। 1923 में निर्वाचन अभियान के समय देशबन्धु दास ने बंगाल, मध्यप्रान्त तथा दक्षिण भारत में दौरा किया तथा पं. मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में और विट्ठलभाई पटेल ने बम्बई में।

पार्टी की और से कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए। बंगलारकथा नामक चार पृष्ठ का एक दैनिक पत्र प्रकाशित किया गया। इसके सम्पादक सुभाषचन्द्र बोस थे।[62] अक्तूबर 1923 में देशबन्धु दास ने फॉरवर्ड नामक दूसरे दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। कुछ ही समय में इसने राष्ट्रीय पत्रों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया।[63] इसका संचालन और इसकी सम्पादकीय व्यवस्था श्रेष्ठ थी। फलतः जनमत के गठन पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा।[64]

मद्रास से प्रकाशित ए. रंगास्वामी आयंगर के तमिल दैनिक पत्र 'स्वदेश मित्र' ने स्वराज्य पार्टी के सिद्धान्त तथा कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन किया। कालान्तर में इसी नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकलना प्रारम्भ हुआ।[65] पूना से प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी पत्र केसरी के माध्यम से भी स्वराज्य पार्टी के कार्यों का औचित्य सिद्ध होता रहा और प्रचार कार्य भी चलता रहा।[66] उत्तर प्रदेश से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र इण्डिपेण्डेण्ट से भी इस कार्य में पर्याप्त सहायता मिली।

स्वराज्यदलीय नेताओं ने भाषणों तथा वक्तव्यों द्वारा भी अपने सिद्धान्तों और कार्यक्रमों का प्रचार किया। वे उत्कृष्ट वक्ता थे। उनके शब्दों में हृदयग्राही शक्ति थी। देशबन्धु दास का यह वक्तव्य कि 'मैं तथा मेरी पार्टी ऐसे

स्वराज्य के पक्ष में है जिसमें कि 98 प्रतिशत जनता को स्वराज्य मिल जायगा', बहुत ही लोक प्रिय था। यह लोकप्रिय वाक्य पार्टी के मंच से कई बार दुहराया गया। जनता इसकी ओर आकर्षित हुई।

जन-सम्पर्क

स्वातंत्र्य संघर्ष के इतिहास में गाँधीजी के प्रवेश से जन सम्पर्क की परम्परा आरम्भ हुई। उनकी आवाज जन-सामान्य तक पहुंची। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता में असन्तोष की भावना जागृत की, उसे निर्भय बनाया।[67] अतः स्वराज्य-प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उनके नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आन्दोलन (1920-22) प्रथम अखिल भारतीय जन आन्दोलन था। सभी सम्प्रदायों एवं जातियों के व्यक्तियों ने उसमें भाग लिया।[68]

स्वराज्यदलीय नेताओं ने भी जन सम्पर्क को आवश्यक समझा। कौंसिलों के माध्यम से असहयोग करना उनके लिए एक नया कार्य था। निर्वाचन में सफलता प्राप्ति के लिए जन सम्पर्क की आवश्यकता थी। अतएव स्वराज्य पार्टी ने जनसम्पर्क स्थापित किया। निर्वाचन घोषणा पत्र के अनुसार पार्टी का लक्ष्य शासन व्यवस्था को जनता के अधीन बनाना था।[69] स्वराज्य के दलीय सदस्यों ने भारतीय कृषकों को देश का आधार स्तम्भ माना[70] और उनके स्वार्थ एवं हितों की रक्षा करना अपना प्रमुख कर्तव्य।[71]

रचनात्मक कार्यक्रम

कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में स्वराज्य पार्टी ने अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। उसके कार्यक्रम में इसका महत्वपूर्ण स्थान था। स्वराज्यदलीय नेताओं ने रचनात्मक कार्यक्रम की उपयोगिता सदा स्वीकार की और इस सम्बन्ध में विभिन्न अवसरों पर वक्तव्य भी दिये। गौहाटी-कांग्रेस (1926) में पं. मोतीलाल नेहरू ने कहा था हमारा दृढ विश्वास है कि यदि हम कौंसिलों के बाहर के कार्यों को दृष्टि में न रखेंगे तो उनके अन्दर के कार्यों का महत्व बहुत कम हो जाएगा।[72] रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति के लिए स्वराज्य पार्टी ने स्वच्छ एवं शक्तिपूर्वक कार्य करने का निश्चय किया था।

कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में श्रमिक संघटन एक महत्वपूर्ण अंग था। जनसामान्य की दशा में सुधार के लिए कांग्रेस सदा ही प्रयत्नशील रही। वह कृषकों तथा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना अपना प्रमुख लक्ष्य मानती आयी थी। इसके लिए कांग्रेस संघटन के अन्तर्गत तथा कृषक विभाग भी खोले गये थे।[73]

श्रमिक एवं कृषक संघटन

श्रमिक तथा कृषक संघटनों को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता और उपयोगिता की स्वराज्य पार्टी ने भी सदा स्वीकार किया।[74] गया- अधिवेशन (1922) में देशबन्धु दास ने कृषक तथा श्रमिक संघटन विषयक कार्यों का संचालन करने के उन्होंने मध्यम एवं बौद्धिक वर्ग की तुलना में श्रमिकों तथा कृषकों को स्वराज्य प्राप्ति के लिए अत्यधिक उत्सुक बताया और कहा कि निर्धनों के लिए रोटी दिलाना तथा उनके साथ न्याय प्राप्ति का प्रयास करना स्वराज्य-प्राप्ति से भिन्न नहीं हो सकता।[75]

स्वराज्यदलीय सदस्यों ने श्रमिकों के उत्थान, उनकी न्यायिक मांगों की प्राप्ति और उनका शोषण रोकने की दृष्टि से भी कार्य करना आवश्यक माना। उन्होंने आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के माध्यम से कार्य करने पर भी जीर दिया, जिससे श्रमिकों की आर्थिक दशा, आवास व्यवस्था, अच्छा वेतन, स्वच्छ वातावरण और पूंजी तथा श्रम के समुचित वितरण के लिए कार्य किया जा सके। इस दिशा में स्वराज्यदलीय सदस्यों ने सदा प्रयास किया। कलकत्ता-कांग्रेस (1925) के अध्यक्षीय भाषण में पं. मोतीलाल नेहरू ने रचनात्मक कार्यक्रम के संचालन पर विशेष बल दिया।[76]

हिन्दू-मुस्लिम एकता

कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम एकता की वृद्धि का उच्च स्थान था। उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता को अनिवार्य माना। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में सम्प्रदायिकता की भावना सदा ही बाधक रही। इसके अवरोध एवं समाप्ति के लिए कांग्रेस ने कार्य किया। वह भलीभांति जानती थी कि उसके

लक्ष्यों की पूर्ति हेतु साम्प्रदायिकता का अन्त करना आवश्यक है। इसीलिए उसने हिन्दू मुस्लिम एकता को प्रधानता दी। लेकिन साम्राज्यवादी सरकार ने साम्प्रदायिकता को विभिन्न प्रकार से उत्साहित किया। यह उसके हित के अनुकूल था। इसके ठीक विपरीत था राष्ट्रवाद का हित।[77]

हिन्दू मुस्लिम एकता एवं बन्धुत्व की भावना दृढ करने का प्रयास स्वराज्यदलीय सदस्यों के लिए स्वाभाविक ही था। हिन्दुओं तथा मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार के लिए उनके कार्यक्रम में भी उल्लेख था। इस दिशा में सफलताप्राप्ति के लिए स्वराज्य पार्टी सदा कार्यरत रही।[78]

अस्पृश्यता निवारण

राष्ट्रवादियों की भांति स्वराज्यदलीय सदस्यों का भी विश्वास था कि यदि भारतीय अपने ही देशवासियों के एक वर्ग को हय दृष्टि से देखेंगे तो राजनीतिक प्रगति सार्थक नहीं हो सकती। स्वभावतः हरिजनों और दलित वर्गों के अधिकारों की प्राप्ति तथा इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्वराज्यदलीय सदस्यों ने भरसक प्रयास किया। देश स्वतंत्र होने के पश्चात् नव-निर्मित संविधान में अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया।[79]

चरखा, खादी एवं स्वदेशी

स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रम में स्वदेशी एक प्रमुख अंग था। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में दल के सदस्यों ने स्वदेशी के प्रचार का सदा समर्थन किया। लेकिन चरखा तथा खादी के सम्बन्ध में स्वराज्य पार्टी का दृष्टिकोण उदार था। गया-कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में देशबन्धु दास ने, इस सम्बन्ध में, अपना विचार व्यक्त किया था। खादी उत्पादन को वे व्यापारिक उपयोगिता की दृष्टि से नहीं अपितु स्थानीय मांग की दृष्टि से आवश्यक समझते थे।[80]

अन्य कार्य[81]

अ. निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयास।
ब. निर्धनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा।
स. सस्ता खाधान्न एवं दूध।
द. शुद्ध जल का वितरण।
य. सफाई की सुन्दर व्यवस्था।
र. निर्धनों के लिए आवास।
ल. यातायात व्यवस्था में सुधार और
व. कम व्यय द्वारा स्वच्छ प्रशासन।

समीक्षा

स्वराज्य पार्टी ने विधायिका सभाओं के बाहर समाचार पत्र एवं जनसम्पर्क द्वारा जनता को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के संचालन में सक्रिय भाग लिया और हिन्दू-मुस्लिम एकता की वृद्धि के लिए कदम उठाया। स्वदेशी की प्रगति में योग दिया और जन हित एवं जनजागरण विषयक विविध कार्यो (साइमन कमीशन का बहिष्कार एवं नेहरू कमेटी रिपोर्ट) द्वारा एक नये वातावरण का निर्माण किया। उसके सदस्यों ने सरकार की दमनकारी नीतियों की पुरजोर आलोचना की, जिनमें 'मेरठ कान्सपोरेसी कैस', सार्वजनिक सुरक्षा विधयक आदि मुख्य हैं। स्वराज्य पार्टी ने अपनी शर्तों पर, सरकार के साथ सहयोग करने के लिए भी तत्परता दिखायी देशबन्धुदास का फरीदपुर का वक्तव्य इसका प्रमाण है। राष्ट्र के लिए दास की वह अन्तिम वसीयत थी। भारत के संवैधानिक विकास में उसका अपना स्थान है।

संदर्भ

1. बी.आर. नंदा, द नेहरुज़ः मोतीलाल एंड जवाहरलाल, जॉर्ज एलन एण्ड अलविन, लंदन, 1962, पृ. 205
2. डी. जी. तेंदुलकर, महात्मा, वॉल्यूम-प्प्, बॉम्बे, 1957, पृ. 152
3. वही, पृ. 152
4. एम.आर. जयकर, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, वॉल्यूम-प्प्ए एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बॉम्बे, 1959, पृ. 173
5. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1923, सिक्स्थ इश्यू, पृ. 873

6. पी.सी. रे, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सी.आर. दास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता, 1927, पृ. 201
7. वी.एन. नाइक, इंडियन लिबरेलिज्मः ए स्टडी, पद्मा पब्लिकेशन, बॉम्बे, 1945, पृ. 94
8. सुभाष चन्द्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, (1920-34), कलकत्ता, 1948, पार्ट- प्प्, पृ. 114-115
9. बी. पट्टाभिसीतारमैया, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉल्यूम-प्, पृ. 252
10. बी.आर. नंदा, द नेहरुज़ः मोतीलाल एंड जवाहरलाल, पृ. 206
11. डी. जी. तेंदुलकर, महात्मा, वॉल्यूम-प्प्, बॉम्बे, 1957, पृ. 153
12. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1923, सिक्स्थ इश्यू, पृ. 150
13. वही, पृ. 150
14. वही, पृ. 153
15. नरहरी, डी. पारेख, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वॉल्यूम- प्, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1953, पृ. 179
16. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1923, सिक्स्थ इश्यू, पृ. 167-68
17. वही, पृ. 251
18. सुभाष चन्द्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, (1920-34), पार्ट- प्प्, पृ. 164
19. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1923, वॉल्यूम- प्प्, पृ. 162
20. वही, पृ. 164
21. वही, पृ. 164-65
22. बी. पट्टाभिसीतारमैया, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉल्यूम- प्, पृ. 255
23. वही, पृ. 255-56
24. बी.आर. नंदा, द नेहरुज़ः मोतीलाल एंड जवाहरलाल, पृ. 206
25. वही, पृ. 206
26. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1923, वॉल्यूम- प्प्, पृ. 166
27. वही, पृ. द सेवन्थ इश्यू सपलमेंट, पृ. 6
28. मौलाना ए.के. आज़ाद, इंडिया वीनस फ्रीडम, ऑरिएन्ट लोंगमंस, कलकत्ता, 1959, पृ. 19-20
29. द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन मध्यप्रदेश, पृ. 330
30. नरहरी, डी. पारेख, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वॉल्यूम- प्, प1. 184
31. द पायनियर, सितम्बर, 17, 1923, पृ. 6
32. सुभाष चन्द्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, (1920-34), पार्ट- प्प्, पृ. 126
33. द पायनियर, सितम्बर, 19, 1923, पृ. 7
34. ए. अप्पादोराय, डायर्की इन प्रेक्टिस, पृ. 308
35. द इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, 1924, वॉल्यूम- प्, पृ. 57
36. वही
37. वही
38. वही, पृ. 59
39. वही, पृ. 59-60
40. वही, पृ. 59-60
41. वही, पृ. 60
42. सुभाष चन्द्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, (1920-34), पार्ट- प्प्, पृ. 167;द इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, 1924, वॉल्यूम- प्, पृ. 60
43. द इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, 1924, वॉल्यूम- प्, पृ. 60
44. वही, पृ. 60
45. इण्डिया इन 1923-24, पृ. 270
46. वही, पृ. 270
47. वही, पृ. 270-71
48. रिपोर्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्चुटरी कमीशन, वॉल्यूम- प्, सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, कलकत्ता, 1930, पृ. 250

49. इण्डिया इन 1923-24, पृ. 271
50. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1923, वॉल्यूम- प्प्, पृ. 225
51. इण्डिया इन 1923-24, पृ. 263
52. इण्डिया इन 1923-24, पृ. 264
53. आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री, भारतीय आतंकवाद का इतिहास, एंडमन साहित्य मन्दिर, कानपुर, 1939, पृ. 113
54. इण्डिया इन 1923-24, पृ. 271
55. वही, पृ. 271
56. रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्ड कॉन्टिट्यूशन, 1927, पृ. 189
57. इण्डिया इन 1923-24, पृ. 265
58. द इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, 1924, वॉल्यूम- प्, पृ. 60
59. द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन मध्यप्रदेश, पृ. 345
60. वही, पृ. 345-46
61. रिपोर्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्युटरी कमीशन, वॉल्यूम- प्, पृ. 206
62. सुभाष चन्द्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, (1920-34), पार्ट- प्प्, पृ. 122
63. वही, पृ. 127
64. रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्ड कॉन्टिट्यूशन, 1927, पृ. 178
65. सुभाष चन्द्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, (1920-34), पार्ट- प्प्, पृ. 122
66. वही, पृ. 122
67. जवाहरलाल नेहरु, एन ऑटोबायोग्राफी, जॉन लेन द बोडले हैड, लंदन, 1949, पृ. 83
68. एम.के. गांधी, हिन्द स्वराज ओर इंडियन होमरुल, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1958, पृ. 27-30
69. द इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, 1924, वॉल्यूम- प्, पृ. 59
70. द इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, 1924, वॉल्यूम- प्, पृ. 60
71. द इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, 1924, वॉल्यूम- प्, पृ. 61
72. बी. पट्टाभिसीतारमैया, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉल्यूम- प्, पृ. 273
73. वही
74. वही, पृ. 274
75. जी.ए. नटेशन, कॉन्ग्रेस प्रेसिडेन्शियल एडेड्स (1911-1934), पृ. 600-601
76. कॉन्ग्रेस प्रेसिडेन्शियल एडेड्स (1911-1934), पृ. 878-879
77. नरहरी, डी. पारेख, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वॉल्यूम- प्, पृ. 45-50
78. एम.के गाँधी, कंसट्रक्टिव प्रोग्रामः इट्स मीनिंग एंड प्लेसः नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1948, पृ. 15
79. वी.पी मेनन, द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर इन इंडिया, ओरिएंट लोंग्मंस, कलकत्ता, 1957, पृ. 57; बी.डी. शुक्ल, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिबरल पार्टी, द इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 1960, पृ. 210-11
80. सी.एस. रंगाअय्यर, इंडिया इन द क्रूसिबल, लन्दन, 1928; बी.जी. साप्रे, द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कॉंस्ट्यिूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 14-15; सी.वाई. चिंतामणी, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्युटिनी, लन्दन, 1940, पृ. 67
81. एम.के गाँधी, कंसट्रक्टिव प्रोग्रामः इट्स मीनिंग एंड प्लेसः नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1948, पृ. 70-75; आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री, भारतीय आतंकवाद का इतिहास, पृ. 115-116; जे.एस. ब्राइट, द ग्रेट नेहरूज़, टैगोर मेमोरियल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1951, पृ. 54-55

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal

IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 10th May 23

A critical analysis of Kalidas's AbhijnanaShakuntalam

❐ Pawan Kumar Joshi*

ABSTRACT

The play AbhijnanaShakuntalam is written by one of the greatest poets of India, Kalidasa. This play is a beautiful tale of romance between King Dushyanta and Shakuntala. The title of the play, which is originally in Sanskrit actually means "The recognition of Shakuntala" in English. Abhijnanashakuntalam is the first Indian play to be translated into different western languages. Kalidasa had extracted the story of Shakuntala from the great epic Mahabharata and painted it even more widely in his play AbhijnanaShakuntalam. The two protagonists of the play are Dushyanta and Shakuntala. The king of Hastinapur, Dushyanta is a noble and kind ruler who is respected by everyone. Shakuntala is a beautiful maiden who is the daughter of Sage Vishwamitra and Apsara Menaka. Shakuntala has grown up in the hermitage of sage Kanva since she was disposed by her birth parents.

Keywords: love token, distressed, lamenting, apsara, bond of love.

Story of the play:

Dushyanta visits the hermitage of Kanva after a day of hunting, where he first gets a glance of the beautiful Shakuntala. He gets attracted to her from the very first moment when his eyes meet her beauty. After Shakuntala's consent, both get married in the Gandharva mode of wedding. However soon after their marriage, Dushyanta leaves for his kingdom with a promise to return and take Shakuntala back with him. Enchanted by love, Shakuntala keeps on thinking about her husband the entire time, which affects her surrounding. The angry Sage Durvasa visits the hermitage and begs for water at Shakuntala's door. However, she is so lost in the thoughts of her husband, that she fails to attend to the sage. Feeling insulted Durvasa incurs a curse on Shakuntala, which completely erases the memory of Shakuntala from Dushyanta's head. However, later he modifies the curse on the request of Anasuya

* Research student, Swami Ramanand TerthMararathwada University Nanded

and Priyamvada. He tells them that the lost memory can be revived if Shakuntala shows an ornament which is a token of their love. The token is actually a ring that Dushyanta had gifted to Shakuntala.

After months of waiting for Dushyanta, Sage Kanva advises her to visit the court by herself. It is revealed that Shakuntala is heavily pregnant with Dushyanta's child by then. However while on her way to the kingdom, Shakuntala loses her ring in a lake. In the court, Dushyanta refuses to accept Shakuntala as his wife, as he completely loses his memory about their marriage, under the influence of the curse. He even makes several disparaging remarks about her character, which infuriates her. She is then escorted by the Apsaras into heaven, leaving everyone surprised. Eventually, after months, the ring is found by a fisherman. Dushyanta revives his memory back about Shakuntala when he sees that ring and breaks down in guilt. He becomes lovesick and curses himself for the adversity that he had caused. Later, Dushyanta is reunited with his wife Shakuntala and their son Bharat in the hermitage of Marica. Dushyanta begs for the forgiveness of Shakuntala and asks her to return back with him. Shakuntala forgives him and they both move back to Hastinapur. By critically analyzing, it can be said that AbhijnanaShakuntalam is one of the finest plays of Indian Literature. The theme of love and romance is very well evident in the play. Not justlove, but other types of emotions are reflected as well in this play. Different bonds like friendship, love, fatherly love, etc are well established in this play. Character of Shakuntala: The play AbhigyanShakuntalam by Kalidasa is one of the best plays in ancient Sanskrit literature. The play is about a beautiful damsel Shakuntala who lives in the hermitage of the sage Kanva. She has been the daughter of sage Vishwamitra and 'Apsara' Menaka.InAbhijnanaSakuntalam, Kalidasa presents Shakuntala as an embodiment of beauty, feminine charm and womanhood. Kalidasa has presented her in the mould of the ideal heroine of Sanskrit literature as laid down in the texts of Sanskrit dramaturgy. Shakuntala has been presented as an ideal woman like Savitri, and Sita. In such a romantic design, the main aim of the dramatist is to evoke the Sringara Rasa. Shakuntala possesses ideal beauty and grace. Unlike other heroines such as Urvashi and Malvika, Shakuntala is a child of Nature. She has been brought up in the lap of Nature and is more close to earthly reality. Shakuntala is a unique creation of Kalidasa who transcends the erotic. Nature also plays an important role in her life. King Dushyanta, the king of Hastinapur happens to be in the forest on hunting and enters the hermitage. He removes his royal regalia and encounters Shakuntala who is accompanied by her two companions.

The king at once falls in love with her and she too cannot resist. The king requests her for the 'gandharva' form of marriage and she agrees on the condition that her son would be the king of Hastinapur. The play focuses on the tension between desire and duty, 'Sringra rasa' and 'Vira rasa.' Dushyanta's chase of a deer can be interpreted symbolically as: the parallels between Shakuntala and the deer are frequent: they symbolize the serenity of the asrama, are innocent and given to tenderness, and are also physically close, for

the deer the king is hunting is a fawn nurtured by Shakuntala. This seems to hunt at the predator being the king and Shakuntala being the prey. After the ‘gandharva’ form of marriage, the king leaves the hermitage. He has promised Shakuntala to send his men to take her to the capital with due honour. All this happens in the absence of the sage Kanva who has been out. When Kanva comes to know about this, he approves of this marriage. Shakuntala is simple, innocent and easily gullible. She has so far not faced such a situation where the outburst of passions can sway the person. She had not learned how to restrain herself, how to hide her feelings. Shakuntala had not known cupid before; hence her heart was bare of armour, and she could not distrust either the sentiment of love or the character of the lover. The character of Shakuntala has been the pivotal point around which the play revolves. She emerges as the embodiment of Indian womanhood who is ready to make sacrifice when society (Dushyanta) turns indifferent and hostile too.

Fairy-tale elements are present in the poem as well as the play. The sacred pool of golden lotuses guarded by a Genius with specific instruments to follow, the failure to carry them out, the curse and consequent loss of love, status and superhuman powers are characterized of folk lore. Shakuntala’s kinship with Nature is evident from her name itself. After her birth, she was protected by ‘Shakunta’ birds (peacocks). Shakuntala establishes human relations with the object of Nature. When she departs from the hermitage, every object of Nature seems to be mourning. Shakuntala is a wonderful creation of Kalidasa. When Shakuntala visits the king, she suffers. Her speech is long and impassioned, but rational. She is not whining or begging the king. She boldly tells Dushyanta of the future implications and results of his false action. She further, says, “if you will not follow my advice O Dushyanta, you will reap the results of your present actions a hundred times”. Shakuntala’s strength echoes in her words at the end of the story. Later when the king is left behind by Shakuntala he is filled with a feeling of remorse. Twice, he enters the sacred region, first the ‘tapovan’, hermitage of Kanva and later the hermitage of sage Kanva. Before the king can enter this world he has to be purified. First he proves his worth by battling the forces of darkness and disorder that threaten the order of the universe. For this he has to be roused from the state ofutter despondency into which he had fallen, weighed down by an over whelming sense of guilt. He had become disoriented, nerveless and swooned away. It has rightly been said that words are keys to open doors for the imagination on its journey of exploration into the fictive world. Kalidasa has also employed the device of irony in the play to heighten the emotional impact of the situation. The use of curse motif and the ring justifies it. It provides an explanation to the recognition ‘abhijyan’ of Shakuntala.

This recognition is for Dushyanta who knows the truth only after losing his wife. When one compares the Shakuntala of the first Act with the Shakuntala of the seventh Act, it shows her passage from innocence of experience, from the abstract to the concrete, from hermitage to Hastinapur and from separation to reunion. In fact, Shakuntala’s

tale can also be studied in the light of Campbellion stages of initiation, separation and return. In Act V, the repudiation of Shakuntala in the court of Dushyanta arouses the 'karuna-rasa' (pity) when she is literally deserted by her lover and husband who himself sits on the throne of Dharma. Here the motif of curse makes the story psychologically convincing. After their separation, the two lovers undergo a long 'tapasya' and their reunion takes place in the hermitage of sage Marica. Dushyanta's filial love finds a forceful expression when he sees a young boy (Bharat) playing with a lion.The king greets the boy amazed by his boldness and strength. The last Act shows Shakuntala as one doing rigorous penance that shows her as a matron and as an embodiment of motherhood. Modern readings of the play Shakuntalam have studied the character of Shakuntala from different perspectives like feminism, colonial point of view, moralistic reading, the play as an allegory, Shakuntala as an image of the middle class and the burden of tradition upon a woman in Indian society.

The strength of Shankuntala in the play lies in her deep and powerful emotions which feed her strength of mind. Irony in the play: Kalidasa being a phenomenal writer in Sanskrit literature extracts a simple story from the Mahabharata and gives it a new treatment by introducing the curse motif and the ring motif along with the structural device of irony. Irony has been employed as a powerful literary device to enhance and heighten the emotional impact of the narrative. Irony is the use of words that say the opposite of what one really means in order to make a point. It is used to achieve special rhetorical or poetic effects. Irony employed in AbhigyanShakuntalam is of different types such as verbal irony, structural irony, sarcasm, dramatic irony, cosmic irony and romantic irony. Verbal irony is a statement in which the meaning that a speaker implies differs from the meaning that is expressed. The ironic statement involves the explicit expression of one attitude. There is an ironic reversal of the surface statement. In structural Irony, the author, instead of using an occasional verbal irony, introduces a structural feature that serves to sustain a duplex meaning. Dramatic irony involves a situation in a narrative in which the reader shares with the author knowledge of present or future of which a character is ignorant, cosmic irony or irony of fate involves a deity or late that manipulates events so as to lead the protagonist to false hopes. In romantic irony, the author builds up the illusion of representing reality, only to shatter it by revealing that the author is the creator of his characters. This type of irony involves a self conscious narrator in the main plot that brings the revelation. This token of love is the ring itself which is lost and later found by a fisherman. It is ironical that king's ladylove is before his eyes yet he asks for some proof. Again, he has loved Shakuntala, the child of nature, carnally and it takes a long time for him to recognize her intrinsic beauty and feminine grace. He has to pay a heavy price for this and loses his wife and son. This initiates him on a journey to discover the meaning of beauty and love. Kalidasa lets the established ideals of society to be examined through the use of ironies. When he meets his own son in the hermitage of Marica who plays with a lion cub, Dushyanta describes

the boy as 'the young of a black serpent that spoils/for other creatures the pleasant sanctuary that is the fragrant sandal tree.'

In Act I and Act VII, one finds graphic descriptions of the 'tapovan', the hermitages of Kanva and Marica. Here, one finds good-humoured irony at play. The 'rishis', seers and other ascetics have been presented asgiven to anger and anxiety. Through the undisciplined behaviour of Durvasa, the ideal of asceticism is questioned. Chandra Rajan observes that ascetic claims are subjected to ironic scrutiny in Act V. A number of disciples of Kanva are given to anger and also suffer from complexes. Sarngarava can be easily provoked and he lacks self-discipline. Other disciple of Kanva is Saradvata who is observed with the idea of cleanliness. Sage Durvasa is the main example of this type of behaviour. Kalidasa also makes use of the device of foreshadowing in the main plot. King Dushyanta refuses to recognize Shakuntala and she is stripped of dignity. "Such isolation is of the essence of a tragic situation in life. The play is poise on the edge of tragedy from which it must now be retrieved." It is not Shakuntala who proves her innocence but a fisherman who by chance produces the signet ring of the king. A great sage like Kanva fails to press upon the king to accept the reality and he leaves it to her destiny. The trial scene presents Shakuntala as an isolated being, abandoned by society.

Now she faces the existential limit and look up towards heavens. Suddenly the Apsara Menaka appears and vanishes after taking Shakuntala away. In this regards, the remarks of Chandra Rajan on the tragic tone of the play need attention: "The reconciliation and reunion of Sakuntala and Dushyanta takes place in another world, the golden world of the primal pair. The resolution of the plot is effected in this mythical world; therefore, one way of reading the play is to see it as having a fictive ending. By introducing the device of a deus et machina, the situation is saved, temporarily; the tragedy is averted, but the tragic tone remains." In Sanskrit literature, one does not find pure tragedies like the Greek tragedies but plays with tragic tone. Theme of love: It is a beautiful tale of love and romance written by one of the greatest poets of India, Kalidasa, one of the greatest Sanskrit poet that India ever had and his life history is absolutely fascinating and interesting. Perhaps the most famous and beautiful work of his is Shakuntalam. This is a love drama and we can feel love showering throughout the play. Their love brings us on a journey that makes us laugh, cry tears of happiness and sorrow, and even blows us away by their love. This story basically focuses on the theme of love. It centralizes on the thought that 'We are born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we are not alone.' It defines love very well as we can feel a very differnent kind of sensation in almost every aspect of this play. According to me love can not only in between a girl and a boy who are planning to get married, infact love is everywhere. It can be between us and god or between us and our parents. Similarly even in this play when sage kanava spotted the new born child, surrounded by shakuntala birds then taken by kindness, he decides to take the child home and name her shakuntala.

This shows how love does not bothers about blood relation or anything and can make someone adopt a child out of love. Even when we move further in this play, we can see how Shakuntala grows up to be a beautiful young lady just like her mother Menaka. One day, King Dushyant, while returning from a deer hunt, happens to stop by the hermit's cottage. There he saw Sakuntala engaged in a friendly banter with her friends. Shakuntala found her deer whimpering in pain and tried to comfort it. Shakuntala very much loved the animals of the forest and her attachment for the animal touched Dushyanta's heart and he asked her to forgive him for his cruel behaviour.

She forgave him and he asked to stay in the forest for a few days to tend the wounded deer. They fell in love and they decided to marry. Their love was so deep that for instance at the beautiful surrounding, the inner joy of Dushyanta and of the beauty of shakuntala triggers the feeling of love in him. Though standing behind the bushes he too is unable to control himself from adoring and appreciating Shakuntala's magical youth. On the proposal of marriage Shakuntala asked the king to wait for the sage kanava to return, but the strong love between them did not let them wait as both of them were willing to marry this is when in the absence of the sage, they secretly married in the ceremony of "Gandharva Vivaha" with Mother Nature as the witness.After some days, the King got news of unrest in his city and is summoned to return. He leaves sadly, but promises to return soon and take his beloved with him. As a token of love, he gives her a signet ring and promises to send an envoy to escort her to the palace. But then the king did not kept his promise and from here begins the waiting period of shakuntala which is the actual test of her true love. Shakuntala waits for dushyanta's people to come and take her to his palace. But they do not come. Every love story is not always a straight road which means that in every love story the lovers have to face many difficulties to get their love and become one.

It is not always easy to achieve what you want and one needs to fight for his or her love. Same was in the case of Shakuntala. She was already suffering from so much pain of seperation and waiting, but as said earlier it is not easy to get one's love, so here comes one more obstacle. One day, sage Durvasa, famous for anger, stops by the hut for hospitality. Lost in her love thoughts, Sakuntala fails to acknowledge his presence. This rises the temperamental sage and he curses Shakuntala, that the one whom she is thinking about will forget her. Sakuntala begs for mercy and explains her situation. On the plea of Shakuntala and her friends, the sage agrees and says that if the king sees any significant thing that he gave her, he will remember everything. Now we again are confronted with the love of sage Kanava towards shakuntala.

When he returned he knew by his spiritual insight that Shakuntala and Dushyanta were united by gandharvavivaaha and his daughter was pregnant. The sage puts his seal approval on the marriage as divinely ordained and, in due course Shakuntala delivers a male child. After so many months of waiting, when she fails to hear anything from the king, Sage Kanava arranges for the visit of Sakuntala to the court of King

Dushyant. On her way, she stops by a lake to drink water and unfortunately the ring slips out of her finger and suddenly a fish swallows it. She reaches the royal palace, but Dushyant did not recognized her because of the curse given to her earlier. She then remembers the ring but realizes that she has lost it somewhere. With disappointment, she returns back to the forest.

Wild Jasmine plant, Vana Josna with sensations and emotions of human beings. The act begins with a conversation between Anasooya and Priyamvada. They are talking about Dushyantha Maharaja who has courted Shakunthala as per Gandharva mode of vivaha. They are anxious that nothing is heard about the king who has gone to his palace to take care of the affairs in the capital after the Yaga having been performed. In the meanwhile, it appears that a guest has arrived at the hermitage. The maids console themselves at the thought that Shakunthala will be at the hermitage to welcome the guest. By this time, the guest burns with rage and goes away showering words of curse upon Shakunthala "Thou hath failed to see me on account of thy fantasies. So let him, whom thou hath been thinking of, forget thee." The handmaids realize with a shock that Shakunthala is unaware of Durvasav's arrival as she has been lost in day dreams. Anasuya requests Priyamvada to follow Durvasa and to entreat him to pardon Sakunthala. On seeing Anasooya's humility, Duravasa sympathizes a little. He allows a concession that the curse will be lifted on showing the signet ring that Dushynta had given her as a token and that he will be released of hisforgetfulness. It is only out of sheer luck that such a concession is granted by Durvasav who is adamant and hot tempered by nature. After all, Anasooya and Priyamvada make up their mind not to let Sakunthla know anything about the curse and the means for lifting the same. Their decision has a great dramatic significance.

Sage kanva who has returned from the forest comes to know of Sakunthala's GhandharvaVivaaha with Dushyanta with the help of his divine vision. He makes arrangements for Shakunthala to be sent to the palace of Dushyantha, along with the inmates of the hermitage. While Anasooya and Priyamvada brings in garlands made of elanjhi flowers, and mixtures of sandals and kunkumas for Shankuthala to be adorned with, the young disciples of Kanwa brings in silken clothes and ornaments given by the forest nymphs with words of blessings. The pieces of advice and words of consolation that Kanva gives Sankunthala when she turns to prostrate before him is a real blessing. The permission that the flora and fauna of the hermitage grant Sankuthala to take leave is echoed in the songs of shama birds. When she tries to set out, the tip of her garment is stuck on something. When she turns and looks back she finds that it was the fawn (the young one of the stag) called Deergapanga. When Sankunthala is gone, the dejected Kanva returns to the hermitage accompanied by Anasooya and Priyamvada. He feels relieved as though a great debt had being paid off. Maharshi Durvasav's curse. We hear the intense curse showered upon Shakuntala by Sage Durvasa who is burning with rage on account of the fact that she failed to greet him as she is lost in fantasies.

Shakuntala who has courted Dushyantha as per the Gandharva mode of vivaha remains lost in thought the very moment when the angry-prone Durvasav pays a visit to Kanvaasram. Durvasav showers a curse on Shakuntala by bewitching Dushyanta in to forgetting her. The curse runs as follows. 'Let him ,whom thou hath been thinking of, forgetful of everyone else and fails to see me who is a sage, be forgetful of thy existence even when he is reminded of, like a lunatic who is not able to recollect anything that has happened before". [It is because Shakuntala has been lost in thoughts about Dushyantha that she failed to see sage Durvasa, when he visits the hermitage. The sage becomes so angry that he curses her that Dushyanta will forget her, even when he is reminded of her.His forgetfulness will be that of a mad man who cannot recollect anything that has happened in his life before he runs mad] The picture of the morning as painted by the disciple of Kanva. The disciple of Kanva gives a beautiful description of the setting of the moon and the rising of the sun simultaneously and the moral conveyed by the sight. On the one side, the moon is seen sinking and on the other side the sun, being driven in chariot by his chariot driver Aruna, is being manifested on its own. Does the rise and fall of the two jyotisi.e. the sun and moon, at the same time tell the word of the universal law that change of fortune (i.e. change from one dasha to another) is indispensable? With the setting of the moon, the night flower pleases no more. The ruddy morning impurples the dew drops on the branches of Vadari. The peacock, shaking off sleep, hastens from the cottages of hermits. The antelope, springing hastily from the place of sacrifice, raises himself on high, and stretches his graceful limbs. The moon has fallen from the sky with diminished beams. It seems to the disciple that the moon and the sun the two great men of this world ascend with extreme labour to the summit of ambition only to descend from it easily and quickly.

Melancholy of Kanva at the thought of separation from his daughter The intense sorrow that engulfs Kanva on account of the thought of separation from his daughter Shakuntala is dealt vividly in Act IV of 'Shakunthalam'. He is anxious on account of the thought of separation from his daughter. His eyes are filled with tears, and the throat stammers. His sight is paralysed with thoughts. He asks, "If the condition of a tapasi like me is this, what would be the condition of a father who leads the life of a grihasthasrami, on thinking of separation from the daughter for the first occasionThe advice Maharishi Kanva gives to Shakuntala before her departure to Hastinapura. When Shakuntala prostrates in front of Kanwa, he blesses her with his advice and words of consolation. He says "Let you be worthy of being adorned by your husband as Sharmishta by Yayathi [as per the legend ,the real wife (i.e. pattamaharshi) of king Yayathi is Devayani, however,his son born of Sarmishta is proclaimed as the Yuvraj even though Yayathi is married to Sharmishta only through the Gandharva mode. The implication is that Sakuntala's son also, in due course, would become Yuvraj.] Kanva advises Sakuntala as to the duties she has to perform and the norms she has to observe on reaching her husband's home. "Look after the parents of your

Husband. Treat your co-wives as if they were your own friends with love and respect and faith. Even when your beloved is displeased, do not be displeased. Be sympathetic to the servants. Never be proud of your luck. It is thus that the young wife becomes a real House wife who is able to look after the affairs of the household in a better way.

Those who behave in contradiction to the norms are sure to bring about destruction to the kula" Personification of the flora and fauna in the hermitage. Act IV of "Sakunthalam" contains the most touching scenes in the play. The act brings home the truth that separation is always melancholic. Accompanied by Gautami, Shargavara and Shardvata, Shakunthala is being sent by Tata Kanva to Dushyantha's palace at Hastinapura. She is bidding farewall to the plants, trees, birds and animals and to her hand maids, Anasooya and Priyamvada whom she has so far treated as her own sisters and with whom she has lived without being separated even for a single moment in her life. Even sage Kanva is so overcome with emotion that his voice staggers. He is seen behaving as if he were a Grihasthasrami (Head of House Hold). It is in this act that Kalidasa has endowed the fawn(the young one of the stag) Deegapanga and the wild Jasmine plant, Vana Josna with sensations and emotions of human beings. Kanva requests the plants and trees of the Tapovans To grant Sakuntala permission to take leave of. He says to them: "She who refuses to take any drink without you being watered and she who is hesitant to pluck tender buds and she who celebrates it a festivity, when you blossom for the first time that Sakuntala is leaving for her husband's palace. Let everyone grant her permission to take leave of."It seems to Sakuntala that something hinders the tip of her silken clothes when she is about to set out to Hasthinapura. She turns and looks back. Then Kanwa tells her it is the young one of the stag named Deergapanga,whose mouth ,when injured with the dharbha grass, she smeared with a herbal oil and Cured the wound and whom you have fed with the chama rice asif it were your own most beloved young one.

References:

The Loom of Time- Chandar Rajan, penguin publishing: 2000

AbhijanaShakuntalam- Biren Saraswati, Bhagya press, publishing : 1990

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 25th May 23 Paper Accepted : 10th June 23

प्राच्य शिल्पविज्ञान की प्रासांगिकता

❑ प्रो. सूर्यनारायण गौतम 'वेदाचार्य'*

शोध सारांश

आधुनिक युग को 'विज्ञान का युग' नाम से जाना जाता है। विज्ञान का अर्थ आज के समय में प्रायोगिक उपलब्धियों जिसमें मशीनरी की श्रेष्ठता सिद्ध हो, माना जा रहा है। किन्तु भारतीय मेधा ने विज्ञान का अर्थ 'वि' उपसर्ग पूर्वक ज्ञान शब्द के साथ जोड़कर विस्तृत और विधिगत किया है। विस्तृत का अर्थ सरल है विस्तार लिए हुए तथा विधिगत का अर्थ मानवीय संवेदना से है। कोई भी विज्ञान भले ही कितना व्यापक क्यों न हो जाय यदि विधिगत नहीं है तो संसार के लिए सुखदाई नहीं होता। यदि यह कहा जाय कि आधुनिक विज्ञान प्राच्य से अधिक उपयोगी और सुखदाई है तो इसलिए उसे अच्छा मानना चाहिए। नहीं ! त्वरित प्रत्येक वस्तु कुछ क्षणों के लिए सुखदाई हो सकती है किन्तु उसका परिणाम दुःखदाई हो सकता है। मानव जीवन के लिए श्रेयस्कर वही है जो आज और कल दोनों ही स्थिति में सुखदाई रहे। पुरातन ग्रन्थों के अध्ययन से और वर्तमान में हजारों वर्षों से किसी रखरखाव की सुविधा के बिना भी ऐसे भवन, महल देखे जाते हैं जो सूर्य के ताप, पानी की बौछारों, और हवा के झोंकों को सहते हुए अविचल खडे ़हैं। उनके निर्माण में एकबार जो सामग्री प्रयुक्त हुई वह आज पुनः प्रयोग की जा सकती है तथा जिस स्थान पर उस सामग्री को फेका जाता है वहाँ की मिट्टी में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता किन्तु आधुनिक सामग्री पुनः किसी काम में नहीं ली जा सकती और जिस स्थान पर उसे छोडा जाता है उस सिान की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। अतः विज्ञान के इस युग में सुखद जीवन की प्रत्याशा में प्राच्य विज्ञान को स्वीकार करना होगा। इसी दिशा में यह शोध आलेख प्रवृत्त है।

शब्द कुंजीः-प्राचीनता, शिल्प विज्ञान, आधुनिक सन्दर्भ।

यह तथ्य निर्विवाद सत्य है कि वेदों को विश्व में सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक माना गया है। जब संसार के अनेक देश या राज्य अस्तित्व में ही नहीं थे तब वेदों की रचना हो चुकी थी। वेद ज्ञान परम्परागत रूप में अध्ययन और अध्यापन का विषय था। वेद ज्ञान के अनुसार उस काल का जन-जीवन था। वेदों में उस काल में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का जैसा दिग्दर्शन आज होता है उसके अनुसार ऐसा सिद्ध होता है कि वे आज की वैज्ञानिक स्थिति से बिलकुल भी कमतर नहीं थे। बल्कि जब हम बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं तो यह भी

* प्रभारी-शोध प्रकाशन, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, म.प्र.

ज्ञात होता है कि विकास की उस चरम अवस्था में भी वे बहुत अध्यात्मिक थे।

उनका वह विकास प्रकृति को विनाश किए हुए बिना था जबकि आज जिस प्रकार का विकास हो रहा है उससे तो प्राकृतिक संसाधनों के निकट भविष्य में ही समाप्ज हो जाने की आशंका हो रही है। धरती को एक स्थान पर धँसने की तथा दूसरे स्थान पर नवीन पर्वत, झील आदि के बनने की प्रबल सम्भावनाए दिख रहीं है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि पुनः पुरातन उस ज्ञान विज्ञान का आश्रय लिया जाय जिससे मानव जीवन संरक्षित हो सके।

अथर्ववेद के एक मन्त्र में ऐसे भवन का उल्लेख किया गया है जिसमें भवन की स्तुति करते हुए यह कहा गया है कि, हे भवन तुम गुरुतर भार से हल्के हो जाओ। अर्थात् भवन का जो भारीपन है वह हल्के में परिवर्तित हो जाय। उसका पलस्तर इतना मजबूत हो कि वह दीवाल से पृथक न हो, वह शाला नई बधू के समान मनोहर हो—

मा नः पाशंप्रतिमुचो, गुरुर्भासेलघुर्भव।
वधूमिवत्वा शाले, यत्रकामंभरामसि॥[1]

अथर्ववेद के इस मन्त्र के उक्त मन्त्र के अनुसार आचार्य वराहमिहिर ने अपनी अद्भुत रचना बृहत्संहिता मेंआज की आवष्यकता के अनुकूल भवनों में लगाये जाने वाले प्लास्टर के निर्माण सामग्री का वर्णन किया है जो पूर्णतः धातुओं, वनस्पतियों और मृत जीवों के अवशेषों के मिश्रण से बनता है तथा अत्यन्त ही दीर्घायु होता है, मूर्ति निर्माण में ऐसी कुछ वस्तुओं का उपयोग इस दृष्टि से किया जाता है कि वे चिरस्थायी हों। क्योंकि उनका सांस्कृतिक महत्व होता है। आचार्य बराह मिहिर ने प्लास्टर निर्माण हेतु जिन विधियों का निर्देश किया है वे निम्नलिखित हैं-

कभी न छूटने वाला प्लास्टर-

वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में वज्रलेप (प्लास्टर) बनाने की चार विधियाँ दी हैं और कहा है कि यह प्लास्टर एक करोड़ वर्ष तक भी नहीं छूटता है। एक धातु-निर्मित प्लास्टर है और तीन विभिन्न द्रव्यों से बने प्लास्टर हैं। इनकी विधि निम्न है—

1. धातुज।
2. वानस्पतिक।

धातुजवज्र लेप—धातु निर्मित प्लास्टर में आठ भाग सीसा, दो भाग काँसा, एक भाग पीतल, इन सबको एक जगह गलावे। इस प्रकार यह वज्र या वज्रसंघात नामक लेप तैयार हो जाता है।

अष्टौ सीसकभागाः कांसस्य द्वौ तुरीतिकाभागः।
मयकथितो योगोऽयं विज्ञेयो वज्रसंघातः॥[2]

वानस्पतिक वज्र लेप—जिस लेप का निर्माण वनस्पतियों के रस से किया जाता है तथा रस की प्रमुखता रहती है वह वानस्पतिक लेप कहलाता है। इसके निर्माण की तीन विधियाँ निम्नानुसार हैं—

प्रथम प्रकार

तेन्दु के कच्चेफल, कैथ के कच्चेफल, सेमर के फूल, शल्लकी (सालई) वृक्ष के बीज, धन्वन वृक्ष की छाल, वच, इनसबसे एक द्रोण (10 सेर) जल में डालकर काढ़ा बनावें। जब यह अष्टमांश रह जाय तब उसको उतार लें। बाद में उसमें श्रीवासक (सरल, चीड़) वृक्ष का गोंद, गूगल, भिलावा, कुन्दुरू (देवदार वृक्ष का गोंद), सर्ज (संखुआ) का गोंद, अलसी, बेल की गिरी, इन सबको पीसकर डालें। इस प्रकार यह वज्रलेप नामक काढ़ा बन जायगा—

आमंतिन्दुकमामंकपित्थं पुष्पमपि शाल्मल्याः।
अतसीबिल्वैश्च युतः कल्कोऽयं वज्रलेपाख्यः॥
प्रासाद-हर्म्य, वलभी-लिंगप्रतिमासुकुड्य कूपेषु।
संतप्तोदातव्योवर्षसहस्त्रायुत स्थायी॥[3]

गर्म किए हुए वज्रलेप को प्रासाद, देव मन्दिर, दीवार और कूप आदि में लगावें तो यह एक करोड़ वर्ष तक भी नहीं छूटता है—

दूसरा प्रकार

पहलेबनाए हुए वज्रलेप में इन वस्तुओं को और डालने से दूसरे प्रकार का वज्रलेप तैयार हो जाएगा लाख, कुन्दुरू (देवदार वृक्ष का गोंद), गूगल, घर के धुएँ का जाला, कैथ का फल, बेल की गिरी, नागबला का फल, महुए का फल, मँजीठ, राल, बोल, आँवला, इन सबको पीसकर डालें।

लाक्षा-कुन्दुरु-गुग्गुलु-गृहधूम-कपित्थ-बिल्वमध्यानि। वज्राख्यः प्रथमगुणैरयमपि तेष्वेव कार्येषु।।[4]

तीसरा प्रकार

पहलेबनाए हुए वज्रलेप में इन वस्तुओं को और डालने से तीसरे प्रकार का वज्रतल नामक लेप तैयार हो जाएगा। जैसे—

गाय, भैंस और बकरे के सींग, गदहे के बाल, भैंस का चमड़ा, गोबर, नीम का फल, कैथ का फल, बोल, इन सबको पीसकर मिलावें।

गो महिषाजविषाणैः खररोम्णा महिषचर्मगव्यैश्च। निम्बकपित्थरसैः सह वज्रतलो नाम कल्कोऽन्यः।।[5]

वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थ-वास्तुशास्त्र या स्थापत्य कला पर विशाल साहित्य उपलब्ध है। इसका संक्षिप्त परिचय निम्न है—

अग्निपुराण, मत्स्यपुराण, भविष्यपुराण, स्कन्दपुराण, गरुडपुराण, नारदपुराण, ब्रह्मांडपुराण, लिंगपुराणऔर वायुपुराण। इनके अतिरिक्त ज्योतिष एवं नीतिग्रन्थ भी हैं। यथा— वराहमिहिर की बृहत्संहिता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं शुक्रनीतिसार। आज वास्तुशास्त्र के प्रमुख उपलब्ध ग्रन्थों की संख्या 24 है। इनमें भी प्रमुख ग्रन्थ जो सरलता से उपलब्ध होते हैं निम्नलिखित हैं—

1. समरांगणसूत्रधार। 2. मानसार। 3. मयमत। 4. बृहत् शिल्पशास्त्र। 5. वास्तुशास्त्र (विश्वकर्मा)।

समरांगण-सूत्रधार, बृहत्संहिता और मानसार आदि ग्रन्थों में से संबद्ध वास्तुशास्त्रीय कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। जो भारतीय शिल्प विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण हैं—

1. प्रासाद-

प्रासाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शांखायन श्रौतसूत्र में उच्च स्थान या चबूतरा के लिए हुआ है। यही कालान्तर में भवन और महल के लिए प्रयुक्त हुआ—

''संस्थिते मध्यमेऽहनिआहवनीयमभितोदिक्षुप्रासादान् वितन्वन्ति।''[6]

यह प्रासाद मानव मन को प्रसन्नता देने वाला स्थान होता है। इस स्थान पर बैठकर मानव विकास की बात सोचता है।

2. प्रासाद और विमान-

भारतीय स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियाँ हैं—नागर और द्राविड या उत्तर भारत की परंपरा और दक्षिण भारत की परंपरा। उत्तर भारत के मन्दिरों की संज्ञा प्रासाद है और दक्षिण भारत के मन्दिरों की संज्ञा विमान। डॉ. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल ने 'भारतीय-स्थापत्य' शीर्षक से लिखी पुस्तक में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।[7] विमान भी आज की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। अन्ताष्ट्रीय उद्योग, व्यापार तथा सम्बन्धों को स्थापित करने और उन्हें निरन्तर बनाये रखने के लिए ऐसे साधनों की विशेष आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

आज जिस रूप में हमारे गृह अथवा हमारे दैनिक जीवन के उपयोगी संसाधनों को निर्माण हो रहा है वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहा है किन्तु उसमें ऐसे तत्वों का समावेष किया जाता है कि वे कुछ दिनों के लिए तो हमारे लिए उपयोगी होते हैं किन्तु जैसे ही उनकी अवधि पूर्ण हो जाती है वे कूड़े करकट के ढेर में बदल दिये जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो रही है कि उस कूड़े से रोगकारक वायु निकलती है जो मानव ही नहीं सभी प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक है। जिसका दुष्परिणाम यह देखा जा रहा है कि वर्तमान में बहुत से जीवों की प्रजातियाँ हीं लुप्तप्राय हो चुकी हैं। इससे वातावरण में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा है

कि कुछ ही दिनों में प्रकृति के वे सभी मौलिक साधन समाप्त हो जायेंगे और मानव विनाश की कगार में खड़ा हो जायेगा।

सुझाव-

वर्तमान की वैज्ञानिक उन्नति तथा उसके हानिकर भविष्य को देखते हुए यह पुनर्विचार की आवश्यकता है कि हमें पुनः उन सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए कि जिससे हम प्रकृति के सभी तत्वों का उपयोग तो करें किन्तु उनको पर्याप्त संरक्षित भी करें।

सन्दर्भ

1. अथर्ववेद संहिता 9.3.24
2. बृहत्संहिता, वज्रलेप श्लोक 4
3. बृहत्संहिता, वज्रलेप, श्लोक 1 से 4
4. बृहत्संहिता, वज्रलेप, श्लोक 5-6
5. बृहत्संहिता, वज्रलेप, श्लोक 7
6. शांखायन श्रौतसूत्र. 16.18.13
7. डॉ. द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, हिन्दी समिति उ.प्र. लखनऊ, पृष्ठ 635-639

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 15th June 23

दमोह जिले की अर्थव्यवस्था का मूल आधार तुअरकृषि

❑ डॉ. विजय कुमार साहू*

शोध सारांश

सम्पूर्ण भारत की भौगोलिक सरंचना के समान मध्यप्रदेश के दमोह जिले की भौगोलिक संरचना में वे सभी मौलिक विशेषताएँ देखने को मिलती हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिलक्षित होती हैं। यदि सम्पूर्ण भारत के उत्तरी भाग में गंगा यमुना का मैदान है, दोमट मिट्टी की अधिकता है, तो दमोह जिला व्यारमा एवं सुनार नदी के विशाल कछारी भाग हैं। जिसमें दोमट मिट्टी की अधिकता है। जिले में छोटे-छोटे पहाड़ी भाग देखे जा सकते हैं जिले में वर्षा भी पर्याप्त होती है, यही कारण है कि जिले में कृषि उन्नत अवस्था में है तथा कृषि पर आधारित उद्योग अपनी क्षमता अनुसार उत्पादन करके भारत के अन्य भागों को भेजता हैं। दमोह जिला औद्योगिक दृष्टि से एवं व्यापारिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है। मध्यप्रदेश शासन ने इसे पिछड़े जिलों के ''स'' वर्ग में रखा है। वैसे जिले में भौतिक संसाधनों जैसेः कृषि उत्पाद, वन उत्पाद और खनिज पदार्थों के आधार पर यहां औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनायें हैं। जिले के लघु एवं कुटीर उद्योग प्रारंभ से ही उन्नत अवस्था में रहे हैं। दमोह जिले के कुल व्यापारियों में व्यापार तथा वाणिज्य के लगभग 8ः थोक व्यापार करने वाले है। कृषि आज भी जिले की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। गेहूं, चना, सोयाबीन, अलसी, मसूर आदि खाद्य फसलें राज्य के पड़ोसी जिलों एवं अन्य भागों को निर्यात की जाती है। जिले के उद्योग एवं व्यापार में वनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है।''[1]

जिले में वर्तमान में लघु उद्योगों तथा कार्यकारी ईकाईयों की पंजीकृत संख्या 13814 है। जिनमें 14 करोड़ 47 लाख 20 हजार रुपयों की पूंजी विनियोजित है। इन इकाईयों में 29735 व्यक्ति कार्यरत हैं।

शब्द कुंजी - कृषि, अर्थव्यवस्था, उद्योग, विकास

मनुष्य तथा प्रकृति का संबंध अनादिकाल से रहा है। मानव सदैव प्रकृति पर उसके अनुग्रह पर आश्रित रहा है। प्रकृति ने मानव सभ्यता के चरण में कृषि द्वारा जीविका का साधन उपलब्ध कराया। भारतीय संस्कृति में कृषि को धरती की वंदना और प्रकृति की पूजा निरूपित किया है। कृषि अपनी प्रारंभिक अवस्था में केवल मनुष्य के परिवार की जीविका का साधन रही है। सभ्यता के साथ-साथ मानव की आवश्यकताऐं बढ़ी।

* सहायक प्राध्यापक, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह

कृषि की प्रणाली में आधुनिकता, विविधता तथा संयंत्रों का समावेश हुआ मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं कृषि आधुनिकता नें उसे केवल जीविका के साधनतक ही सीमित नहीं रहने दिया, अपितु उसे एक सुसंगठित उद्योग का स्वरूप प्रदान किया। कृषि एवं उद्योगों के बीच विभाजन की लक्ष्मण रेखा खींचकर कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियों को एक दूसरे से पृथक रखना संभव नहीं है, इसलिए भारत के नीति निर्धारकों ने इस तथ्य को स्वीकार करतें हुए नियोजन में ऐसे ही उपाय किये है।[2]

कृषि पर आधारित उद्योगों में खाद्य आधारित उद्योग जैसे—दाल मिल, आटा-मैंदा मिल, बिस्किट्स बाल आहार के कारखानें आदि, तिलहन आधारित उद्योग जैसे—तेल मिल, पशु-आहार , फलों साग सब्जियों व मसालों की फसलों पर आधारित उद्योग, गन्ना पर आधारित उद्योग और पशुधन पर आधारित उद्योग आते हैं। इनमें से दमोह जिले में सर्वप्रथम दाल मिल उद्योग हैं, इसके बाद तेल मिल तथा आटा चक्की उद्योग का स्थान है।

दमोह जिले का दाल मिल उद्योग

प्रोटीन युक्त भोजन शरीर को स्वस्थ्य एवं मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य हैं। सामान्यतः यह धारणा है कि मांसाहारियों को मांस, मछली और अंडे में सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है, परन्तु वनस्पति शास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि शाकाहारियों को यह प्रोटीन दालों से प्राप्त होता है। अतः शाकाहारी व्यक्तियों को दालों का सेवन नितांत आवश्यक है। मनुष्य के भोजन में धान्य के बाद दालों का ही महत्व है। दालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक रहती है, तथा ये शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ''बी'' एवं वसा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकांश दालें लैग्यू मिनौसी के अंतर्गत आती हैं और इस कुल में अभी तक 11,000 जातियों का पता चला है, परन्तु दाल प्राप्ति हेतु मटर, चना, लोविया, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग, सेम, विलायती सेम, मोठ, सोयाबीन, तुअर और मूंगफली के पौधे उपयोग में लाये जाते है।

दमोह जिले में दाल उद्योगों का संक्षिप्त इतिहासः-

दमोह जिले के दाल उद्योगों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है इसका प्रारंभ लगभग 60 के दशक से ही माना जाता है। जबकि सन् 1960 में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जिले में एक मात्र दालमिल सहकारी विपणन प्रबंधन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इससे पहले जिले में दालों का निर्माण हाथ चक्कियों के द्वारा होता था। छोटे-छोटे कारखानों में श्रमिकों द्वारा पत्थर के दो पाटों को अपने परिश्रमीं हाथों से घुमाकर दाल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन हाथ चक्की कारखानों के श्रमिकों को उस समय 6 पैसे से 2 आनें तक दैनिक मजदूरी मिला करती थी।[3]

धीरे-धीरे मानव श्रम का स्थान पशु श्रम नें ले लिया और अपेक्षाकृत दाल की बड़ी-बड़ी चक्कियां कोल्हू की तरह बैलों द्वारा चलाई जानें लगी। समय के साथ इसमें भी परिवर्तन आया और दाल निर्माण की मशीनों को चलाने हेतु डीजल इंजनों का प्रयोग होने लगा। सन् 1960 में दमोह नगर में ही सबसे विद्युत द्वारा चलित दाल मिल की स्थापना की गईं, और डीजल ईंजनों का स्थान विद्युत मोटरों ने ले लिया। इस प्रकार विकास शिखर की ओर अग्रसर जिले का दालमिल उद्योग स्थापना के लघु प्रयासों के संघर्ष एवं सफलता की कहानी है।

दमोह जिले में दाल मिल उद्योग की वर्तमान स्थिति

वर्तमान समय में सभी तरह की दालों के उत्पादन हेतु जिले की कुल 2.89 लाख हेक्टेयर भूमि में से 1.08 लाख हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाता है। दमोह जिले में दाल उद्योग की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है—

जिलें में दाल उद्योग की वर्तमान स्थिति (दिसम्बर- 2022 तक)

क्रमांक	कार्यक्षेत्र	विवरण
1.	कुल कृषि योग्य भूमि	2.89 लाख हेक्टेयर
2.	दलहन उत्पादन का क्षेत्र	1.08 लाख हेक्टेयर
3.	दलहन का औसत वार्षिक उत्पादन	3,34,000 क्विंटल
4.	जिलें में दाल मिलों की संख्या	कुल 18 मिलें
5.	विनियोजित पूंजी	1,68,50,000 रुपये
6.	प्रत्यक्ष कार्यरत श्रमिक	1400 व्यक्ति
7.	उद्योग पर अप्रत्यक्ष आश्रित व्यक्ति	620 व्यक्ति
8.	मिलों के लिए कच्चेमाल की वार्षिक आवश्यकता	3,23,000 व्यक्ति
9.	जिलें में दालों की वार्षिक खपत	112,000 क्विंटल
10.	जिलें से दालों का औसत वार्षिक निर्यात	222,000 क्विंटल

जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार[4]

उपर्यक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिले में दाल मिल की 18 ईकाईयों के लिए कच्चा माल आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो जाता है। फिर भी कच्चे माल की कमी बनी रहती है। क्योंकि दलहनों को कच्चे माल के रूप में बाहर अन्य प्रान्तों को निर्यात कर दिया जाता है। दाल मिल उद्योग में 1400 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है, एवं इन उद्योगों में कुल एक करोड़. अड़सठ लाख पचास हजार रुपयें पूंजी के रूप में विनियोग है।

दमोह जिलें में दालों का उत्पादन

जिले में स्थापित दाल मिलें अलग-अलग उत्पादन क्षमता की हैं। इन दालमिलों में छोटी से लेकर बड़ी ईकाईयों तक दाल निर्माण के कार्य में संलग्न हैं। छोटी दाल मिलों की दैनिक उत्पादन क्षमता लगभग 25 क्विंटल प्रतिदिन है, जबकि बड़ी ईकाईयां प्रतिदिन 300 क्विंटल दाल का उत्पाउन कर सकती है। जिलें में कार्यरत दालमिलों में अधिकांश दाल मिलें मध्यम आकार की है। जिनकी प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता 200 क्विंटल है। विभिन्न कारणों जैसे - दलहन की कमी, दलहन की स्टॉक सीमा का नियंत्रण, वर्षा ऋतु में दाल मिलों का बंद रहना, विद्युत कटौती आदि के कारण दाल मिलों में पूर्ण स्थापित क्षमता का उत्पादन नहीं हो पाता है। वर्तमान में सम्पूर्ण जिलें की सभी दाल मिलों द्वारा दाल का वार्षिक उत्पादन 334,000 क्विंटल है। दाल निर्माण की प्रक्रिया में दलहन से 80 प्रतिशत दाल का उत्पादन होता है, तथा 16 प्रतिशत चुनी एवं घुसी निकलती है तथा शेष 4 प्रतिशत कचराा मिट्टी आदि निकल जाती है।

दाल मिलों में श्रमिक

मध्यम एवं वृहत आकार की दाल मिलें स्वचलित हैं। अतः इनकी उत्पादन क्षमता अधिक होते हुए भी इनमें कम संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत मिनी प्लांट अर्थात लगभग 25 क्विंटल दैनिक उत्पादन क्षमता वाली दाल मिलों में अपेक्षाकृत अधिक श्रमिकों को नियोजित करना पड़ता है। स्वचलित दाल मिलों में सामान्यतः 26 श्रमिक संख्या होती है। जनवरी से जुलाई तक जब बाजार में दलहन की आवक अत्यधिक होती है, दाल मिलों में 40 से 48 तक श्रमिक कार्य करते हैं। दाल मिल में श्रमिकों का कार्य दलहनों के सिले हुए बोरों का मुंह काटकर एलिवेटर के

पास बने मढ़े के समीप जमा करना, दाल निर्माण प्रक्रिया के मध्य छनती हुई दलहनों की पलनियाँ पर यदा कदा हाथ फेरना, पानी लगी हुई दलहनों को पुनः संयंत्रों तक लाकर एलिवेटर के पास जमा करना, दलहनों से अलग हुए छिलके से चुनी व भुसी बनाना तथा उत्पादित दाल को बोरों में भरना होता है।

दाल मिल में कार्य में लगे ये सभी श्रमिक अस्थायी होते है, और दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। उद्योग के श्रमिकों का कोई संगठन नहीं होता है। श्रमिकों को प्रतिदिन 250 रुपयें से लेकर 300 रुपयें तक मजदूरी मिलती है। सामान्यतः श्रमिकों को मजदूरीका भुगतान साप्ताहिक रूप में किया जाता है। विभिन्न श्रमिकों से साक्षात्कार के समय उनकी समस्याओं के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंनें किसी विशेष समस्या का उल्लेख नहीं किया। उनकी सबसे विशेष समस्या यह थी कि दलहनों की संग्रह सीमा शासन द्वारा बहुत ही कम रखी गयी हैं, तथा रेल की बैंगने न मिलने के कारण दाल का लदान नहीं हो पाता, इस कारण दाल मिले नियमित रूप से चल नहीं पाती हैं और श्रमिकों को इस स्थिति में मजदूरी हेतू अन्यत्र भी भटकना पढ़ता है। दाल मिलों में स्थायी श्रमिक अथवा कार्यकर्ता के रूप में मात्र एक व्यक्ति अर्थात मशीन ड्राइवर रहता है, इसे संयंत्रों का पूरा ज्ञान होता है। इसे मासिक वेतन 7000 रुपये से 10,000 रुपये तक नियुक्त किया जाता है। दाल मिल के सभी श्रमिकों से आठ घंटे कार्य लिया जाता है। दाल उद्योग पर जिले के लगभग 5000 परिवार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। इनके अतिरिक्त हजारों श्रमिक जैसे - गाड़ीवान, तौलने वाले, बीनने वाले, छानने वाले, पल्लेदार आदि इस उद्योग पर निर्भर हैं।

दाल मिलों में विनियोजित पूंजी

जिले की अधिकांश दाल मिलें 30 वर्ष या उससे अधिक पुरानी हैं। उस समय एक सामान्य दाल मिल की स्थापना हेतु 160000 रुपये से लेकर 180000 रुपये तक की पूंजी की आवश्यकता होती थी। किंतु वर्तमान समय में एक सामान्य मध्यम आकार की दाल मिल स्थापित करने हेतु लगभग 3.5 लाख रुपये से 4.50 लाख रुपये तक की स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। यह स्थायी पूंजी भूमि, भवन, संयंत्र, उपकरण, विद्युत मोटरों एवं साज-सज्जा में विनियोग करना होती है। भूमि की दरें प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग हैं। स्थायी पूंजी के साथ कार्यशील पूंजी के लिए न्यूनतम 2 लाख रुपये की आवश्यकता होती है। यह राशि कच्चा माल खरीदनें, मजदूरी चुकाने, पैकिंग करने, माल बाहर भेजने और विविध व्यय हेतु आवश्यक होती है।[5]

भवन, संयंत्र, उपकरण

दाल मिलों की स्थापना हेतु भूमि, शेड, विभिन्न संयंत्रों तथा उपकरणों में मुख्य रूप से विद्युत मोटरों, रोलर, चक्की, बरम, पंखा, सेपरेटर, ऐलीवेटर, छलनी, मेन शाफ्ट, पट्टे आदि होते है। प्रमुख विद्युत मोटर सामान्यतः 15 से 20 अश्वशक्ति की होती है, जो एलिवेटरों की कार्यरत बनाती है। इन एलिवेटरों का कार्य वायु रिक्तता उत्पन्न कर दलहन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र तक ले जाने का होता है। दूसरी विद्युत मोटर 10 अश्व शक्ति की होती है, जिससे दाल दलने की चक्की चलती है।

25 क्विंटल दैनिक उत्पादन क्षमता की दालमिल स्थापना के लिए 60 फुट ĕ 100 फीट अर्थात् 6,000 वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होती है। इस भूमि पर चैथाई स्थान चारों ओर से घेरकर खुला रखा जाता है, जिस स्थान पर दलहनों को सुखाया जाता है, शेष भूमि पर पक्का कमरा या टीन शेड होना चाहिए।

क्रय, विक्रय व्यवस्था

निर्मित दालों का स्थानीय विक्रय नहीं के बराबर है। जिलें में मुख्य रूप से अरहर की दाल का ही उपयोग होता है। इसके बाद उपभोग की दृष्टी से मूंग, उड़द व मसूर का स्थान है, पर इनकी खपत बहुत की कम है। चने की दाल, उड़द व मूंग की दाल का उपयोग अधिकतर होटल व चाट दुकान वाले करते हैं

जिले से अन्य प्रांतों को दाल के निर्यात की औसत वार्षिक मात्रा 222,000 क्विंटल है।

दाल उद्योग के संचालकों ने बताया कि सामान्यतः वे 2 प्रतिशत लाभार्जना की इच्छा रखते हैं, परन्तु बाजारों की अनिश्चितता और भावों के उतार-चढ़ाव के कारण लाभ अनिश्चितता ही रहता हैं। अचानक रेट कम हो जाने के कारण मिल मालिकों को हानी भी उठानी पड़तीहै। वैसे 80 क्विंटल दाल प्रतिदिन बनाने की क्षमता वाली दाल मिल प्रतिमाह औसत रूप से 10,000 से 20,000 रुपये तक लाभ अर्जित करती है।[6]

निष्कर्ष

दमोह जिले में दाल मिल उद्योग की स्थिति को संतोष जनक नहीं कहा जा सकता है। जिले में दाल मिल उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होने के बाद भी प्रगति नगण्य है। जिले में फसलों का उत्पादन मांग से अधिक है। परन्तु उक्त उत्पादित दलहनों को कच्चे माल के रूप में अन्य प्रांतों को भेज दिया जाता है, जिससे जिले की दाल मिलों का पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता है। यदि इन बातों पर उचित ध्यान दिया जाए तो दाल मिल उद्योग जिले के प्रमुख उद्योगों में से एक हो सकता है।

स्त्रोत

1. मध्यप्रदेश गजेटियर दमोह पृष्ठ - 3
2. डॉ. एस.एम शुक्ला - यूनिफाईड अर्थशास्त्र पृष्ठ - 138, 159
3. जिला गजेटियर दमोह - पृष्ठ - 27
4. जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी
5. जिला सांख्यिकी पुस्तक कलेक्ट्रेट दमोह पृष्ठ - 49
6. मिल प्रबंधकों से प्राप्त जानकारी।

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 25th May 23

ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति विषयक चिन्तन

❑ गजराज सिंह*

शोध सारांश

सृष्टि निर्माण मनुष्य मस्तिष्क के चिंतन का एक ऐसा विषय है जिसमें सृष्टि का उत्पत्ति कर्ता कौन था? सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व क्या था? यह प्रश्न आना स्वभाविक है। संसार के लगभग सभी धर्मों में सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धान्त तो दिये गये हैं, लेकिन सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व क्या था, यह ज्ञान हमें सिर्फ वेदों में मिलता है। सृष्टि उत्पत्ति विषयक ज्ञान के सर्व प्राचीन श्रोत वेद है और वेदों में सर्व प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त हिरण्य गर्भ सूक्त तथा पुरुष सूक्त ऐसे सूक्त हैं जिनमें इन समस्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। इन सूक्तों के माध्यम से यह ज्ञात होता है। 1 सृष्टि का निर्माण कर्ता परम ब्रह्म परमात्मा है और उसकी इच्छा शक्ति से ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत का निर्माण हुआ है तथा सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं था। सूर्य चन्द्रमा, अंतरिक्ष, दिशायें, पृथ्वी, जीव-जन्तु आदि कुछ भी नहीं थे, था तो केवल अव्यक्त रूप में परमब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।

सृष्टि उत्पत्ति की परिकल्पना को लेकर सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि यह दृश्य जगत कहाँ से आया? इसको लाने वाला कौन है? इसका उत्पत्तिकर्ता कौन है इत्यादि अनकों प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इन प्रश्नों का समाधान क्या है? यह सृष्टि क्रम अनन्त है और जिज्ञासायें भी अनन्त है। इस विषय से सम्बंधित ये जिज्ञासायें वेदों में भी दृष्टिगोचर होती हैं। इस विषयासमुस्थित जिज्ञासायें विश्व प्रसिद्ध हैं जैसे कि—**को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत**[1] अर्थात इस प्रकृति तत्व को कौन जानने वाला है और उसका वर्णन कौन कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन विद्वानों ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया है। उनका जन्म तो सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात हुआ है। तो वह कैसे ठीक-ठीक बता सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किसने की और किस प्रकार की। वैसे तो संसार के सभी धर्मों में सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धान्त दिये गये हैं, लेकिन सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व क्या था। यह ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है। सृष्टि विषयक ज्ञान के सर्व प्राचीन एवं प्रमाणिक श्रोत वेद हैं। वेदों में अखिल ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का ज्ञान निहित है। वेद शब्द की निष्पत्ति ही विद् ज्ञाने धातु से हुई है। वेदों की संख्या चार है जिनमें सर्वप्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में अनेकों ऐसे सूक्त हैं जिनके अन्तर्गत सृष्टि

* शोधार्थी, डी. एस. कॉलेज, अलीगढ़।

उत्पत्ति तथा सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति का बोध होता है, जिनमें नासदीय सूक्त (10/129) हिरण्य गर्भ सूक्त (10/121) तथा पुरुष सूक्त (10/90) आदि प्रमुख सूक्त हैं।

1. ऋग्वेद के दशम मण्डल के 129 वे सूक्त जिसको नासदीय सूक्त के नाम से जाना जाता है। नासदीय का अर्थ है। न असत अर्थात कुछ भी नहीं था। इस सूक्त के अन्तर्गत सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व क्या था? सृष्टि उत्पत्ति कर्ता कौन था? तथा सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या था? का ज्ञान प्राप्त होता है। इस सूक्त के ऋषि प्रजापति परमेष्ठी सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति के विषय में यह बताते हैं कि—**नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं**[2]—अर्थात सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व न असत् अर्थात कुछ भी अप्रत्यक्ष न था। कहने का तात्पर्य हो कि अभावात्मक तत्व भी न था और सत् था अर्थात प्रत्यक्ष भी नहीं था। न लोक था, अर्थात स्वर्गलोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक भी नहीं थे। न अन्तरिक्ष था, न अन्तरिक्ष से परे जो कुछ हो सकता है, वह था। यहाँ ऋषि के कहने का तात्पर्य है, कि सृष्टि उत्पत्ति से परे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं था तथा अन्तरिक्ष अर्थात आकाश मण्डल भी नहीं था। और अन्तरिक्ष परे अन्य ग्रह आदि कुछ भी नहीं थे। इस सूक्त में ऋषि आगे की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी का आवरण रूप में ढ़कने वाला तत्व जिसे आकाश या अन्तरिक्षत कहते हैं वह भी नहीं था। न तम था और न अगाध और गम्भीर जल था। इसके अतिरिक्त सृष्टि से सम्बंधित अन्य तत्वों की स्थिति के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं—**न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या**[3]—अर्थात इस प्रलयकालिक समय में न मृत्यु थी और न अमरता थी। वह बताते हैं कि इस समय रात्रि और दिन का भी ज्ञान नहीं था। न प्राण वायु थी अर्थात सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व जीवन नहीं था। अन्त में ऋषि कहते हैं कि **आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादन्यन्न परः किं चनास**[4] अर्थात सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व परम ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उनके कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि उत्पत्ति पूर्व जो था वह सृष्टि उत्पत्ति कर्ता परम ब्रह्म था। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं था। सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मायावी आज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित था। **तम आसीत तमसा गूलहमग्रे ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम।**[5]

अर्थात यह तमस रूप मूल कारण में विद्यमान था आज्ञायपान यह सम्पूर्ण जगत जल रूप में थी। अर्थात उस समय कर्ता और कारण दोनों मिले हुऐ थे। यह जगत और वह व्यापक (ब्रह्म) एवं निम्न स्तरीय अभाव रूप (असत) अज्ञान से आच्छादित था। इसी कारण के साथ कार्य एक रूप होकर यह जगत निर्माण के संकल्प और तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। **यदासीत् तपसस्तन्महिना–जायतैकम्**[6] —ऋग्वेद के नासदीप सूक्त में प्राप्ति सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व स्थिति की स्थिति एवं सृष्टि उत्पत्ति कर्ता परम ब्रह्म हैं इस विषय का समर्थन मनुस्मृति एवं उपनिषद भी करते हैं जैसे कि आचार्य मनु ने मनुस्मृति में सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति का वर्णन किया है वह इस प्रकार है कि **आसीदिदं तमो भूतम प्रज्ञातय लक्षभ**[7] अर्थात यह संसार तम अर्थात अंधकार रूप प्रकृति से घिरा हुआ था। सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व कुछ भी नहीं था। आचार्य मनु कहते हैं कि वह सम्पूर्ण संसार सर्वत्र सोते हुए के समान अज्ञान स्थिति में था।

इससे आगे इस सूक्त में ऋषि परमेष्ठी ने सृष्टि उत्पत्ति कर्ता तथा उसके कारण बीज के विषय में यह चर्चा की है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उत्पत्ति का मूल कारण क्या था। वह बताते हैं कि **कामस्तदग्रे समवर्त ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्**[8]—अर्थात उस परम ब्रह्म परमात्मा के मन में सर्वप्रथम सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उस ब्रह्म के मन से सर्व प्रथम सृष्टि उत्पत्ति का कारण बीज उत्पन्न हुआ। आगे बताते हैं कि मेधावी ज्ञानीजनो ने इस सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा को सृष्टि उत्पत्ति का मूल

कारण माना है तथा यह कल्पना की है कि व्यक्त न होने वाले असत तत्व से सत् तत्व की उत्पत्ति हुई है। यहां ऋषि यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जो तत्व प्रत्यक्ष न था, अर्थात अविद्यमान रूप में स्थित था। उस तत्व से विद्यमान अर्थात प्रत्यक्ष तत्व उत्पन्न हुआ। जिसे हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षदृष्ट कर सकते हैं। ऋग्वेद के एस सूक्त में ऋचाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है। सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं था। एक मात्र परमब्रह्म परमात्मा अप्रकट रूप में था। उस ब्रह्म के मन में सर्वप्रथम सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा उत्पन्न हुई।

वह इच्छा ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनी। उस समय असत तत्व के रूप में अर्थात अप्रत्यक्ष रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड था। उस परम ब्रह्म परमात्मा की इच्छाशक्ति के कारण असद तत्व से ही प्रत्यक्ष रूप में सभी लोकों की तथा आकाश, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल आदि की उत्पत्ति हुई। सृष्टि उत्पत्ति का यही मत तैतरिय उपनिषद में भी दृष्टिगोचर होता है। **कि असद्व इदग्र आसीत।**[9] अर्थात प्रकट होने से पूर्व सबकुछ असत ही था। उससे ही सत् अर्थात प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न हुआ। उसने स्वयं को प्रकट किया। इसलिए वह स्वकृत कहा गया। स्वकृत का अर्थ है स्वयं या अपने आप बना हुआ। सृष्टि उत्पत्ति के कारण के सम्बंध में यह कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति उस परम ब्रह्मा परमात्मा की इच्छा शक्ति से हुई है। इसका समर्थन एतरेयोपनिषद भी करता है। इसमें यह उल्लेख मिलता है **कि स ईक्षतलोकानु सृजाइति**[10] अर्थात ऊँ रूप परम ब्रह्म परमात्मा ही सर्वप्रथम था। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अन्य चेष्टा करने वाला नहीं था। उसने ही अर्थात उस ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा ने ही निश्चय किया कि मैं लोगों की अर्थात् सृष्टि की रचना करूँ। एतरेय उपनिषद में यह यह बताया गया है कि संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि का निर्माण एक ही परम शक्ति से हुआ है। जिसे समष्टि रूप से ब्रह्म तथा व्यस्टि रूप में आत्मा कहा गया है। इस संपूर्ण जड़ चेतन स्वरूप दृशा जगत का विस्तार किस प्रकार हुआ, इसके विषय में यह कहा गया है कि वह चेतन शक्ति के संकल्प से उसका विस्तार हुआ। उस चेतन स्वरूप ब्रह्म ने यकायक उस सृष्टि रचना का विचार किया कि मैं लोकों की रचना करूँ, यही संकल्प था जिससे उसमें सन्नहित सभी प्रकार की शक्तियों का प्रकट होना प्रारंभ हुआ, जिसके सहयोग से सृष्टि की रचना हुई।

इसके अतिरिक्त सृष्टि उत्पत्ति से सम्बंधित ज्ञान हमें ऋग्वेद के दशम् मंडल के 121वें सूक्त से भी प्राप्त है। उस सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि प्रजापति पुत्र हिरण्यगर्भ हैं। इस सूक्त के अंतर्गत ऋषि सृष्टि उत्पत्ति तथा सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति के विषय बताते हुए कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व प्रलय काल में परम ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से हिरण्यगर्भ एक अंडा के रूप में उत्पन्न हुआ। उस अंडे से एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। यह हिरण्यगर्भ सभी प्राणियों का स्वामी और पृथ्वी लोक को धारण करने वाला हुआ। **हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः**[11] तथा इसके अतिरिक्त वह बताते हैं कि यह हिरण्य गर्भ ने आकाश, पृथ्वी को धारण किया तथा वह समस्त अविनाशी और समाप्त प्राणियों का स्वामी बन गया तथा वह दो पैर वाले मनुष्यों का और चार पैर वाले पशुओं का अधिष्ठता बना। ऋषि का कहने का तात्पर्य है कि जब परम ब्रह्म परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की उत्पत्ति की, उनके पश्चात यह हिरण्यगर्भ इनको धारण करने वाला हुआ और समस्त प्राणी जगत का स्वामी हुआ। **यः प्राणतौ निमिषतो यदित्वैक**[12] ऋग्वेद के इस सूक्त में यह बताया गया है कि हिरण्यगर्भ ने समस्त जलपूर्ण नदियों, पृथ्वी, समुद्र आकाश आदि का निर्माण किया तथा आकाश, पृथ्वी को स्थापित किया और हिरण्यगर्भ ने ही स्वर्ग लोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक सभी को आधार प्रदान किया। हिरण्यगर्भ से सृष्टि उत्पत्ति के सम्बंध में

एतरेव उपनिषद में भी उल्लेख मिलता है कि **स ईक्षतेमे नुलोका लोक पालान्नु सृजा इति**[13]—अर्थात कि समस्त जड़ प्रकृति जैसे सूर्य, आकाश, पृथ्वी, नदियाँ पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने विचार किया की चेतन जगत की उत्पत्ति होनी चाहिए। इस कारण ब्रह्म की तेजस्वी चेतन शक्ति से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। यह हिरण्यगर्भ एक ऐसा अण्ड रूप था जिसने जड़ व चेतन सभी शक्तियाँ निहित थी। जिसमें सर्वाधिक भाग जल का था। जिस प्रकार पक्षियों के अण्डे में जल की मात्रा अधिक होती है। पुरूष और प्राणियों के वीर्य में भी जल का ही भाग अधिक होता है। जिसमें स्थित वह चेतन तत्व ही जल भाग में जीव के अंगों की रचना करता है। तथा इस रचना के पूर्ण होने पर वह जीव बनकर अण्डे को फोड़कर बाहर निकलता है। इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया थी।

नासदोय और हिरण्यगर्भ सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति सम्बंधी ज्ञान पुरुष सूक्त से भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 90वें सूक्त को पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि नारायण है। जो यह बताते हैं कि इस सृष्टि में समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति विराट पुरुष की अंगों से हुई है। इस सूक्त के अंतर्गत ऋषि विराट पुरुष की स्थिति के विषय में बताते हुए कहते हैं कि यह विराट पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, हजारों पैरों वाला तथा जिसने समस्त जगत को सब ओर से घेर कर नाभि से दश अंगुल ऊपर स्थित किया है। **सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्**[14] पुरुष सूक्त के अंतर्गत जिस प्रकार विराट पुरुष की स्थिति का उल्लेख प्राप्त होता है, उसका समर्थन श्वेताश्वेत उपनिषद भी करता है। इसमें विराट पुरूष की स्थिति के विषय में उल्लेख मिलता है कि **सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरो मुखम**।[15]—अर्थात पुरूष सूक्त में बताये गये विराट पुरुष की स्थिति का समर्थन एवं व्याख्या इस प्रकार करता है कि वह परम पुरुष सभी जगह हाथ पैर वाला है। सब जगह देख सकता है इसलिए वह हजारों नेत्रों वाला कहा गया तथा सभी प्रकार की तथा प्रत्येक स्थान पर ध्वनियों को सुन सकता है। इसलिए वह हजारों कानों वाला है। तथा सभी स्थानों पर व्याप्त है, इसलिए उसे हजारों पैरों वाला कहा गया है। इसमें कहा भी गया है कि वही ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेरे हुए है। वह चेतन तत्व सर्वत्र व्याप्त सब ओर से सब जगह देखता है, सुनता है, चलता है। इसलिए हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों पैर, हजारों कान बताएं गए हैं। इस सूक्त के अंतर्गत विराट पुरुष की स्थिति का उल्लेख करने के पश्चात अचर- जगत की उत्पत्ति का उल्लेख भी प्राप्त होता है।

इसमें वर्णन मिलता है कि उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कानों से प्राणवायु एवं मुख से इन्द्राग्नि की उत्पत्ति हुई। **चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत**[16]—अर्थात तथा आगे उल्लेख मिलता है कि उसकी नाभि से अंतरिक्ष सिर से स्वर्ग, पैरों से भूमि उत्पन्न हुई और उसके कानों से दिशायें उत्पन्न हुई। मंत्र दृष्टा ऋषि आगे बताते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार इस विराट पुरूष से स्वर्ग, पृथ्वी एवं पाताल आदि लोकों की उत्पत्ति हुई।

विराट पुरूष के अंगों से जिस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई इसका समर्थन ऐतरेय उपनिषद भी करता है। किन्तु वह विराट पुरुष के स्थान पर हिरण्यगर्भ के अंगों से सृष्टि उत्पत्ति का व्याख्यान प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि हिरण्य गर्भ के शरीर से अण्डे की तरह फूट कर मुख छिद्र उत्पन्न हुआ, मुख से वाक् इन्द्रिय, वाक् से अग्नि देव प्रकट हुए और आंखों से नेत्र इन्द्रिय और नेत्र इन्द्रिय से सूर्य उत्पन्न हुआ। कानों से श्रोत्र इन्द्रिय तथा श्रोत्र इन्द्रिय से दिशायें प्रकट हुई। त्वचा से रोम और रोम से वनस्पति प्रकट हुई। फिर ह्दिय उत्पन्न हुआ और ह्रदय से मन और मन से चन्द्रमा प्रकट हुआ। इसके बाद नाभि और नाभि से अपान वायु और अपान वायु से मृत्यु देव प्रकट हुए। इसी प्रकार लिंग उत्पन्न

हुआ, लिंग से वीर्य और वीर्य से जल की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार आदि पुरूष के शरीर के अंगों से सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अन्तर्गत विराट पुरुष के रूप तथा उससे सूर्य चन्द्रमा स्वर्ग, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि की उत्पत्ति के साथ साथ ऋतुओं की उत्पत्ति के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है। इससे यह उल्लेख मिलता है कि देवताओं ने विराट पुरुष को हव्य बनाकर यज्ञ किया तब उससे ऋतुऐं उत्पन्न हुई। देवताओं ने विराट पुरुष को घृत के स्थान पर वसन्त ऋतु को उत्पन्न करके आहुति प्रदान की समिधाओं के स्थान पर ग्रीष्म ऋतु को उत्पन्न करके यज्ञ हेतु प्रयुक्त किया तथा हवन के स्थान पर शरद ऋतु को उत्पन्न किया। **ग्रीष्म दूधनः शरद्धविः**[18] —अर्थात इस विराट पुरूष को हव्य बनाकर जब देवताओं ने यज्ञारंभ किया तो उमें धृत के समान वसंत ऋतु, समिधाओं के समान ग्रीष्म ऋतु और हविष्य के समान शरद ऋतु उत्पन्न हुई।

इसके पश्चात इस सूक्त के अन्तर्गत चर जगत अर्थात जीवों की उत्पत्ति का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इस सूक्त में ऋषि यह बताता है कि उस विराट पुरूष ने दोनों ओर दांत वाले पशु, अश्व, भेड आदि उत्पन्न हुए तथा सूक्त में मनुष्यों की उत्पत्ति एवं मनुष्यों के वर्गों की उत्पत्ति के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। मनुष्यों की उत्पत्ति के सम्बंध में व्याख्यान मिलता है कि जब विराट पुरूष को द्रव्य बनाकर देवताओं ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ से वायु में विचरण करने वाले पक्षी और ग्रामों और नगरों में निवास करने वाले मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। **पशून् तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये।**[19] तथा मनुष्यों के वर्गों की उत्पत्ति के विषय में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्ग की उत्पत्ति हुई। **ब्राह्मणोऽम्य मुखमासीद्बाहू**[20] – अर्थात सृष्टि उत्पत्ति से सम्बंधित ऐसे प्रश्न कि इस सृष्टि का उत्पत्ति कर्ता कौन है। सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व क्या था? तथा इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई आदि प्रश्नों के उत्तर हमें इन ऋग्वेदीय सूक्तों से भली भांति प्राप्त होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों के रूप में हमें ज्ञात होता है कि सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी इच्छा शक्ति से इस चराचर जगत का निर्माण हुआ है और सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व परम ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। सृष्टि उत्पत्ति सम्बन्धी इन प्रश्नों के उत्तरों की पुष्टि ऋग्वेदीय सूक्तों के माध्यम से होती है। वेद विश्वसनीय और अपौरूषेय ग्रन्थ है। इसलिए इनकी पुष्टी में अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं उठत है। अतः हमारे मस्तिष्क में उठने वाले सृष्टि उत्पत्ति विषय सम्बन्धित प्रश्नों में ऋग्वेदीय इन सूक्तों के माध्यम से पूर्णतः संतुष्टी प्राप्त होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव।।
ऋग्वेद 10/129/6

2. नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीर.।।
ऋग्वेद 10/129/1

3/4. न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसित् प्रकेतः।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादन्यन्न परः किं चनास।।
ऋग्वेद 10/129/2

5/6. तम आसीत् तमसा गूलहमग्रे ऽप्रकेत सलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैक.।।
ऋग्वेद 10/129/3

8. आसीदिदं तमो भूतम प्रज्ञातम लक्षम।
अप्रवर्य मनि नेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः।।

मनुस्मृति 2/5 पृष्ठ संख्या 53

9. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा।।

ऋग्वेद 10/129/4

10. असद्व इदग्र आसीत। ततौ वे सदजायत।
तदात्मान स्वयम कुरूत। तस्मात्तत्सुक्रतमुच्यते।।

तैतरीयोपनिषद 2/7

11. ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्या किंचन मिषत।
स ईक्षत लोकान्नु सृजाइति।।

एतरेयोपनिषद 1/1/2

12. हिरण्यगर्भ समवताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। स दधारः प्रथिवीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविसा विधैम।।

ऋग्वेद 10/121/1

13. यः प्राणतौ निमिषतो यदित्वैक इन्द्रजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधैय।।

ऋग्वेद 10/121/2

14. स ईश्रतेमे नु लोका लोकापालान्नु सृजा इत्रि सोऽदभ्य
सो ऽदभ्य एव पुरूषं समदधृत्या मूर्छयत।।

एतरेयोपनिषद 1/1/3

15. सहस्त्रशीर्षा पुरूषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात।
स भूमि विश्वतो वृत्वा ऽत्यतिष्ठदशांगुलम्।।

ऋग्वेद 10/90/1

16. सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो ऽक्षिशिरो मुव.
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।

श्वेताश्वेतर उपनिषद 1/3/16

17. चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत।
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वयुरजायत।।
यथाण्डं मुखाद्वाग वाचोऽग्निसि के निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राण!

प्राणद्वायुरक्षिणी – ऐतरेयोपनिषद 1/1/4

18. यत पुरूषण हविषा देवा यज्ञमतन्वत
अस्या सीदज्य ग्रीष्म दूधन शरद्ववि।।

ऋग्वेद 10/90/06

19. तस्माद्यज्ञातः सर्वहुतः सभ्रतं पृण्यदाज्यम्।
पशुन ताश्चक्रे वायव्यानाख्यान ग्राम्याश्च ये।।

ऋग्वेद 10/90/08

20. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्य कृतः।
उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत।।

ऋग्वेद 10/90/12

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th June 23
Paper Accepted : 25th June 23

विवेकानन्द चिन्तन में राष्ट्रवाद का योगदान

❐ डॉ. जुल्फिकार*

शोध सारांश

स्वामी विवेकानन्द की मान्यता रही है कि धर्म की सही व्याख्या और परस्पर संघर्ष, दुःख, सारी बुराइयों को दूर कर सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। विवेकानन्द के चिन्तन का मूल आधार धर्म रहा है। इसी आधार पर उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारणा दी, जो धर्म से समाज उत्थान और समाज उत्थान से राष्ट्रवाद को जोड़ती है। राष्ट्रवाद कतिपय राजनीतिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वैशिष्टय से युक्त समानताओं व इन असमानताओं से उत्पन्न भावात्मक एकता में आबद्ध उस जनसमूह का नाम है जो आमतौर पर एक निश्चित भू-खण्ड में निवास करता है। भारतीय चिन्तन की राष्ट्रवादी धारणा पश्चिम से आयातित न होकर पूर्णतः मौलिक व अपनी विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप है। भारत विविधता में एकता का देश है, अध्यात्म का देश है, यह सहिष्णुता और समन्वय का पोषक है, उदारता और ग्रहणशीलता का समर्थक है। उसकी यह सांस्कतिक विरासत अपने आप में अद्वितीय है।

विशेष शब्द—राष्ट्र, धर्म, राष्ट्रनिर्माण, दर्शन, चिन्तन, ईश्वर।

भूमिका–

विवेकानन्द का राष्ट्रवादी चिन्तन इसी भारतीय परम्परा का पोषक है। उनका समूचा चिन्तन राष्ट्रवादी भावनाओं से ओत-प्रोत है। उनकी दार्शनिक दृष्टि उनकी आध्यात्मिकता, उनके चिन्तन में विद्यमान अलौकिकता, सभी का उद्देश्य भारत को उन्नति के सोपानों पर अग्रसित करना है। वेदान्त के अद्वैत के माध्यम से भयभीत न रहने का सन्देश देकर विवेकानन्द ने एक सोये हुए राष्ट्र में नई जान फुँकने का कार्य किया। फिर यह राष्ट्र के नागरिकों का उत्साह व आत्मविश्वास ही तो है, जिससे किसी भी राष्ट्र को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण विवेकानन्द का राष्ट्र के नवयुवकों को सम्बोधन है कि ''हिम्मत करो, डरो मत, केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए अभी'' विशेषण का प्रयोग किया है। हमें अभी निर्भय होना होगा, तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे। उठो जागो, तुम्हारी मातृभूमि इस महाबली की मांग कर रही है। इस कार्य की सिद्धि युवकों से ही होगी। युवा, अशिष्ठ, दृढिष्ठ, बलिष्ठ, मेधावी - उन्हीं के लिए यह कार्य है। अतएव उठो, जागो, राष्ट्र, संसार तुम्हें पुकार रहा है। उत्साह से अपना हृदय भरो। मत सोचो कि तुम गरीब हो, मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नहीं हैं। अरे क्या तुमने देखा है कि रुपया मनुष्य का

* युवा लेखक व चिन्तक, ग्राम + पोस्ट- भीमसर, जिला- झुंझुनूं (राजस्थान)

निर्माण करता है। यह सम्पूर्ण संसार मनुष्य की शक्ति से, विश्वास की शक्ति से निर्मित हुआ है।[1] विवेकानन्द ने आध्यात्मिकता को राष्ट्र की उन्नति का आधार बतलाया है और यह कहा है "भारत उस दिन बचेगा ही कहाँ, जिस दिन उसकी प्राणदायिनी शक्तियों का अन्त हो जायेगा। जिस दिन यहाँ के निवासी अपना धर्म बदल देंगे, अपनी संस्थाओं को रूपान्तरित कर देंगे। छीन लो किसी देश से उसकी संस्थाएँ, उसके रीति-रिवाज, उसके चाल-चलन, फिर बचा ही क्या रहता है? इन्ही तन्तुओं से तो राष्ट्र बन्धा रहता है"।[2]

विवेकानन्द का सम्पूर्ण चिन्तन श्रृद्धा, गौरव व विश्वास के इस भाव में पूर्ण निष्ठा के साथ अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ये ही भाव भिन्न-भिन्न रूपों में उभरकर उनके सम्पूर्ण चिन्तन को आच्छादित किए हैं। इनका मूल स्वर रहा है— "अतीत की ओर देखो, पीछे जो चिरन्तन निर्झर बह रहा है, आकण्ठ उसका जल पीओ और उसके बाद सामने देखो। भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से भी ऊँचा उठाओ। हमारे पूर्वज महान थे। पहले हमें यह बात याद रखनी होगी। हमें समझना होगा कि हम किन उपादानों से बने हैं, कौनसा खून हमारी नसों में बह रहा है। इस खून पर हमें विश्वास करना होगा और अतीत के उस कृतित्व पर भी। इस विश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे, जो पहले से श्रेष्ठ होगा।"[3] भावी भारत की नींव का आधार भारत की सांस्कृतिक विरासत होगी और जिसका केन्द्र धर्म और आध्यात्मिकता ही होंगे। इस सन्दर्भ में विवेकानन्द का कहना था कि "भारत राष्ट्र का जन्म ही सनातन धर्म के साथ हुआ, धर्म से ही उसे गति प्राप्त हुई। अतः धर्म के लिए और धर्म के कारण ही हिन्दुस्तान का अस्तित्व है तथा धर्म के विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित है।"[4] विवेकानन्द का राष्ट्रवाद प्राचीन पूर्वजों द्वारा उद्भासित सत्यों की नवीन रूप में व्याख्या कर, उन्हीं का आधार ग्रहण करता है तथा आह्वान करता है कि "हमारे पूर्वजों की वाणी हमें अवनति की ओर अब अधिक बढ़ने से निषेध कर रही है। अतएव, है आर्यसन्तान, अब उस अवनत्ति की ओर पैर न बढ़ाओ। तब तक विश्राम न लो जब तक तुम्हारे उस प्राचीन शास्त्र का उपदेश सम्पूर्ण संसार को ढक न ले। जब तक कि वह समाज के प्रत्येक मनुष्य की साधारण सम्पत्ति न हो जाए। जब तक हमारी नस-नस में रुधिर की प्रत्येक कणिका में उसका प्रवाह न हो जाए।"[5]

विवेकानन्द का राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक, एक सांस्कृतिक व एक नैतिक परिकल्पना है। यद्यपि राष्ट्र की संस्कृति, उसकी प्राचीन धरोहर, किसी भी राष्ट्रवादी के लिए एक महत्तवपूर्ण भावात्मक आधार प्रस्तुत करती है लेकिन इस सन्दर्भ में विवेकानन्द के राष्ट्रवाद की विशिष्टता यह है कि उसकी भूमि ही नहीं वरन् उस पर खड़ा भवन भी पूर्णतः एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इकाई ही है। विवेकानन्द के अनुसार—"आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन रक्त है। यदि यह साफ बहता रहे, यदि यह शुद्ध व सशक्त बना रहे तो सब-कुछ ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक चाहे किसी भी तरह की ऐहिक त्रुटियाँ हो, चाहे निर्धनता ही क्यों न हो, यदि खून शुद्ध है तो सब सुधर जायेंगे।"[6] राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों पर ही निर्भर करती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। विवेकानन्द का राष्ट्रवाद इस सत्य को उसके उत्कृष्टतम रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। विवेकानन्द की दृष्टि से, न तो सरकार, न हिंसात्मक शस्त्र, न किसी वर्ग विशेष से ही हम राष्ट्र उत्थान की उम्मीद कर सकते है। हमारी समस्त आशाएँ राष्ट्र के मनुष्यों, विशेष रूप से युवाओं पर टिकी हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि "सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएँ मनुष्यों के भोलेपन पर टिकती है। कोई राष्ट्र इसलिए महान नहीं बनता कि पार्लियामेन्ट में यह था, वह पास कर दिया वरन् इसलिए होता है कि उसके निवासी नागरिक अच्छे और महान है।"[7] विवेकानन्द की दृष्टि से प्रेम ही वह बिन्दु है जहाँ से धर्म शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है। यह शक्ति आत्मिक शक्ति है, नैतिक शक्ति है। प्रेम ही समस्त नैतिकता का स्रोत है। उसी से

त्याग की भावना का उदय होता है। विवेकानन्द ने सत्य, नैतिकता सभी को आत्मशक्ति की कसौटी पर कसा तथा कहा ''जिस सत्य से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक निर्बलता आवे, उसे जहर की भाँति छोड़ दो, यह सत्य हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जीवन शक्ति ही नहीं है। सत्य तो बलप्रद है, पवित्र है, भय के अन्धकार को विनष्ट करने वाला और आत्मज्ञान के आलोक को प्रज्ज्वलित करने वाला है।''[8]

विवेकानन्द के धर्म और अलौकिक अराध्य व लक्ष्यों को यदि राष्ट्रवाद की लौकिक पृष्ठभूमि पर उतारा जाए, तो राष्ट्र और उसके निवासी ही उनके आराध्यदेव हैं। इनसे प्रत्यक्षानुभूति ही उनके अलौकिक उद्देश्य का लौकिक स्वरूप है। विवेकानन्द लिखते हैं—''हमारा देश ही हमारा, जागृत देवता है, सर्वत्र इसके हाथ-पैर हैं। समझ लो कि दूसरे देवी-देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी-देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा ही न करें। इसलिए सबसे पहले इस विराट देवता की पूजा करों, जो प्रत्यक्ष है। ये मनुष्य, जो दरिद्रता और अत्याचारों में जकड़े हैं, गरीब, निरक्षर और दुःखी हैं, जिन्हें हम आस-पास और आगे-पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे ईश्वर है। इनकी पूजा करो, इनका सम्मान करो, यही सच्ची आराधना है।[9] विवेकानन्द का विश्वास व्यक्ति में है। केवल संस्थाओं में नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के माध्यम से हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना होगा। राष्ट्रवासियों में सामंजस्य व राष्ट्रनिष्ठा की भावना उत्पन्न करनी होगी। उन्हें आध्यात्मिकता के आधार पर एकीकरण के धरातल पर लाना होगा। इसके लिए वेदों और उपनिषदों को पुस्तकालयों से निकाल कर उन्हें जन-जन में प्रतिष्ठत करना होगा। अर्थात् वेद, उपनिषदों की पुनः समीक्षा, पुनर्विलोकन की आवश्यकता है।

राष्ट्र निर्माण का दायित्व सरकार अथवा वर्ग विशेष का नहीं है। यह जन-जन का अभियान है। चाहे हम अमीर हों या गरीब, हिन्दू हों या मुस्लिम, बंगाली हों या मराठी, कन्नड़ बोलते हों या तेलगु-भारत हम सभी का है। हम सभी को मिलकर इसका भविष्य गढ़ना है। एक ऐसा भविष्य जो ऊँचाई के हर ऊँचे से ऊँचे चरम को स्पर्श करने और कठिनाई की हर गहरी से गहरी समस्या का हल निकालने के साथ ही साथ आत्मिक धरातल पर समूचे विश्व को मार्गनिर्देशित करने की भी क्षमता रखता हो। इसके लिए वर्तमान में हमें व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी स्तरों पर विद्यमान अनेकानेक समस्याओं से जूझना होगा। इस संदर्भ में विवेकानन्द का राष्ट्रवादी चिन्तन हमें केवल राह ही नहीं बतलाता अपितु एक सुदृढ़, सक्षम, आत्मनिर्भर व गौरवान्वित राष्ट्र के उत्थान के लिए उस प्रेरणा, ओज एवं उत्साह का संचार भी करता है और जो जन-जन के मानस को एक ठोस और मजबूत सांस्कृतिक आधार देते हुए राष्ट्र की मुख्यधारा को एक कर देने की अद्भुत शक्ति संजोए हुए है।[10]

निष्कर्ष—विवेकानन्द ने राष्ट्र निर्माण की व्याख्या की है। वे बताते हैं कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। भारतीय चिन्तन की राष्ट्रीय धारणा मौलिक है। उनका चिन्तन राष्ट्रीय धारणाओं से ओत-प्रोत है। इसलिए वे युवकों को जागृत करते हैं कि हिम्मत करो, डरो मत इन तन्तुओं से तो राष्ट्र बन्धा रहता है। विवेकानन्द का सम्पूर्ण चिन्तन श्रद्धा, गौरव व विश्वास से भरा हुआ है। चिन्तन का मूल स्वर है अतीत की ओर देखो फिर सामने देखो। भारत राष्ट्र का जन्म ही सनातन धर्म है। विवेकानन्द का राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक, एक सांस्कृतिक व एक नैतिक परिकल्पना है। क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन है। उनके अनुसार जिस सत्य से मानव में निर्बलता आवे, उस सत्य को जहर की भांति छोड़ दो क्योंकि वह सत्य हो ही नहीं सकता।

विवेकानन्द का विश्वास व्यक्ति में है संस्थाओं में नहीं। देवता वो है जो प्रत्यक्ष हैं जिसकी पूजा करो, अराधना करो राष्ट्रवासियों में सामंजस्य व राष्ट्रनिष्ठा

की भावना उत्पन्न करों। राष्ट्रनिर्माण का दायित्व सरकार अथवा वर्ग विशेष का नहीं यह जन-जन का अभियान हैं। जिसमें कोई भी धर्म का हो या किसी भी क्षेत्र का हो। राष्ट्रवादी चिन्तन हमें केवल यह ही नहीं बतलाता अपितु सुदृढ़ राष्ट्र, सक्षम राष्ट्र, आत्मनिर्भर व गौरवान्वित राष्ट्र का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। विवेकानन्द का मत है कि राष्ट्र को ऊँचा उठाओं। हमारे पूर्वज महान थे, यह बात सदा ध्यान में रखों। हमें समझना होगा कि मानव किन उपादानों से बना है। कौनसा खून हमारी नसों में बह रहा है। इस खून पर हमें विश्वास करना होगा। इस विश्वास से अतीत गौरव ज्ञान से भारत एक नये राष्ट्र के रुप में उभरेगा।

विवेकानन्द का राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक, एक सांस्कृतिक व एक नैतिक परिकल्पना है। यही भाव राष्ट्रवाद को जन्म देते है। विवेकानन्द कहते हैं कि जो मनुष्य दरिद्रता व अत्याचारों में जकड़े है, गरीब हैं, निरक्षर एवं दुखी हैं उनकी अराधना करों क्योंकि वे ही ईश्वर हैं यही परिकल्पना राष्ट्रवाद को बढ़ाती हैं।

सन्दर्भ सूचीः-

1. स्वामी विवेकानन्द सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भारत में विवेकानन्द पत्रों का संकलन, रामकृष्णधाम, नागपुर, पृष्ठ संख्या 276
2. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द साहित्य (दस खण्ड), तृतीय संस्करण 1993, अद्वैत आश्रम मायावती हिमालय कोलकत्ता, पृष्ठ संख्या 16
3. स्वामी विवेकानन्द, मेरे भारत जागो, 1993, वेलूर रामकृष्ण मठ, हावड़ा पश्चिमी बंगाल, पृष्ठ संख्या 74
4. स्वामी विवेकानन्द, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भारत में विवेकानन्द, रामकृष्णधाम, नागपुर, पृष्ठ संख्या 06
5. स्वामी विवेकानन्द, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भारत में विवेकानन्द, रामकृशणाधाम, नागपुर, पृष्ठ संख्या 419
6. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द संचयन (विवेकानन्द के भाषणों का संकलन), 2000, रामकृष्णाधाम, धन्तोली, नागपुर, पृष्ठ संख्या 171
7. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द संचयन (विवेकानन्द के भाषणों का संकलन), 2000, रामकृष्णाधाम, धन्तोली, नागपुर, पृष्ठ संख्या 293
8. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द साहित्य (तृतीय खण्ड), 1993, अद्वैताश्रम, अल्मोड़ा, हिमालय, कोलकत्ता, पृष्ठ संख्या 228
9. स्वामी विवेकानन्द, विवेकानन्द साहित्य (पंचम खण्ड), तृतीय संस्करण 1993, अद्वैताश्रम, मायावती चम्पावत हिमालय कोलकत्ता, पृष्ठ संख्या 193
10. स्वामी विदेहात्मानन्द, स्वामी विवेकानन्द और उनका अवदान, प्रथम संस्करण जुलाई 2002, अद्वैतआश्रम मायावती कोलकत्ता, पृष्ठ संख्या 211

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th June 23 Paper Accepted : 25th June 23

स्वास्थ्य पर योग और ध्यान का प्रभाव

❐ परमेन्द्र कुमार*
❐ डॉ. सागर सिंह कछावा**

शोध सारांश

आधुनिक व्यस्त जीवन के एक अभ्यास में प्राचीन योग और ध्यान तेजी से लोकप्रिय हो गया है। एक ऐसे युग में जहाँ युवा पीढ़ी असामान्य दर पर अनेकों प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही है, फिटनेस का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। स्वयं को फिट रखने का सबसे अच्छा तरीका योग है। यौगिक क्रियाओं में शारीरिक मुद्रा, एकाग्रता और गहरी साँस लेना शामिल है। मन और शरीर का अभ्यास ही योग है। शारीरिक व मानसिक दोनों ही रूपों में फिट रहकर शरीर पर मन का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। भारत में प्राचीन काल से ही योग और ध्यान का अभ्यास किया जाता रहा है और यह स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर प्रदान करता रहा है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर योग और ध्यान के लाभों की जांच करना था ही इस अध्ययन का उद्देश्य है।

आज की शारीरिक गतिहीन जीवन शैली में, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और शरीर के वजन दोनों को बनाए रखने के लिए दैनिक गतिविधि के स्तर को बढ़ाने की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। शारीरिक व्यायाम (आसन) रोगी के शारीरिक लचीलेपन, समन्वय और शक्ति को बढ़ाते हैं, जबकि श्वास अभ्यास और ध्यान अधिक जागरूकता विकसित करने और चिंता को कम करने के लिए मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करते हैं, और इस प्रकार जीवन की उच्च गुणवत्ता होती है, जिसे हम यौगिक प्रभाव या योग का चमत्कार कहते हैं। योग का वर्णन महर्षि पतंजलि को 'योगश्चित्रवृत्तिनिरोधः' के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है 'चित्त' मन या 'चेतना' है। वृत्तियों का अर्थ है विचार आवेग और 'निरोध' का अर्थ है हटाना। योग अनिवार्य रूप से अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक मानसिक अनुशासन है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य बिठाने पर केंद्रित है। यह स्वस्थ जीवन जीने की एक कला और विज्ञान है। 'योग' शब्द संस्कृत के मूल 'युज' धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है 'जोड़ना'। इसके द्वारा मन के उतार-चढ़ाव को दूर करने की क्रिया को किया जाता

* शोधार्थी, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं, राजस्थान
** शोध निर्देशक, श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं, राजस्थान

है। क्रिया में योग कौशल के कारण है जो मन को अपनी सूक्ष्म स्थिति में पहुंचाता है। 'योगः कर्मसु कौशलम'[1]। योग कर्म में विशेष सफलता प्राप्त होती है। है। यह सफलता निपुणता के रूप में दिखाई देती है। यह कार्य में विश्राम और जागरूकता बनाए रखने में विशेषरूप से सहायक होता है।

ध्यान विषयक अति प्राचीन उल्लेख वेदों में पाए जाते हैं। ध्यान एक धार्मिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में, समय की अवधि के लिए एक शांत और शांत स्थिति में रहने का कार्य है, ताकि व्यक्ति दैनिक समस्याओं से निपटने में अधिक सक्षम हों। तनाव को सन्तुलित कर, ध्यान आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। शारीरिक लाभों में से एक में तनाव से संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करना शम्मिलित है। चिकित्सक तनाव के स्तर को कम करने के लिए अपने रोगियों को ध्यान की सलाह देते हैं। इसमें आपकी हृदय गति और रक्तचाप को कम करने के लिए ध्यान करना होता है। वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए ध्यान की सलाह देते हैं। ध्यान विश्राम की गहरी स्थिति और शांत मन पैदा करता है, मानसिक लाभ प्रदान करता है। पूर्व में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि ध्यान का मस्तिष्क पर और स्मृति में सुधार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्यान एकाग्रता में सुधार कर सकता है, चाहे किसी को खेल, शिक्षा, काम या शौक के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो। ध्यान के माध्यम से, आप चिंता और अवसाद को कम कर सकते हैं जो जीवन में निराशा की भावनाओं के कारण होते हैं।

योग का प्रभाव

योग के माध्यम से शारीरिक प्रभाव, शरीर के भीतर लाभकारी रासायनिक प्रक्रियाओं की एक पंक्ति को स्थिर करता है, हृदय गति को धीमा करता है, रक्त के स्तर को कम करता है, मांसपेशियों के तनाव को कम करता है, फेफड़ों में अधिक कुशल गैस विनिमय, कोर्टिसोल और अधिवृक्क स्तर के निम्न स्तर की ओर जाता है। यह न केवल प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, बल्कि उच्च ऊर्जा के स्तर और शक्ति में वृद्धि भी करता है। योग और प्राणायाम के माध्यम से शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार किया जा सकता है और उच्च रक्तचाप तथा निम्न रक्तचाप (हाइपोटेंशन) दोनों का इलाज करने के लिए साबित हुआ है। योग का अभ्यास करने से धमनियां नमनीय रहती हैं जो फिर से रक्तचाप को कम करती है। इसके परिणामस्वरूप सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे एक उत्तम जीवन शैली का निर्माण होता है। कुछ आसनों में नसों को सुखद हृदय गति धीमा करने की शक्ति होती है और दिल के दौरे की संभावना कम करता है। अध्ययनों के माध्यम से यह पाया गया है कि योग के लाभों में फोकस, एकाग्रता के स्तर और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि शामिल है। यह तनाव के स्तर को कम करने, अवसाद और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। चूंकि तनाव कम हो जाता है, इसलिए नींद चक्र में सुधार होता है। जीवन के एक तरीके के रूप में योग आत्म छवि और कल्याण की भावनाओं को बढ़ावा देता है।

जब नियमित रूप से योगाभ्यास किया जाता है और नियमित रूप से आराम की स्थिति में होता है, तो मस्तिष्क सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर 'सेरोटोनिन' का अधिक उत्पादन करता है और नकारात्मक 'कोर्टिसोल' को कम उत्तेजित करता है जो संज्ञानात्मक कौशल को बाधित करता है, उच्च रक्तचाप और रक्त शर्करा असंतुलन को ठीक करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करता है। योग के सबसे अनूठे लाभों में से एक यह है कि यह किसी अपने व्यक्तित्व को विकसित करके किसी व्यक्ति को समग्र रूप से बदलने की शक्ति है।

ध्यान का प्रभाव

ध्यान प्रतिरक्षा कार्यों को बढ़ाकर, हार्मोनल निर्वहन को विनियमित करके और सेलुलर सूजन को कम करके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया कि लंबे समय तक ध्यान करने वालों के शरीर में अधिक रोग से लड़ने वाले रसायन थे। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नियमित ध्यान के माध्यम से, हमारे शरीर के रसायन विज्ञान में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। हमारे प्लेटलेट्स कम चिपचिपे हो जाते हैं क्योंकि पूरे शरीर में रक्त अधिक आसानी से बहता है। इन निष्कर्षों के साथ, ध्यान उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन संबंधी विकारों के लक्षणों से छुटकारा दिलाता है, जैसे आंत्र सिंड्रोम, आदि। यह त्वचा विकारों को तेजी से ठीक करने में मदद करता है। यह इम्यून सिस्टम आदि को मजबूत करता है। कैंसर, अस्थमा, एलर्जी, फैटी, जोड़ों में दर्द, नींद की बीमारी आदि जैसी समस्याएं से निदान करता है।

मनोवैज्ञानिक आयाम पर लाभ

ध्यान हमें आरामदायक जागरूकता प्रतिक्रिया की स्थिति प्रदान करता है, इसका अर्थ है कि ध्यान के माध्यम से, तनाव हार्मोन का कम उत्पादन होता है। आरामदायक जागरूकता की स्थिति में, हम बेहतर तरीके से स्थितियों से निपटने में सक्षम हैं। हम कम रिफ्लेक्सिव और अधिक चिंतनशील हो जाते हैं। जैसा कि हम अधिक ध्यान करते हैं, हम एक 'स्वचालित' प्रतिक्रिया तंत्र से अधिक 'वातानुकूलित' प्रतिक्रिया तंत्र में बदलाव का अनुभव करते हैं। ध्यान ने मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला है कि प्रत्येक विषय के एमआरआई ने हिप्पोकैम्पस में ग्रे पदार्थ में वृद्धि प्रदर्शित की। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सीखने, स्मृति और विशेष अभिविन्यास के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही, एमिग्डाला के ग्रे पदार्थ में कमी भी नोट की गई थी। एमिग्डाला को मस्तिष्क के भय, तनाव और चिंता केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। वैज्ञानिक यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि दो महीने से भी कम समय में, ध्यान मस्तिष्क की शारीरिक संरचना को बदल सकता है।

आध्यात्मिक आयाम पर लाभ

ध्यान ऐसा साधन है जो आत्मा के लिए सही पोषण प्रदाता है—जो सकारात्मकता, ज्ञान, इच्छा-शक्ति आदि जैसे सभी आवश्यक लक्षणों का केंद्रबिन्दु है। वास्तव में, यह स्वयं को पोषित करने और असंख्य लाभों को संजोने का एकमात्र साधन है जो अपने आंतरिक अस्तित्व के संपर्क में आने पर पुरस्कृत होते हैं। पाश्चात्य दाशर्निक सुकरात ने ध्यान को दो शब्दों में परिभाषित किया है—'अपने आप को जानें'—जो डेल्फी के मंदिर में अंकित है। ये दो शब्द एक साथ 'शांति', 'प्रसन्नता', 'विश्राम' और 'सफलता' देने वाले होते हैं।

निष्कर्ष

भावनाओं में वृद्धि, आत्मविश्वास और शरीर की छवि में सुधार, कार्य में दक्षता, पारस्परिक संबंध में बढ़ोत्तरी, जीवन पर एक आशावादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन करती है।

संदर्भ :

1. भोले, एम वी (1977)। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में स्वास्थ्य और रोगों में तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत कुछ योग प्रथाओं का मनोवैज्ञानिक शारीरिक महत्व।
2. प्रबंधकीय प्रभावशीलता और कार्य जीवन की गुणवत्ता-भारतीय अंतर्दृष्टि। नई दिल्ली, मैकग्रा हिल, 1987.
3. चक्रवर्ती एसके. 'मूल्यों द्वारा प्रबंधकीय परिवर्तन एक कॉर्पोरेट तीर्थयात्री' गाथा। नई दिल्ली, 1993
4. राव (1995), योग- एक वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त पहलू, जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, 13(2), पीपी 1-12।

5. ध्यान के माध्यम से कार्य स्थान तनाव का प्रबंधन डॉ गौरव बिस्सा, डॉ अमित शर्मा, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल आईएसएसएन-0974-2832, आई (16)
6. डॉ. के. एन. उदुपा, (1997), ध्यान पर जैव रासायनिक अध्ययन, स्वास्थ्य और रोगों में तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत पेपर, बीएचयू, वाराणसी।
7. फ्यूरस्टीन, (1998), योग परंपरारू इसका इतिहास, साहित्य, दर्शन और अभ्यास। प्रेस्कॉट, एजेड, होहम प्रेस फाउंडेशन, न्यूयॉक, हार्पर और रो।
8. बेकर, (2000), मनोचिकित्सा और चिकित्सा में योग का उपयोग, मस्किन, पीआर (एड), पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा और मनोचिकित्सा, वाशिंगटन डीसीरू अमेरिकन साइकियाट्रिक प्रेस, 107-145।
9. रीबेल, डी.के., जे.एम. ग्रीसन, जी.सी. ब्रेनार्ड और एस. रोसेनज्वेग। एक विषम रोगी आबादी में माइंडफुलनेस-आधारित तनाव में कमी और जीवन की स्वास्थ्य संबंधी गुणवत्ता। जनरल अस्पताल मनोचिकित्सा, जुलाई-अगस्त 2001, 23 (4), पीपी 183-192। पीएमआईडीरू 11543844
10. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2. श्लोक 50

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 25th May 23

टीकमगढ़ जिले के कृषि और संबद्ध क्षेत्र की आर्थिक नीति का अध्ययन

❐ अभिषेक घुवारा*
❐ डॉ. विजय साहू **

शोध सारांश

टीकमगढ़ जिला, मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है व जिला सागर संभाग के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है जो की बुन्देलखण्ड पठार पर स्थित जमुनी (बेतवा की एक सहायक नदी) और धसान नदी के बीच स्थित है। टीकमगढ़ जिला 24°26' और 25°34' उत्तरी अक्षांश और 78°26' और 79°21' पूर्वी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। देशांतर में टोपोशीट संख्या 54K, 54L, 540, और 54P स्थित है। यह उत्तर व पश्चिम में उत्तरप्रदेश के ललितपुर व झांसी जिले से सीमा साझा करता है व पूर्व में छतरपुर जिले से सीमा साझा करता है। जिला चार विकासखण्डों में विभाजित हैं जो की टीकमगढ़, बल्देवगढ़, जतारा, पलेरा है। जिले में कुल 7 तहसील हैं टीकमगढ़, बल्देवगढ़, मोहनगढ़, जतारा, पलेरा लिधौरा और खरगापुर। जिले की अधिकतम लम्बाई उत्तर से दक्षिण लगभग 119 किलोमीटर व चौड़ाई 80 किलोमीटर है। जिले का कुल भौगोलिक विस्तार 3878 वर्ग किलोमीटर है जो की प्रदेश के कुल क्षेत्र का 1.07 प्रतिशत है। जिले की सामान्य वर्षा 1001 मिमी प्रति वर्ष होती है। जिले की जनसंख्या 10.40 लाख है जिसमें 8.70 लाख ग्रामीण जनसंख्या है। 324 ग्राम पंचायतें एवं 682 गांव है। कुल परिवारों में से 14 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। 2016-17 में अविभाजित जिले का सकल घरेलू उत्पाद 10,46,767 लाख था जो की राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.61 प्रतिशत था। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1,44,560 हेक्टेयर है जो की शुद्ध बोये गए क्षेत्र 2,34,790 का 61 प्रतिशत है। जिले की प्रमुख फसलें—खाद्य उत्पादों में गेंहू, दलहन में चना, उड़द, तिलहन फसलों में सोयाबीन, तिल, सरसों, मूंगफली, सब्जियों में प्याज एवं आलू, फलों में आंवला, अमरूद, कैंथ एवं मसाले के रूप में अदरक आदि यहाँ के मुख्य उत्पाद हैं। टीकमगढ़ पाईरोफ्लाइट के निर्माण में अग्रणी जिला है। यहाँ कई पाईरोफ्लाइट खनन स्थल हैं, जहाँ उच्च गुणवत्ता वाला पाईरोफ्लाइट खनन होता है जो पूरे भारत में निर्यात होता है। जिले में पशुपालन गतिविधियाँ व्यापक एवं काफी लोकप्रिय है। जिले के 78 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत कृषक हैं। जिले की औसत भुजोत का आकार 1.40 हेक्टेयर है। इसलिए कहा जाता है कि 'अन्न धन है सो अनेक धन है'।

मुख्य शब्द—कृषि क्षेत्र, ऋण प्रवाह, अधोसंरचना, किसान कल्याण।

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह
** सहायक प्राध्यापक,अर्थशास्त्र विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह

अध्ययन क्षेत्र के उद्देश्य

अर्थिक विकास के लिए जिले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ किसान को आर्थिक कल्याण हेतु सरकार के प्रमुख प्रयास क्या रहे। क्योंकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि आधिरत क्षेत्र हैं जहाँ अधिकतम किसानों कि जीविका का साधन ही कृषि है। कृषि क्षेत्र में विकास से टीकमगढ़ जिले को तो आर्थिक लाभ मिलेगा ही इससे सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड को भी आर्थिक लाभ मिलता है। जिले की प्रमुख फसलें की जानकारी होना जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

शोध की पद्धति

अध्ययन हेतु वर्णनात्मक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। साथ ही अध्ययन के लिए डेटा प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के मिश्रण के रूप में प्राप्त किया गया है। प्रत्यार्थियों से प्रश्नावली और सर्वेक्षण के माध्यम से सीधे प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया। पत्रिकाओं और वेबसाइटों से माध्यमिक डेटा एकत्र किया गया है।

कुशल किसान संग्रह

किसान उत्पादक संगठन का मार्ग एकत्रीकरण को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है और इससे कृषि आय में भी सुधार होगा। भारत के 80 प्रतिशत कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लघु सीमांत किसानों को कम निवेश, कम मूल्य संवर्धन, खराब उत्पादकता, कमजोर बाजार उन्मुखीकरण और कम मार्जिन के चक्र के साथ लड़ने को मजबूर होना पड़ता है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत कटाई उपरांत हानि के कारण लगभग 92,600 करोड़ रुपये खो देता है।

लघु ऋण प्रवाह

सीमांत किसानों के सामने असंख्य चुनौतियों का जबाव कुशल किसान संग्रह में निहित है जो अधिक सौदेबाजी की शक्ति, बेहतर बाजार और मूल्य की खोज, ऋण और बीमा तक पहुंच और परिसंपत्तियों एवं लागतों के बंटवारे का स्रोत है। यह किसानों को फसल सुरक्षा, भण्डारण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे में निवेश करने की क्षमता का निर्माण करता है। साझेदारी के माध्यम से बाजार की कड़ियों और सूचनाओं तक बेहतर, किसानों को मांग/आपूर्ति असंतुलन और कटाई उपरांत हानि को कम करने में सक्षम बनाती है।

वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत टीकमगढ़ जिले में कुल ऋण प्रवाह 2017-18 में 554.83 करोड़ रुपये था। यह 2018-19 में बढ़कर 569.74 करोड़ रुपये हो गया और जिला विभाजन के दौरान 2019-20 में 341.81 करोड़ रुपये रहा। विगत तीन वर्षो के दौरान वितरित कृषि ऋण क्रमशः 456.76 करोड़ रुपये, 470.32 करोड़ तथा 267.16 करोड़ रुपये रहा। इसी अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वितरित ऋण क्रमशः 50.98 करोड़, 78.09 करोड़ तथा 58.09 करोड़ रुपये रहा। अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित ऋण इसी अवधि में क्रमशः 47.07 करोड़, 20.83 करोड़ तथा 16.56 करोड़ रुपये रहा।

बैंकिंग मानदण्डों की विशेषताएँ

टीकमगढ़ जिले में 16 वाणिज्यिक बैंक संचालित होते हैं जिनकी 25 शाखाएँ कार्यरत हैं, मध्यांचल ग्रामीण बैंक की 29 शाखाएँ, जिला सहकारी बैंक की 10 शाखाएँ तथा 63 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS) कार्यरत हैं। भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा निर्धारित प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र मानदण्डों को प्राप्त करने में बैंकों द्वारा अधिक प्रयास की आवश्यकता है। 2019-20 के दौरान जिले का ऋण जमा अनुपात 36 प्रतिशत, कृषि ऋण 39 प्रतिशत एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण 73 प्रतिशत रहा। वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत उपलब्धि संतोषप्रद रही साथ ही बीसीएस के द्वारा गांवो को कबर करने, प्रधानमंत्री जन धन योजना में खता खोलने, जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा करवाने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का लाभ लेने तथा अटल पेंशन योजना के कवरेज संबंधी सभी लक्ष्य प्राप्त किए गए।

क्षेत्रीय आधार पर संभाव्यता का आकलन

प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्षेत्रों/उपक्षेत्रों के लिए उपलब्ध संभाव्यताएँ जिनकी संस्थागत ऋण के द्वारा पूरा किया जा सकता है। यह अनुबंध (1) में दर्शाया गया है। इसके अन्तर्गत कुल संभाव्यता 1822.48 करोड़ रुपये आकलित की गई है साथ ही कृषि ऋण के लिए 1704.35 करोड़ रुपये, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 44.80 करोड़, शिक्षा एवं आवास के लिए 53.84 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा व सामाजिक अधोसंरचना हेतु 19.49 करोड़ रुपये का आकलन (वर्ष 2021-22 में) किया गया।

अधोसंरचना

टीकमगढ़ जिला सिंचाई एवं शिक्षा जैसे आधारभूत सुविधाओं के मानक पर खरा उतरता है क्योंकि इन क्षेत्रों में जिले की रैंकिग राज्य के औसत से बेहतर है। इसके साथ ही कुछ अन्य मानकों जैसे सड़क घनत्व में राज्य के औसत से कम है।

नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अन्तर्गत जिले में 67.17 करोड़ रुपये की 35 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। जिनमें मुख्य रूप से सिंचाई, स्कूल, सड़क, आदि शामिल हैं। जिले में कुछ जटिल अधोसंरचनाएं जैसे खेत, तालाब, सड़क, कुऐं, पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता है जिन्हें सार्वजनिक निवेश से सहायता दी जा सकती है।

किसानों की आय में वृद्धि

भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने पर जोर दे रही है। इसी संदर्भ में 2016-17 के बजट में सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा भी की गई थी। किसानों की आय को बढ़ाने वाले संभावित घटक इस प्रकार हैं—

- सिंचाई संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास।
- तकनीकी उन्नयन।
- ड्रिप, स्प्रिंकलर तथा अन्य लागत से ज्यादा लाभ देने वाले और वृद्धि योग्य उपकरणों को अपनाने हेतु किसानों को जागरूक बनाना जिससे पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक से अधिक फसल प्राप्त की जा सके।
- प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलाना, मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना।
- कृषि व्यापार की शर्तों में सुधार लाना।
- किसानों को कृषि के साथ अन्य सहायक गतिविधियों तथा गैर कृषि व्यवसाय करने के लिए प्ररित करना।
- उच्च मूल्य फसलों एवं उद्योगों की तरफ कृषि गतिविधियों का विविधिकरण करना।

नाबार्ड के मुख्य क्षेत्र एवं पहलें

पशुपाल क्षेत्र में वांछित उपलब्धि प्राप्त करने हेतु नाबार्ड द्वारा क्षेत्र विकास योजनाएँ बनाई गई हैं। इन गतिविधियों के लिए बैंकिंग प्लान भी बनाया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा बकरी पालन के लिए 1.04 करोड़ एवं पशुपालन क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र के लिए 4.98 करोड़ के बैंक ऋण वितरण का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 2021-22 के समय नाबार्ड द्वारा अति महात्वपूर्ण क्षेत्रों को रेखांकित किया गया जो इस प्रकार हैं- स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह वित्तपोषण, सूक्ष्म सिंचाई, पशुपालन, कृषक उत्पादक संगठन इत्यादि। इन क्षेत्रों के संवर्धन हेतु नाबार्ड कई विकासात्मक गतिविधियां भी कर रहा है जिसमें कार्यशालाओं का आयोजन, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त देयता समूह संवर्धन संस्थाओं को सहायता, कृषक संघों को सहायता, कृषक उत्पादक संगठनों, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाऐं जैसे वाटरशेड के माध्यम से प्रकृतिक संसाधन प्रबंध, गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ऋण आधारित प्रशिक्षण इत्यादि। यह सभी गतिविधियां अंततः आधार स्तरीय ऋण प्रवाह को बढ़ाने में सहयोग करती है।

टीकमगढ़ जिला के प्रमुख क्षेत्रवार का अनुमान (2021-22 के दौरान)

अध्ययन का निष्कर्ष

बुन्देखण्ड एक कृषि आधारित क्षेत्र है जहाँ का किसान पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित होता है। जहाँ किसान की आर्थिक स्थिति भी कमजोर रही है जिससे बुन्देलखण्ड के लगभग सभी जिले आर्थिक विकास के लिए सरकारी मदद पर ही निर्भर रहे हैं। टीकमगढ़ जिला में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रवाह में निरंतर वृद्धि देखने को मिली साथ ही अधोसंरचना जैसे शिक्षा व सिंचाई आदि आधारभूत सुविधाओं के मानक पर खरा उतरता है। किसान की आय को दो गुना करने एवं किसान कल्याण हेतु लाभ में सदैव प्रयासरत है इसके साथ ही विकास के दौरान कुछ चुनौतियाँ भी रही जैसे उद्यानिकी फसलों जैसे आलू, प्याज, टमाटर आदि के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, निरंतर विद्युत प्रदाय, व्यवस्थित पशु बाजार की अनुपलब्धता, वैकल्पिक उर्जा उपकरणों के विरतकों की अनुपलब्धता एवं आकलित संभाव्यता को प्राप्त करने में कृषि हेतु आधारभूत सुविधाओं एवं विपणन सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच में कमी व अशिक्षित किसान वर्ग आदि चुनौतियाँ जिनमें सुधार की अति आवश्यकता है। साथ ही संवर्धन हेतु नाबार्ड कई विकासात्मक गतिविधियां भी कर रहा है जिनमें वित्तपोषण, सूक्ष्म सिंचाई, पशुपालन, कृषक उत्पादक संगठन इत्यादि हैं।

संदर्भ सूची

- डॉ. काशी प्रसाद त्रिपाठी (2016) - टीकमगढ़ जिले के तालाब एवं जल प्रबन्धन व्यवस्था
- डॉ. काशी प्रसाद त्रिपाठी (2006) - बुन्देलखण्ड का सामाजिक-आर्थिक इतिहास
- Agriculture Contingency Plan For District: Tikamgarh
- Brief Industrial Profile Of Tikamgarh District, M.P. Ministry of MSME, Govt. of India.
- https://www.nabard.org/
- https://tikamgarh.nic.in/en/
- https://bundelkhand.in/
- https://www.kisaanhelpline.com/ODOP/Tikamgarh/49
- https://www.indiastatdistricts.com/madhya pradesh/tikamgarh-district

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 15th June 23

Representation of women's life in Kalidas Abhijatshakuntalam

❐ Pavan Nandkumar Joshi*

ABSTRACT

Abhijatshakutalam is one of the most oldest work of Indian literature. It is one of the most acclaimed women characters of Indian literature. The present paper is an attempt to analyze the true voice and status of women's life represented in this play by feminine point of view. This paper will also highlight the various social values such as woman's emotion, feelings, and experiences, quality of forgiveness, modesty and decency of women.

Key words : Social values, History, Status of women and her life.

The Abhijnanasakuntalam is a marvelous work of the great poet and playwright Kalidasa, the brightest star in the firmament of Indian poetry. Kalidasa's imagination holds in perfect fusion the two elements of natural beauty and human feelings. Out of three plays of Kalidasa, Abhijnanasakuntalam is generally regarded as a masterpiece. The word 'Abhijnana' in the title signifies 'a token of recognition' (here a ring), which is instrumental in bringing about the final recognition of Sakuntala by the king. It is a Nataka in Seven Acts, based on the love-story of king Dushyanta and the maiden Sakuntala. Social values form an important part of the culture of the society. Values account for the stability of social order. They provide the general guidelines for social conduct. Values such as fundamental rights, patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, individuality, equality, democracy etc. guide our behaviour in many ways. Values are the criteria people use in assessing their daily lives; arrange their priorities and choosing between alternative courses of action. There are Seven Acts in Abhijnanasakuntalam. Each Act of Abhijnanasakuntalam reflects various social values of women which are more beneficial to human society and the present day world.Accordig to Simone De Beauvoir; "One is not born a woman, but rather becomes one." 1 Trueness of this sentence can be seen in terms of AbhijnanaShakuntalam, it provides a great light to understand the various roles of women. It is in Abhijnana Shakuntalam woman sare depicted in a way which helps us to understand the position of women in a society. The very well known fact of AbhijnanaShakuntalam is that it does not directly talk about women in particular; it is from between the lines that we are able to pick up the words, actions and treatment that help us to understand the women characters of the text. It is from such representation that we can find the

* Research Student, Swami Ramanand TerthMararathwada University Nanded

simple living of the women, their innocence, and playfulness, the frankness which they have in their minds and above everything their sincerity. As far as the roles of women in AbhijnanaShakuntalam is concerned, it represents the multiple roles of women in life as mothers, daughters, sisters, friends and councillors besides their role as devoted wife.[1] When we divide the text into three sections, to clearly understand the representation of women, we can find three different roles played by Shakuntala in each of the sections.

It is in general that we can see that the different phases and the lives lived by a women are as a daughter which is the first stage and then as a wife, after the marriage and finally as a mother. As far as the roles of women in AbhijnanaShakuntalam is concerned, it represents the multiple roles of women in life as mothers, daughters, sisters, friends and councillors besides their role as devoted wife.1When we divide the text into three sections, to clearly understand the representation of women, we can find three different roles played by Shakuntala in each of the sections. It is in general that we can see that the different phases and the lives lived by a women are as a daughter which is the first stage and then as a wife, after the marriage and finally as a mother. The first section of the text narrates the story of Shakuntala in the ashrama[2] of Kanva representing her as the daughter of the ashrama. It is through the story narrated by Shakuntala s friend to Dushyanta that we come to know about the parents of Shakuntala and her adoption by rishi Kanva. The phase of daughter in Shakuntala s life is narrated in the text in two ways. Firstly, the story of her genetical parents and how she was being abandoned by her parents. It is here that we come to know about how and why was Shakuntala being abandoned by her parents. Though the narratives of Shakuntala s birth is not directly narrated in the text, but is represented in a way indicating the reason about her abandoned. When we try to locate the mother of Shakuntala, she is implicitly represented as an apsara, a celestial woman who is blessed by enormous power, and is being sent on earth in order to control the austricity of a meditating sage. Here, the meditating sage rishi Viswamitra is represented as Shakuntalas father who is disturbed by the apsara. The union of the sage and the apsara led to the birth of Shakuntala. The saddening part in this section is that both the parents could not accept the child because of their own commitments. As such, Shakuntala is being abandoned and left in the forest in between the wild. The second part of the story about Shakuntala s journey as a daughter is her adoption by sage Kanva. It is in this part of the story that we find the actual execution of the daughter s role played by Shakuntala. Shakuntala is brought up in the ashrama. She has the every right and power received from her father Kanva in the ashrama. She is trusted with the task of receiving guest in the ashrama, and looking after them, which was earlier exercised by Kanva.

When we see the part of receiving the guest it is clear that the job of hospitality is generally entrusted to the female members of the family. For instance, when Dushyanta enters the ashrama, Anasuya says-"now that we have a special guest. Shakuntala, go to our hut and bring ripe fruits. We ll use this water to bathe his feet.And Dushyanta replies as: "Your kind speech is hospitality enough.2 Apart from this, through many instances we come to know that Shakuntala was provided with the basic education in the ashrama. It can be understood that she was trained to write which can be clearly reflected from what, Shakuntala says: "I ve thought of a verse, but I have nothing to write it on." Priyamvada replies as "engrave the letters with your nail on this lotus leaf!"[3] When we examine the text we can see that Shakuntala and her friends are entrusted with the jobs which seem to be uncomplicated, like watering the plants looking after the animals and

plants as compared to the role of the Dushyanta. Who in the beginning is introduced as a strong person who is out on a hunt, which is regarded as a heavy task that needs action with power. It is also clearly visible that Shakuntala who is the foster daughter of Kanva is loved and cared wholeheartedly. It is not only Kanva who provides fatherly love to Shakuntala, but also the other members of the ashrama love her equally. For instance, when Shakuntala falls ill, it s Priyamvada, Anasuya, and the senior aesthetic Gautamai who take cares of her. Moreover, Gautamai is even assigned to Shakuntala when she leaves the ashrama and heads towards the court of the palace of Dushyanta. In examining the role of Shakuntala as a daughter, it also indicates that the father plays an equally important role in shaping the life of his daughter. This is visible in the text particularly in terms of marriage. As narrated in the text, we come to know thatKanva wants her daughter to be married off to a worthy husband. To give away the daughter in marriage is considered as one of the major duty, and right of the parents. When Kanva returns from pilgrimage he comes to know about Shakuntala s marriage to Dushyanta and also her pregnancy. Kanva says that he will not mourn for Shakuntala departure to her husband/ or her absence in the ashrama. Thus, it is clearly visible that marriage is considered as a most important task assigned to the parents about their children, we can see that Kanva forgives Shakuntala about her marriage to Dushyanta in secret. It is noteworthy that the reiteration of the sastric models of the daughter as (parakiyaartha) another s wealth, with Kanva expressing his relief at being able to hand her over to her husband. The blessings that Shakuntala receives in her departure from her paternal home to her martial home is that she should be fruitful and subservient.

The blessings that Shakuntala receives itself shows that the motive and the purpose of living changing from daughter to being the wife of someone. For instance, the blessings that Shakuntala receives from the first ascetic are "child, win the title of „chief queen as a sigh of your husband s high esteem!" the second ascetic blesses as "child, be the mother to the heroes!" and the third ascetic blesses as "be honoured by your husband."8Kanva her foster father himself advises Shakuntala to serve her elders, never go against her husband, to treat her co-wives as friends, and to be gentle with servants. This ideally will ensure that she will attain the status of grhini (the lady of the house). Sage Kanva assures Shakuntala that she can return back to the hermitage when the assigned duties of being wife is being fulfilled when you have lived for many years as a queen equal to the earth and raised Dushyanta s son to be a matchless warrior, your husband will entrust him with the burdens of the kingdom and will return with you to the calm of this hermitage. Shakuntala through some of her dialogues in the text puts forward the idea that she is free and not under the subjugation of any. In the text when Dushyanta tries to free Shakuntala from the task assigned to her of watering the plants, Shakuntala replies as "who are you to keep me or release me?" The marriage between Shakuntala and Dushyanta which is a Gandharva form of marriage shows that Shakuntala was given the complete freedom to choose her own husband. The decision to marry Dushyanta was hers own. However, in terms of the responsibilities of a daughter towards her parents in the text, there are no such duties assigned. The duties that are assigned are on a whole for the family or community as a whole The transformation of Shakuntala from the daughter to a wife is marked by many of the instances. The first is marked by her attire. Dress is an extremely important component in the AbhijnanaShakuntalam. When we encounter Shakuntala for the first time she is dressed as an aesthetic, in a bark dress, the jewelleries of flowers. When Shakuntala is to leave the forest,

and enter the new world of court and wife she is to change her attire, which comes in the form of white silk clothes, resinous lac to redden her feet and jewels. Shakuntala s transformation from a young girl (daughter) in the forest to a queen (wife) is indicated, through the change of attire. Such transformation also marked a shift in the roles of Shakuntala from being a daughter to the task of a wife.

It begins with Dushyanta admiring the beauty of Shakuntala in the hermitage and asserts that Shakuntala is a suitable and perfect bride for him by birth as well as by the intentions of Kanva. Shakuntala is married to Dushyanta in secret through the Gaandharva form of marriage. Gandharva form of marriage is described in the Manavadharmasastra14 as "the mutual union by the inclination of a girl and a lover, that is to be known as the Gandharva rite, arising from desire caused by lust. After being convinced by Dushyanta, Shakuntala gives herself in marriage in absence of her guardian through the Gandharva form of marriage. However, the irony of Shakuntala s marriage to Dushyanta is that king Dushyanta has no recollection of the marriage when Shakuntala arrives in his court with a full hope to meet her husband. Such changes in the course of the narration in the text were visible with the arrival of Durvasa in the ashrama. Here, the curse of Durvasa plays a pivotal role in changing the course of the narration which temporarily altered the relation of Shakuntala andDusyanta. It is said that Shakuntala was cursed by Durvasa for neglecting her service to him. This makes the king forget about Shakuntala and their marriage. The only remedy of the curse, the ring, a token of remembrance is also conveniently lost. As a result there is a total transformation in Dusyanta sbehaviour towards Shakuntala. He calls Shakuntala as a cunning woman when Shakuntala came to the palace to recognize her as his wife. The sage conveys the message of Kanva when Dushyanta fails to identify Shakuntala, as a result of the curse. After which allegation and counter allegations begins among them, trying to put the blame on each other.

The righteous king Dusyanta though affected by Shakuntala's towering beauty refuses to accept her. On this point, Dushyanta explicitly expresses his view: "The Moon causes only the moon-lotuses to bloom, and the Sun the sun lotuses alone. The inclination of self-restrained persons is averse to embrace another man's wife. when naive female beasts show cunning, what can we expect of women who reason? Don t cuckoos let other birds nurture their eggs and teach the chicks to fly?"[4] Shakuntala being the wife and above all who is bearing the child of Dusyanta, does not plead anymore, instead she compares him as a, "a man whose mouth is honey, but whose heart is stone. Also, the pain of denial by Dushyanta could be seen when Shakuntala prayed that O gracious goddess, mother earth, open wide and take me in. Motherhood played a significant role in the ancient Indian social life. In the text, Shakuntala s role as a mother is indicated by Kalidasa s anxiety for the birth of a son and heir. Central to this process is Shakuntala- not as a beloved, but as a mother. The Apart from the different roles of Shakuntala, there are important roles played by other women in the text. It is here we find both divine and human s roles weaving in together. The role of the celestial nymph Menaka (Shakuntala s mother) and her companion Sanumati can be cited here as a point that relates us with the divine intervention with their roles in the human world. D.D. Kosambi observes that in Uruvashi- Pururavas myth in the Rig Veda, the SatapathaBrahamana and the Mahabharata, and the Vikramorvasiyam, several apsaras occupy a prominent place near the beginning of some royal geaealogy and list Menaka as the mother of Shakuntala, and many others as an examples. In the text, Menaka as a mother of Shakuntala, whose role is developed in such a way which makes her essential in narrating the storyline of Shakuntala. She appears in a point

of crisis, plays a significant role in reaching Shakuntala to the desired conclusion. She is the mother who rescues the abandoned Shakuntala with the help of her companion Sanumati, during the trauma and hardship of rejection of Shakuntala by Dushyanta.

Moving away from the context of divine roles, it is the roles of the other women depicted in the text which is worth mentioning. One of such roles is the role played by Anasuya and Priyamvada. Anasuya and Priyamvada are the two young ascetics friends of Shakuntala, who were the product of Kalidasa s poetic imagination. It is evident from the text that Shakuntala was not independent enough to confront her love towards Dushyanta. Anasuya and Priyamvada embody aspects of feminity, speech and action. Priyamvada (literally meaning sweet talk) as her name suggest is cheerful. Priyamvada with her sweet talk proves to be most valuable when she is somewhat able to pacify the irate sage Durvasa and mitigate the effects of his curse. Anasuya (literally, without envy) who kale says is older than two. Another similar role is the significant role played by Gautami. She is represented in the text as the non-biological mother of Shakuntala. She is the foster mother of Shakuntala, Anasuya and Priyamvada, who performs the daily work of parenting in the Kanva s ashrama. Her sphere of influence is limited to interpersonal and emotive relationship with her daughters. As a mother she looks after when Shakuntala falls ill and takes medicine to her, and sees for her safe return to home when night falls. She is also the mother as moral authority from whom the romance between Shakuntala and Dushyanta is to be kept secret. Her representation provides insights into relationship between mothers and daughters, a grey are in sastric texts according to SukumariBhattacharji. Gautami mildly resists brahmanical dominance when she hesitates in abandoning Shakuntala in her moment of crisis When Shakuntala is abandoned by both Dushyanta and the two asthetics of Kanva, Gautami seems to be in pain when she is left behind alone.Gautami says: “Shakuntala is following us, crying pitifully. What will my child do now that her husband has refused her?”[5] however the order by the aesthetic of Kanva to lead the way she does not further intervene, following the sastric injunction that, a girl, a young woman, or even an old woman should not do anything independently, even in her In addition to these, the important contribution of women like Netravati, the door keeper (female attendant) who ushers in visitors and presents messages; Parabhrtika and Madhukarika, the two maids assigned to the Dushyanta s garden and Gaturika, a maid servant also appeared in the text.

When we categorise the women according to their role in the text, one important category of women lacks behind apart from daughter, wife, mother, widows that is of the working women, it was Horner who introduced the new category of working women in his work While examining the various roles of women in text, one important category of women lacks behind apart from daughter, wife, mother, widows that is of the working women, it was Horner who introduced the new category of working women in his work Women in Primitive Buddhism. Working women in the text represents the role played by them outside their domestic sphere, these women represents an independent category of women of a wider society. Such category of women can be related to the various women entrusted with the task as a door keeper, maids, and female attendants in the palace. The host of female characters in Dushyanta s court, who are employed in the service of the king, and the palace, mostly belong to the lower classes of society gives evidence of women active in society and economy. After carefully examining the various roles played by the women in the text within the household and outside it, the status of women in the society can be understood from the text as well. Here,

the status of women can be understood socially, politically and economically and also within the family.

Looking at the social status of women represented in the text, their status can be related from their exclusion and inclusion to public and private spaces. In terms of public space we can relate it with their right to education and participation in the religious ceremonies. However we find that not all the women in the text enjoyed such privileges. As described in text, the women in the text do not seem to have acquired education, with an exception of Shakuntala and Dushyanta s wife in the palace. It is evident from the text that Shakuntala seems to have the knowledge of writing, when she is asked to compose a letter to Dushyanta expressing her love as advised by her companion. Similarly, the reference to Dushyanta s wife in the palace singing a song playing an instrument indirectly indicates about her accessed to such knowledge. The most important activity that was regarded important in the religious sphere was the sacrifice. Women as a wife were a necessary companion for her husband in the sacrifice. But in the text Women did not have a direct participation in the sacrificial ritual, but contributed by gathering the required essentials for the same. In terms of the religious status of women in the ancient texts, we find that in the early period the Upanayana. Thus, the discussions regarding the status of women from the text more or less connect us with the status of women that determined on the background of Hindu ideas; Brahmanical sources since all the traditional work on the status of women in India exist entirely within the context of Hinduism. Uma Chakravarti writes that almost all the works on the position of women in ancient India have been written by the scholars who fall within the nationalist school of history.

These scholars worked hard to show that the position of the women in India s ancient past was high. These historians in order to glorify Indian womanhood have led to the selective focus on certain aspects of the ancient texts, along with the most celebrated example of women learning of the Gargi-Yajnavalkiya debate. The general idea about the position of women was high in the Vedic period, and it was only after the foreign invasion that the position of women declined. It was after these foreign invasion that that various evils such as the Purdah, sati and female infanticide came up. It was in the Gupta period women were the objects of enjoyment. It was during this age that the dreams of getting charming heavenly damsels were infused in the hearts of the men It is said that the Gupta period marks the position of women as deteriorating comparing to the Vedic age where women enjoyed a higher position in the society. According to Bader, „the decline in the status of women in a long run is the preference for sons over daughters in the terms of the requirement of a son for funeral rites. Shakuntala might have been ignored because she was a daughter and not a son. The preference of sons over daughter was also one of the factors which led to the low status of women in their society. The subordination of women is a common feature of almost all stages of history, and is prevalent in large parts of the world, the extent and form of that subordination has-been conditioned by the social and cultural inenvironment in which women have been placed.

When we try to move a little bit away from the status of women that is either high or low and try to find out basis of sub-ordination and the extend and specific form which generally determines the status of women we can find out that in India that religious instruments has shaped the social practices. In short we can say that role of Shakuntala is representation traditional Indian women who accept her fate as divine destiny. Here in her whole life she maintained all limits which was prescribed by our traditional society, religion, and her family.hereshakuntala represent

traditional women image that was established by our traditional social values.

Refrence

1. Evison, Gillian (1998). "The Sanskrit Manuscripts of Sir William Jones in the Bodleian Library".
2. In Murray, Alexander (ed.). Sir William Jones, 1746-1794: A Commemoration. Oxford University Press. pp. 123–142. ISBN 0199201900.
3. Figueira, Dorothy Matilda (1991). Translating the Orient: The Reception of Sakuntala in Nineteenth-Century Europe. SUNY Press. ISBN 978-0-7914-0327-3.
4. Gautier, Théophile (1858). Sacountalâ: ballet-pantomime en deux actes, tiré du drameindien de Calidasá.
5. Paris: Vve Jonas. Other on-line version: Project Gutenberg {{cite book}}: External link in |postscript= (help) Holme, Garnet; Ryder, Arthur W. (1914).
6. Shakuntala: An acting version in three acts. Berkeley: University of California Press. Other on-line versions: Hathi Trust – Hathi Trust {{cite book}}: External link in |postscript= (help) Jones, William (1789).

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 20th June 23 Paper Accepted : 25th June 23

संगठित अपराध की उभरती प्रवृतियां और सोशल मीडिया

❐ प्रगति*
❐ डॉ. कृष्णा कुमार**

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध प्रपत्र वर्तमान समय में 'संगठित अपराध की उभरती प्रवृत्तियां और सोशल मीडिया' शीर्षक से समाजशास्त्रीय सीमा में सीमांकित है। प्रस्तुत प्रपत्र में संगठित अपराध में सोशल मीडिया के प्रभावों के परिणामस्वरुप उभरती नवीन प्रवृत्तियों को देखने का प्रयास किया गया है। सोशल मीडिया आज के ज्ञान आधारित समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है तथा इसने समाज के विभिन्न आयामों को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप ऑनलाइन सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। एक ओर जहाँ सोशल मीडिया का प्रयोग करके समाज का एक वर्ग समाज के उन्नयन या विकास में महान भूमिका निभा रहा है तो वहीं दूसरी ओर तमाम विचलनकारी तथा आपराधिक व्यक्तियों या समूहों द्वारा इससे सम्बंधित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की नवीन तकनीक को सीखकर अपना लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। जैसा की ज्ञातव्य है की संगठित अपराध आपराधिक गिरोहों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं और सोशल मीडिया द्वारा आए दिन इन गिरोहों की गतिविधि को विस्तृत रूप से उजागर करने सम्बन्धी ज्ञान साझा होते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक युग में अपराध की नवीन तकनीकियों को सीखने का साधन बन गया है। जहाँ तक संगठित अपराध के सम्प्रत्यात्मक विश्लेषण की बात है। यह अपराध आपराधिक गिरोहों द्वारा किया जाता है।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है जिसमें यह समझने का प्रयास किया गया है की संगठित अपराध में सोशल मीडिया का किस प्रकार दुरूपयोग करते हुए विचलनकारी तत्त्वों द्वारा आपराधिक कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन विकल्पों पर भी विचार किया गया है कि किस माध्यम से इस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कानून व्यवस्था के साथ आमजन का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अतः जनजागरूकता के साथ साथ जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

* रिसर्च स्कालर (समाजशास्त्र), पीपीएन (पीजी) कॉलेज, कानपुर।
** प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग), पीपीएन (पीजी) कॉलेज, कानपुर।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र वर्तमान समय में 'संगठित अपराध की उभरती प्रवृत्तियां और सोशल मीडिया' शीर्षक से समाजशास्त्रीय सीमा में सीमांकित है। प्रस्तुत प्रपत्र में संगठित अपराध में सोशल मीडिया के प्रभावों के परिणामस्वरुप उभरती नवीन प्रवृत्तियों को देखने का प्रयास किया गया है। सोशल मीडिया आज के ज्ञान आधारित समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है तथा इसने समाज के विभिन्न आयामों को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप ऑनलाइन सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रवृत्ति।

तेजी से बढ़ी है। एक ओर जहाँ सोशल मीडिया का प्रयोग करके समाज का एक वर्ग समाज के उन्नयन या विकास में महान भूमिका निभा रहा है तो वहीं दूसरी ओर तमाम विचलनकारी तथा आपराधिक व्यक्तियों या समूहों द्वारा इससे सम्बंधित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की नवीन तकनीक को सीखकर अपना लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। जैसा की ज्ञातव्य है की संगठित अपराध आपराधिक गिरोहों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं और सोशल मीडिया द्वारा आए दिन इन गिरोहों की गतिविधि को विस्तृत रूप से उजागर करने सम्बन्धी ज्ञान साझा होते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं की विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक युग में अपराध की नवीन तकनीकियों को सीखने का साधन बन गया है। जहाँ तक संगठित अपराध के सम्प्रत्यात्मक विश्लेषण की बात है। यह अपराध आपराधिक गिरोहों द्वारा किया जाता है।

संगठित अपराध से तात्पर्य है अवैध तरीके से धन या लाभ कमाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से संगठित होकर अपराध करना है। संगठित अपराध किसी एक देश की सीमा तक ही सीमित नहीं है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। इसके तहत अनेक प्रकार के अपराध आते हैं जैसे अवैध अप्रवासन, ऑनलइन ठगी, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, मनी लांड्रिंग आदि। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया सूचना।

सम्प्रेषण करने की वह नवीन तकनीक है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करने एवं अपने विचारों को साझा करते हैं। यह एक ऐसा आभासी नेटवर्क है जिसके माध्यम से संचार करने के लिए लोगों का भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नही है। संचार मनुष्य की मूलभूत मौलिक आवश्यकता है। जहाँ आदिकाल में लोग चित्र बना कर अपनी बातें सम्प्रेषित करते थे वहीं वर्तमान में सूचना संप्रेषित करने का माध्यम परिवर्तित होते होते इन्टरनेट तक पहुच गया है। इस सन्दर्भ में हो रही हर नवीन खोज अपने आप में विशिष्ट है। संचार की यह विकास यात्रा पहले धीमी गति और बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से अत्यधिक तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। सूचना क्रांति की इस दौड़ में 1995 में अपना देश भारत भी इन्टरनेट से जुड़ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व का यह सम्पूर्ण महान तंत्र रिमोट कण्ट्रोल की तरह एक स्थान पर केन्द्रित हो गया है जिसका एक बटन दबाकर कोई भी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

आज के डिजिटल समाज में संगठित अपराध और उनमें सम्मिलित अपराधी समूहों की गतिविधियां बदल रही है अपराधी समूह संगठित होकर डिजिटल तरीके से विभिन्न संगठनात्मक मॉडल का सह अस्तित्व रखते हैं। पारस्परिक संगठित अपराध समूहों में काफी भिन्नता है। तकनीकि और नेटवर्क से लेकर सहयोग करने के माध्यम तक परिवर्तित हुए हैं।

सोशल मीडिया के द्वारा लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आपस में जुड़ते है। इस लोकप्रिय संचार उपकरण ने हमे अनेक सुविधाएँ प्रदान की हैं जिसके द्वारा हमारी जीवन शैली आसान हुई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का गलत उपयोग भी हो रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा संगठित अपराध इस प्रकार फैलते हैं जैसे कोई भी अपराधिक सूचना वीडियो पोस्ट आदि को व्हाट्सएप, फेसबुक, यू ट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ाना। समाज के कुछ असामाजिक तत्व

सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नकारत्मक व भ्रामक बातें फैलाते हैं जिससे समाज में आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। सोशल मीडिया द्वारा जब बहुत अधिक अपराधों में वृद्धि होती है तब सरकार इसे रोकने के लिए नेटवर्क पर प्रतिबन्ध लगाती है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी जहाँ लोगों को शिक्षित कर ज्ञान में वृद्धि कर रही है, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन प्रदान कर रही है वहीं अत्यधिक शिक्षित लोग इन साधनों का अनुचित प्रयोग करके आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया के उपयोग द्वारा आपराधिक क्षेत्र में प्रवेश लेने वाला व्यक्ति अधिकतर हमारा युवावर्ग होता है। इसका एक प्रमुख कारण यह है की वे अधिक से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अनावश्यक रूप से इतना अधिक उपयोग करने के फलस्वरूप वे दिग्भ्रमित हो जाते हैं।

सोशल मीडिया पर संगठित अपराध से निपटने की रणनीतियाँ - सोशल मीडिया का प्रकार्यात्मक पक्ष यह है की इसके जरिये अपराधों से निपटने में आसानी हुई है। इन्टरनेट संजालों के जरिये बहुत ही कम समय में अपराधियों तक पंहुचा जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिये संगठित अपराधों से निपटने की निम्नलिखित रणनीतियां हो सकती हैं—

1. कानून विनियमनों को मजबूत करने के लिए सरकार को ऐसे कानून बनाने और लागू करने चाहिए जो विशेष रूप से सोशल मीडिया पर संगठित अपराधों से सम्बंधित हा। इस कानून में मुख्य रूप से अपराधों व अपराधियों की जाँच व दंड अभियोजन की प्रक्रियाएं सम्मिलित हों।

2. सोशल मीडिया पर निगरानी और रिपोर्टिंग को बढ़ाना, मानव तस्करी, नशीली दवाओं की बिक्री, साइबर अपराध जैसी अवैध गतिविधियों सहित संगठित अपराध से सम्बंधित सामग्री का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली लागू करनी चाहिए तथा उपयोगकर्ताओं को इससे सम्बंधित जानकारी प्रदान करने के साथ- साथ इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए।

3. कानून व्यवस्था के साथ सहयोग सोशल मीडिया कंपनियों को संगठित अपराध से सम्बंधित रिपोर्टों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संचार व सहयोग के लिए चौनल स्थापित करने चाहिए। इन चौनलों के जरिये तकनीकी सहायता प्रदान करना, जाँच को सुविधाजनक बनाना और इससे सम्बंधित जानकारियों को साझा करने जैसे प्रोग्राम सम्मिलित होने चाहिए।

4. सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर उपयोगकर्ताओं को संगठित अपराध के खतरों से सम्बंधित जानकारी प्रदान करनी चाहिए जिससे यूजर्स संदिध गतिविधियों को पहचानने उससे सम्बंधित कार्यवाही करने के सन्दर्भ में जागरूक हो सकें। इससे उपयोगकर्ताओं को संगठित अपराध नेटवर्क में जाने अनजाने भाग लेने से बचने में सहायता मिल सकती है।

सोशल मीडिया कानून और इसका प्रभाव भारत का कानून प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसे राज्य द्वारा नहीं छीना जा सकता। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहद् इन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। विशेष रूप से मीडिया की स्वतंत्रता उल्लिखित नही हैं लेकिन यह 19 (1) के माध्यम से संचालित होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 66 के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को परेशान करने के सन्दर्भ में अपराध के लिए निषेध व दंड का प्रावधान है। 69 में उल्लिखित है की सरकार के पास यह अधिकार है किसी भी असंगत जानकारी को सार्वजानिक पहँच तक प्रतिबंधित कर सकती है। इंटरनेट जनित अपराधों को रोकने एवं कार्यवाही करने सम्बन्धी कुछ एक्ट अग्रलिखित हैं।

1. Information notification of act 2000

2. Information technology (certifying authorities) Rules 2000

3. Information technology (other standard) Rules 2003

निष्कर्ष

वर्तमान युग सोशल मीडिया का युग है। इसका सही तरीके से किया गया उपयोग सकारात्मक प्रकार्य कार्यान्वित करता है और गलत उपयोग नकारात्मक प्रकार्य। दुनिया भर में फैले इन्टरनेट नेटवर्क समूहों पर कोई भी सरकार हमेशा नजर नहीं सकती। इसलिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। सोशल मीडिया से विशेष प्रभावित हमारा युवा वर्ग है। उनका ज्ञानोपयोगी बहुमूल्य समय तो नष्ट होता ही है साथ ही साथ मीडिया की व्यापकता व अनावश्यक संचार से वे मानसिक तौर पर भी प्रभावित होते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का समझदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया द्वारा जो अनैतिक संचार व अनैतिक गतिविधियों के लिए नया स्तर सामने आ रहा है इसे रोकना चाहिए, संक्षेप में लोग शिक्षित हों और अपनी शिक्षा का सही उपयोग करें जिससे इसके द्वारा फैलने वाले अपराधों से समाज को बचाया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, श्याम धर (2015) : अपराधशास्त्र के सिद्धांत, सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी।
2. कुमारी प्रियंका, गुप्ता दीपकरू सोशल मीडिया लॉ एंड इट्स इम्प्लिकेसन, शारदा विश्वविद्यालय।
3. अल्फ्रेड, आर. लिंडस्मिथ (1941) : आर्गनाइज्ड क्राइम, द जर्नल्स ऑफ़ द अमेरिकन एकेडेमी।
4. डोनाल्ड, आर. टैफ्ट (1956) : 'क्रिमिनोलॉजी', द मैकमिलन कंपनी न्यूयॉर्क।
5. All need to know about organized crime in india.
6. https://blog.ipleaders.in/all-you-need-know-about-organised-crime-india.
7. Jeremy harris Lipschultz (2015) social media communication Roultledge, Newyork.
8. Andrea Di Nicola (2022) towards digital organised crime and digital sociology of organised crime. Springer.
9. Frank Richard, connie chengand vito pun (2011) social media sites : Newyork for criminal communication and instigation opportunities. Ottawa On Public safety Canada.
10. https://www-legalserviceindia-com.translate.goog/legal/article-10231-social-media- law-andits-implication.html.

SHODH CHETNA – YEAR-9, VOL. 2 (APR TO JUN., 2023) ISSN : 2350-0441

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal
Research Journal

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 20th May 23 Paper Accepted : 10th June 23

An Exploratory Study on Impact of Digital Transformation on Financial Inclusion of Rural People

❐ Ankit Trivedi*
❐ Dr. Vidya Telang**

ABSTRACT

Financial inclusion and digital transformation has a strong interrelation with multiple benefits to the customers. On the one hand financial inclusion reflects complete reach to finance through various channels **and** works as a tool for complete participation of all the sections of the economy. On other hand digital technologies provides quick, innovative and automated operations by using software technologies on smart phones and mobile devices. With this combined effect digitization of finance provides new shape to the Indian financial sector for managing personal finance. This paper is an way to study the impact of digital transformation on financial inclusion of people of rural areas of Madhya Pradesh. The goal of the research work is to conceptually study the role of recent digital innovations on the financial inclusion of rural peoples

Keywords: Financial Inclusion, Digital transformation, financial eco-system, Software technologies etc.

INTRODUCTION

Financial Inclusion and Digital transformation are two interlinked terms describing the Digital financial innovations in financial Business environment. Financial decision demands proper analysis of products and services available in the financial market and that is only possible when the individuals have full financial access; they are financially educated and have proper guidance about the recent trends available.In a country like India, this becomes serious problem especially in Indian scenario where still a majority of the population is unbanked or "financially excluded".

FinTech is used to denote the digitization of the financial services industry. It comes from the words Financial Technology. The Fintech movement is being stimulated by the fast pace of progress in the fields of mobile technology, big data, predictive analytics, cloud infrastructure,

* Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore
** Assistant Professor, Prestige Institute of Management and Research, Indore

self-learning algorithms, personalization, and the growing dominance of information and communication technologies (World Economic Forum, 2015).

Hence, Transformation in the digital technologies makes Access of Financial Products and Services to People in both urban & rural areas so exploring the same this Research paper is an attempt to throw light upon digital Transformation & its impact on financial Inclusion. This Conceptual research work includes many steps like initial part of the paper tells about the concepts of digital transformation and financial Inclusion. A conceptual model has been derived that clarifies how digital transformation and makes influences financial Inclusion including role of RBI in digital financial transformation & inclusion , major technologies accelerating the growth of digitization in BFSI sector and financial inclusion in Madhya Pradesh.

DIGITAL TRANSFORMATION

Digital Transformation is the process of using digital technologies to transform existing non-digital business processes and services, provide the platform for the reach of financial services to each section of the society.. Digitalization is the conversion in to a digital business; it uses technologies to alter a business model and offer new revenue and value-producing options. Technological innovation, regulatory changes, pressure from investors and new entrants are just some of the forces that cause disruption, even in historically less volatile business sectors (Bucy et al. 2016).

FINANCIAL INCLUSION

"Financial inclusion means access to useful and affordable financial products and services that meet individuals and businesses needs – transactions, payments, savings, credit and insurance – delivered in a responsible and sustainable way." *(World Bank)* Measuring financial inclusion is a complex process as there are the dimensions of supply and demand. On the supply-side, providing access to formal financial services to socioeconomically and geographically marginalized sections of society by ensuring that the services become more affordable, accessible, safe, and dependable through technological innovations.

LITERATURE REVIEW

Research from time to times has pointed out that Digital transformation, financial inclusion and financial technologies at national as well as international level. For exploring the concept we have made extensive review of many literatures in the area of financial inclusion and Digital transformation and financial technologies which includes,

- **Ganguli and Roy (2010)** Worked to know the generic service quality dimensions of technology based banking and also to checked the effect of these dimensions on customer satisfaction and loyalty and found that customer service and technology usage have positive and significant impact on customer satisfaction.The findings of the application of the service quality dimensions cannot be relevant to e-banking as only generic dimensions were taken.
- **Sironi, (2016)** concluded with the help of the study that interference between financial advancements and technology has been more because the information technology (IT) has enabled the creation of economies.
- **Thomas Philippon (2020):** with the help of working paper on fintech and financial inclusion concluded that Fintech is likely to decrease the costs of financial intermediation & new financial technologies is likely to reduce the impact of negative prejudice in the credit market

but it could reduce the effectiveness of existing policies aimed at protecting minorities.

- **Aziz and Naima (2021)** investigated the mismatch between financial inclusion discourse and ideas of access and use of digital technologies. and tried the discourse forward through a comprehensive framework for digital financial inclusion. They concluded that although digital services have eased and bridged the gap of physical access to financial services, such services have not been utilized due to lack of basic connectivity, financial literacy and social awareness

- **Kumar Sidhant et al. (2021):** carried out a research on Impact of Digital Finance on Financial Inclusion in Rural Areas and concluded that there is a positive correlation between the financial inclusion and digital finance.

- **Erik Feyen et.al. (2021)** conducted a research study on the title financial technology and the digital transformation of financial services: implications for market structure and public policy and concluded that technology has increased exchange of information and reduced transaction costs. However, classic economic forces remain relevant even in an age of digital production.

- **Liping Zhu (2022)** with the help of the study on the growth of Rural Digital Inclusive Finance in China concluded that financial inclusion in rural China, significantly improved urban-rural integration, the pace of digital infrastructure construction in rural areas should be accelerated. Pay attention must be paid to the property losses caused by online financial fraud and illegal fund-raising activities.

- **S.Amudhan1et al. (2022)** using the study impact of digital transformation of banking sector in rural areas found that the banking business has grown from a basic middleman to a vast commercial enterprise and concluded that there is significant impact of the digital banking services on rural customers.

OBJECTIVES

1. To explore the about the financial inclusion and factors affecting the digital transformation of financial services
2. To understand the role of digital finance and financial inclusion specially in rural areas
3. To know the regulatory framework for digital financial inclusion in India.

CONCEPTUAL MODEL

This conceptual model below describes the variables i.e. qualitative and quantitative that explains the interrelation between dependent variable and independent variables used in the study i.e. Digital transformation (Independent variable 1), and Financial Inclusion (dependent variable).

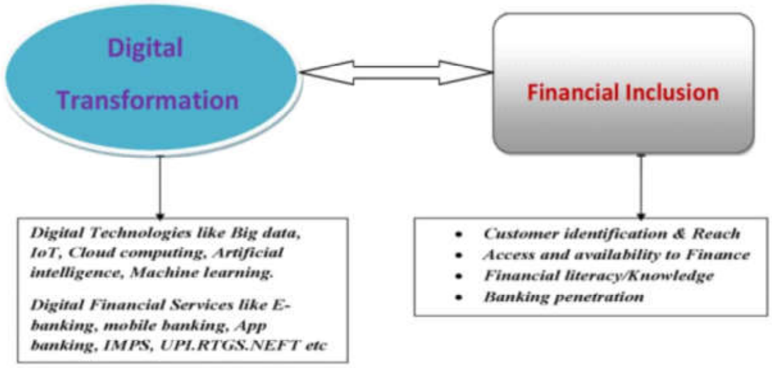

ROLE OF RBI IN DIGITAL FINANCIAL TRANSFORMATION & INCLUSION

- **Digital Retail payments scenario :-**The Central Bank RBI over the years encouraged greater use of Digital payments to achieve a "Cash-Less" Immediate Payments Service (IMPS), (UPI), (BHIM), Aadhaar-enabled Payment System (AePS). This has transformed the retail payments scenario of the country.

- **RBI and Inclusive Credit:** The Next Milestone a three-Pillar strategy

Setting up of financial intermediaries for extending digital credit (P2P lending Platform, Digital Only NBFCs, Digital Banking Unit)

Nurturing technical infrastructure to ensure safety in disbursal of credit, (UPI, GSTN, JAM Trinity and Account Aggregators)

Customer-first regulatory approach (digital lending via online lending platforms / mobile lending app)

- **RBI & FinTech:-** The Reserve Bank is intensively involved in developing an ecosystem, which would not only nurture the future technologies, but also stimulate the technological aspirations of the financial community."India is on the way to becoming Asia's top financial technology (FinTech) hub with 87 per cent FinTech adoption rate as against the global average of 64 per cent.

- **Reserve Bank Innovation Hub:-** Reserve Bank of India (RBI) has set-up a wholly owned subsidiary to promote and facilitate an environment for the financial sector innovation

- **Central Bank Digital Currency (CBDC):-** block chain based **e¹ -R** is in the form of a **digital token** that shows legal tender. It is being issued as similar to as the paper currency and coins. It is being distributed through the banks.

- **Jan Dhan-Aadhar-Mobile (JAM) Trinity:-** The JAM trinity made up of three major papameters i,e **Jan Dhan** (banking), **Aadhaar** (biometric identity) and **Mobile** (transactions). While working in the area of financial inclusion JAM trinity plays a crucial role. It universalize digital payments in a convenient, safe, secure, transparent and affordable manner.

MAJOR TECHNOLOGIES ACCELERATING THE GROWTH OF DIGITIZATION IN BFSI SECTOR

When technology is used, it changes data into digital information. Therefore, Technological adoption is very crucial for the banking industry as it improves customer experiences convenience saves time and improves work flow. In addition, a human mistake is decreased by digitization, which increases client loyalty and amplify benefits of digitalization in banking.In addition, many bank's digital transformation steps include automating and utilizing digitally driven solutions using advanced technologies like Artificial Intelligence ,Big data and Cloud Computing, virtual reality, augmented reality etc.

FINANCIAL INCLUSION IN MADHYA PRADESH

Access to basic banking services is necessary for financial inclusion, which is the act of providing each one a complete access to basic financial services. Financial institutions like commercial banks ,RRBs, Co-operatives banks and Small finance banks has put efforts to increase access to banking through different channels like often involve the development of

financial infrastructure, such as the setting up of new banks or the expansion of existing banks to serve underserved communities. In recent years, technological innovations have also enabled the development of digital banking services, which can be accessed through mobile phones and other digital devices. These services can be especially beneficial for individuals and communities without access to traditional banking infrastructure.

DISTRICT FINANCIAL INCLUSION INDEX OF MADHYA PRADESH

Madhya Pradesh District wise index has been developed to analyze the status of the financial inclusion This Financial inclusion index is framed similarly country-wise datasets (Global Findex), National datasets (RBI Findex) or state-wide datasets (CRISIL and NABARD).State level Financial institutions, lead banks, State Level Bankers Committee, NABARD and field functionaries, like local administration, educational institutions, MFIs, MSMEs, etc. are the major contributors of the Index. This index has three dimensions: Access, Usage and Quality for 52 districts of the state matching the objectives of National Strategy for Financial Inclusion (NSFI 2019-25).

As per the Financial Inclusion Index data the Bhopal is most Developed Districts and Rajgarh is least developed district, Shahdol comes in top list of falls in Apparitional Districts and Khargone is least Apparitional District, Shajapur is most Developing Districts and Morena is least Developing District. This index will help in creating district wise plan for financial inclusion to help in improving the performance of district.

LIMITATIONS

On the one side the findings of this research paper has various outcomes about the Digital transformation, financial inclusion, its determinants affecting financial inclusion, on the another side it has some limitations too that it also includes the some limitations also that time for the study was not sufficient to review all the literature in the same area and this research is Exploratory in nature here empirical evidences and statistical calculations are not included.

CONCLUSION

the relationship among the variables Digital transformation, financial inclusion making which concludes that Digitalization in the financial sector has play a big role. Because every business is becoming online, including the banking sector, and it is an absolute necessity. More quickly than online banking, mobile banking is growing, which is a progress of digitalization in banking. So, inclusion of finance involves use of the cost-effective digital ways to reach unbanked populations with a verity of financial Products & services suited to their requirements.

REFERENCES

- **Acharya, V. V., Khandwala, H., & Öncü, T. S. (2013),** "The growth of a shadow banking system in emerging markets: Evidence from India. Journal of International Money and Finance,Vol.39(2), pp.229–230.
- **Bican, P.M.; Brem, A. (2020),** "Digital Business Model, Digital Transformation, and Digital Entrepreneurship: Is There a Sustainable "Digital". Sustainability, *Vol.12, pp.5239-5240.*
- **Ganguli Shrishendu and Sanjit Kumar Roy (2010).** Generic technology-based service quality dimensions in banking: Impact on customer satisfaction and loyalty. *International Journal of Bank Marketing, 29*(2), *168-189.*
- **District Financial Inclusion Index Report (2022),** https://aiggpa.mp.gov.in/projectdetails/view/TTVLSGE1ZHdWZlFYZ0x2Qkh5SVhKZz09

- **Padmaja, R, Rifana Meera, M, & Valliayil (2017),** "Employee's Attitude towards Adoption of Electronic Banking Services: A Case of Public Sector Banks", *International Journal of Banking, Risk and Insurance*, Vol. 5, (2), pp. 11-14
- **Rajeshwari Shettar (2019)** "Digital Banking An Indian Perspective" Journal of Economics and Finance,Vol. 10, (3) pp. 03-05
- **Ravi, C. S. (2017)** "Digital payments system and rural India: A review of transaction to cashless economy".International Journal of Commerce and Management Research, Vol.3(5),pp.170–173
- **S.Amudhan1,Sayantani Banerjee, J.Poornima (**2022) Impact of digital transformation of banking sector in rural areas, Journal *of Positive School Psychology* 2022, Vol. 6, No. 2, 763 – 771
- **The Report on Digital Financial Inclusion in BRICS 2021**

जी.एच. पब्लिकेशन

(पुस्तक सूची)

हमारे नवीनतम प्रकाशन

• रीवा राज्य के बघेल राजाओं की आर्थिक नीतियों का ऐतिहासिक अध्ययन (1755 ई. से 1948 ई. तक)	डॉ. जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय	999.00
• रीवा अंचल के सरयूपारीण ब्राह्मणों की वंशावली	डॉ. सुशीला पाण्डेय (तिवारी)	999.00
• कवितागीतिश्लोकसंङग्रह (संस्कृत भाषा में)	डॉ. द्वारिका नाथ त्रिपाठी	400.00
• पर्यटन विकास की व्यूह रचना	चन्द्रमणि प्रसाद तिवारी	400.00
• माटी के चुकिया (छत्तीसगढ़ी बाल कविता संग्रह)	चोवा राम वर्मा 'बादल'	150.00
• चीख एवं चौदह कहानियाँ	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	250.00

हमारे आगामी प्रकाशन

- **Civil Engineering Construction Materials** — Dr. Nisha Pandey
- **वेद : भारतीय संस्कृति और विज्ञान** — प्रो. (डा.) अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
- **सनातन धर्म आधारभूत तत्व** — प्रो. (डा.) अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
- **हिन्दू धर्म दोष एवं समाधान** — प्रो. (डा.) अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
- **धर्म एवं पर्यावरण विज्ञान** — प्रो. (डा.) अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
- **सनातन धर्म एवं ब्रह्म का स्वरूप** — प्रो. (डा.) अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
- **प्रेमचन्द की अनमोल कहानियाँ** — सं. गौरान्शी कुशवाहा

पुस्तक मँगाने का नियम

- प्रत्येक पुस्तक पर 20% कमीशन दिया जायेगा एवं डाक व्यय फ्री रहेगा।
- पुस्तक के मुद्रित मूल्य में 20% धनराशि काटकर शेष धनराशि हमारे Phone Pay No. में जमाकर उसका स्क्रीन शाट तथा अपना पूरा पोस्टल पता एवं अपना मोबाइल नं., हमारे Whatsapp No. 9532481205 पर भेज दें।
- आदेशित पुस्तकें आपके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दी जायेंगी।

Phone Pay No. : **9532481205**
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. No. : **394302010996632**
IFSC : **UBIN0807095**

हमारे प्रकाशन जी.एच. पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित एवं प्रचारित पुस्तकें

शिक्षा

वैदिक चिन्तन मंजूषा	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	350
शतपथ संदर्शन	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	400
शिक्षा में सुधार चुनौतियाँ अपार	डॉ. प्रेम भारती	395
वैदिक शिक्षा के विविध आयाम	डॉ. प्रेम भारती	395
शिक्षाप्रद प्रेरक प्रसंग	डॉ. प्रेम भारती	350
शिक्षा की समस्याएँ	शारदा देवी	250

पर्यावरण

वेद, यज्ञ और पर्यावरण	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	400
पर्यावरण सुरक्षानाम शतकम् *(संस्कृत)*	डॉ. द्वारिकानाथ त्रिपाठी	300

विधि

आधुनिक हिन्दू विधि *(संस्कृत) (धर्मशास्त्रीयविधि सहितः)*	प्रो. वेद प्रकाश उपाध्याय	750

योग एवं स्वास्थ्य

योगसार संग्रह	डॉ. रश्मि पाठक	500
योग एक कल्पवृक्ष	डॉ. प्रेम भारती	300
शंख थेरेपी	डॉ. प्रेम भारती	250
योग समग्र जीवन की ओर	कौशल किशोर	400

पशुपालन एवं स्व-रोजगार

Livestock Health, Nutrition, Disease Diagnosis and their Management — 500.00
Raj Kumar Patel, Adesh Verma
Nitin Bajaj, Amit Jha, Jayant Goel
Rahul Sharma, Suman Kumar

Augmentation of Fertility and Correction of Reproductive Disorders in Livestock — 500.00
Nitin Bajaj, Amit Jha, Adesh Verma
Suman Kumar, Yogesh A. Chatur
Raj Kumar Patel

Text Book of Animal Behaviour and Welfare — 400.00
Manoj Ahirwar, Shashi Pradhan
Deepika Diana Jesse Ariand,
Raj Kumar Patel, Adesh K. Verma

खरगोश पालन (छात्र संस्थान)	डॉ. एस.पी. वर्मा	150
बटेर पालन (छात्र संस्थान)	डॉ. एस.पी. वर्मा	100
बत्तख पालन (छात्र संस्थान)	डॉ. एस.पी. वर्मा	130

(उक्त तीनों पुस्तकें रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय, उ.प्र. के बी.एस-सी. एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम में है।)*

पशु पालन एवं पशु चिकित्सा	डॉ. राहुल शर्मा	500

धर्म एवं संस्कृति

वैष्णव महापुराणों में श्रीकृष्ण	डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी	500
चित्रकूट के घाट से	डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी	200
महाकवि कालिदास का सन्देश	डॉ. रामबहोरी त्रिपाठी	100
भारतोत्तर नाट्याचार्यों का योगदान	डॉ. बलजीत कौर	100
बुद्ध ज्ञान रसायन	शीतला प्रसाद मौर्य	400
युद्ध के नीतिशास्त्र का समीक्षात्मक अध्ययन *(रामायण एवं महाभारत के सन्दर्भ में)*	डॉ. सीमा सैनी	450
संस्कृत ग्रन्थों में राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधारा *(आचार्य बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य एवं कामान्दक के सन्दर्भ में)*	डॉ. सन्ध्या कुमारी	700
उपनिषदों की प्रेरक कथाएँ	डॉ. विभा श्रीवास्तव	400
वैदिक साहित्य में दाक्षायण यज्ञ	डॉ. मीनाक्षी उपाध्याय	500
श्रीमानस भ्रम भंजनी	रामदेव प्रसाद सोनी	400
द्वादश ज्योतिर्लिंग	ओंकार क्रान्तिकारी	200

शब्दकोश

किहिनी, कहनूति उखान कोश *(बघेली-हिन्दी)*	रवि रंजन सिंह	750

मिल बाँचें बघेली हिन्दी *(बघेली-हिन्दी शब्दकोश)*	प्रो. अम्बिका प्रसाद तिवारी	400
विपरीतार्थक शब्दकोष	बी.आर. पनेरू	340

इतिहास

तब और अब रीवा	रविरंजन सिंह	550
रीवा राज्य के बघेल राजाओं की आर्थिक नीतियों का एतिहासिक अध्ययन (1755 ई. से 1948 ई. तक)	डॉ. जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय	999
काँटे (जीवन का सच) भाग-1	सोमदत्त त्रिपाठी	600
काँटे (जीवन का सच) भाग-2	सोमदत्त त्रिपाठी	600
वीरांगना दुर्गावती	सोमदत्त त्रिपाठी	250
क्रान्ति से परिवर्तन	सं. डॉ. श्रीकान्त शुक्ल	400

संस्कृत

आधुनिक हिन्दूविधि	प्रो. वेदप्रकाश उपाध्याय	750
वेदतत्वविमर्शः	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	500
यजुर्वेद अग्नि तत्व विमर्शः	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	400
शुक्ल यजुर्वेदीय गर्भाधानादि षोडश संस्कार-पद्धति विमर्शः	आचार्य केदारनाथ द्विवेदी	350
कृष्णयजुर्वेदीया कठोपनिषद	प्रो. वेद प्रकाश उपाध्याय	250

बघेली साहित्य

बघेली व्याकरण	सोमदत्त त्रिपाठी	250
पिता का आम वृक्ष *(कहानी संग्रह)*	डॉ. रामसिया शर्मा	300
जगन्नाथ केर परसाद	सीताशरण गुप्त	300
किस्सन केर पोथन्ना	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	250
मिल बाँचे बघेली हिन्दी	प्रो. अम्बिकाप्रसाद तिवारी	400
किहिनी कहनूति उखान कोश	रवि रंजन सिंह	750
बघेली बिरबाही	सं. डॉ. सूर्य नारायण गौतम	120

छत्तीसगढ़ी साहित्य

छत्तीसगढ़ के छत्तीस रतन *(छत्तीसगढ़ी)*	कन्हैया साहू 'अमित'	300
छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का सामाजिक संदर्भ	बलदाऊ राम साहू	450
सुन्दरकाण्ड *(छत्तीसगढ़ी)*	श्रीमती धनेश्वरी सोनी 'गुल'	50
फुरफुन्दी *(छत्तीसगढ़ी बाल कविता संग्रह)*	कन्हैया साहू 'अमित'	150
नचई अरु फटाका फोरई *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	बलदाऊ राम साहू	90
चोर के जीव पुतकी मा *(छत्तीसगढ़ी लोक कथाएँ)*	बलदाऊ राम साहू	140
चलित प्रयोगशाला *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	डॉ. रामसिया शर्मा	90
तरिया (पोखर) *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	डॉ. रामसिया शर्मा	90

साहित्य, जीवनी, संस्मरण एवं प्रेरक प्रसंग

विश्व की महान महिलाएँ	श्रीमती विभा श्रीवास्तव	300
संकल्प *(नाटक संग्रह)*	उमेश कुमार 'निराला'	120
स्मृतियों के इन्द्रधनुष	स्वामी विजयानन्द	400
तड़प *(दलित चेतना पर आधारित कहानी संग्रह)*	बृजलाल कोरी	250
मुखाग्नि *(दलित चेतना पर आधारित उपन्यास)*	बृजलाल कोरी	250
नैतिक कहानियाँ	गौरान्शी कुशवाहा	300
राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँ	डा. प्रेम भारती	400
महान शिक्षाशास्त्री श्री राधाकृष्णन	डा. प्रेम भारती	250
भारत की महान नारियाँ	कमल नयन गुप्ता	400
शरतचन्द्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ	मनीष भारतीय	300
प्रेरक बोध कथाएँ	डा. प्रेम भारती	350
हमारे हरिजन सन्त	अविचल द्विवेदी	395
घाघ भड्डरी की लोक कहावतें	महाकवि घाघ	300
दिव्य औषधियाँ	चन्द्रप्रकाश शुक्ल	395
वैदिक गणित	डा. प्रेम भारती	395
जयशंकर प्रसाद की अनमोल कहानियाँ	जयशंकर प्रसाद	400
ध्यान : एक वैज्ञानिक चमत्कार	डा. प्रेम भारती	395
कुम्भ *(कहानी संग्रह)*	डा. रामसिया शर्मा	300

बाल साहित्य

कुएँ का भूत	डा. रामसिया शर्मा	100
घमंडी हाथी	डा. रामसिया शर्मा	100
शहर में बन्दर	डा. रामसिया शर्मा	100
उड़ गौरैया ऊँचे उड़	डा. रामसिया शर्मा	130
भारत रत्न प्रधानमंत्री	श्रीमती विभा श्रीवास्तव	60
भारत रत्न महिलाएँ	श्रीमती विभा श्रीवास्तव	60
हमारा शरीर	डा. निशा गुप्ता	60
दुनिया के अनोखे जीव-जन्तु	सन्तोष दुबे	60
शिक्षाप्रद लघुकथाएँ	गौरान्शी कुशवाहा	60
दादी का आशीर्वाद	गौरान्शी कुशवाहा	60
श्रेष्ठ बाल कहानियाँ	श्रीमती विभा श्रीवास्तव	60
फुरफुन्दी *(छत्तीसगढ़ी बाल कविता संग्रह)*	कन्हैया साहू 'अमित'	150
नचई अउ फटाका फोरई *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	बलदाऊ राम साहू	90
चोर के जीव पुतकी मा *(छत्तीसगढ़ी लोक कथाएँ)*	बलदाऊ राम साहू	140
चलित प्रयोगशाला *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	डा. रामसिया शर्मा	90
तरिया (पोखर) *(छत्तीसगढ़ी बाल कहानियाँ)*	डा. रामसिया शर्मा	90
हमारी पृथ्वी	श्रीमती करूणा श्रीवास्तव	50

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

रजिस्टर्ड कार्यालय : 121, शहराराबाग, प्रयागराज-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

शाखा कार्यालय : **आर.एल. विश्वकर्मा,** अंगूरी बिल्डिंग, रीवा (म.प्र.)

Ph. : 0532-2563028 (M) 9532481205, 9827262820

G.H. PUBLICATION

Registered Office :

121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com | website : www.shodhchetna.com

Branch Office :

R.L. VISHWAKARMA

C/o Preeti Computer, Angoori Building, University Road, Rewa (M.P.)